अष्टम माला, खंड 8, अंक 11

मंगलवार, 6 अगस्त, 1985
15 श्रावण 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 11, मंगलवार, 6 अगस्त, 1985/15 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
मालदीव की सिटीजंस मजलिस के अध्यक्ष का स्वागत	1
हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की 40वीं वर्ष गांठ के संबंध में अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 203 से 206 और 208	2—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 203 से 209 और 222	29—42
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2070 से 2176, 2178 से 2181, 2183, 2185 से 2188, 2190 से 2239, 2241 से 2248, 2250 से 2276, 2278 से 2289 और 2291 से 2295	43—184
सभा पटल पर रखे गए पत्र	184—187
तमिलनाडु की कावेरी नदी घाटी में बड़ी मात्रा में तेल मिलने के बारे में वक्तव्य	187—181
श्री नवल किशोर शर्मा	
नियम 377 के अधीन मामले	187—191
(एक) अलीगढ़ के लघु क्षेत्र के उद्योगों को रेलवे द्वारा अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई की मांग	
श्रीमती ऊषा रानी तोमर	187
(दो) इन्दिरा नहर के साथ-साथ एक नई रेल लाइन बिछाने की मांग	
श्री बीरबल	188
(तीन) बिहार में मुंगेर और बेगूसराय को प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णा साही	188
(चार) जम्मू और काश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना	
प्रो० सैफुद्दीन सोज	189
(पांच) विश्व में पूर्ण निरस्त्रीकरण कराने हेतु सभी प्रकार के परमाणु अस्त्रों के निर्माण और उनके परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री के० राममूर्ति	189
(छः) मनखुर्द से बेलापुर तक नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता	
श्री एस० जी० घोलप	190

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

(सात) अमरीका, कनाडा, फ्रांस आदि को मधुबनी चित्रकारी और मिथिला क्षेत्र को अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता
डा० गौरी शंकर राजहंस 190

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1985-86 191—278

डा० गौरी शंकर राजहंस 191
श्री एस० जयपाल रेड्डी 195
श्री जैनुल बशर 200
श्री गिरधारी लाल डोगरा 303
श्री नारायण चौबे 206
श्रीमती बसव राजेश्वरी 209
श्री आर० जीवरत्नम 212
श्री एन० टोम्बी सिंह 214
श्री ओवेसी 217
श्रीमती फूलरेणु गुहा 219
श्री उमाकान्त मिश्र 221
श्रीमती जयन्ती पटनायक 223
श्री आर० अण्णानम्बी 225
श्री दिलीप सिंह भूरिया 227
कुमारी ममता बनर्जी 230
श्री श्याम लाल यादव 232
श्री जी० एम० बनातवाला 234
श्री आई० रामाराय 237
श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली 239
प्रो० सैफुद्दीन सोज 239
श्री भरत सिंह 245
श्री अनूपचन्द शाह 249
श्री अमर राय प्रधान 250
श्री मानकूराम सोडी 253
डा० बी० एल० शैलेश 255
श्री श्री हरि राव 256
श्री सी० के० कुप्पू स्वामी 259
श्री रामपूजन पटेल 261
श्री सी० जंगा रेड्डी 262
श्री राम प्यारे सुमन 264
श्री वी० कृष्ण राव 266
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 267
श्री राम प्यारे पनिका 269
श्री जी० एस० बसवराजू 271
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 273
श्री रामदेव राय 274
श्री गिरधारी लाल व्यास 275

लोक सभा

मंगलवार, 6 अगस्त, 1985/15 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान् जी, हिरोशिमा पर बम गिराए जाने की आज 40वीं वर्षगांठ है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हम इसे मना रहे हैं । लेकिन पहले मुझे एक घोषणा करनी है ।

मालदीव की सिटीजन्स मजलिस के अध्यक्ष का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है ।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मालदीव की सिटीजन्स मजलिस (संसद) के अध्यक्ष महामहिम श्री इब्राहिम शिहाब जो हमारे सम्मानीय अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है ।

वह कल शाम यहां पधारे । इस समय वे विशिष्ट प्रकोष्ठ में विराजमान हैं । हमारे देश में हम उनके सुखमय और मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं । हम उनके माध्यम से मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति, संसद, सरकार और मित्र देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं ।

हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की 40वीं वर्षगांठ के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सभा के सभी वर्गों ने मुझ से कहा है कि मैं 40 वर्ष पहले घटित घटना बारे में कुछ कहूं । मानवता के इतिहास में यह एक काला दिन था, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे काला, जब जिन्न बोतल से निकला—जिसने अत्यन्त भयभीत दृश्य पैदा किया,

जो किसी भी दिन घटित हो सकता है और तब हम सबका शायद अन्त हो जाए। वह घटना थी हिरोशिमा नगर पर पहली बार परमाणु बम गिराए जाने की। अगर यही पागलपन जारी रहा तो, मानवता का भविष्य खतरे में हो जाएगा। हम इस बारे में काफी चिन्तित हैं। उस दिन सैकड़ों, हजारों निर्दोष लोगों का संहार हुआ और ऐसा ही पुनः कहीं हो गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अतः जो उस दिन मारे गए उनके प्रति हम चिन्तित हैं, और इससे भी अधिक हम भावी पीढ़ी और अपने लिए और स्वयं भूमंडल के बारे में चिंतित हैं।

हम उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि विवेक और समझदारी से कार्य किया जाएगा और पूर्ण निरस्त्रीकरण लागू किया जाएगा, तथा इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के परमाणु हथियारों पर रोक लगाई जाएगी, अर्थात् प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं कि इस धरती के सभी समझदार लोग समय के अनुकूल कार्य करेंगे, और सभी शान्तिप्रिय लोग यथा शक्ति यह प्रयास करें जिससे ऐसी घटना की पुनरावृति न हो और हमारी इस सुन्दर धरती को नष्ट न होने दिया जाए।

हम इन लोगों की स्मृति में कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

(इसके पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हुए।)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

डा० भीमराव अम्बेदकर की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

*203. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महान विभूतियों की स्मृति में समय-समय पर डाक टिकट जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने डाक टिकट जारी किए गए हैं;

(ग) क्या डा० भीमराव अम्बेदकर की स्मृति में एक नया डाक टिकट जारी करने का विचार है, क्योंकि ऐसे टिकट अनेक वर्ष पूर्व सन् 1966 और 1973 में जारी किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो यह टिकट कब जारी किया जाएगा ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से विशिष्ट व्यक्तियों पर लगभग 277 स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किए जा चुके हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय अध्यक्ष जी, ये टिकट कब से निकाले जा रहे हैं और इनके निकालने के क्या-क्या आधार हैं यह कृपया मंत्री जी सदन की मेज पर रखें तथा अब तक जिन अन्य महापुरुषों के नाम से ये टिकट निकाले गए हैं, उनके नाम भी सदन की मेज पर रखें।

श्री राम निवास मिर्धा : जिनके डाक-टिकट निकाले गए हैं, उनकी सूची, जैसा कि माननीय सदस्य ने चाहा है, सदन के पटल पर रख दी जायेगी। ये डाक-टिकट निकालने के जो आधार नियत किए गए हैं उनको दर्शाने वाली प्रति भी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डा० अम्बेदकर हमारे देश की प्रमुख हस्तियों में से रहे हैं और हमने उनकी स्मृति में दो दफा विशेष डाक-टिकट जारी किए हैं। एक तो 14 अप्रैल, 1966 को उनकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर और दूसरा 14 अप्रैल, 1973 को उनकी 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया था। दूसरी बार विशेष डाक-टिकट जारी करने का विशेष मुद्दा यह था कि हमने स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक-टिकट जारी किए थे। इसलिए उन पर भी हमने एक डाक-टिकट निकाला था। दो डाक-टिकटों से ज्यादा हमने केवल जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी के सम्बन्ध में निकाले हैं और दो डाक-टिकट हमने विशेष हस्तियो के सम्बन्ध में निकाले हैं। भविष्य में कोई अवसर आएगा तो उस अवसर पर हम महान् हस्तियों के विषय में और डाक-टिकट निकालने पर विचार करेंगे।

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं बहुत ही अनुगृहीत हूं कि डा० अम्बेदकर की स्मृति में दो डाक-टिकट निकाले जा चुके हैं, फिर भी आप और विशेष डाक-टिकट निकालने पर विचार करेंगे।

मामनीय अध्यक्ष जी, डा० अम्बेदकर जिस समय इस देश में पैदा हुए, उस समय देश में सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थो, बल्कि यों कहिए कि ऊबड़-खाबड़ थी। उस जमाने में वह व्यक्ति देश के शोषितों और पीड़ितों के लिए एक आवाज लेकर उठा। वे इस देश के शोषितों और हरिजनों के ही रहनुमा नहीं थे बल्कि वे इस देश के संविधान-निर्माता भी थे और एक विचारक भी थे। वे इस देश में सामाजिक उत्थान के लिए एक आन्दोलन लेकर चले थे। मैं बहुत ही आभारी होऊंगा कि यदि आप कोई और अवसर पर, इस देश के लोगों की मंशा के अनुकूल एक और डाक-टिकट डा० अम्बेदकर पर निकालें।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इस विषय में निवेदन कर चुका हूं कि हम अपनी नीति के अनुरूप कोई और ऐसा अवसर ढूंढ़ेंगे जबकि डाक्टर अम्बेदकर के सम्बन्ध में कोई और डाक-टिकट निकाला जा सके।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश : यह सर्वविदित तथ्य है कि डा० अम्बेदकर एक महान् नेता व देशभक्त थे। एक ओर जहां मुसलमानों ने अलग राज्य की मांग की, यहां इस महान व्यक्ति ने देश की एकता के लिए संघर्ष किया। भारत की आजादी की घोषणा के समय वे हमारे साथ रहे। उन्होंने कन्या-कुमारी से काश्मीर तक देश के दलित और उत्पीड़ित लोगों को संगठित किया। आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महान् देशभक्त और नेता का चित्र केन्द्रीय हाल में अवश्य लगाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा नहीं कर सकते।

श्री जगन्नाथ राव : नेताओं की याद में लिफाफों का पुनर्मुद्रण भी किया जाता है। नेताओं की याद में डाक-टिकट जारी करने और लिफाफों का पुनर्मुद्रण करने का क्या मापदण्ड है ?

श्री राम निवास मिर्धा : हमारे कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं। मैंने वादा किया है कि मैं उन्हें सभा पटल पर रखूंगा। इसके अलावा हमारे यहां एक समिति है···

अध्यक्ष महोदय : यही काफी है।

[हिन्दी]

सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि

*204. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए अनुमानत: कितने सीमेंट की आवश्यकता है तथा सरकारी और गैर-सरकारी कितने प्रतिष्ठान सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ख) क्या जनता को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब और कैसे ?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक देश में सीमेंट की कुल मांग 490 लाख मी० टन हो जाने की संभावना है। अधिष्ठापित क्षमता के विषय में 1-7-1985 की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है। आशा है कि 434.2 लाख मी० टन की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता सातवीं योजना अवधि की समाप्ति तक बढ़कर 632.7 लाख मी० टन हो जाएगी। संभवत: अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता के फलीभूत होने और अधिष्ठापित क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग होने से सातवीं योजना अवधि की समाप्ति तक सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में काफी सुधार हो जाने की आशा है।

विवरण

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र दोनों में 1-7-1985 को सीमेंट उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	स्थान निर्धारण	क्षमता (लाख मी० टन)
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	*सी० सी० आई०, येरागुंटला	कुड्डापाह	4.00

1	2	3	4
	2. *सी० सी० आई०, आदिलाबाद	आदिलाबाद	4.00
	3. रासी सीमेंट, वेदापल्ली	नालगोंडा	3.00
	4. ए० सी० सी०	किस्तना	2.14
	5. ए० सी० सी०, मंचरियाल	आदिलाबाद	3.35
	6. केसोराम सीमेंट	पेड्डापल्ली	9.00
	7. पानयाम सीमेंट खनिज उद्योग	बुनगी नापल्ली कुरनूल	5.31
	8. रामकृष्ण सीमेंट (के० सी० पी०)	मछेरला गुंटूर जिला	2.54
	9. आंध्र सीमेंट	विजयवाड़ा	2.40
	10. आंध्र सीमेंट	विशाखापत्तनम	2.50
	11. आंध्र सीमेंट	नाडी-कुडी	2.50
	12. ओरियंट पेपर मिल्स	आसिफाबाद (प्रावस्था-1)	4.50
	13. कोरोमानडेल उर्वरक	कलामाल्ला	10.00
	14. टेक्समैको लिमिड	येरागुंटला	5.00
		योग	60.24
	असम		
	15. सी० सी० आई०, बोकाजन	कारबी	2.00
		योग	2.00
	बिहार		
	16. ए० सी०सी०, छाईबासा	सिंगभूम	7.82
	17. ए० सी० सी०, खालारी	खालारी	1.09
	18. ए० सी० सी०, सिंदरी	सिंदरी	3.05
	19. रोहतास अशोक	डालमियानगर रोहतास	6.20
	20. कल्याणपुर चूना और सीमेंट	बनजारी	4.80
	21. सोने वैली पोर्टलैंड सीमेंट	जपला, पालामऊ जिला	2.54
		योग	25.50

1 3	3	4
गुजरात		
22. ए० सी० सी०	द्वारका	2.77
23. ए० सी० सी०	पोरबंदर जूनागढ़	2.00
24. ए० सी० सी०	सेवालिया	2.15
25. सौराष्ट्र सीमेंट एंड कैमी०	रानावाव् जामनगर	8.63
26. श्री दिग्विजय सीमेंट	सिक्का जामनगर	10.25
27. —वही—	अहमदाबाद	1.00
28. नर्मदा सीमेंटस लिमिटेड	मगडल्ला सूरत	8.00
	योग	34.80
हरियाणा		
29. सी० सी० आई०	चरखी दादरी भिवानी	2.39
30. ए० सी० सी०' भूपेन्द्र	सूरजपुर अम्बाला	4.06
	योग	6.45
हिमाचल प्रदेश		
31. *सी० सी० आई०	राजबन सिरपुर	2.00
32. ए० सी० सी०	गागल, विलासुपर	5.60
	योग	7.60
जम्मू और काश्मीर		
33. जे० एण्ड के० मिनरल्स लिमिटेड	खू	2.00
कर्नाटक		
34. *सी० सी० आई०	कुरकुन्ता गुलबर्गा	2.00
35. ए० सी० सी०	वाडी, गुलबर्गा	16.00

1	2	3	4
36.	बगलकोट उद्योग लिमिटेड	बगलकोट बीजापुर जिला	3.30
37.	मैसूर सीमेंट्स	अम्मासान्द्रा	5.10
38.	*विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील	भद्रावती शिमोगा जिला	1.00
39.	इंडिनन रेयन कारपो० लिमिटेड	चित्तपुर	5.40
40.	केसोराम सीमेंट्स	सेदाम, गुलबर्गा	5.00
41.	ए० सी० सी०	शाहबाद गुलबर्गा	5.45
		योग	43.25
	केरल		
42.	*मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड	पालाघाट जिला	4.20
	मध्य प्रदेश		
43.	*सी० सी० आई०	मेंढर रायपुर जिला	3.80
44.	*सी० सी० आई०	नीमच मंदसौर जिला	4.00
45.	*सी० सी० आई०	अकलतरा बिलासपुर जिला	4.00
46.	ए० सी० सी०	जामुल, दुर्ग जिला	15.80
47.	ए० सी० सी०	कैमूर जबलपुर जिला	7.72
48.	सतना सीमेंट वर्क्स (बिरला जूट एण्ड इण्ड०)	सतना जिला	13.81
49.	सेंचुरी सीमेंट	मेहर सतना जिला	8.00
50.	रेमण्ड वूलन मिल्स	जंजगीर (प्रावस्था-1) बिलासपुर जिला	4.00
51.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	दमोह	5.25
52.	ग्वालियर रेयन० सिल्क मैन्यु०, एण्ड वीविंग कं० लि०	जावदा (प्रावस्था-1) मंदसौर जिला	5.00
53.	मेहर सीमेंट्स	टिल्डा रायपुर जिला	8.00
		योग	9.48

1	2	3	4
मेघालय			
54.	*मामुला चेरा सीमेंट लिमिटेड	चेरापूंजी	2.84
		योग	2.84
महाराष्ट्र			
55.	ए० सी० सी०	चांदा	5.60
56.	श्री दिग्विजय सीमेंट	सेवरी	2.00
57.	नर्मदा सीमेंट	रत्नागिरी	2.00
58.	लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड	चंद्रपुर	11.09
		योग	20.69
उड़ीसा			
59.	हीरा सीमेंट्स लिमिटेड	बारगढ़	4.00
60.	उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड	राजगंगपुर सुन्दरगढ़	4.01
		योग	8.01
राजस्थान			
61.	ए० सी० सी०	लखेरी, बूंदी	3.22
62.	बिरला सीमेंट वर्क्स	चित्तौड़गढ़	4.00
63.	जयपुर उद्योग लिमिटेड	सवाई माधोपुर	10.00
64.	जे० के० सीमेंट वर्क्स	निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़	11.40
65.	उदयपुर सीमेंट वर्क्स	मावली, उदयपुर	4.00
66.	मंगलम सीमेंट लिमिटेड	मोरक, कोटा जिला	4.00
67.	स्ट्रा प्राडक्ट्स लिमिटेड लक्ष्मी सीमेंट	बनास, सिरोही	5.00
68.	श्री सीमेंट्स	ब्यावर	6.00
		योग	47.62

1	2	3	4
	तमिलनाडु		
69.	*तमिलनाडु सीमेंट कं० लि०	अलागुलम रामानाथ पुरम	4.00
70.	* —वही—	अड़ियालूर तिरूचि जिला	5.00
71.	ए० सी० सी०	मधुकरोई कोयम्बतूर	3.77
72.	चेट्टीनाड सीमेंट कार० लिमिटेड	पुलियूर, तिरूचि जि०	4.00
73.	डालमिया सीमेंट भारत लि०,	कल्लाकुडा तिरूचि जि०	5.95
74.	इंडिया सीमेंट लि०,	संकरीदुर्ग, सालेम	6.00
75.	—वही—	तलायुत्तु संकरनगर तिरूनेलवेली	9.13
76.	मद्रास सीमेंट लि०	तालुकपट्टी रामानाथपुरम जि०	5.25
		योग :	43.10
	उत्तर प्रदेश		
77.	*यू० पी० स्टेट सीमेंट कार०,	चुर्क, मिर्जापुर	4.75
78.	* —वही—	डल्ला, मिर्जापुर	4.32
79.	* —वही—	चुनार, मिर्जापुर	16.80
		योग :	25.87
	पश्चिम बंगाल		
80.	दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स (बिरला जूट मैन्यु० कं० लि०)	दुर्गापुर बर्दवान	6.00
		योग :	6.00

1	2	3	4
		संख्या	क्षमता
	बड़े	80	419.65
	मिनी सीमेंट संयंत्र	27	12.97
	सफेद सीमेंट बनाने के संयंत्र	4	1.61
		योग :	344.23

*सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माण कार्य के लिए अनुमानतः कितने सीमेंट की आवश्यकता है, जवाब दिया गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इतनी आवश्यकता होगी। मान्यवर मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैंने वर्तमान परि-स्थिति की जानकारी चाहिए थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक की सूचना आपने दे दी।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने सोचा कल भी आपने पूछना है।

श्री राम प्यारे सुमन : मान्यवर, पहले स्पष्ट हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट करवाते हैं।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन, माँग और कमी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास 1981 से आंकड़े हैं। मैं आँकड़े पढ़ सकता हूं :—

(लाख टन में)

वर्ष	स्थापित क्षमता	उत्पादन	मांग	कमी
1980-81	269.8	205.3	279.8 ·	74.6
1984-85	428.0	301.7	331.7	66.3
	(यह एक मोटा अनुमान है और कार्यकारी दल द्वारा तैयार किया है)			
1985-86 अनुमानित	465.6	335.0	393.7	53.7

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला अनुपूरक यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 434.2 लाख मीट्रिक टन वर्तमान क्षमता है और यह भी निश्चित है कि सीमेंट की खपत इससे कहीं ज्यादा है। तो पहले मैं यह जानना चाहूंगा, माननीय मन्त्री जी कृपया यह बताने की कृपा करें कि सीमेंट की खपत तो ज्यादा है और उत्पादन कम हो रहा है, इससे निश्चित है कि बाजार में इसके मूल्य में काफी वृद्धि हो गई है और आम जनता तक सीमेंट नहीं पहुंच पा रहा है और लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, तो मैं पहले यह जानना चाहूंगा कि सीमेंट की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और लेवी और नान लेवी में अलग-अलग जितनी सीमेंट आबंटित की गई है बिक्री के लिए, उसकी कीमत क्या निर्धारित की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें जानने वाली कौन सी बात है ?

श्री रामप्यारे सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य उत्पादन की लागत जानना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे लिए उत्पादन की लागत बता पाना सम्भव नहीं है, लेकिन मैं लेवी मूल्य और गैर-लेवी-मूल्य बता सकता हूं। जहां तक लेवी मूल्य का सम्बन्ध है ओ० पी० जी०, पी० एस० जी० में 1-7-1985 से मूल्य 52.23 रु प्रति बोरी है और पी० पी० सी० का मूल्य 51.40 रुपए प्रति बोरी है। जहां तक गैर-लेवी मूल्य का सम्बन्ध है, जून के महीने में, इसमें कुछ वृद्धि हुई है, विशेषरूप से उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में। मैं समझता हूं कि पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में यह मूल्य स्थिर रहे हैं। लेकिन जुलाई में पुन: इनके मूल्यों में कमी आई है। जहां तक गैर-लेवी सीमेंट का सम्बन्ध है, इस पर मूल्य नियंत्रण नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मंत्री महोदय उत्पादन लागत क्यों नहीं बताते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि जुलाई में कुछ दाम घट गए हैं। लेकिन पिछले तीन-चार महीनों में सीमेंट के दामों में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। इससे गांव का आम आदमी मारा जा रहा है। वह बेचारा सीमेंट के लिए जगह-जगह भटक रहा है। अगर सीमेंट मिल रहा है तो बहुत मंहगा मिल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गत तीन महीनों में सीमेंट के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने कहा है कि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में सीमेंट के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर अप्रैल के महीने में दिल्ली, लुधियाना और उत्तरी क्षेत्रों के अन्य स्थानों में सीमेंट के मूल्य 64-66 रु० प्रति बोरी थे। और जून में यह 82 से 83 रुपए प्रति बोरी थे।

(व्यवधान)

और जुलाई में पुनः यह कम होकर 76-78 रु० प्रति बोरी हो गए। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में, यह 67 से 70 रुपए के करीब थे जो बढ़कर 76-78 रु० प्रति बोरी हो गए।

जहां तक दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों का संबन्ध है, प्रति बोरी 3 से 4 रु० का ही अन्तर हो सकता है।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने कहा है कि खुले बाजार में सीमेंट की बिक्री पर मूल्य-नियंत्रणा नहीं है। सीमेंट के अलावा, चीनी जैसी अन्य मदें भी हैं जहां सरकार ने लेवी और गैर-लेवी चीनी की दोहरी नीति अपनाई हुई है। उन्होंने लेवी-चीनी का मूल्य 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है, लेकिन गैर-लेवी चीनी के लिए सरकार ने कहा है कि इसका मूल्य 5.70 रु० प्रति किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या मैं यह समझूं कि खुले बाजार में बिकने वाले सीमेंट के भावों में यह अधिकतम सीमा नहीं है और वे (दूकानदार) इसका कोई भी मूल्य वसूल कर सकते हैं? क्या सरकार की यही नीति है? या फिर सरकार ने सीमेंट में कस्तूरी जैसी किसी वस्तु की मिलावट की है, जिसकी वजह से इसके मूल्यों में इतनी भारी वृद्धि हुई है? इस बारे में स्थिति क्या है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहाँ तक लेवी सीमेंट का सम्बन्ध है, उसके मूल्य तथा वितरण पर नियन्त्रण रखा जाता है और उसके मूल्य बी० आई० सी० पी० के परामर्श से निर्धारित किये जाते हैं। बिना लेवी वाली सीमेंट पर न वितरण नियन्त्रण है और न मूल्य नियन्त्रण। यदि सरकार यह महसूस करती है कि मूल्य एक उचित सीमा से आगे बढ़ रहे हैं तो···

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : वह सीमा क्या है? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। आप मुझे वाक्य भी पूरा नहीं करने दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान न डालिये। आप फिर एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं कह रहा था कि जहां तक बिना लेवी वाली सीमेन्ट का सम्बन्ध है, यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मूल्य एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ रहे हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्यगण सरकार के विचार जानना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं सरकार का विचार ही स्पष्ट कर रहा हूं। यदि कीमतें इसी प्रकार बढ़ती जाती हैं; तो मूल्य नियन्त्रण के लिए हमें अनेक उपाय करने होते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कब?

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : और यदि आवश्यक होता है, तो हम मूल्य पर नियन्त्रण रखने के लिये आयात भी करेंगे।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और आप आयात करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी तरह हल्ला-गुल्ला मचाते रहे तो कोई भी काम कैसे होगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हम आपका हस्तक्षेप चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण सुनिये। आप सभी एक साथ प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ? एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और एक ही व्यक्ति उत्तर देगा।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार किसी सीमा के बाद कार्यवाही करेगी ? हम यह जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी उनसे यही पूछा था कि क्या कोई अधिकतम सीमा है; जिसके बाद सरकार हस्तक्षेप कर सकती है ? यदि उसका निर्णय नहीं लिया गया है, तो आप अपना विचार बना सकते हैं और हमें बता सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। कृपया मुझे पूरा करने दीजिए। मैं यही कह रहा था कि सरकार को भी यह पता है कि बिना लेवी वाली सीमेंट की मूल्य वृद्धि की कोई सीमा है। हम निर्माताओं को यह बता सकते हैं कि उन्हें एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य नहीं बढ़ाने चाहिए। हमारा कहना तो यह है कि यह स्वैच्छिक है क्योंकि बिना लेवी की सीमेंट होने के कारण उसके लिए कोई वैधानिक उपाय नहीं है। जहां तक सीमेंट की आवश्यकता का प्रश्न है, देश में सीमेंट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को सुलभ हो जाए, हम सीमेंट का आयात करने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत। मैं इसका उत्तर दिलवाना चाहता हूं, यदि आप मुझे ऐसा करने दें तो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक-एक करके बुला रहा हूं। मैं सबको तुरन्त एक साथ नहीं बुला सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं ? क्या यह मानव के लिए संभव है ? मैं केवल एक बात पूछ रहा हूं। मैं आपका काम कर रहा हूं। मैं इसका उत्तर पाने की कोशिश कर रहा हूं। मंत्री जी मैं यह जानना चाहता हूं···

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आपसे मेरी यह अपील है, मैं अभी यह स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि······

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात समझना चाहता हूं। हमें समझ भी लेना चाहिए। सीधा सा प्रश्न है। यदि आप उसके लिये तैयार नहीं हैं, यदि आपने उसका हिसाब अभी तक नहीं लगाया है; तो आप कह सकते हैं; 'महोदय, मैं फलां समय के भीतर सभा में आकर यह बताऊंगा कि अधिकतम सीमा क्या है।' परन्तु यदि आपने उस पर अभी विचार नहीं किया है; तो आप बिना विचारे नहीं कह सकते हैं। आप कह सकते हैं; कि आप निर्णय लेंगे।

(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जायें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : बिना लेवी वाली सीमेंट की अधिकतम सीमा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका अधिकतम मूल्य सी० एम० ए० निर्धारित करता है किन्तु यह कार्य पूर्णरूपेण स्वैच्छिक है। जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर आज सीमेंट का अधिकतम मूल्य, करों को छोड़कर, 65 रुपये है। जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में उसका अधिकतम मूल्य 69 रुपये है। स्थिति यह है। मैं यह स्पष्ट कर रहा था जो भी सीमा निर्धारित की गई है, वह किसी कानून के आधार पर नहीं है, केवल स्वैच्छिक है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : स्वैच्छिक क्या है; महोदय ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप संतुष्ट हैं, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछ रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि उसे मुझे पूछने दीजिए। आप शान्ति बनाए रखिए, उत्तेजित न हों।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता समझता हूं कि सीमेंट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सीमेंट मिलनी चाहिए। मैं वही स्पष्ट कर रहा था। उचित मूल्य पर सीमेंट मिले यह सुनिश्चित करने के लिए; हम जो कर रहे हैं वह यह है। वर्तमान निर्माताओं से हम 60 प्रतिशत लेवी सीमेंट ले रहे हैं। हम पुराने और रुग्ण यूनिटों से तथा नये यूनिटों से 40 प्रतिशत ले रहे हैं। उसमें 210 लाख टन सीमेंट प्राप्त होती है। हम उसे वितरण के लिए राज्यों को दे रहे हैं। उसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दे रहे हैं। हम उसे लोकनिर्माण विभाग को दे रहे हैं। हम सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को दे रहे हैं।

(**व्यवधान**)

मैं ये बातें इसीलिए बता रहा हूं कि वास्तविक उपभोक्ता को परेशानी न उठानी पड़े, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त कोटा है जिसे हम राज्यों को तथा वास्तविक उपभोक्ताओं को बांट सकते हैं···

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। हमें रास्ता निकालना होगा और यही बात मैंने आपको कही थी।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बात पूरी क्यों नहीं करने देते ? आप व्यर्थ में ही व्यवधान डाल रहे हैं। मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या आपने विचार कर लिया है और यदि आप यह विचार नहीं कर पाये हैं कि अधिकतम मूल्य क्या होना चाहिए; तो आप तदनुसार ही सभा को बता सकते हैं तथा आप बाद में बता सकते हैं कि आप अधिकतम मूल्य क्या रखना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अभी-अभी बताया है कि अधिकतम मूल्य सीमा···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यह अनिवार्य नहीं हो सकती है, अपितु वह यह कह सकते हैं कि वे अधिक से अधिक इतना मूल्य बढ़ा सकते हैं जैसाकि चीनी के मामले में है।

(**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया है कि यदि 65 रुपये अधिकतम मूल्य है। उन्होंने यह भी कहा कि अब मूल्य 72 रुपए है। तो क्या किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें विवश नहीं कर सकते हैं। किन्तु हम अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं; जैसा कि हमने चीनी के मामले में किया है। यही बात ठीक है और मैं उनसे यही उत्तर चाहता था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें 70 या 80 रुपए की सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि यह बात उत्पादकों की इच्छा पर छोड़ दी जायं तो चीनी का मूल्य 5 रु० 70 पैसे भी निर्धारित करना बेकार है। आप उसे कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : वह राष्ट्रीय आकड़ा है। यदि सरकार मूल्य की सीमा निर्धारित करती रहे तो कल ही चीनी उत्पादक अपने मूल्य उस सीमा तक ले आयेंगे। तब हमें उनको नापना होगा। इसलिए मूल्य यहां और अभी नहीं बताये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वह प्रकट नहीं कर रहे हैं। हम कोई बात प्रकट नहीं कर रहे हैं। हम कुछ बातें जानने की चेष्टा कर रहे हैं; बस इतनी सी बात है। और हम नहीं चाहते कि मंत्री महोदय इस सभा में कोई झूठा आश्वासन दें या गलत सूचना दें। मैंने यही कहा है; यदि आप तैयार नहीं हैं, तो आप उन्हें जानकारी न दीजिए। आप और समय ले सकते हैं। हम इस पर आधे घण्टे की चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : एक और बात है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। हम बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, शासक दल के तीन सदस्य बोल चुके हैं। विरोधी दल के कम से कम एक सदस्य को तो बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहेब, मैं ऐसा कर तो सकता हूं किन्तु उसका अन्त नहीं होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : *क्षमा कीजिए, मैं कुशासक दल कहना चाहता था। कोई गलती नहीं है; मैं आपको बताऊंगा···*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तब इसका अन्त ही न होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : इस बारे में हम फिर कभी मिल लेंगे। मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहेब, मेरा सादर निवेदन है कि मैंने श्री माधव रेड्डी को पुकारा था। यदि मैं किसी सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा तो वह सदस्य सर्व प्रथम श्री माधव रेड्डी ही होंगे। यदि आप इसी प्रकार चलते रहे; तो मैं बाद में इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए समय नहीं दूंगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : वह निर्णय बाद में लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों बातें नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे यह कहना चाहता था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो वितरण के बारे में है, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभा का पूरा समय लेना चाहते हैं तो···

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, हमें बताया गया है कि मांग और पूर्ति में अन्तर है और 1984-85 में भी मांग अधिक थी किन्तु पूर्ति कम थी और उसके बाद हमें बताया गया कि कुछ राज्यों में कीमतें बढ़ रही हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस सबके बावजूद, देश में सीमेंट के और लायसेंस देने पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं; और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि आई० डी० बी० आई० और अन्य वित्तीय संस्थायें इस कारण वितरण के लिए धन की स्वीकृति नहीं दे रही हैं कि देश में उसकी क्षमता अधिक बढ़ा दी गई है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि हम नयी यूनिटों को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, अपितु स्थिति यह है कि छठी योजना के अन्त में अधिष्ठापित क्षमता 434 लाख टन थी और अब तक 463.7 लाख टन तक की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी जा चुकी है। आज कुल 897.9 लाख टन क्षमता स्वीकृत दी जा चुकी है और मोटे तौर पर यह अनुमान है कि सातवीं योजना के अंत तक 507.7 लाख टन हो जाएगी। जितनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी जा चुकी है, यदि उसकी आधी क्षमता भी तैयार हो जाती है तो स्थिति ठीक हो जाएगी।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर यह बता सकता हूं कि कमी की यह स्थिति अस्थायी है। कमी बहुत ही कम है। और यह कमी दो वर्ष तक और बनी रहेगी। हमारा अनुमान है कि वर्ष 1987-88 तक सीमेंट के उत्पादन के मामले में हम न केवल आत्मनिर्भर हो जायेंगे बल्कि हमारे पास फालतू सीमेंट हो जायेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मामलों में, लोक लेखा समिति तथा न्यायालय में दिए गए निर्णयों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि यद्यपि केन्द्र ने केवल लोक निर्माण कार्यों के लिये इन राज्यों को सीमेंट का एक निश्चित कोटा आबंटित किया था तथापि इस कोटे को गैर-सरकारी निर्माताओं को अधिक मूल्य पर दे दिया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिक धन प्राप्त किया गया। लोक लेखा समिति तथा न्यायालय द्वारा सिद्ध किए गए इस विशेष तथ्य को ध्यान में रखते हुए, क्या आप राज्यों को कोटा देते समय कोई ऐसा स्पष्ट मानदण्ड निर्धारित करेंगे और उन पर यह दबाव डालेंगे कि उस आबंटित सीमेंट का अधिकांश भाग विशेषकर उन लोक निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाए जिनके लिए वह कोटा आबंटित किया गया है और वे उस विशेष कोटे की, सीमेंट से, जो लोक निर्माण कार्यों के लिये दी गई है, धन नहीं कमा सकते हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जैसा कि मैं कह चुका हूं, लेवी सीमेंट के कोटे में से कुछ प्रतिशत सीमेंट विभिन्न राज्यों को आबंटित की जाती है। विभिन्न राज्य अपनी आवश्यकतायें बताते हैं कि उन्हें यह कोटा किस प्रयोजन के लिए चाहिए। तदनुसार हम सीमेंट देते हैं और इसके पश्चात् वे उस सीमेंट को विभिन्न प्रयोजनों के लिये आबंटित करते हैं या उपयोग में लाते हैं। यदि सीमेंट का कोई दुरुपयोग हुआ है, तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं···

प्रो० मधु दण्डवते : यह विशिष्ट प्रश्न कर्नाटक और महाराष्ट्र के बारे में है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इस मामलों पर राज्य विधान सभा में चर्चा करना अधिक उचित होगा···

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मुझे संरक्षण दीजिए। मैंने केन्द्रीय सरकार के निदेश के बारे में कहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक निर्माण कार्यों के लिए दिए गए सीमेंट को गैर-सरकारी निर्माताओं को इसलिए दे दिया जाता है कि उससे धन जुटाया जा सके। क्या यह सच है कि···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय, पिछली लोक सभा में भी हमने इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने भी यही बात कही है। मैं कहता हूं कि वह जानबूझ कर नहीं अपितु अनजाने में सभा को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार आपने ऐसा किया था।

प्रो० मधु दण्डवते : कर्नाटक के बारे जानकारी उनके पास है और महाराष्ट्र के बारे में जानकारी मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार हमने यह किया था, हमने इस पर चर्चा की थी।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है कि जब उत्पादन बढ़ जाता है, तो कीमतें कम हो जाती हैं। मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार, उत्पादन बढ़ गया है किन्तु कीमतें भी बढ़ रही हैं। इस संदर्भ में मंत्री महोदय सीमेंट की अर्थ-व्यवस्था पर प्रकाश डालें।

अध्यक्ष महोदय : यह तो किसानों के लिए ही होता है कि जब वे पैदा तो अधिक करते हैं किन्तु पाते कम हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यद्यपि मिल मालिकों द्वारा स्वेच्छा से ली जाने वाली अधिकतम सीमा 64 रुपए है, तथा मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार कीमतें बढ़कर 78 और 80 रुपए तक पहुंच गई हैं। मंत्री महोदय के धैर्य की सीमा कहां गई ? लोगों की सहनशक्ति की सीमा समाप्त हो गई है। मंत्री महोदय के मामले में यह कब समाप्त होगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब बस करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : राजस्थान में ज्यादा सीमेंट होता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मंत्री महोदय को कास्ट आफ प्रोडक्शन की जानकारी है, वह बतायें कि प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे ? ऐसी हालत में प्रोडक्शन और डिमांड में बहुत बड़ा फर्क हो गया है। भारत सरकार कोटा से चित्तौड़गढ़ के लिए एक रेलवे लाइन इसलिए बना रही है कि वहां पर कई सीमेंट की फैक्टरी एस्टैबलिश की जाए। मैंने पहले भी पूछा था कि क्या मंत्री जी वहां पर सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया की सीमेंट फैक्टरी बूंदी में भी लगायेंगे ? अभी वहां 4-5 फैक्टरी और लगने वाली हैं जिससे सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।

इस सम्बन्ध में क्या मंत्री जी बताएंगे कि रेलवे लाइन के किनारे-किनारे जो 5 सीमेंट की फैक्टरी लगानी हैं जिनका 10 लाख टन से ज्यादा का प्रोडक्शन हो सकता है और वहां पर प्रोडक्शन करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सोचेंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : राजस्थान में काफी सीमेंट फैक्टरीज आ चुकी हैं। मेरे पास जो इन्फार्मेशन है, उसके लिहाज से 8 सीमेंट फैक्टरी अब तक हैं और उनकी कैपेसिटी 1.62 लाख है। अभी और भी फैक्टरीज वहां आ सकती हैं। माननीय सदस्य का यह पूछना कि सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया की कोई फैक्टरी लगाएंगे, यह कहना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : कितनी देर तक यह क्वैश्चन चलता रहेगा। फिर आप कहेंगे कि आगे के सवाल नहीं हुए।

[अनुवाद]

एक प्रश्न पर कितने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मैं दे सकता हूं। कोई सीमा भी है ? मैं समझता हूं बहुत हो चुका है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न में उत्तर के लिए है क्या ?

[हिन्दी]

आपका जवाब पहले आ गया है। आय सवाल ही ऐसा करेंगे तो मेरे पास क्या इलाज है ?

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूर-संचार सेवाएं

*205. **श्री अजय विश्वास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूर-संचार सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस स्थिति में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) कारण संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण-दो दिया गया है।

विवरण —एक

(एक) अधिकांश सर्किट ऊपरी लाइनों पर कार्य कर रहे हैं जो कि वायर के निरन्तर चोरी होने तथा भारी वर्षा, बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक प्रकोप के कारण खराब हो जाते हैं।

(दो) अनेक बड़े शहरों में अभी भी मैनुअल एक्सचेंजों से सेवा प्रदान की जा रही है जो कि परियात को संतोषजनक ढंग से निपटाने में सक्षम नहीं हैं।

(तीन) हाल ही में उपद्रवियों ने सिलचर-अगरतला मार्ग पर शिकारीटोरा के माइक्रोवेव स्टेशन और सिलचर-शिलांग मार्ग पर डरेलिया स्टेशन को क्षतिग्रस्त कर दिया। 54 दिन के बाद 31-7-.985 को सिलचर-अगरतला माइक्रोवेव मार्ग को मरम्मत करके उसे चालू कर दिया गया। सिलचर-शिलांग मार्ग में अभी व्यवधान है।

विवरण—दो

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) ओवर हैड ओपन वायर लाइनों को विश्वसनीय यू० एच० एफ० और माइक्रोवेव रेडियो प्रसारण प्रणालियों तथा उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा बदला जा रहा है।

यू० एच० एफ० प्रणालियां

(i) गुवाहटी-जोगी रोड

(ii) जोरहाट-नाजिरा

(iii) सिल्चर-करीमगंज

(iv) तेजपुर-बोमडिला

माइक्रोवेव प्रणालियां

(i) जोरहाट-डिब्रूगढ़-तिनसुकिया

(ii) गुवाहटी-सोलपाड़ा-बोंगईगांव

उपग्रस भू-केन्द्र

गुवाहाटी, हाफ्लॉंग, दिपहट्टु, नोगसलाइन, विलियमनगर, तुरा, उखरूल, करोंग (सेनापति) चुरा चन्दरपुर, तामोंगलोंग, चन्देल, बोमडिला, पास्सीघाट, तेजू, अलोग, खोनसा, लुंगलेह, साइहा, मोन, वीरवा, जुनेबओटोमोकोमचुंग, त्यूनसांग, कैलाशहर, आर० के० पुर, धर्मनगर।

(2) बड़े मैनुअल एक्सचेंजी को स्वचल एक्सचेंजों में बदला जा रहा है।

(i) जोरहाट में 2000 लाइनों का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज।

(ii) तिनसुकिया में 2000 लाइनों का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज।

(iii) बोंगईगांव में 600 लाइनों का स्वचल (एम०एएक्स-II टाइप) एक्सचेंज।

(3) उपभोक्ता ट्रंक डाइलिंग सेवा शुरू की जा रही है :—

(i) तुरा-शिलांग (ii) धुबरी-शिलांग

(iii) जोवाई-शिलांग (iv) बोंगईगांव-शिलांग

(v) नाहरलागांव-शिलांग (vi) बोरझाड़-शिलांग

(vii) शिवसागर-शिलांग (viii) इम्फाल-शिलांग

(ix) तिनसुकिया-शिलांग (x) जोरहाट-शिलांग

(vi) अगरतला-कलकत्ता (एस० पी० सी०)

(4) मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार कार्यक्रम :

(i) शिलांग ट्रंक स्वचल एक्सचेंज (टी०ए०एक्स) का 800 से लाइनों से 1500 लाइनों में विस्तार किया जा रहा है।

(ii) अगरतला स्वचल एक्सचेंज का 2400 लाइनों से 3000 में विस्तार किया जा रहा है।

(iii) शिलांग स्वचल एक्सचेंज का 4000 से 5000 लाइनों में विस्तार किया जा रहा है।

(iv) गुवाहाटी स्वचल एक्सचेंज का 7800 से 8400 लाइनों में विस्तार किया जा रहा है।

(v) कोहिमा में 20 लाइसों का एक नया टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है ।

(5) रखरखाव और निर्माण प्रक्रियाओं में सुधार किया जा रहा है :—

(क) दैनिक रखरखाव की प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जा रहा है ।

(ख) भारी ओवर हैड एलाइंमेंट को भूमिगत केबिलों द्वारा बदला जा रहा है ।

(ग) एल्यूमिनियम की हाउस वार्यरिंग की उत्तरोत्तर कोपर वायर द्वारा बदला जा रहा है ।

(घ) टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए ओपस वायर के स्थान पर ड्रॉप वायर का प्रयोग किया जा रहा है ।

(6) संस्थापनाओं को क्षति से बचाने के लिए पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है :—

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरसंचार प्रणालियों के निम्नलिखित विकास कार्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं :—

(1) की गई प्रगति (मौजूदा एक्सचेंजों का बदलना)

(i) अगरतला में 2400 लाइनों का एक नया स्वचल एक्सचेंज चालू कर दिया गया है ।

(ii) डिब्रूगढ़ में 2000 लाइनों का एक नया इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू कर दिया गया है ।

(iii) इम्फाल में 2000 लाइनों का एक नया इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू कर दिया गया है ।

(2) यू० एच० एफ० प्रणालियां :

(i) सिल्चर-हापलॉग

(ii) धूलिया-कूचबिहार

श्री अजय बिश्वास : मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा में टेलीफोन प्रणाली पूरी तरह ठप्प हो गई है । अगरतला राज्य की राजधानी है परन्तु वहां की टलीफोन प्रणाली में बहुत गड़बड़ है । अधिकारियों, समाचारपत्रों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के टेलीफोन भी कार्य नहीं कर रहे हैं । राज्य की राजधानी और सब-डिवीजनल टाऊन के बीच सम्पर्क टूट गया है । अगरतला का शेष भारत से सम्पर्क भी टूटा हुआ है । स्थिति यह है । एक उदारण देता हूं । अगरतला नगरपालिका के चेयरमैन का टेलीफोन महत्त्वपूर्ण है । वह पिछले तीन महीने से खराब पड़ा हुआ है । अगरतला नगर-पालिका के चेयरमैन ने अधिकारियों को पत्र भी लिखा परन्तु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया । फिर मैंने उनको लिखा । अब कुछ ही दिन पहले टेलीफोन ठीक किया गया है । यह हालात हैं । मेरा निवेदन है कि स्थिति का अध्ययन करने के लिए त्रिपुरा में एक उच्च-शक्ति प्राप्त दल भेजा जाए और उसके बाद मंत्री महोदय प्रभावी कदम उठाएं ।

श्री राम निवास मिर्धा : यदि माननीय सदस्य ने मुझसे विशेष रूप से त्रिपुरा और अगरतला के बारे में पूछा होता, तो मैं उन्हें विस्तृत उत्तर देता। परन्तु मेरे उत्तर में दो बातें हैं जिनमें माननीय सदस्य की रुचि होगी। बड़े मैनुअल ऐक्सचेंजो को स्वचालित ऐक्सचेंजो में बदला जा रहा है। अगरतला-कलकत्ता के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा शुरू की जा रही और यह एक महत्त्वपूर्ण बात है जिसे हम क्रियान्वित करना चाहते हैं।

फिर "मौजूदा ऐक्सचेंजों के विस्तार कार्यक्रम" के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगरतला स्वचालित ऐक्सचेंज को 2400 लाइनों से बढ़ा कर 3000 लाइन का किया जा रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र की दूर संचार प्रणाली को सुधारने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

जहां तक विशेष दल के भेजे जाने का प्रश्न है, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें समस्याओं की जानकरी है तथा दोषों को दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक विशेष कार्यकारी दल तैयार किया गया है—जोकि किसी अन्य क्षेत्र के लिए नहीं किया गया—और उसका मुख्यालय गुवाहटी में होगा। कार्यकारी दल के महाप्रबन्धक तथा कर्मचारियों को विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है।

महोदय, माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से अगरतला की विशेष समस्याएं सभा को बताई हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम स्थिति को सुधारने के लिए विस्तार से विचार करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ऐसा किया जा सकता है।

श्री अजय विश्वास : मंत्री महोदय का कहना है कि कार्यकारी दल पहले से वहीं है। उसका प्रतिवेदन क्या है। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि इस राज्य की राजधानी को नई दिल्ली के साथ उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगरतला अथवा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसी अन्य भाग में ऐसी प्रणाली नहीं हैं। अपने हाल ही के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि 7वीं योजना के अंत तक ऐसा किया जाएगा। महोदय, यह क्या बात हुई? कम से कम राज्यों की राजधानियों को नई दिल्ली से एस० टी० डी० द्वारा सीधे तुरन्त जोड़ा जाना चाहिए। अन्य मामलों को वह बाद में ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि वह ऐसा कर रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : हम महत्त्वपूर्ण नगरों का, जिनमें उत्तर-पूर्व क्षेत्र की राजधानियां भी सम्मिलित हैं, दिल्ली तथा अन्य स्थानों के साथ, जो राष्ट्रीय एस० टी० डी० पर हैं, के साथ जोड़े जाने के लिए कार्य को परम अग्रता दे रहे हैं। 7वीं योजना के अधीन भी यह हमारा महत्त्वपूर्ण प्रयास है। मैं इस बाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि 7वीं योजना कितनी बड़ी होगी, उसमें हमें कितना धन मिलेगा, यह बिल्कुल अलग बात है।

श्री अजय विश्वास : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एक नाजुक क्षेत्र है—उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : हम कुछ नहीं बता सकते।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको जल्दी भी है तो भी इसमें समय लगता है। उनका कहना है कि वे ऐसा करने की चेष्टा करेंगे। वे ऐसा करेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं कोई निश्चित समय नहीं दे सकता। सब कुछ हमें योजना में आबंटित राशि पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : गुजरात में कच्छ-भूज एक शहर है। उधर मैन्युअल दूर संचार की व्यवस्था है। वहां के लिए आटोमेटिक एक्सचेंज की मंजूरी मिली है। लेकिन बिल्डिंग का टेंडर अभी तक नहीं निकला। उसकी वजह से वह जो समान वहां पड़ा हुआ है वह खराब हो रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : जहां समान गया है वहां एक्सचेंज भी लगेगा और बात भी होगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में औद्योगिक उपभोक्ताओं को बम्बई हाई गैस की सप्लाई में कटौती

*206. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने महाराष्ट्र में सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स को थाल संयंत्र परियोजना तथा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की उरान स्थिति गैस टर्बाईन्स को, "बम्बई हाई एसोशिएट गैस" की सप्लाई में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो गैस की सप्लाई में कटौती करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कितनी कटौती की गई है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई से संबंद्ध गैस की सप्लाई राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर० सी० एफ०) ट्राम्बे, आर० सी० एफ०, थाल और दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (डी० एफ० पी० सी० एल०) तालोजा, को समय-समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार नियमित आधार पर करता रहा है और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (एस० एस० ई० बी०) टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी (टी० ई० सी०), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच० पी० सी० एल०) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी० पी० सी० एल०) को फॉल बैक आधार पर इस शर्त पर करता रहा है कि नियमित आधार पर अधिमान्य उपभोक्ताओं की गैस की आवश्यकता को पूरा करने के बाद गैस बच जाए। आर० सी० एफ० थाल, और डी० एफ० पी० सी० एल० तालोजा द्वारा गैस की अधिक उठान के कारण "फॉल बैक" उपभोक्ताओं के लिए अधिशेष सम्बद्ध गैस की उपलब्धता घट गई है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सलाह दी गई है कि प्राथमिकता के आधार पर अन्य सभी "फॉल बैक" उपभोक्ताओं की अपेक्षा एम० एस० ई० बी० को गैस की सप्लाई दी जाए।

(ग) अप्रैल 1985 से जून से 19 5 की अवधि जिनके समम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं, से संबंधित वह सूचना मासवार नीचे प्रस्तुत है :—

(आंकड़े गैस/प्रतिदिन मि० घन मीटर)

उपभोक्ता	अधिकतम आवश्यकता	मास के दौरान सप्लाई अप्रैल	मई	जून
(i) **नियमित उपभोक्ता**				
आर० सी० एफ०, ट्राम्बे	1.80	1.30	1.45	1.00
आर० सी० एफ०, थाल	3.00	1.97	2.45	2.19
डी०एफ०पी०सी०एल० तालोजा	0.30	0.28	0.21	0.30
(ii) **"फॉल बैक" उपभोक्ता**				
एम० एस० ई० बी०	2.40	0.61	0.38	0.89
टी० ई० सी०	3.50	0.82	0.94	1.40
एच० पी० सी० एल०	0.10	0.04	0.05	—
बी० पी० सी० एल०	0.10	0.04	—	—

श्री डी० बी० पाटिल : महोदय, उत्तर में परस्पर विरोधी बातें हैं। इन विरोधी बातों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बताया गया है कि आर० सी० एफ०, थाल; डी० एफ० पी० सी० एल०, तालोजा द्वारा गैस के अधिक उठाव के कारण अधिशेष उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता घट गई है। विवरण में यदि हम आर० सी० एफ० ट्राम्बे, जो नियमित उपभोक्ता है, की अधिकतम आवश्यकताओं को देखें, तो यह प्रतिदिन 18 लाख क्यूबिक मीटर है। परन्तु जून मास में प्रतिदिन 10 लाख क्यूबिक मीटर गैस ही सप्लाई की गई है आर० सी० एफ०, थाल की आवश्यकता 30 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। जहां तक एम० एस० ई० बी० का सम्बन्ध है जोकि 'फाल बैक' उपभोक्ता है, उसकी मांग 24 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिदिन थी परन्तु प्रतिदिन पूर्ति 8.9 लाख क्यूबिक मीटर ही हो पाई। यहां यह स्पष्ट है कि यद्यपि यह बताया गया है कि क्योंकि नियमित उपभोक्ताओं की मांग बढ़ गई, इस कारण 'फाल बैक' उपभोक्ताओं की पूर्ति घट गई है, विवरण से यह स्पष्ट है कि नियमित उपभोक्ता को की जाने वाली पूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। तब यह कैसे कहा गया है कि नियमित उपभोक्ताओं को पूर्ति ठीक है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन तीन विशेष महीनों में गैस का कुल उत्पादन कितना था तथा महाराष्ट्र को कितनी गैस दी गई।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, विवरण में कोई स्पष्ट विरोधाभास नहीं है। जो कुछ कहा गया है, वह यह है कि दो तरह की संस्थाएं और उद्योग हैं जो कि यह गैस प्राप्त कर रहे हैं।

पहले प्रकार के वे हैं जिन्हें गैस नियमित रूप से मिल रही है। वे हैं आर० सी० एफ०, ट्राम्बे; आर० सी० एफ०, थाल, डी० एफ० पी० सी० एल०, तालोजा। दूसरी तरह के वे हैं जिन्हें 'फाल बैक' आधार पर गैस मिलती है। वे हैं, एम० एस० ई० बी०, टी० ई० सी०, एच० सी० एल० और बी० पी० सी० एल० तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की इन तीन एककों को जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, अर्थात, आर० सी० एफ०, ट्राम्बे, आर० सी० एफ०, थाल और दीपक फर्टीलाइजर्स को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति करने के लिए वचनबद्धता है। महत्वपूर्ण बात यह है "उनकी आवश्यकता के अनुसार"। जो कुछ बच जाता है वही बची हुई मात्रा नये उद्योगों को अग्रता के आधार पर दी जाती है।

श्री डी० बी० पाटिल : जहां तक महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड का संबन्ध है, मंत्री महोदय ने बताया है कि यदि कुछ बच जाता है तो "फाल बैक" उपभोक्ता के रूप में उन्हें दिया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार सदा मांग करती रही है कि वायदे के अनुसार पूर्ति अवश्य की जानी चाहिए। जहां तक इस विशेष मांग का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि पहले गैस ओ० एन० जी० सी० के उरान स्थित संस्थान में जला दी जाती थी क्योंकि उसके समुचित उपयोग के लिए कोई उचित तंत्र नहीं था। लाखों रुपए की गैस जला दी जाती थी। तब उरान के गैस टर्बाईन ने वहां पर विशेष पूंजीनिवेश किया जिससे गैस की पाइपलाइन लगाई गई जो ओ० एन० जी० सी० के उरान संस्थान से एम० एस० ई० बी० टर्बाइन सेक्शन तक जाती है जिसका निर्माण ओ० एल० जी० सी० द्वारा तभी किया गया जबकि उन्होंने पाइपलाइन की लागत जमा कर दी। परिणामस्वरूप जो गैस व्यर्थ जाती थी उसका तीन वर्ष से उपयोग किया जा रहा है। इस पूंजी लगाये जाने से पहले यह गैस व्यर्थ जाती थी जिसका कि अब उपयोग किया जाने लगा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जल्दी करें।

श्री डी० डी० पाटिल : लगभग 200 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई है। इन सभी तथ्यों पर ध्यान देते हुए क्या केन्द्रीय सरकार उरान संयंत्र के लिए गैस की पूर्ति का वचन देगी?

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सच है कि बम्बई हाई गैस व्यर्थ जा रही है। परन्तु ऐसा इसलिए नहीं है कि हम महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को गैस नहीं देना चाहते। यह इसलिए हो रहा है कि उरान में दबाव सुविधाएं अभी स्थापित नहीं हैं। जैसे ही हम गैस को ले जाने के लिए दबाव सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं तथा इस गैस को हाजिरा ले जाने के लिए पाइपलाइन बन जाती है—जिसके कि नवम्बर तक पूरा होने की संभावना है, गैस का व्यर्थ जाना बहुत कम रह जायेगा।

महाराष्ट्र को गैस की पूर्ति के बारे में वचनबद्धता केवल 'फाल बैक' आधार पर ही है। हम निश्चय ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को गैस सप्लाई करेंगे तथा विद्युत मंत्री के साथ हमारी 5-7-85 को बातचीत हुई थी।

इस बैठक के बाद यह निश्चय किया गया है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को हमारे पास उपलब्ध बची हुई गैस के वितरण में प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री डी० बी० पाटिल : कुल उत्पादन में से कितना प्रतिशत महाराष्ट्र को दिया जाता है?

श्री मुरली देवरा : तरल प्राकृतिक गैस के दो मुख्य उपयोग हैं। एक तो इसे कच्चे माल

के रूप में उर्वरक बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग में लाया जाता है और दूसरे ईंधन के लिए इसकी आवश्यकता टाटा कम्पनियों और बिजली बोर्ड को बिजली उत्पादन में पड़ती है ।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राज्य बिजली बोर्ड और टाटा कम्पनियों ने विद्युत जनरेटर लगा लिए हैं और यदि आप उन्हें गैस नहीं देते तो उनका क्या होगा ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बम्बई नगर में जहां कपड़ा मिलें तेल चालित मशीनों का इस्तेमाल कर रही हैं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पहले बम्बई नगर को घरेलू ईंधन के लिए गैस देने के लिए सहमत हो गया था । यदि बम्बई नगर में घरेलू उपयोग के लिए यह गैस दी जाती है तो प्रदूषण समाप्त हो जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बम्बई में घरेलू उपयोग के लिए तरल गैस की सप्लाई की वचनबद्धता बनी रहेगी ?

श्री नवल किशोर शर्मा : जहां तक टाटा उद्योगों और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को गैस सप्लाई की वचनबद्धता का प्रश्न है, जैसाकि मैंने पहले कहा है, वचनबद्धता प्राथमिकता वाले क्षेत्र अर्थात् उर्वरक एककों की आवश्यकता पूरी करने के बाद उपलब्ध गैस को देने की है । आवश्यकता पूरी करने के बाद बची हुई गैस में से राज्य विद्युत बोर्ड और 'टाटा' विद्युत कम्पनी को गैस दी जा रही है और हमारी वचनबद्धता अभी भी बनी हुई है । जहां तक बम्बई नगर को गैस सप्लाई करने का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य एल० पी० जी० की बात कर रहे हैं तो जिस मात्रा में हमें उपलब्ध करायी जाती है वह तो हम सप्लाई कर रहे हैं ।

श्री मुरली देवरा : महोदय, मैं सिलेंडर गैस सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं । मैं घरेलू पाइप गैस की बात कर रहा हूं और वह भी विशेषकर कपड़ा मिलों के लिए ।

श्री नवल किशर शर्मा : उस प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ।

रुग्ण औद्योगिक कारखानों की संख्या में वृद्धि

+
*208. **श्री चिन्तामणि जेना** :

श्री के० राममूर्ति :

क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुग्ण औद्योगिक कारखानों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है और यदि हाँ तो 31 मार्च 1985 को देश में इस प्रकार के औद्योगिक कारखानों की संख्या कितनी थी और उड़ीसा में कितनी है; और

(ख) वर्तमान रुग्ण कारखानों को सक्षम बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्णता की

परिभाषा के अनुसार इकट्ठे किए जाते हैं। 1981 से जून, 1984 तक की अवधि में रुग्ण एककों की संख्या नीचे दी गई है :—

को समाप्त वर्ष	रुग्ण एककों की संख्या
दिसम्बर, 1981	26,758
दिसम्बर, 1982	60,173
दिसम्बर, 1983	80,110
दिसम्बर, 1984	83,597

1982 में समाप्त वर्ष में अत्यधिक वृद्धि होने का कारण यह था कि भारतीय स्टेट बैंक ने रुग्ण एककों की अपनी सूची में प्रतिरोध किए गए बिलों/फिर से मांगे गए लेखों में उन लघु एककों को शामिल किया है जो पहले प्रस्तुत किए गए आँकड़ों में सम्मिलित नहीं किए गए थे। यद्यपि, औद्योगिक एककों की संख्या में वास्तविक रूप से वर्षवार वृद्धि हो रही है, तो भी बकाया ऋण की तुलना में ऋण की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त रुग्णता का प्रभाव/भार पिछले 3 वर्षों में 8 प्रतिशत के आस-पास स्थिर रहा है।

30 जून, 1984 को उड़ीसा राज्य में केवल 4 बड़े रुग्ण एकक और दिसम्बर, 1983 को 2,135 लघु एकक थे। 30 जून, 1984 के समाप्त वर्ष की अवधि के दौरान लघु एककों से सम्बन्धित आँकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।

सरकार ने अक्तूबर, 1981 में जीव्य-क्षम एककों को पुनरूज्जीवित करने/पुनःस्थापित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रमुख विशेषताएं लोकसभा में दिनांक 23-1-1984 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर में दी गई हैं।

जहां कहीं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई पुर्नस्थापना सम्बन्धी योजनाओं के एक अंग में रूप में रुग्ण एककों को अपने हाथ में ले लिया गया है, वहां पूंजी के पुनर्निर्माण, ब्याज संबन्धी देयताओं के लिए वित्त व्यवस्था करने, आसान शर्तों पर पूंजीगत और कार्यशील पूंजी ऋण की व्यवस्था करने, ऋण सेवाओं की देयताओं में राहत अथवा पुनः सयय सूची बनाने जैसी विभिन्न राहतें देने और सहायता के रूप में इन में पुनः स्थापन योजनाओं में व्यवस्था की गई है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा तैयार की पुनःस्थापना की योजना के एक अंग के रूप में, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें प्रत्येक एकक के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय और अन्य राहतों की भी व्यवस्था करती है। इसकें साथ ही, स्वस्थ एककों द्वारा रुग्ण एककों को अपने अधिकार में लिए जाने पर स्वस्थ एककों को आयकर में राहत देकर प्रोत्साहन दिया जाता है।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, में 31 मार्च, 1985 तक रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या जानना चाहता था। महोदय ने जून 1984 तक के आंकड़े दिए हैं। विवरण से स्पष्ट है कि दिसम्बर 1983 में रुग्ण एककों की संख्या 80,110 थी और जून 1984 में यह संख्या बढ़कर 83,597 हो गई। इस प्रकार इन छः महीनों में 3400 एकक और रुग्ण हो गए। इसी प्रकार दिसम्बर, 1982 और दिसम्बर 1983 की अवधि में ऐसे रुग्ण एककों की संख्या में 20,000 की वृद्धि हुई। क्या मैं

जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि देश में इन औद्योगिक एककों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर 17 % है जबकि विदेशों में यह केवल 6% से 10% के बीच होती है। यदि हां, तो क्या हमारे देश में रुग्ण एककों की संख्या में वृद्धि का एक मुख्य कारण यह है? इन कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि 31 मार्च, 1985 तक के अधितम आंकड़े क्यों नहीं दिए गए हैं। हमारे पास जब तक के आंकड़े उपलब्ध थे हमने सदन के समक्ष रख दिए हैं। जब हमारे पास 31 मार्च, 1985 तक के अधिकतम आंकड़े आ जाएंगे, हम वे आंकड़े माननीय सदस्य और सदन को उपलब्ध करा देंगे।

माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनःस्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यह सच है कि रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या बढ़ती जा रही है? जैसाकि मैंने विवरण में स्पष्ट किया है, रिजर्व बैंक और अन्य विभिन्न बैंकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं कि औद्योगिक एकक रुग्ण न हों। उन्होंने एक कक्ष की स्थापना की हुई है। महोदय, मेरे पास जानकारी है। सरकार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्न्निर्माण के लिए एक बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री महोदय इस बारे में घोषणा कर चुके हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड का गठन होने जा रहा है और इससे रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने और उन्हें पुनः स्थापित करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में एक कक्ष स्थापित किया गया है ताकि एककों के कार्यकरण पर निगरानी की जा सके और क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसी समितियां बनाई गयी है। विभिन्न बैंकों में भी ऐसी समितियां बनाई गयी हैं ताकि एककों के कार्यचालन पर निगरानी रखी जा सके और उपचारात्मक उपाय किए जा सकें जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि एकक रुग्ण न हों। इन रुग्ण एककों की पुन-स्थापना के लिए अनेक शिकायतें भी दी गई हैं। जहां कहीं सरकार महसूस करती है कि वे रुग्ण एकक जो बहुत अधिक रुग्ण हो गए हैं किन्तु जिन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है, उन्हें पुन-र्जीवित करने के प्रयत्न किए जाएंगे। वस्तुतः इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं तथा और प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री चिंतामणि जेना : अध्यक्ष महोदय, मैंने देश में औद्योगिक एककों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछा था। यह दर 17% है जबकि विदेशों में यह दर 6% से 10% है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन औद्योगिक एककों से लिए जाने वाले ब्याज की दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मंत्री महोदय बताएं कि क्या सरकार मथाई समिति और टंडन समिति की सिफारिशों को लागू कर रही है और यदि हां, तो इनमें से कितनी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं और उनका क्या परिणाम निकला है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने रुग्ण एककों के आंकड़े दे दिए हैं। माननीय सदस्य बकाया राशि के बारे में जानना चाहते थे। जून, 1984 को 3275 करोड़ रुपए बकाया थे। माननीय सदस्य रुग्ण एककों का अलग-अलग ब्यौरा तथा उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में जानना चाहते थे। चूंकि इनकी संख्या 80,000 है, अतः मेरे लिए अलग-अलग एकक का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है। अलग-अलग एकक के लिए प्रश्न पूछें, मैं उत्तर दूंगा।

डॉ० कृपासिन्धु भोई : महोदय, उन्होंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के रुग्ण एककों का ब्यौरा पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : उनके लिए अलग-अलग उत्तर देना असम्भव है। किन्तु यदि आप किसी रुग्ण एकक विशेष के लिए प्रश्न पूछेंगे तो उसके बारे में आपको उत्तर मिल जाएगा। इस तरह से प्रश्न न पूछिए।

श्री के० राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। सदन के सभी सदस्य इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अत: मेरा सुझाव है कि इस विषय पर 'आधे घंटे की चर्चा' के लिए विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, महोदय, विवरण में बताया गया है कि सरकार ने अक्तूबर, 1981 में जीव्य-क्षम एककों को पुन:जीवित करने पुन:स्थापित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्ग-दर्शन के लिए कुछ मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। महोदय, यदि आप आंकड़े देखें तो पाएंगे कि वर्ष-प्रति वर्ष इनमें वृद्धि होती गई है। इस प्रकार मार्ग-दर्शी सिद्धांत निरर्थक हो गए हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन एककों के विरुद्ध कार्रवाही करने जा रही है, क्योंकि इन रुग्ण एककों में से 99% एककों की रुग्णता कृत्रिम है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय ने भी बताया है कि बुरा नियोक्ता बुरी मुद्रा के समान है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में विशेषकर उन एककों को पुनरुज्जीवित करने के मामले में जो वास्तव में रुग्ण हैं क्या कार्यवाही करना चाहती है। रुग्ण एककों को बंद कर दिए जाने से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस पर आधे-घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने पहले ही बताया है कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी कर दिए गए हैं और बैंकों ने अनेक कदम उठाए हैं। इसके साथ ही भारत सरकार एक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के गठन तथा आयकर अधिनियम में संशोधन पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है, ताकि स्वस्थ एकक रुग्ण एककों को अपने हाथ में ले सकें। अनेक वित्तीय रिआयतें में भी दी गई हैं।

यदि माननीय सदस्य इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे 'आधे-घंटे की चर्चा' पर कोई आपत्ति नहीं है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तकनीकी विकास कोष योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा का आबंटन

*207. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी विकास कोष योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा आबंटन की अधिकतम सीमा को 50 लाख रु० से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना में इस दृष्टि से थोड़ा संशोधन किया है; जिससे कि उद्योग

ऐसे विदेशी सहयोग कर सकें या ड्राइंग और डिजाइनों तथा पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकें, जिनका मूल्य एक करोड़ रुपए की सीमा से अधिक हो; और

(ग) सरकार के इस निर्णय से उद्योगों के आधुनिकीकरण में कितनी सहायता मिलेगी ?

रसायन और उर्वक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। इसकी उच्चतम सीमा को 5 लाख अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1 करोड़ रु० प्रति एकक कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। मूल योजना में यह प्रावधान है कि अगर विदेशी मुद्रा का खर्चा उच्चतम सीमा से मामूली तौर पर अधिक है तो फालतू धनराशि का समंजन कम्पनी के अगले वर्ष के अधिकार में कर दिया जाता है।

(ग) इस संशोधित योजना से उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु अपनी योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

खाना पकाने की गैस के कनेक्शन देना

*209. **श्री नरसिंह मकवाना** :

प्रो० राम कृष्ण मोरे :

क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस के कितने कनेक्शन गुजरात में दिए गए और जिन शहरों में ये कनेक्शन दिए गए उनकी संख्या कितनी हैं;

(ख) 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे शहरों की संख्या कितनी हैं, जिन्हें अभी तक गैस के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, और ये कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या 10 हजार से 20 हजार तक की जनसंख्या वाले शहरों को खाना पकाने की गैस कनेक्शन देने का प्रस्ताव है और ग्रामीण क्षेत्रों में गैस के कनेक्शन देने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) गुजरात में 9,20,000 एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किए गए हैं। जिन शहरों में ये कनेक्शन जारी किए गए हैं उनके नाम व जनसंख्या संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ख) गुजरात के उन 39 शहरों/कस्बों में अभी तक एल० पी० जी० कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं जिनकी संख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 20,000 या इससे अधिक थी उपर्युक्त 39 स्थानों में से 37 स्थानों को तेल उद्योग ने अपनी 1984-86 की वार्षिक विपणन योजनाओं में शामिल कर लिया है, और इन कस्बों में जब भी वितरकों का चयन हो जाएगा व डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरम्भ हो जाएंगी, एल० पी० जी० कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

(ग) जी नहीं।

विवरण

क्र० सं०	शहर/कस्बे का नाम	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	27,34,400
2.	अन्नद/वल्लवविद्या नगर	1,02,100
3.	अनकलेशवर	41,000
4.	बड़ौदा	7,33,700
5.	भरौच	1,12,400
6.	कम्बेई	68,500
7.	दोहदा	64,100
8.	गांधीनगर	62,000
9.	गोधरा	85,600
10.	जवाहरनगर	7,600
11.	नडीयाडं	1,42,300
12.	नवसारी	1,06,700
13.	पटना	79,100
14.	सूरत	7,76,000
15.	अदिपुर/अंजार	58,600
16.	अमरेली	57,900
17.	भावनगर	3,06,700
18.	महुवा	72,900
19.	भुज	69,700
20.	गोंदल	66,000
21.	मीथापुर	19,000
22.	जामनगर	2,94,000

1	2	3
23.	वेरावाल	81,800
24.	धोराजी	77,700
25.	तेतपुर	62,800
26.	मोर्वी	72,800
27.	सुरेन्द्रनगर	91,500
28.	पोरबन्दर	1,15,400
29.	सवारकुन्दला	51,400
30.	राजकोट	4,44,200
31.	ध्ररंगाध्ररा	51,300
32.	बोतद	50,300
33.	जनगाध	1,18,300
34.	पनानपुर	67,950
35.	वीरमगाम	58,615
36.	पादरा	30,702
37.	दभोई	44,357
38.	जम्बुसर	28,369
39.	राजपील्ला	29,226
40.	बुलसार	82,697
41.	उमरेथ	28,299
42.	पेटलद	47,020
43.	बोसद	28,684
44.	कपदवंज	35,718
45.	मेहसाना	73,024
46.	बिल्लीमोरा	43,755
47.	बारडोली	28,331
48.	पीमतनगर	39,959

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग फैलाना

*210. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि "उद्योग विहीन जिले" और "पिछड़े जिले" वर्गीकरण के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को फैलाने की योजना के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक के अनुभव के परिप्रेक्ष्य में समूची योजना की पुनरीक्षा करने का सरकार का विचार है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने संबंधी वर्तमान नीति काफी सफल कि वर्ष रही है जिसे 1982 से 1985 (जून तक) तक पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने लिए जारी किए गए निम्नलिखित आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या से देखा जा सकता है :—

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1982	601	145
1983	664	317
1984	627	323
1985 (30-6-85 तक)	426	243

फिर भी, योजना के अन्तर्गत दिए गए प्रोत्साहनों के बारे में राज्य सरकारों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं तथा सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों और उद्योग रहित जिलों का औद्योगीकरण करने के लिए प्रोत्साहनों संबंधी योजना की संवीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के लिए अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना

*211. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का उत्तर प्रदेश में नैनीताल जिले में अखबारी कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमिग्रहण करने आदि के बारे में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(ग) इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी और इस कारखाने पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन का उत्तर प्रदेश राज्य में खोई से अखबारी कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। कार्पोरेशन निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने हेतु सरकार के पास भेजने के लिए प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार कर रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) परियोजना में 80,000 मी० टन प्रति वर्ष अखबारी कागज की उत्पादन क्षमता परिकल्पित की गई है और अनुमानतः इस पर लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

[अनुवाद]

सैनिक स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गिरावट

*212. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) सैनिक स्कूलों में 10+2 परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में क्रमिक कमी होने; (दो) उक्त परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशतता कम होने, जबकि उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने के लिए, जिसके लिए सैनिक स्कूल खोले गए हैं; संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अन्य अभ्यर्थियों से मुकाबला करना होता है; (तीन) इन विद्यालयों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है, जिससे कि इन स्कूलों के अधिक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जा सकें और सैनिक स्कूलों की शिक्षा/प्रशिक्षण को सार्थक ठहराया जा सके ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सैनिक स्कूलों से दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कोई कमी नहीं आयी है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सैनिक स्कूल ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में केवल विज्ञान शाखा के उम्मीदवारों को ही दाखिल करते हैं। उक्त नियम के अनुसार ग्यारहवीं कक्षा में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है जिनके विज्ञान और गणित में कम से कम 55 प्रतिशत अंक हों और जिनके औसत अंक कम से कम 50 प्रतिशत हों। चूंकि यह नियम 1982-83 में शुरू किया गया था इसलिए बारहवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या दसवीं कक्षा की परीक्षाा में बैठने वाले विद्यार्थियों की तुलना में कम है। बारहवीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक है और यह प्रतिशत यथोचित समझा जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुने गए सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या हर वर्ष घटती-बढ़ती रहती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रविष्ठ छात्रों के औसत का लगभग 30 प्रतिशत विद्यार्थी सैनिक स्कूलों से लिए जाते हैं।

2. सैनिक स्कूल समिति, जो इन स्कूलों का प्रशासन चलाती है, इन स्कूलों में सतत

सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में सचेत है। सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें और स्कूल द्वारा दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की जाती है। सेना मुख्यालय के एड्जूटेंट जनरल के नेतृत्व में गठित एक समिति सैनिक स्कूलों की कार्य-प्रणाली का अध्ययन कर रही है।

आई० डी० पी० एल० और इसके कर्मचारी संघों के बीच वेतन संबंधी समझौता

*213. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**

श्री के० प्रधानी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में सभी कर्मचारी संघों ने वेतन सम्बन्धी समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं;

(ख) क्या "इण्टक" से सम्बद्ध कार्मिक संघों को बातचीत के अन्तिम दौर में शामिल नहीं किया गया;

(ग) क्या उन्हें पता है कि प्रस्तावित समझौते को स्वीकृति देते समय उसमें कांट-छांट की गई है तथा आई० डी० पी० एल० के कर्मचारी उससे सर्वथा असन्तुष्ट हैं; और

(घ) उनका मंत्रालय इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) आई० डी० पी० एल० ने सूचित किया है कि उनके विभिन्न एककों में कार्य कर रही सभी पंजीकृत यूनियनों को मजदूरी संबंधी समझौता वार्ता में शामिल किया गया था। आई० डी० पी० एल० के प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत किए गए मजदूरी पुनरीक्षण प्रस्तावों को सरकार द्वारा सीमान्तरीय परिवर्तनों के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसके कारण आरंभ में कुछ एककों के कर्मकारों में असंतोष था। इसको तय कर दिया गया है और कुछ एककों में समाधानपूर्वक मजदूरी समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। यह भी सूचना दी गई है कि शेष एककों में करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

टेलीफोन एककों का उत्पादन दुगुना करने की नई विधि

*214. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने एक नई विधि का आविष्कार किया है जिससे टेलीफोन एककों का उत्पादन दुगुना हो जाएगा; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस नये आविष्कार को कब से प्रयोग में लाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बंगलौर और पालघाट कारखानों में अलग-अलग डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर की 5 लाख लाइनें तैयार करने की क्षमता स्थापित करने के प्रस्ताव प्रवर्तित कर दिए गए हैं और ये इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के निदेशक मण्डल के विचाराधीन हैं। परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत बंगलौर में 67.45 करोड़ रुपए और पालघाट 65.61 करोड़ रुपए

आंकी गई है। दोनों परियोजनाओं का आधार, तकनालाजी का फ्रांस की सी० आई० टी० अल्केटल से अन्तरण है।

कम्पनियों में लोगों की जमा राशियों की सुरक्षा

*215. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उन छोटे जमाकर्ताओं को, जो कम्पनियों के सावधि जमा खातों में अपनी बचत की राशियां जमा करते हैं, उन कम्पनियों द्वारा जमा की गई उनकी राशियों की अदायगी न दिए जाने और अदायगी में विलम्ब किए जाने की स्थितियों से उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विधि आयोग ने इस सम्बन्ध में किन्हीं उपायों का सुझाव दिया है; और यदि हां, तो सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) कम्पनी (निक्षेपों का अभिग्रहण) नियम, 1975 के नियम 3क के अर्थानुसार, सभी गैर-बैंककारी गैर-वित्तीय कम्पनियों को विनिर्दिष्ट द्रव्य परिसम्पत्तियों में आगामी 31 मार्च तक प्रत्येक वर्ष परिपक्व निक्षेपों का 10 प्रतिशत निवेश करना अपेक्षित है और यह राशि कम्पनियों द्वारा केवल निक्षेपों की अदायगी के लिए उपयोग की जा सकती है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। परिपक्वता पर निक्षेपों की अदायगी करने में असफल होने से सिविल दावा उत्पन्न होता है और इस प्रकार के मामले में जमाकर्ता के लिए उचित उपचार न्यायालय में निवारण के लिए आवेदन करना है।

विधि आयोग ने कम्पनियों और फर्मों द्वारा निक्षेपों की अदायगी के प्रवर्तन पर दिनांक 10-7-1985 को कार्यगत पत्र परिचालित किया है तथा निम्नलिखित सिफारिशों/सुझावों पर राय आमंत्रित की है :—

(क) कम्पनी को लिखने पर दो माह के पश्चात् निक्षेपों की अदायगी न करने पर, प्रथमदृष्या सबूत है कि कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी आई० पी० सी० धारा 405 के अर्थान्तर्गत विश्वास भंग करने के दोषी हैं तका आई० पी० सी० धारा 406 में निर्धारित दंड के भागीदार हैं।

(ख) जमाकर्ता को वहां, जहां वह रहता है उस स्थान पर, ना कि उस स्थान पर जहां कम्पनी अपना कारोबार चलाती है, मुकदमा चलाने में समर्थ करने के लिए सी० पी० सी० धारा 20 का संशोधन करना।

(ग) परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 13 की परिभाषा के अन्दर निक्षेप की रसीद को परक्राम्य लेखन बनाना है। इसमें फायदे धारा 118-122 में सबूत के विशेष

नियम हैं, परक्राम्य लिखत अधिनियम उपलब्ध हैं तथा जमाकर्ता धारा 117 में प्रतिकर धन के सम्बन्ध में नियमों का फायदा ले सकता है।

उपर्युक्त सुझावों पर सरकार की राय अभी निश्चित की जानी है।

सिगरेटों के विदेशी ब्रांड वाले नाम

*216. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में विदेशी ब्रांड वाले नामों से अनेक सिगरेट बेची जा रही हैं जैसे राथमैन्स और गाडफे फिलिप्स की चैस्टरफील्ड;

(ख) जिस प्रकार गाडफे फिलिप्स में चैस्टरफील्ड के शेयर हैं क्या उसी प्रकार राथमैन्स के नाम पर भारत में बनने वाले सिगरेटों में उसके शेयर हैं; और

(ग) यदि नहीं तो क्या भारत में राथमैन्स ब्रांड के नाम का प्रयोग करने हेतु रायल्टी देने की अनुमति दी गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) "रोथमैन्स" और "चेस्टरफील्ड" नामक सिगरेटों की बिक्री के विषय में सरकार को जानकारी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मैसर्स डंकन्स एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार "रोथमैन्स" नाम के प्रयोग हेतु किसी प्रकार का भुगतान किया जाना निहित नहीं है।

केरल में केप्रोलेक्टम संयंत्र की स्थापना

*217. **श्री के० मोहन दास** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में केप्रोलेक्टम संयंत्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी है;

(ख) क्या इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) कब तक यह पूरी हो जाएगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 1987 के अन्त तक इस परियोजना के यांत्रिक दृष्टि से पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

ओखला और नैनी औद्योगिक बस्तियों में पूंजी निवेश

*218. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित ओखला और नैनी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना कब की गई थी;

(ख) इन औद्योगिक बस्तियों में सरकार द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ग) प्रत्येक बस्ती में औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या कितनी है और वहां पर कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं और वे कब से चल रही हैं;

(घ) वहां पर चल रही औद्योगिक इकाईयों में कुल उनका वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ङ) नैनी औद्योगिक बस्ती को उसके उद्देश्यों/लक्ष्यों के अनुसार चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ओखला और नैनी में औद्योगिक बस्तियों का निर्माण 1958 में किया गया था।

(ख) ओखला औद्योगिक बस्ती में लगाई गई पूंजी 2.72 करोड़ रु० है। नैनी में औद्योगिक बस्ती का निर्माण 26.70 लाख रु० की लागत से किया गया था।

(ग) ओखला में औद्योगिक बस्ती का विकास तीन चरणों में किया गया था जिनमें 122 शेड और 76 प्लाट थे जो तैयार हो गए हैं। चौथे चरण का विकास कार्य हो रहा है जिसमें 23 शेड और 30 प्लाट हैं। कार्य कर रहे एककों की संख्या 220 हैं। पहले चरण के आबंटियों ने 1958 में और बाद के चरणों के आबंटियों ने अपने-अपने आबंटनों के बाद काम करना आरंभ कर दिया था।

नैनी की औद्योगिक बस्ती में शेडों की कुल संख्या 34 हैं। ये शेड वर्ष 1958 से 1983 की अवधि में लघु उद्योग एककों के कब्जे में थे।

(घ) जहां तक ओखला की औद्योगिक बस्ती का संबंध है औद्योगिक एककों पर लगाई गई पूंजी लगभग 19 करोड़ रु० है और वार्षिक उत्पादन लगभग 110 करोड़ रु० का होता है। नैनी औद्योगिक बस्ती के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) नैनी औद्योगिक बस्ती में सभी शेड उद्यमियों को आवंटित कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

रसायन आयात नीति

*219. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री रेणुपद दास :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगशाला रसायनों और "रीएजेंटों" संबंधी वर्तमान नीति (1985-88) के अनुसार इनका आयात केवल वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए ही किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी और छोटी प्रयोगशालाओं, गुण प्रकार नियंत्रण प्रयोगशालाओं, अनुसंधान और विकास एककों, वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों को, जिन्हें इन वस्तुओं की कम आवश्यकता होती है, इस नीति के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें कुछ राहत देने का विचार कर रही है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) प्रयोगशाला और प्रतिक्रमक रसायनों का आयात केवल वास्तविक प्रयोगकर्ताओं (औद्योगिक) द्वारा, वास्तविक प्रयोग की शर्त के साथ, ओ० जी० एल० के अन्तर्गत किये जाने की अनुमति है, जैसा कि आयात नीति 1985-88 के परिशिष्ठ 6 की सूची 8 के भाग I में क्रम सं० 188 के अधीन दर्शाया गया है।

वास्तविक प्रयोगकर्ता (औद्योगिक) सार्वजनिक क्षेत्रीय एजेंसियों के माध्यम से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का आयात करने हेतु पैरा 148(2) में निहित प्रावधानों का लाभ भी उठा सकते हैं।

केन्द्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी अनुसंधान विकास एकक, अन्य वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रयोगशाला, कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान अथवा अस्पताल अपनी आवश्यकता के कच्चे माल का आयात पैरा 96 के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन करने का पात्र है (वास्तविक) प्रयोगकर्ता की शर्त के साथ।

दिल्ली में मानसून ऋतु के दौरान टेलीफोनों का कार्यकरण

*220. **श्री काली प्रसाद पांडेय :**

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दिनों हुई वर्षा के परिणामस्वरूप दिल्ली में कितने टेलीफोन खराब हो गए थे;

(ख) किसी विशिष्ट क्षेत्र में टेलीफोन कितने समय तक खराब रहे;

(ग) प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में टेलीफोन के खराब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) राजधानी में टेलीफोनों की दोष-रहित सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अभी हाल में हुई वर्षा के कारण दिल्ली में खराब हुए टेलीफोनों की संख्या :—

तारीख	वर्षा के कारण केबिलों के दोषमुक्त होने से खराब हुए टेलीफोनों के संख्या	ठीक किए गए टेलीफोनों की संख्या
1	2	3
28-6-85	3629	536
29-6-85	1685	1195
30-6-85	192	1689
1-7-85	22285	—

1	2	3
2-7-85	225	1696
3-7-85	209	520
4-7-85	618	265
5-7-85	154	521
6-7-85	338	305
7-7-85	518	22
8-7-85	2465	440
9-7-85	3372	1462
10-7-85	1488	2913
11-7-85	4646	1612
12-7-85	1222	1373
13-7-85	1053	3000
14-7-85	2293	1539
15-7-85	1278	654
16-7-85	2046	2322
17-7-85	3833	2756
18-7-85	2222	2322
19-7-85	396	4117
20-7-85	1384	1556
21-7-85	1230	1325
22-7-85	1229	1827
23-7-85	2542	841
24-7-85	200	1295
25-7-85	1237	1441
26-7-85	775	856
27-7-85	538	1273
28-7-85	4000	414
29-7-85	699	604
30-7-85	541	1226
31-7-85	471	2815

(ख) टेलीफोनों के खराब रहने की अवधि :

(28-6-85 से 24-785 तक)

क्षेत्र	औसत अवधि घंटो में
मध्य	34.63
दक्षिण	65.94
उत्तर	125.16
पश्चिम	34.25
पूर्व	59.34

कुल मिलाकर दोषों की औसत अवधि : 63.84 घंटे।

(ग) प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में टेलीफोन खराब होने के कारण क्या हैं ?

एहतियात के बतौर कार्रवाई करने के बावजूद शहरों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा सड़कों की खुदाई करने के कारण केबिल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केबिल सीधे दबा दी जाती है। शुष्क मौसम के दौरान केबिलों के दोषों का पता नहीं चलता और मानसून की पहली वर्षा होने पर पानी क्षतिग्रस्त केबिलों के रास्ते प्रवेश कर जाता है जिससे तारों की विद्युतीय विशेषताओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह ने अनेक टेलीफोन लाइनें और इन्टर एक्सचेंज सर्किट खराब हो जाते हैं।

(घ) राजधानी में टेलीफोनों की दोष-रहित सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं ?

टेलीफोन प्रणाली के दोष रहित कार्यकरण के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण उपाए निम्न प्रकार हैं :—

(एक) केबिल को खराब होने से बचाने के लिए उनका दाबीकरण ताकि केबिलों की खराबी का तत्काल पता चल सके और उसे तुरंत ठीक किया जा सके।

(दो) जेली भरे केबिलों का प्रयोग ताकि उनमें नमी के प्रवेश को रोका जा सके।

(तीन) केबिल रूटों की गश्त लगाना ताकि सड़क खुदाई कार्य पर निगरानी रखी जा सके और केबिल में आई खराबी का तत्काल पता चल सके।

(चार) खराबियों का पता लगाने के लिए केबिल खाइयों को बंद करने से पहले उनमें पानी भरना।

(पांच) वाह्य क्षति से बचाने के लिए केबिलों को डक्ट में बिछाना।

लघु एककों को औषधों के थोक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

*221. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थोक औषधियों का उत्पादन करने वाली इकाइयां, मध्यवर्ती

औषधों पर तैयार औषधियों की अपेक्षा अधिक सीमा शुल्क लगाये जाने के कारण, इस समय देश में आयात की जाने वाली थोक औषधियों का उत्पादन करने में समर्थ नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में लघु क्षेत्रों के एककों को देश में आन्तरिक बाजार में बिक्री हेतु थोक औषधों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सामान्यत: प्रपुंज औषधों के आयात पर मूल्य के अनुसार 60 प्रतिशत शुल्क तथा मूल्य के अनुसार 40 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (मूल्यों के अनुसार 100 प्रतिशत कुल शुल्क) लगता है। इसी प्रकार, औषध मध्यवर्तियों सहित रसायनों के आयात पर मूल्यानुसार 70 प्रतिशत मूल शुल्क, मूल्यानुसार 40 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तथा मूल्यानुसार 12 प्रतिशत समतोलन शुल्क लगता है (मूल्यानुसार 135.2 प्रतिशत कुल शुल्क)। तथापि कई प्रपुंज औषधों तथा औषध मध्यवर्तियों पर रियायती दर पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। उन 82 मध्यवर्तियों के मामलों में जिनका उपयोग केवल प्रपुंज औषधों के उत्पादन में किया जाता है, समतोलन शुल्क समाप्त कर दिया गया है। ध्यान में आने वाली असंगतियों को ठीक करने के लिए शुल्क ढांचे की सतत पुनरीक्षा की जाती है।

2. लघु उद्योग क्षेत्र के एकक उन मध्यवर्तियों पर आधारित किसी भी प्रपुंज औषध का उत्पादन कर सकते हैं, जिनका आयात 1985 से 1988 तक के वर्षों के लिए आयात तथा निर्यात नीति के अधीन स्वीकार्य है। ऐसे एककों के लिए किसी भी प्रपुंज औषध का उत्पादन करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

हल्दिया उर्वरक परियोजना

*222. **श्री बृज मोहन महन्ती** :

श्री भोला नाथ सेन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की हल्दिया उर्वरक परियोजना में जिसका हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने उद्घाटन किया है, को पूरा करने के लिए कितनी पूंजी का निवेश करने की आवश्यकता होगी;

(ख) इस परियोजना में पूंजी निवेश करने वाले अंशदाता कौन-कौन हैं और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(ग) इनमें कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी और क्या इस उद्यम में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत की जा रही है; और

(घ) परियोजना को कहां से बिजली सप्लाई की जाएगी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक परियोजना की लागत 22 करोड़ रुपए (लगभग) है।

(ख) कम्पनी द्वारा भेजी गई सूचना यह दर्शाती है कि परियोजना का वित्त पोषण

हिन्दुस्तान लीवर लि० की आंतरिक संभूतियों से किया जा रहा है। कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 46, 66,23,040 रुपए है। इन शेयरों की धारिका निम्न प्रकार है :—

प्रवासीफर्में, कम्पनियां आदि	—	51 प्रतिशत
प्रवासी व्यक्ति	—	0.125 प्रतिशत
आवासी फर्में	—	13.456 प्रतिशत
आवासी व्यक्ति	—	35.415 प्रतिशत

विस्तार परियोजना की उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार होगी :—

	वर्तमान क्षमता	अतिरिक्त क्षमता	विस्तार के पश्चात क्षमता
डी-अमोनियम फास्फेट	—	1,60,000	1,60,000
फास्फोरिक एसिड	19,500	22,350	41,850
सल्फ्यूरिक एसिड	54,000	54,000	1,08,000

(ग) कम्पनी ने तकनीकी जानकारी और सेवाओं के लिए लन्दन की फर्म डेवी मैकी से तकनीकी सहयोग करार किया है। परियोजना की कुल विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 1.866 करोड़ रुपए है।

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, परियोजना के लिए अपेक्षित पावर की आपूर्ति करने हेतु सहमत हो गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सेना अथवा वायु सेना का "बेस" बनाने का प्रस्ताव

2070. **श्री जैनुल बशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में किस-किस स्थान पर कितना रक्षा भूमि क्षेत्र है;

(ख) इस समय इस भूमि का किस रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या इस भूमि का उपयोग रक्षा उत्पादन प्रयोजन के लिए अथवा सेना अथवा वायु सेना "बेस" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) गाजीपुर जिले में रक्षा भूमि निम्नलिखित स्थानों में है उसका वर्तमान उपयोग इस प्रकार है :—

(1) **शाहबाजकुली एयर फील्ड** :

(क) कुल क्षेत्र =238.10 एकड़

(ख) दौड़ पथ (रनवे) टैक्सी मार्ग से घिरा क्षेत्र	= 84.16 एकड़
(ग) अनधिकृत कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र	= 153.94 एकड़

(2) **गाजीपुर एयर फील्ड :**

(क) कुल क्षेत्र	= 272.25 एकड़
(ख) दौड़ पथ (रनवे) टैक्सी मार्ग से घिरा क्षेत्र	= 122.717 एकड़
(ग) अनधिकृत कृषि	= 132.51 एकड़
(घ) एफ० सी० आई० को दिया गया क्षेत्र	= 10.525 एकड़
(ङ) एन० सी० सी० के लिए निर्धारित क्षेत्र	= 1.50 एकड़

(ग) और (घ) इस समय कोई योजना नहीं है लेकिन यह भूमि भावी रक्षा आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित है ।

[अनुवाद]

मण्डप्पम अथवा रामेश्वरम में हेलीकाप्टर खड़े करने के लिए तमिलनाडु सरकार से सुझाव

2071. **श्री एन० डेनिस :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने रामेश्वरम् तट से दूर सागर पर निगरानी रखने के लिए मण्डप्पम् या रामेश्वरम् में भारतीय तट रक्षक (गार्ड) के कुछ हेलीकाप्टर खड़े करने का केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय को तमिलनाडु सरकार से मण्डप्पम और रामेश्वरम में तटरक्षक हेलीकाप्टर खड़े करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

फिर भी पाल्क खाड़ी की चौकसी के लिए नौसेना का एक "आइसलेण्डर विमान" तिरूचिरापल्ली में खड़ा रहता है ।

सोडियम थियोसल्फेट एम्पूल्ज की सप्लाई

2072. **श्री हन्नान मौल्लाह :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद

द्वारा निर्मित सोडियम थियोसल्फेट एम्पूल्ज, जिन्हें जय प्रकाश अस्पताल द्वारा यूनियन कारबाइड फैक्टरी, भोपाल, के पीपल्स हैल्थ क्लिनिक में सप्लाई किया जाता है, दोषपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पीपल्स हैल्थ क्लिनिक, भोपाल को पूर्ति किए गए बैचों के नमूने पर किए गए परीक्षण के अनुसार एम्पूल्स को दोषपूर्ण या घटिया नहीं पाया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटरों के लिए लाइसेंस

2073. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटरों का निर्माण करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिये कुछ फर्मों के आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन फर्मों को लाइसेंस कब तक मिल जायेंगे ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों के उत्पादन हेतु दो औद्योगिक लाइसेंस आवेदन जो कि अनिर्णीत पड़े हैं, जुलाई 1985 में प्राप्त हुए थे । अनिर्णीत पड़े आवेदनों के ब्यौरे तब तक प्रकट नहीं किए जाते जब तक सरकार उनके संबंध में कोई निर्णय न ले ले । इस प्रकार के आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास किया जाता है और इसका सुनिश्चत करने के लिए प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया गया है ।

लघु उद्योगों का पंजीकरण

2074. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष-वार, राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र वार कितने लघु उद्योग पंजीकृत किये गये, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात की कोई जांच की है कि उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने एकक चल रहे हैं; और कितने एकक रुग्ण हैं;

(ग) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक उन एककों के नाम बताने की स्थिति में है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो भारतीय रिजर्व बैंक कैसे यह घोषित कर रहा है कि इतने सारे एकक रुग्ण हैं; और

(छ) रुग्ण एककों की घोषणा करने का आधार क्या है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक उन एककों के नाम का पता लगाने की स्थिति में नहीं है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) पिछले तीन वर्षों में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्थायी पंजीकरण प्रदान किए गए लघु एककों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-एक संलग्न है ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1981, दिसम्बर, 1982 और दिसम्बर, 1983 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सहायता विभाग में क्रमशः, 25,342, 58549 और 78,363 रुग्ण लघु एकक थे । रुग्ण लघु एककों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण-दो संलग्न है ।

(घ) से (छ) रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर वाणिज्यिक बैंकों से एकत्र की जाती है । परंतु बैंकों में प्रचलित कार्य-प्रणाली और प्रथा के अनुसार और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13(1), भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के बैंकिंग खण्ड 44(1) की धारा 13(1) और भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 52(1) के अनुसार बैंकों के अलग-अलग घटकों से संबंधित (रुग्ण एककों के नामों सहित) सूचना नहीं बताई जा सकती ।

विवरण-एक

राज्य/संघ शासित प्रदेश उद्योग निदेशालयों द्वारा प्रदान किए गए एस० आई० डी० ओ० एककों की इकट्ठी संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	(31 दिसम्बर को)		
		1982	1983	1984 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	33725	38530	43574
2.	असम	4230	4878	5773
3.	बिहार	29694	33333	37340(ई)
4.	गुजरात	35892	40004	44606
5.	हरियाणा	30755	36474	37045
6.	हिमाचल प्रदेश	5153	6406	6883
7.	जम्मू व कश्मीर	9825	11433	12013

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	23158	28214	35050
9.	केरल	21145	23678	26464
10.	मध्य प्रदेश	54092*	69501	80739
11.	महाराष्ट्र	32657	35349	38456
12.	मणिपुर	3595	4140	2594(x)
13.	मेघालय	308	435	469
14.	नागालैंड	353	361	374
15.	उड़ीसा	10761	11592	12474
16.	पंजाब	50619	58724**	62236
17.	राजस्थान	36581**	41144	43048
18.	तमिलनाडु	39873	43988	49138
19.	त्रिपुरा	1483	1715	1400(x)
20.	उत्तर प्रदेश	49276	58874	106000(x)
21.	पश्चिम बंगाल	110526	113802**	117171
22.	सिक्किम	42	45	50(ई)
23.	अण्डमान और निकोबार	157*	189	244
24.	अरुणाचल प्रदेश	210	262**	246(x)
25.	चंडीगढ़	1581*	1620	1782
26.	दादर व नगर हवेली	157*	167	192
27.	दिल्ली	17080*	17981	18904
28.	गोवा, दमन व द्वीप	2628*	2820	3100
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	423	539	628
31.	पांडिचेरी	1064	1220	1389
	योग	607049	687418	789328

*राज्य उद्योग निदेशालयों द्वारा संशोधित **अनंतिम (x) आंकड़े जिनका स्पष्टीकरण देना है। (ई) अनुमानित

स्रोत :—प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र का उद्योग निदेशालय।

विवरण-दो

रुग्ण लघु औद्योगिक एककों से संबंधित राज्यवार सूचना

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य का नाम/ संघ शासित क्षेत्र	दिसम्बर, 81		दिसम्बर, 82		दिसम्बर, 83	
		एककों की संख्या	बकाया राशि संख्या	एककों की संख्या	बकाया राशि संख्या	एककों की संख्या	बकाया राशि संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1050	20.37	4595	38.70	5413	55.89
2.	असम	1595	2.48	2565	4.61	4029	6.46
3.	बिहार	987	11.81	2504	23.05	3540	29.00
4.	गुजरात	881	18.65	2564	39.82	2600	52.78
5.	हरियाणा	204	4.77	1107	13.70	1172	15.91
6.	हिमाचल प्रदेश	74	1.10	193	2.16	216	2.31
7.	जम्मू व कश्मीर	60	1.05	449	2.16	501	4.39
8.	कर्नाटक	2449	38.27	4094	46.55	4566	58.34
9.	केरल	692	16.92	1236	28.40	1243	42.49
10.	मध्य प्रदेश	495	9.77	1197	12.46	2329	19.45
11.	महाराष्ट्र	2646	78.12	5910	110.36	7068	131.15
12.	उड़ीसा	838	4.01	1438	6.68	2135	9.67
13.	पंजाब	699	9.52	1085	12.39	898	14.44
14.	राजस्थान	475	4.51	689	8.19	887	12.69
15.	तमिलनाडु	1686	34.65	8111	59.21	1695[illegible]	71.13
16.	उत्तर प्रदेश	1301	21.06	6771	42.36	780[illegible]	53.75
17.	पश्चिम बंगाल	7827	50.53	11202	71.54	14165	90.04
18.	गोवा दमन व द्विव	69	1.75	133	2.86	221	4.30

19. अण्डमान व निकोबार	—	—	22	नाममात्र	23	नाममात्र
20. चंडीगढ़	30	1.27	77	2.38	117	3.25
21. दिल्ली	826	27.46	1326	38.96	1620	49.10
22. दादर व नगर हवेली	3	0.03	2	0.03	—	—
23. मणिपुर	284	0.06	385	0.04	339	0.08
24. मेघालय	26	0.02	176	0.05	189	0.03
25. मिजोरम	—	—	2	नाममात्र	1	नाममात्र
26. नागालैंड	4	0.01	51	0.04	—	—
27. पांडिचेरी	34	0.79	489	1.73	114	2.22
28. त्रिपुरा	107	0.09	177	0.07	219	0.12
29. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	2	नाममात्र
योग	25342	359.07	58549	568.60	78363	728.98

टिप्पण :—दिसम्बर, 1982 के अंत में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या में अधिक वृद्धि इस कारण हुई थी कि जून, 1982 तक भारतीय स्टेट बैंक इन एककों को प्रतिरोध (प्रोटेस्टेड) बिलों/वापस मांगें ऋण लेखों में उनकी रुग्ण एककों की सूची में शामिल नहीं कर रहा था क्योंकि इन एककों को पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता और जैसा इन्होंने बताया गया है कि बैंक को केवल अग्रिम राशि की वसूली करना रह गया था। इसके अलावा प्रतिरोध बिलों/वापस मांगे गए ऋण लेखों में बहुत थोड़ी बकाया राशि वाले डी० आई० आर० लेखों की काफी संख्या शामिल है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के मधुमक्खी पालन केन्द्र (नर्सरी)

2075. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खादी ग्रामोद्योग आयोग को सातवीं योजना के दौरान देश में मधुमक्खी पालन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन केन्द्रों की संख्या में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें मधुमक्खी पालन केन्द्रों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खादी और ग्रामोद्योग का 320 मधुमक्खी केन्द्रों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन राज्यों में मधुमक्खी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक. केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश।

पोर्ट ब्लेयर तथा कार निकोबार स्थित उपग्रह केन्द्र

2076. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा डिगलीपुर, मायाबन्दर, कैम्पबेल बे, नाकोवरी और मिडिल अंदमान के लिए उपग्रह संचार केन्द्रों की मंजूरी काफी पहले दे दी गई थी किंतु अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्माण कब तक किए जाने तथा इन्हें चालू करने का विचार है;

(ग) क्या पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार स्थित वर्तमान उपग्रह केन्द्र खराब रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें ठीक करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डिगलीपुर, मायाबन्दर और कैंपबेल बे सहित अनेक स्थानों पर भू-केन्द्र की स्थापना करने के लिए 1983-84 में एक योजना मंजूर की गई थी। उपस्कर की सप्लाई के लिए आदेश दिए जा चुके हैं।

(ख) उपरोक्त तीनों स्थानों पर भू-केन्द्र का कार्य 1986-87 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रोलीप्रोपाइलीन का उत्पादन

2077. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रोलीप्रोपाइलीन की कुल मांग क्या है;

(ख) इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के यूनिटों द्वारा कितनी मात्रा का उत्पादन होता है;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय पोलीप्रोपीलीन की अनुमानित मांग लगभग 50,000 मी० टन प्रति वर्ष है ।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने लगभग 27,500 मी० टन प्रति वर्ष पोलीप्रोपीलीन का उत्पादन किया ।

(ग) और (घ) वर्तमान में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड पोलीप्रोपीलीन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना कर रहा है :—

(i) बड़ौदा स्थित करके विद्यमान संयंत्र की क्षमता को 30,000 मी० टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 55,000 मी० टन प्रति वर्ष करना ।

(ii) महाराष्ट्र गैस क्रेकर काम्पलेक्स के भाग के रूप में 60,000 मी० टन प्रति वर्ष ।

फीडस्टॉक की सुलभता जैसे मामलों का निपटारा हो जाने के बाद ही और अधिक क्षमता के अनुमोदन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

यात्री कारों का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग संबंधी समझौते

2078. **डा० वी० वेंकटेश : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हे कि यूरोप की कार बनाने वाली अनेक कंपनियों/फर्मों ने हाल ही में, भारत में पैसेंजर कारों का निर्माण करने हेतु भारतीय उद्यमियों के साथ सहयोग संबंधी समझौते करने के लिए अपनी रुचि दिखा रही है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कार बनाने वाले ऐसे कुल कितने एकक हैं जिन्हें लाइसेंस अथवा आशय पत्र दिए गए हैं तथा विदेशी कंपनियों से सहयोग रखने अथवा न रखने वाले भारतीय उद्यमियों के नाम क्या हैं;

(ग) भारत में कार निर्माण एककों को सरकारी स्वीकृति देकर कार बनाने वाले यूरोप के ऐसे एककों को आमंत्रित करके स्वस्थ प्रतियोगिता की अनुमति देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) भारत में प्रत्येक वर्तमान एकक की कुल उपलब्ध क्षमता क्या है और प्रत्येक वर्ष कितने यात्री वाहनों-कारों की बिक्री होती है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों से किसी भी नये एकक को कारों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस/आशय पत्र जारी नहीं किया गया है । जनवरी, 1985 में घोषित व्यापक नीति के अनुसार लाइसेंसीकरण के उद्देश्य के लिए चार पहियों वाली मोटर गाड़ियों को एक सामान्य श्रेणी में लाया गया है ।

(ग) विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर विचार प्रौद्योगिकी, स्वदेशीकरण योजना, भुगतान-शर्तों और मांग अनुमान जैसे पहलुओं के आधार पर किया जाता है।

(घ) कारों के प्रमुख निर्माताओं की स्वीकृत क्षमता तथा उनका उत्पादव निम्न प्रकार है :—

निर्माता का नाम	क्षमता	1984 में उत्पादन (आंकड़े हजार में)
हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	50,000	24
प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०	28,600	26
मारुति उद्योग लि०	1,00,000	13
स्टैंडर्ड मोटर्स प्राडक्ट्स आफ इंडिया लि० (चार पहियों वाले)	27,000	नगण्य
सिपानी आटोमोबाइल्स	3,000	वही

कास्टिक सोडा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए दिशा निर्देश

2079. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कास्टिक सोडा के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के आयात के लिए दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण हेतु कार्यवाही योजना बनाने के सम्बन्ध में सरकार की नई नीति का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार कास्टिक सोडा के निर्माण में पारम्परिक ग्रैफाइट एनोडस व एनर्जी सेविंग साधनों के स्थान पर धातु एनोडस के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अलावा, सरकार ने मैम्बरेन सैल प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया है जिसके आयात के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक बनाए गए हैं :—

1. प्रक्रिया लाइसेंसदाता को चरणों में मूल व विस्तृत इंजीनियरिंग के लिए इंडियन इंजीनियरिंग कन्सलटेन्सी कंपनी के साथ करार करना चाहिए व शिनाख्त करनी चाहिए।

2. प्रक्रिया लाइसेंसदाता को प्राथमिक व सहायक लवण-जल शुद्धिकरण उपकरणों, इलेक्ट्रोलाइजर्स, के धातु एनोडस आदि जैसे हार्डवेयर के फैब्रिकेशन के लिए इंडियन मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी के साथ प्रबन्ध करने चाहिए और शिनाख्त करनी चाहिए।

3. तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी० डी० टी० डी०) तकनीकी मूल्यांकन समिति

(टी० ई० सी०) और अन्य सरकारी एजेंसियों के परामर्श से मैमब्रेन सैल प्रौद्योगिकी पर आधारित क्लोर कास्टिक इकाइयों के लिए पूंजीगत सामान के आयात के लिए आदर्श मानक तैयार करेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

2080. **श्री अमल दत्त :**

श्री सैयद मसूदल हुसेन :

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-85 की अवधि के दौरान भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में नए निवेश, आधुनिकीकरण करने, स्थानापन्न और नवीकरण करने पर लगाई गई पूंजी सहित कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ख) वर्ष 1980-85 की अवधि के दौरान किए गए निवेशों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विवरण-एक संलग्न है।

(ख) विवरण-दो संलग्न है।

विवरण-एक

1980-85 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हुए निवेश

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	नये निवेश	नवीकरण व प्रतिस्थापन सहित आधुनिकीकरण	कुल निवेश (अनुसंधान एवं विकास योजनायें तथा अन्यों सहित)
1	2	3	4	5
1.	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लि०	253,53	59,35	353,62
2.	भारत हेवी प्लेट एन्ड वेसल्स लि०	4,34	6,49	12,67
3.	भारत प्रोसेस एन्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	25	1,38	1,63
4.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०	—	5,15	5,40
5.	बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि०	6,31	23,24	30,85

1	2	3	4	5
6.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि०	80	1,63	2,43
7.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरी कम्पनी लि०	97	2,53	4,61
8.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०	9.03	1,78	10,81
9.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि०	7,12	—	7,12
10.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	11,35	4,47	16,82
11.	एच० एम० सी० लिमिटेड	67,06	54,66	130,64
12.	जेस्सोप एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1,38	5,59	7,94
13.	माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कार० लि०	3,30	79	6,56
14.	मारूति उद्योग लि०	75,10	—	75,10
15.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि०	5,00	1,67	7,09
16.	स्कूटर्स इंडिया लि०	—	7,79	7,79
17.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	—	2,00	2,00
18.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	50	1,06	1,64
19:	लगन जूट मशीनरी कारपोरेशन लि०	—	1,59	1,69
20.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स	43	—	43
	योग :	446,49	181,17	686,84

टिप्पण : ये ब्यौरे गैर-लेखा परीक्षित अस्थाई हैं ।

विवरण-दो

1980-84 के दौरान भारी उद्योग विभाग के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निवेशों के राज्यवार ब्यौरे बताने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	निवेश
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	88,83
2.	आसाम	1,90

1	2	3
3.	बिहार	22,05
4.	दिल्ली	33,38
5.	हरियाणा	79,08
6.	जम्मू और कश्मीर	2,77
7.	केरल	3,02
8.	कर्नाटक	84,44
9.	मध्य प्रदेश	55,91
10.	महाराष्ट्र	9,69
11.	उड़ीसा	40
12.	पंजाब	3,28
13.	राजस्थान	3,43
14.	तमिलनाडु	109,35
15.	उत्तर प्रदेश	146,85
16.	पश्चिम बंगाल	44,96
	योग :	686,84

टिप्पण : ये ब्यौरे गैर-लेखा परीक्षित अस्थाई हैं ।

पश्चिम बंगाल के केनिंग क्षेत्र में तेल की खोज

2081. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के केनिंग क्षेत्र में तेल की खोज तथा खुदाई के क्या नवीनतम परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस कार्य के कब तक चलने की संभावना है; और

(ग) क्या वाणिज्यिक आधार पर तेल मिलने की कोई संभावनाएं हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पोर्ट केनिंग के समीप बोदरा में एक अन्वेषी कुएं की अभी तक खुदाई जारी है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी इस कुएं में खुदाई कार्य के जारी रहने की सम्भावना है ।

(ग) पश्चिम बंगाल में अभी तक कोई वाणिज्यिक खोज नहीं की गई है ।

भारत चमड़ा निगम को घाटा

2082. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम, भारत चमड़ा निगम गत कुछ वर्षों से भारी घाटा उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त भारी घाटे से उबरने के लिए क्या उपाए किए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारत लेदर कारपोरेशन की स्थापना आरंभ में एक संवर्धनकारी संगठन के रूप में की गई थी और इसने वाणिज्यिक परिचालन 1979 में ही आरंभ किया था। इसने 1-1-1980 को आगरा की प्रेसिजन शू लास्ट फैक्टरी का भी अभिग्रहण किया था जो एक घाटे में चलने वाला एकक था जिसका अब आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हालांकि कारपोरेशन को हानि हो रही है फिर भी इसके कार्य निष्पादन में धीरे-धीरे सुधार दिखाई दे रहा है और 1984-85 में केवल 2.56 लाख रुपये (अनंतिम) की ही सीमांत हानि हुई थी ।

(ग) भारत लेदर कारपोरेशन के परिचाल परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार इसके कार्यकरण पर कड़ी नजर रखे हुए है ।

[हिन्दी]

एल० पी० जी० एजेंसियां खोलना

2083. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जहां एल० पी० जी० एजेंसियां नहीं हैं;

(ख) वहां एल० पी० जी० एजेंसियां खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्थानों पर एल० पी० जी० एजेंसियां कब तक खोल दी जाएंगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 31 ऐसे जिला मुख्यालय हैं जहां अभी तक एल० पी० जी० सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

(ख) और (ग) आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर एल० पी० जी० की वितरणशिप स्थापित की जाती है। इन 31 जिला मुख्यालयों में अभी तक वितरणशिप स्थापित इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि उपलब्ध तत्वों से वितरणशिप की व्यवहार्यता स्थापित नहीं होती है। एल० पी० जी० की उपलब्धता, बाटलिंग क्षमता तथा आधार भूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जब मांग सम्भावना न्याय संगत प्रतीत होगी तो इन्हें स्थापित किया जाएगा ।

[अनुवाद]

एशियाई खेल गांव में भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के लिए रिहायशी मकानों की खरीद

2084. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा एशियाई खेल गांव, दिल्ली में रिहायशी मकानों की खरीद और खरीदी गई प्रत्येक ईकाई की साज-सज्जा पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इस प्रकार कितने फ्लैट खरीदे गये, और प्रत्येक फ्लैट का कितना मूल्य है और इन फ्लैटों में रहने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) एशियाई खेल गाँव में कार्यालय के लिए खरीदे गये स्थान पर कितनी राशि खर्च की गई और प्रति वर्ग फुट इसकी दर क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एशियाई खेल गांव, नई दिल्ली में रिहायशी मकानों की खरीद पर 257 लाख रु० व्यय किए हैं। इन फ्लैटों की साज-सज्जा पर कोई भी राशि व्यय नहीं की गई है।

(ख) बी० एच० ई० एल० ने 24 फ्लैट खरीदे हैं जिनमें से 20 फ्लैटों में इस समय अधिकारी रह रहे हैं। प्रत्येक फ्लेट की कीमत संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) एशियाई खेल गांव में बी० एच० ई० एल० ने कार्यालय के लिए स्थान अर्थात् स्वागत केन्द्र और प्रशासनिक खण्ड खरीदा है जिसका मूल्य लगभग 10.30 करोड़ रु० है। प्रतिवर्ग मीटर दर तल-स्थान के लिए 4549 रु० और भूमि के लिए 4,000 रु० है।

विवरण

बी० एच० ई० एल० द्वारा एशियाई खेल गाँव में खरीदे गए रिहायशी फ्लैटों की कीमत

फ्लैट सं०	प्रत्येक फ्लैट की कीमत (रु० लाख में)
1	2
273	14.95
274	15.02
277	15.55
278	15.65

1	2
269	11.14
270	11.15
271	11.15
272	11.18
692, 693, 698	
699, 734, 735	9.62
680, 886, 704	
711, 729	9.69
681, 687, 705	
710, 728	9.02

हिमाचल प्रदेश में प्रायोगिक शाखा डाकघर

2085. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रायोगिक शाखा डाकघरों को स्थायी बनाने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में गत पांच वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे प्रायोगिक शाखा डाकघरों में से अभी तक किसी को भी स्थायी नहीं बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो जिला-वार उन प्रायोगिक शाखा डाकघरों के नाम क्या हैं जिन्हें गत पांच वर्षों की अवधि के दौरान स्थायी बनाया गया है; और

(घ) इन प्रायोगिक शाखा डाकघरों को, जिन्होंने (एक) पांच वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर ली है और (दो) जिन्होंने दस वर्षों से अधिक की अवधि पूरी कर ली है कब तक स्थायी बना दिए जाने की संभावना है ?

संचार के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक डाकघर स्थाई बनाए जाने के पात्र होते हैं बशर्ते कि लगातार दो वार्षिक पुररीक्षाओं के दौरान प्रत्येक ऐसे डाकघर में प्रतिवर्ष हानि 240 रुपये से अधिक न हो। प्रायोगिक डाकघर 350 रु० प्रति वर्ष हानि पर चलने के बाद भी स्थाई बनाए जा सकते हैं। बशर्ते कि 5 कि० मी० के भीतर कोई अन्य डाकघर न हो तथा 8 कि० मी० के भीतर कोई डाकघर न होने पर 500 रु० की हानि होने पर भी स्थाई डाकघर बनाया जा सकता है। 3 वर्ष की प्रायोगिक अवधि पूरी करने वाले डाकघरों की एक वार्षिक पुनरीक्षा के आधार पर ही स्थाई बनाया जा सकता है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में 5 वर्षों से 615 प्रायोगिक शाखा डाकघर हैं।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान जिन जिलेवार प्रायोगिक शाखा घरों को स्थाई बनाया गया है उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) प्रायोगिक शाखा डाकघरों की स्थाई बनाने की लक्ष्य तारीख तब तक नहीं निर्धारित की जा सकती जब तक कि वे मानदंडों के अनुरूप न हों ।

विवरण

क्र० सं० जिले का नाम	प्रायोगिक डाकघर का नाम	
1. मण्डी	1. नरोला	
2. बिलासपुर	1. कल्लार	
3. हमीरपुर	1. देखतर	
	2. कितपाल	
4. कांगड़ा	1. ग्लोरा	2. सिद्धपुर
	3. गीडा	4. पीठ
	5. भुर्री	6. अधवानी
	7. उबग्गी	८. धार
	9. धनेटी भुरियान	10. दोलाखरयाना
	11. भारना	12. देहन
	13. गुरनवार	14. गुरलधर कोटी
	15. कुरियल	16. धीन
	17. अरनोटा	18. टोरा
	19. कुरील	20. कछियारा
	21. लारहून	22. मनयाला
	23. मकराहन	24. माहेरन
	25. नागनपेट	26. नवशेरा
	27. नन्दरू	28. रौनखार
	29. सुधागल	30. सिद्धपुरघा
	31. थाना बरग्रान	32. त्रिपाल

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अप्रयुक्त गैस स्रोतों का उपयोग

2086. **श्री बाजू बन रियान** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अप्रयुक्त गैस स्रोतों का भारी भण्डार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के विकास के लिए इन स्रोतों का उपयोग करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन स्रोतों का उपयोग करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से पैदा होने वाली सम्बद्ध गैस उर्वरक उद्योगों, विद्युत उत्पादन की सुविधाओं, चाय बागानों तथा अन्य उपभोक्ताओं को दी जा रही है। ओ० एन० जी० सी० तथा ओ० आई० एल० से कहा गया है कि वे और अधिक उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई देकर जहां कहीं सम्भव हो भविष्य में बढ़ने वाली मांग की पूर्ति करें।

सोडा राख के मूल्य में वृद्धि

2087. **श्री आर० एम० भोये :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोडा राख के स्वदेशी निर्माताओं द्वारा बिना किसी औचित्य के सोडा राख के मूल्य बढ़ाने के मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्माताओं से, मुख्य रूप से लघु क्षेत्र प्रयोगकर्ताओं के हित में, सोडा राख के न्यूनतम सम्भावित दाम रखने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्य क्या उपाए किए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सोडा ऐश के मूल्य पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। तथापि, सरकार का स्वदेशी निर्माताओं द्वारा सोडा ऐश के मूल्य में अनुचित वृद्धि किए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सोडा ऐश उद्योग के मूल्य पहलू सहित विभिन्न समस्याओं की जांच करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। इसके अलावा, सोडा ऐश के आयात जो खुला सामान्य लाइसेंस के अधीन है, शुल्क में कमी की गई है।

उड़ीसा में जयपुर (के) डाक डिवीजन का विभाजित किया जाना

2088. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सर्किल ने जयपुर (के) डाक डिवीजन को दो भागों में विभाजित करने और रायगाड़ा में एक जूनियर पोस्टल डिवीजन रखने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रायगाड़ा में वर्ष 1985-86 के दौरान एक नया जूनियर पोस्टल डिवीजन खोलने का निर्णय किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड में शुरू किया गया विविधीकरण कार्यक्रम

2089. **श्री अनिल बसु** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड की श्रमिक यूनियन ने रेलवे के लिए ब्रेक, वाल्व एक्चूएटर्स एल० पी० जी० सिलैंडरों आदि का निर्माण शुरू करके विविधिकरण का सुझाव दिया था;

(ख) क्या राष्ट्रीयकरण के बाद मैसर्स भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड में कोई विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था और यदि हां, तो इस कार्यक्रम का क्या हुआ और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या मैसर्स भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड में विविधीकरण का कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एक ही ग्राहक जैसे रेलवे पर निर्भरता कम करने के लिए मै० भारत ब्रेक्स एन्ड वाल्वस लि० ने एक निगमित नीति के रूप में विविधीकरण उत्पाद लाइनों में प्रवेश किया है। फिर भी, भारत ब्रेक्स एन्ड वाल्वस मजदूर संघ से भी कुछ लाइनों में विविधीकरण हेतु सुझाव प्राप्त हुए थे।

(ख) भारत ब्रेक्स एन्ड वाल्वस लि० ने राष्ट्रीयकरण के बाद नई उत्पाद लाइनों जैसे फ्लूयड हेन्डलिंग सिस्टम हेतु टर्नकी परियोजना, वर्टिकल टर्बाइन पम्प, एल० पी० जी० सिलंडर, औद्योगिक वाल्वों तथा एयर ब्रेकों में विविधीकरण किया है।

(ग) केछेक नई उत्पाद लाइनें जैसे एड्जस्टर्स, वाल्व एक्चूयेटर्स, ईंधन तेल हेन्डलिंग प्रणाली को लो सल्फर हैवी स्टाक प्रणाली में परिवर्ति करने के लिए टर्ननकी परियोजना इस समय विकास/उत्पादन की प्रक्रिया में है। एयर कम्प्रेशर्स हायर रेन्ज टी टी० पम्पस तथा अन्य किस्मों के आधुनिक पम्पों के न्र्मािण में विविधीकरण की सम्भाव्यता का कम्पनी पता लगा रही है।

सातवीं योजना में डाकघर और तारघर खोलना

2090. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं योजना के दौरान कुल कितने डाक-घर खोले जायेंगे;

(ख) उक्त अवधि में कितने तार-घर खोलने की योजना है;

(ग) उन स्थानों/राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां ये डाक-घर/तार-घर खोले जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार की योजना ऐसे सुदूरवर्ती स्थानों पर रहने वाले लोगों के लाभ के लिए जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, चलते-फिरते डाक-घर खोलने की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है अभी इसका निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्तावों पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श हो रहा है तथा उनकी मंजूरी नहीं दी गयी है। 5 कि० मी० षट्भुजाकार

नीति के अनुसार देश में अभी लगभग 26,000 तार घरों की व्यवस्था की जानी है, यह वित्तीय और साज सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

(ग) योजना आयोग द्वारा प्रत्येक वार्षिक योजना की मंजूरी देने के बाद ही प्रत्येक वर्ष का डाक लक्ष्य निर्धारिक किया जाता है। जिन स्थानों पर ये डाकघर खोले जायेंगे उनके नामों के बारे में सर्किल अध्यक्षों द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तावों की जांच करने और उन्हें न्यायोजित पाने के बाद ही पता चलेगा। स्थानों के ब्यौरों की प्रति वर्ष अन्तिम रूप दिया जाता है। 1985-86 के लिए स्थानों का अन्तिम निर्णय सम्बन्धित दूरसंचार सर्किलों द्वारा लिया जा रहा है जो कि तार परियात के औचित्य पर निर्भर है।

(घ) चलते-फिरते शाखा डाकघरों से कुछ सीमित ग्रामों में काउन्टर सेवा प्रदान करने की योजना पहले से ही उपलब्ध है तथा जिन ग्रामों में संभव होता है वहां इन चलने-फिरते डाकघरों से सेवा प्रदान की जाती है तथा यह उपलब्ध परिव्यय पर निर्भर होता है।

[हिन्दी]

पटना में टेलीफोन सेवा

2091. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में अधिकांश टेलीफोन आम तौर पर खराब रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने उन्हें दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। पटना की टेलीफोन सेवाएं सामान्यतः संतोषजनक हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, पटना की टेलीफोन सेवाओं में और सुधार लाने के लिए पटना मुख्य एक्सचेंज के पुराने पड़ गए उपस्कर के बदले डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने की योजना है।

इलाहाबाद में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

2092. **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इलाहाबाद में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) इन उद्योगों की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि कई प्रस्तावित उद्योग अन्य राज्यों को स्थानांतरित कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन उद्योगों के नाम क्या हैं और इनके स्थानांतरण के कारण क्या हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल की गई थी :—

(1) **भारत पम्प एण्ड कंप्रैसर लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद** : यह परियोजना इस समय चल रही है जिसके लिए छठी योजना में 10.35 करोड़ रुपए का परिव्यय नियत किया गया था जिसमें से छठी योजना के दौरान 12.20 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है ।

(2) **त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद** : यह एकक इस समय मौजूद है जिसके लिए छठी योजना में 5 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया था जिसमें से 2 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है ।

1980-81 से 1984-85 की अवधि में इलाहाबाद जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन राज्य औद्योगिक विकास निगम और केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 7 आशयपत्र और 5 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे, जारी किए गए सभी आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का विवरण अर्थात् उपक्रम का नाम और पता, निर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थान आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मंथली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है । इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं । ये आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मारुति कार एजेंसियों का आबंटन

2093. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा प्रतिमास कितनी मारुति कारें बनाई जाती हैं;

(ख) दिसम्बर, 1984 के अन्त तक कितने व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया था और दिसम्बर, 1984 के अन्त तक कितनी कारें बेची गयीं;

(ग) देश के किन-किन स्थानों पर किन-किन फर्मों को मारुति कार की एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(घ) उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार निकट भविष्य में इसकी और अधिक एजेंसियाँ आबंटित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मारुति कार की एजेंसी आबंटित करने के लिए क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) यह कम्पनी 1985 के पहले 7 महीनों में प्रति मास 3000 से अधिक दर से कारों का निर्माण कर रही है।

(ख) 121 हजार कारों के लिए मूल बुकिंगों में से दिसम्बर, 1984 तक लगभग 1800 बुकिंगों को रद्द और परिवर्तित किया गया था। दिसम्बर, 1984 तक कम्पनी ने 10.5 हजार से अधिक कारें डिलीवर की थी।

(ग) राज्यों की राजधानियों और अन्य शहरों में अब तक चौंतीस डीलर नियुक्त किए गए हैं।

(घ) डीलरों के लिए यह अपेक्षित है कि वे मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार शो रूम और सर्विसिंग सुविधाएं प्रदान करें। कारों की बिक्री पर डीलरों को कमीशन दिया जाता है जिससे वे निशुल्क सेवाएं प्रदान करने, वारंटी पर ध्यान देने आदि में हुए खर्चों को पूरा कर सकें।

(ङ) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा डीलरों की नियुक्ति खुले विज्ञापनों के उत्तर में प्राप्त हुए आवेदनों के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। कम्पनी द्वारा इसी तरीके से भविष्य में और डीलरों की नियुक्ति किए जाने की सम्भावना है।

मादक द्रव्य बनाने वाली कम्पनियों द्वारा शीतल पेयों की बाजार में बिक्री

2094. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार को मालूम है कि मादक द्रव्य के व्यापार में लगी अनेक प्रमुख गैर-सरकारी कंपनियाँ कुछ ब्रांड नामों से शीतल पेयों को बाजार में बेच रहीं हैं और अपने मादक द्रव्य का अप्रत्यक्ष रूप से परन्तु बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रचार कर रहीं हैं?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : पेय मदिरा बनाने वाली कम्पनियां मै० मक डोवल एण्ड कं० तथा मै० मोहन मीकिन्स भी मृदु पेयों का विपणन कर रही हैं।

औषध मूल्य समीकरण योजना के अन्तर्गत राजसहायता के लम्बित दावे

2095. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्य समीकरण योजना के अन्तर्गत राजसहायता के वितरण के लिए सरकार और राज्य व्यापार निगम को कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ख) राजसहायता के कितने दावे एक महीने से अधिक समय से सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) सरकार किस सम्भावित तारीख तक राजसहायता के इन दावों को निपटाने की स्थिति में होगी?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) उपलब्ध सीमा तक सूचना एकत्र की जाएगी और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्पादन शुल्क में रियायतों के कारण टायरों के मूल्यों में कमी

2096. **श्री विमल कांति घोष** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अभी हाल ही में दी गई कर रियायतों से टायरों पर उत्पादन शुल्क का बोझ कितना कम हो गया है;

(ख) क्या टायरों के उत्पादन शुल्क में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप टायर निर्माताओं ने टायरों के मूल्य कम किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं/ उठाने का विचार है कि टायरों के उत्पादन शुल्क में कमी का लाभ टायरों के उपभोक्ताओं को मिल रहा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) मई, 1985 में घोषित की गई उत्पादन शुल्क में कमी केवल उन छोटे टायर, और फ्लैप विनिर्माताओं को ही उपलब्ध है, जिनके उत्पादन का कुल मूल्य किसी भी वित्तीय वर्ष में 50 लाख रु० से अधिक न हो। इन विनिर्माताओं के अनुसार उत्पादन शुल्क में मिलने वाली छूट उपभोक्ताओं को नहीं दी जा सकती, क्योंकि निवेशों की लागतों में वृद्धि उत्पादन शुल्क में हुई कमी से अधिक है। तथापि, लघु टायर/ट्यूब/फ्लैप-विनिर्माताओं से इस सम्बन्ध में बात चीत की गई है तथा इस बात पर जोर दिया गया है कि वे उत्पादन राहत का लाभ उपभोक्ताओं को दें। उद्योग को फिर से पिछली कीमतें लागू करने के लिए भी कहा गया है और उपभोक्ताओं को उत्पादन राहत न देने तथा कीमतों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य देने के लिए भी कहा गया है ।

सह शुल्क राहत बड़े टायर एककों को उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों को सक्षम बनाना

2097. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की विधान सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंकों को निदेश दिये हैं कि वे पूर्व सुझाव देने और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सहयोग करने की ओर पर्याप्त ध्यान दें;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) जी, हाँ । पश्चिम बंगाल विधान सभा के शिष्ट मंडल द्वारा दिए गए ज्ञापन में रुग्ण और बन्द पड़े एककों को फिर से चालू करने, किसी औद्योगिक एकक के राष्ट्रीयकरण के मामले में उसकी बकाया राशि की रक्षा करने की नीति की समीक्षा करने, माल भाड़ा समानीकरण नीति पर फिर से विचार करने, माल गाड़ी डिब्बा उद्योग में संकट, पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण, टेक्सटाइल एककों को फिर से चालू करने, दार्जिलिंग में बन्द चाय बागानों को फिर से चलाने, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार करने, रुग्ण एककों में भली प्रकार कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भागेदारी आदि से आई० आर० बी० आई० बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का उल्लेख है ।

इस ज्ञापन में उठाई गई बातों का विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों से संबंध है और उन पर इनका ध्यान दिलाया जा रहा है ।

जाजपुर सब-डिवीजन (कटक) में टेलीफोन के कनेक्शन

2098. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कटक जिले के जाजपुर सब-डिवीजन में अब तक टेलीफोन के कितने कनेक्शन दिये गए हैं और 30 जून, 1985 तक कितने कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची थी;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि स्वचालित टेलीफोन प्रणाली का प्रबन्ध न होने के कारण उस क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग कम हो गई है;

(ग) जाजपुर सब-डिवीजन के लिए कितनी जल्दी स्वचालित डायलिंग टेलीफोन प्रणाली और एक्सचेंज की व्यवस्था की जाएगी; और

(घ) क्या जाजपुर में एक्सचेंज के लिये कोई भवन बनाने और आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा के कटक जिले के जाजपुर उप मंडल में 30-6-85 तक 578 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और 12 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जाजपुर रोड टेलीफोन एक्सचेंज को सातवीं योजना के दौरान स्वचल बनाने की योजना बनाई गई है । अन्य दो एक्सचेंजों अर्थात्, घन मंडल और जाजपुर टाउन को फिलहाल स्वचल बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) जाजपुर रोड में उपलब्ध भूमि पर टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण करने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें ।

कन्नानोर (केरल) में भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड की यूनिट

2099. **श्री एम० रामचन्द्रन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड का एक यूनिट स्थित है; और

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल का सबसे बड़ा इलैक्ट्रानिक यूनिट "केल्ट्रान कम्पलैक्स" कन्नानौर में स्थित है, सरकार का, कन्नानौर में भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड का एक यूनिट लगाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जी, नहीं।

(ख) सरकार का मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की एक यूनिट कन्नानोर में शुरू करने का कोई विचार नहीं है।

रासायनिक मध्यस्थ टीटानियम डायोक्साइड की वार्षिक मांग

2100. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगों की रसायनिक मध्यस्थ टीटानियम डायोक्साइड की अनुमानित वार्षिक माँग कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सामग्री को काले बाजार में अत्यधिक मूल्य पर बेचा जाता है; और

(ग) क्या सरकार का इस महत्वपूर्ण रसायनिक मध्यस्थ के मूल्यों पर कोई नियंत्रण है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) टिटेनियम डायोक्साइड की वर्ष 1985-86 की मांग 23,3000 टन आंकी गई है।

(ख) और (ग) इस समय टिटेनियम डायोक्साइड के मूल्य पर संवैधानिक नियंत्रण नहीं है।

6 ए० पी० ए० का उत्पादन

2101. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी सिन्थेटिक पेनसिलिन के निर्माताओं के लिए 6 ए० पी० ए० पर आयात शुल्क अनेक बार अचानक किन परिस्थितियों में बढ़ाया गया है जिनके कारण स्थानीय निर्माताओं के बीच भारी असंतोष व्याप्त है;

(ख) शुल्क दर बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार औषधियों के मूल्य घटाने के लिए कटिबद्ध है; और

(ग) 6 ए० पी० ए० के स्थानीय निर्माता कितने हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका उत्पादन कितना रहा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 6 ए.पी. ए. पर आयात शुल्क मार्च, 1979 के पश्चात केवल एक बार पुनरीक्षित किया गया था। इसको अगस्त, 1984 में पुनरीक्षित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि 6-ए०पी०ए० के अविनियमित आयात से स्वदेशी उत्पादन प्रभावित न हो। स्थानीय उत्पादकों के उत्पादन में गड़बड़ी नहीं हुई।

(ग) इस समय आई०डी०पी०एल,० एच०ए०एल०, एलेम्बिक तथा मैक्स इण्डिया 6-ए० पी० ए० मुख्य उत्पादक हैं। आई० डी० पी० एल०, एच० ए० एल० तथा एलेम्बिक ने 6 ए० पी० ए० के निम्नलिखित उत्पादन की सूचना दी है—

	1983-84 (टन)	1984-85 (टन)
आई० डी० पी० एल०	17.10	17.44
एच० ए० एल०	1.48	15.61
एलेम्बिक	2.36	1.70

मैक्स इंडिया ने 6-ए० पी० ए० का वाणिज्यिक उत्पादन 1985 में ही शुरू किया है।

खादी के वस्त्रों के ऊंचे दाम

2102 **श्री एन० टोम्बो सिंह :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खादी के वस्त्रों के ऊंचे दामों की आम आदमी द्वारा अदायगी न किए जाने की समस्या को ध्यान में रखकर खादी के वस्त्रों पर रियायत बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अपेक्षाकृत सस्ते, मिल कपड़े की तुलना में खादी वस्त्रों के लिए संरक्षण देने के सम्बन्ध में नीति बनाने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) खादी के लिए छूट की वर्तमान योजना में संशोधन करने के लिए इस समय सरकारी और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बीच बात-चीत चल रही है।

आन्ध्र प्रदेश के प्रकासम जिले के चिराला शहर में एस० टी० डी० सुविधा

2103. **श्री सी० सम्बु :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के पाराकोरण जिले के चिराला शहर में एस० टी० डी० की सुविधा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या संचार विभाग ने एस० टी० डी० सुविधा स्थापित करने के लिए इमारत के निर्माण के लिए चिराला नगर पालिका द्वारा आबंटित भूमि का अधिग्रहण कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जैसाकि नगरपालिका ने मंजूर किया है वह नगर की भूमि देगा लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार के सचिवालय द्वारा अभी इसकी मंजूरी की प्रतीक्षा है तथा विभाग को यह भूमि देने की मंजूरी के लिए निदेशक, टाउन प्लानिंग, चिराला राज्य सरकार के साथ कार्रवाई कर रहे हैं ।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का दुरुपयोग

2104. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 4 जून, 1985 के इण्डियन एक्सप्रैस में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि लगभग 4000 अथवा इससे अधिक सार्वजनिक टेलीफोनों में से लगभग 3000 टेलीफोन निजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन विभाग को 200 रु० मासिक अदायगी पर जनता को टेलीफोन करने की अनुमति के वायदे पर आबंटित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन सभी 3000 टेलीफोन निजी टेलीफोन आबंटियों ने अपने घरों में अवैध रूप से टेलीफोन एक्सटेंशन स्थापित कर रखे हैं और वे टेलीफोन का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी टेलीफोन केन्द्रों के दुरुपयोग और चोरियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां । निर्धारित नियमों के अनुसार दिल्ली में लगभग 3050 निजी गारण्टीशुदा सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं । जब कभी भी ऐसा मामला ध्यान में आता है, भारतीय तार नियम के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन लेने वाले उपभोक्ता के विरुद्ध कार्यवाई की जाती है ।

बंगलौर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2105. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हैं;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि बंगलौर शहर में बनाश कार द्वितीय चरण विजय नगर, जे० पी० नगर आदि जैसे नए एक्सटेन्शनों में कोई सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं है, यदि हां, तो क्या समुचित स्थानों पर कुछ सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि जिनकी दुकानों में टेलीफोन लगे हैं वे टेलीफोन करने वाले लोगों से बहुत अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दुकानदार द्वारा प्रत्येक काल के लिए जनता से लिए जाने वाले शुल्क की दर सुनिश्चित करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 30-6-85 की स्थिति के अनुसार बेंगलूर टेलीफोन प्रणाली के अन्तर्गत 885 सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं। इनमें से कुछ टेलीफोनों को टेलीफोन बूथ में प्रदान किया गया है जबकि अन्य बिना बूथ के हैं।

(ख) जी नहीं। बेंगलूर शहर में इन क्षेत्रों में अनेक सार्वजनिक टेलीफोन घर कार्य कर रहे हैं।

(ग) सरकार की जानकारी में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है।

(घ) सार्वजनिक टेलीफोनों से काल करने पर प्रतिकाल 50 पैसे प्रभार निर्धारित किया गया है।

लिपटन इण्डिया द्वारा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, के वनस्पति के व्यवसाय का अधिग्रहण

2106. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** लिपटन इण्डिया द्वारा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, वनस्पति के व्यवसाय का अधिग्रहण के बारे में 16 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4120 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिपटन इण्डिया लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के 120 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के वनस्पति के व्यवसाय का हाल में किया गया अधिग्रहण अप्रत्यक्ष रूप से एक विलीनीकरण का मामला है जिस पर विशेष रूप से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यपारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत रोक है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार का विचार सम्बन्धित कम्पनियों के इस विवाद की पुनः जांच कराने का है कि यह दो कम्पनियों के बीच जो पहले से ही लन्दन की मैसर्स यूनीलीवर से अपने सम्बन्धों के कारण आपस में जुड़ी हुई हैं, केवल कुछ उपक्रमों के स्थानान्तरण का मामला था; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कोई उपाय करने का है जिन्हें मनमाने ढंग से एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में स्थानान्तरित किया जा रहा है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से मैसर्स लिपटन इण्डिया लिमिटेड द्वारा अन्यों के साथ-साथ वनस्पति के व्यवसाय का अधिग्रहण एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत विलय का मामला नहीं था।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) एक मलिक से दूसरे के पास कर्मचारियों के स्थान्तरण के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कोई विशेष उपबन्ध नहीं है। तथापि, अगर कोई उत्पीडन या स्थानान्तरण, जो अन्यायपूर्ण है या सेवा शर्तों आदि का प्रबन्ध द्वारा उल्लंघन किया गया है तो यूनियन और कामगारों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इन विवादों को उठाने के लिए रास्ता खुला है। जहां तक औद्योगिक विवाद अधिनियम का सम्बन्ध है, अधिनियम में संशोधन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में साल्ट माडल और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

2107. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वरा राव** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में नौपाडा या कृष्णा जिले में मछलीपतनम में "सालट मॉडल और अनुसंधान केन्द्र" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और निर्णय कब लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) नमक उद्योग के विकास तथा नमक व समुद्री रसायनों के अध्ययन हेतु प्रस्तावित परियोजना की अस्थायी रूप से अनुमानित लागत 46.22 लाख रुपए है और प्रस्ताव है कि इसे भावनगर के सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, आन्ध्र प्रदेश के उद्योग आयुक्त तथा भारत सरकार के नमक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया जाएगा। कार्यकारी अभिकरणों की ओर से ब्यौरेवार रिपोर्ट मिलने पर सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक उत्पादन

2108. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक उत्पादन के गत पांच वर्षों के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार, गत पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन का औसत मासिक सूचकांक (आधार : 1970=100) निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	सूचकांक	गत वर्ष की उपेक्षा प्रतिशत
1980-81	154.08	+4.0
1981-82	167.35	+8.6
1982-83	173.94	+3.9
1983-84	183.44	+5.5
1984-85	193.66	+5.6

(ख) औद्योगिक स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है । सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस और आयात करने सम्बन्धी नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके तथा मैट्रिक एवं राजकोषीय उपाय करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कई उपाय किए हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के नीति-पत्र में अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने पर बल दिया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर और अधिक बढ़ाने हेतु औद्योगिक विकास के केन्द्र बिन्दु प्रौद्योगिकी का उन्नयन, आधुनिकीकरण, परिसम्पत्तियों की बेहतर उपयोग तथा कार्यदक्षता का संवर्द्धन करना भी होंगे ।

'भेल' द्वारा दोषपूर्ण टर्बो जनरेटरों की सप्लाई

2109. **श्री अजित कुमार साहा : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने अपनी कुछ बिजली निगम राष्ट्रीय परियोजनाओं में दोषपूर्ण टर्बो जनरेटर लगाने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि देश में किसी भी बिजली केन्द्र को दोषपूर्ण टर्बो जनरेटर सप्लाई न किए जाएं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) यद्यपि एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित किया गया था जिसमें बी० एच० ई० एल० द्वारा खराब टर्बो जनरेटरों की सप्लाई के लिए एन० टी० पी० सी० द्वारा शिकायत का आरोप लगाया गया था, लेकिन इस दोषारोपण का एन० टी० पी० सी० द्वारा खण्डन किया गया था और 13-6-1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में यह खण्डन प्रकाशित हुआ था । एन० टी० पी० सी० ने इस बात का खण्डन किया था कि इसने खराब टर्बो जनरेटरों की सप्लाई के लिए बी० एच० ई० एल० पर आरोप लगाया था । उन्होंने यह भी कहा था कि बी० एच० ई० एल० और एन० टी० पी० सी० विभिन्न पावर एककों के अधिष्ठापन और चालू करने में निकट समन्वय से काम कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हल्के लड़ाकू विमान में सुधार

2110. **श्री बी० तुलसी राम : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार (हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड) देश में हल्के लड़ाकू विमान में सुधार के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस देश से तकनीकी सहायता मांगी जाएगी;

(ग) इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और भारत को कब तक आवश्यक सहायता दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) भारतीय वायुसेना किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए कितनी सक्षम हो जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां । उच्च प्रोद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में विदेश से परामर्श करने पर विचार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) हल्का लड़ाकू विमान हमारी वायु शक्ति का एक मुख्य अंग होगा ।

उड़ीसा में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

2111. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में और अधिक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उड़ीसा में दो और जिला उद्योग केन्द्र, जिनमें से एक राउरकेला में और दूसरा भुवनेश्वर में, स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(ग) क्या वर्ष 1985-86 में उड़ीसा के दो जिला उद्योग केन्द्र, जिनमें से एक राउरकेला में और दूसरा भुवनेश्वर में, स्थापित करने के प्रस्ताव को लागू किया जाएगा ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (ख) बहुत सी राज्य सरकारों ने विद्यमान जिलों में से ही नए जिलों का सृजन कर लिया है और वे नए जिला उद्योग केन्द्र खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार के पास अभ्यावेदन भेज रही हैं । उनके अनुरोधों की जांच की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग के विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सुअवसर

2112. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग के विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की राज्य-वार क्या उपलब्धि है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1983-84 के अन्त तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास करके ग्रामीण क्षेत्र में 35.51 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए थे। रोजगार के राज्य वार आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) के लिए 50 लाख व्यक्तियों (खादी : 20 लाख, ग्रामोद्योग : 30 लाख) को रोजगार देने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

वर्ष 1983-84 तक खादी तथा ग्रामोद्योगों में प्रदान किए गए रोजगार अवसर

(लाख व्यक्ति)

क्रम सं०	राज्य	खादी तथा ग्रामोद्योगों में दिया गया कुल रोजगार
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.92
2.	असम	0.83
3.	बिहार	2.81
4.	गुजरात	1.08
5.	हरियाणा	0.63
6.	हिमाचल प्रदेश	0.4S
7.	जम्मू व कश्मीर	0.52
8.	कर्नाटक	1.19
9.	केरल	1.69
10.	मध्य प्रदेश	0.49
11.	महाराष्ट्र	3.14
12.	मणिपुर	0.16
13.	मेघालय	0.02
14.	नागालैण्ड	0.03

1	2	3
15.	उड़ीसा	1.04
16.	पंजाब	1.15
17.	राजस्थान	2.43
18.	सिक्किम	*
19.	तमिलनाडु	6.37
20.	त्रिपुरा	0.21
21.	उत्तर प्रदेश	6.82
22.	पश्चिम बंगाल	1.40
	योग I	35.41
II.	संघशासित प्रदेश	
1.	अंदमान व निकोबार द्वीप	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	*
3.	चण्डीगढ़	0.01
4.	दादरा व नगर हवेली	—
5.	दिल्ली	0.07
6.	गोआ, दमन व द्विव	0.02
7.	मिजोरम	—
8.	पाण्डिचेरी	*
	योग II	0.10
III.	विविध	
1.	विभागीय	*
2.	अन्य योजनाएं	—
	योग III	—
	योग I+II+III	35.51

*500 से कम

[अनुवाद]

कैपरोलैक्टम की कमी

2113. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैपरोलैक्टम की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस संकट के कारण अनेक नाइलान एकक बन्द होने जा रहे हैं;

(ग) क्या गुजरात उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र कैपरोलैक्टम आयात के विरुद्ध है;

(घ) नाइलान उद्योग को कैपरोलैक्टम की कितनी आवश्यकता है तथा इसकी देश में आन्तरिक सप्लाई कितनी है; और

(ङ) यदि माँग की अपेक्षा सप्लाई कम है तो इसे कैसे पूरा किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क), (ख) और (ङ) इस समय कैपरोलैक्टम का देशी उत्पादन नाइलान उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभाव को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। कैपरोलैक्टम का आयात 1985-86 की आयात और निर्यात नीति में सीमित अनुमेय मदों की सूची में शामिल किया गया है।

(ग) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड कैपरोलैक्टम के केवल अधिक आयात के विरुद्ध है।

(घ) 1985-86 में कैपरोलैक्टम की मांग और देशी उपलब्धता का अनुमान क्रमशः 65,000 से 70,000 मी० टन तक और 18,000 मी० टन है।

हजीरा में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स की स्थापना के बारे में प्रगति

2114. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सूरत के निकट हजीरा में प्रस्तावित पेट्रो रसायन काम्पलैक्स की स्थापना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता की मांग की थी;

(ग) क्या सरकार ने अब तक कोई सहायता दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) गुजरात में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में किसी अन्य पेट्रो-केमिकल्स काम्पलैक्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) ऐसा सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के प्रस्तावित पेट्रो-केमिकल्स काम्पलैक्स की इक्विटी शेयर पूंजी में भागीदारी लें। प्रतिबन्धित संसाधनों पर दबाव पड़ने के कारण ही मुख्यतया इस पर सहमति न हो सकी।

तालचेर उर्वरक संयन्त्र के कार्य-निष्पादन में सुधार

2115. **श्री राधाकान्त दिगाल** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के तालचेर उर्वरक संयंत्र में उसकी निर्धारित क्षमता का उपयोग न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उपरोक्त उर्वरक संयंत्र को गम्भीर उपकरण समस्या का. सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या संयंत्र की विभिन्न समस्याओं का पता लगाने के लिए संयंत्र का कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(घ) तालचेर उर्वरक संयन्त्र के दोषों को दूर करने, निर्धारित क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाने और उसके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु अन्य क्या उपाय किये गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) तालचर उर्वरक संयंत्र उपकरण असन्तुलनों/कमियों और पावर की निरन्तर कमी के कारण अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सका है। एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने एकक के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु कुछ दीर्घावधि और अल्पावधि उपायों का सुझाव दिया था। यद्यपि अधिकतम अल्पावधि उपाय पूर्ण हो चुके हैं, दीर्घावधि उपायों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई निर्णय तभी लिया जाएगा जब इस समय किया जा रहा सम्पूर्ण सर्वेक्षण पूरा हो जाये। काफी हद तक संयन्त्र की विद्युत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दृष्टि से तालचर में एक 30 मेगावाट रक्षित पावर सन्यन्त्र भी संस्थापित किया गया है।

विधि आयोग का पुनर्गठन

2116. **श्री शरद दिघे** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग की बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने के पश्चात् 30 अप्रैल, 1985 को उसका पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) वर्तमान विधि आयोग की अवधि 31 अगस्त, 1985 तक बढ़ा दी गई है। आयोग के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के शाजापुर तथा देवास जिलों के डाकघरों के लिए भवन-निर्माण

2117. **श्री बापूलाल मालवीय** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के शाजापुर तथा देवास जिलों में ऐसे कितने डाकघर हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं तथा किराये के भवनों में स्थित हैं;

(ख) क्या इन डाकघरों की अपने भवन निर्माण के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो किस समय तक इन भवनों के निर्माण की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मध्य प्रदेश के शाजापुर और देवास जिलों में 30 डाकघर ऐसे हैं जिनका अपना भवन नहीं हैं और वे किराए के भवनों में स्थापित हैं ।

(ख) और (ग) फिलहाल इन डाकघरों के लिए विभागीय भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । केवल शाजापुर जिले में अकोडिया में डाकघर भवन का सातवीं योजना अवधि के दौरान निर्माण करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निधि उपलब्ध रहे ।

[अनुवाद]

केरल में डाक तथा तार सिविल डिवीजन खोलना

2118. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केरल में एक नया डाक तथा तार सिविल डिवीजन खोलने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी नहीं ।

देश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली

2119. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली लाने के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) नवम्बर, 1983 में बम्बई में प्रथम एनालाग इलेक्ट्रानिक स्थानीय एक्सचेंज चालू किया गया । तत्पश्चात् बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, और मद्रास में अनेक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जा चुके हैं ।

दो लाख लाइनों के डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर का आयात किया गया है और इस किस्म के पहले एक्सचेंज बम्बई और कानपुर में चालू किए गए हैं ।

टेलीमेटिक के विकास के लिए एक केन्द्र सी० डी० ओ० टी० की स्थापना की गई है जो डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का डिजाइन देश में ही करेगा । उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मनकापुर नामक स्थान पर डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर की प्रतिवर्ष 5 लाख लाइनों के उत्पादन के लिए एक फैक्टरी लगाई जा रही है ।

बंबई अपतट पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का एक दक्षिणी टर्मिनल की स्थापना

2120. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई अपतट पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का दक्षिणी टर्मिनल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त परियोजना के स्थल के लिये सर्वेक्षण किया;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त परियोजना के लिये किसी भूमि की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) ने पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्रों के एकीकृत विकास की एक योजना तैयार की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरान के दक्षिण में दूसरा तेल और गैस टर्मिनल स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। ओ० एन० जी० सी० के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार ने अनेक स्थानों का सर्वेक्षण किया है और जिला रायगढ़ के उत्तर में एक स्थान को सुझाया है। परियोजना के लिए जब पर्याप्त रकम उपलब्ध होगी तब आगे की कार्यवाही की जाएगी।

पश्चिमी बंगाल को एल्कोहल की सप्लाई

2121. **श्री सुधीर राय** :

श्री रेणुपद दास :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा किये गये आबंटन के अनुसार पश्चिम बंगाल को एल्कोहल की सप्लाई करने को राजी करायां गया है; परन्तु इस संबंध में आदेशों की क्रियान्विती न होने के कारण पश्चिम बंगाल के ड्रग और फार्मास्युटिकल्स उद्योगों में गम्भीर संकट पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1984-85 दिसम्बर, 1984-नवम्बर, 1985 के दौरान पश्चिम बंगाल को अल्कोहल का आबंटन केवल उत्तर प्रदेश और बिहार से किया गया है। दोनों राज्य सरकारों से अल्कोहल की आबंटित मात्रा सप्लाई करने के लिए कहा गया है। तथापि, उनके पास पर्याप्त फालतू मात्रा न होने के कारण राज्यों द्वारा की गई वास्तविक सप्लाई किए गए आबंटनों से कम है। तथापि, पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों की औद्योगिक अल्कोहल (परिशोधित) की मांग को वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को अनुमेय शुल्क मुक्त आयातों के माध्यम से भी पूरा किया जा रहा है।

मद्रास रिफाइनरीज द्वारा ल्यूब संयंत्र की स्थापना

2122. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि मद्रास रिफाइनरीज ने एक नया ल्यूब संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है और इसके लिए स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) अपनी ल्यूब संयंत्र की क्षमता को 174,500 मी० टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2,70,00 मी० टन प्रति वर्ष करने के लिए मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड ने एक संभावना रिपोर्ट तैयार की है। नई प्रोपेन डिअस्काल्टिंग यूनिट, नई एक्ट्रैक्शन यूनिट, डिवेक्सिंग की डिवॉटिलंग और हाइड्रोफिनिशिंग यूनिटों के लिए सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। इसकी अनुमानित लागत 93.94 करोड़ रुपये है। यह मामला विचाराधीन है।

पूर्वी क्षेत्रों में उर्वरक संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

2123. **श्री नारायण चौबे :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के अन्तर्गत अधिकांश उर्वरक संयंत्र रुग्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों में संकट के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं, तो क्या ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन पूर्वी क्षेत्र में स्थित संयंत्र हानि उठा रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता नीचे दी गयी है :—

इकाई	1982-83 प्रतिशत	1983-84 प्रतिशत	1984-85 प्रतिशत
नामरूप-I	62	45	47.9
नामरूप-II	47	40	44.2
बरौनी	50	39	24.97
दुर्गापुर	26	47	38.1

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिए अवरोधों को हटाने के लिए संयंत्रों का सम्पूर्ण सर्वेक्षण किया गया था । शिनाख्त की बढ़ी समस्याओं में पावर की कमी, अन्य उपयोगिताओं, डिजाइन तथा उपस्कर में कमियां मुख्य पहलु पाए गए हैं ।

(घ) संयंत्रों में कुछ परिवर्तन/प्रतिस्थापन किए गए हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । सभी संयंत्रों में केप्टिव पावर संयंत्रों की स्थापना के लिए बृहद कार्यवाही की जा रही है ।

पेट्रोल पम्पों के नवीकरण के लिए भूमि का मूल्यांकन

2124. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल पम्पों के नवीकरण के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन को पट्टे पर दी गई भूमि सामान्यत: लगभग 156 अधिक मूल्य पर दी जाती है;

(ख) क्या नवीकरण करते समय भूमि के बाजार भाव को ध्यान में नहीं रखा जाता; और

(ग) यदि भूस्वामी पट्टे के नवीकरण के लिए अपनी सम्पत्ति का मूल्यांकन सरकार द्वारा प्राधिकृत मूल्यांकन से कराता है तो क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन इस प्रकार के मूल्यांकन को स्वीकार करता है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जब तक कि पहले से ही निर्मित भवन के पूर्व निर्धारित किराए के नवीकरण की अवधि का विकल्प न हो या बर्मा-शैल अधिग्रहण अधिनियम लागू न होता हो (जिसके द्वारा 26-10-1976 को या उसके बाद वैध पट्टा समाप्त हो रही हो वहाँ उसी किराए पर उतनी ही अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकता है) कम्पनी आगे की अवधि के लिए भूमिपति के साथ उस स्थिति में नवीकरण के लिए बातचीत करती है, जब पट्टे की अवधि समाप्त हो गई हो तथा वृद्धिवार यदि कोई हो तो वह पूर्णतया निगम को मिलने वाले लाभों पर निर्भर करेगी ।

(ख) बाजार मूल्य पर विचार किया जाता है ।

(ग) निगम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र मूल्यांकक से अपना मूल्यांकन करवाता है, और संशोधित किराया निर्धारित करते समय उस पर विचार किया जाता है ।

गुजरात में तेल कुओं की सुरक्षा

2125. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में गुजरात में तेल के कुओं में चोरी के कितने मामले हुए;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1983-84 में 11 मामले तथा 1984-85 में 10 मामले।

(ख) इन मामलों में कुल 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इस समय 20 मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। मुकदमा चलाया जा रहा है और मामले को बन्द कर दिया गया है।

(ग) उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(i) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सीमा सुरक्षा बल तथा पुलिस द्वारा गश्ती में तेजी लाना।

(ii) ग्राम रक्षा दलों जैसे ग्राम रक्षक दलों की सेवाओं को उपयोग में लाना।

(iii) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य क्षेत्र में सी० आई० एस० एफ० को लगाना।

(iv) हैलीकाप्टरों द्वारा गश्ती।

(v) अनुत्पादक कूपों का बन्द किया जाना।

उत्तर प्रदेश में "फ्लोट ग्लास" उद्योग के लिए लाइसेंस

2126. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ही राज्य अर्थात् उत्तर प्रदेश में 'फ्लोट-ग्लास'' के लिए दूसरा लाइसेंस जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक परियोजना पर कम से कम 150 करोड़ रुपए की लागत वाले "फ्लोट ग्लास" जैसे अत्यन्त पूंजी प्रधान वृहत उद्योग के एक ही राज्य में स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहमद खां) : (क) उद्योग (विकास तथा निनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन क्षमता को 80 लाख वर्ग मीटर से बढ़ाकर 100 लाख मीटर कर देने के लिए क्षमता का पर्याप्त विस्तार करने तथा प्रोद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए शीट-ग्लास एकक के लिए आर्थिक दृष्टि से जीव्य समझा गया एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनों को निहित विभिन्न तकनीकी-आर्थिक तथा स्थापनास्थल सम्बन्धी कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही स्वीकृत/रद्द किया जाता है।

उद्योग रहित इदुक्की जिले में उद्योगों की स्थापना

2127. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उद्योग रहित इदुक्की जिले में प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करेगी ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहमद खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग

2128. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कीटनाशी औषधियों के बारे में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक शाखा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) क्या इस अध्ययन के अनुसार उन खतरनाक कीटनाशकों की, जिनके उपयोग पर विकसित देशों में या तो रोक है अथवा अत्यधिक प्रतिबंधित हैं, 40,000 टन तक की मात्रा का अभी भी भारत में प्रति वर्ष उपयोग किया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो इस श्रेणी में कौन-कौन सी प्रसिद्ध कीटनाशी औषधियां आती हैं;

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के कीटनाशकों के पश्चिम देशों से भारत में आने पर रोक लगाने हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) क्या कीटनाशी अधिनियम, 1960 और उसके अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति हानिकर कीटनाशकों के आयात, उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाने में निष्प्रभावी सिद्ध हुई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन संस्थान (एन० आई० एस०टी० डी०एस०) ने एक अध्ययन किया था जिसका शीर्षक कन्ट्रोल आफ पैस्ट इन्फैस्टेशन : पोलिसीज फोर पेस्टिसाइड्स इन इंडिया" था ।

(ख) एन० आई० एस० टी० ए० डी० एस० ने जबकि इस अध्ययन पर अभी रिपोर्ट प्रकाशित करनी है, दो लेख प्रकाशित हुए हैं, अर्थात (1) स्ट्रक्चर एण्ड ग्रोथ आफ दी पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री इन इंडिया, और (2) पैस्टिसाइड्स हैजार्डस, ए ग्रोइंग ग्लोबल प्रोबलम । दूसरा लेख, भारत में वर्ष 1980-81 के दौरान 30,000-40,000 टन पैस्टिसाइडस के प्रयोग, जिनमें कुछ विकासशील देशों में कुछ प्रतिबंधित हैं या काफी सीमित हैं जबकि अन्यों में उनके प्रयोग की अनुमति है, दर्शाने वाली पेस्टिसाइडस इन्फोरमेशन और "कामर्स" जैसा पत्रिकाओं में प्रकाशित भारत में पैस्टिसाइडस के उत्पादन व आयात पर सूचना/आंकड़ों के संदर्भ में है । ऐसे पैस्टिसाइडों के आयात में काफी कमी आई है ।

(ग) लेख में उल्लिखित पैस्टिसाइड्स है; बी० एच० सी०, डी० डी० टी०, लिन्डेन, एल्डरिन, हेप्टाक्लोर, क्लोरोडेन, 2,4-डी ।

(घ) और (ङ) ऐसे कीटनाशियों के आयात की मात्रा कम हो रही है और अब इनका आयात काफी कम हो रहा है। भारत में प्रयोग किए गए ऐसे प्रकृति के पेस्टीसाइड्स में अधिकतम डी०डी०टी० है और बी०एच०सी० का प्रयोग राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किया जाता है।

भारत में पेस्टीसाइड्स का आयात और निर्माण अन्य बातों के साथ-साथ इन्सेक्टिसाइड अनिनियम के अधीन विनियमित है। देश में पेस्टीसाइडस के आयात/निर्माण की अनुमति देने से पूर्व अधिनियम के अधीन गठित पंजीकरण समिति इंसैक्टिसाइड्स की दक्षता और भारतीय स्थिति के अनुसार मानव और जानवरों को सुरक्षा जैसे सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखती है।

[हिन्दी]

मिराज-2000 की गति और कार्यसाधकता

2129. **श्री एम० एल० झिकराम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए एफ-16 लड़ाकू विमानों की तुलना में मिराज-2000 की तथा कार्यसाधकता बेहतर है; और

(ख) दुनिया में ऐसे विमानों के नाम क्या हैं जिनकी कार्यसाधकता मिराज-2000 से बेहतर अथवा उनके बराबर है और किन-किन देशों के पास ऐसे विमान हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) मिराज 2000 की अधिकतम गति "एफ-16" से अधिक है। तुलनात्मक विमान की कार्यसाधकता के बारे में प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, प्रकाशित सूचना के अनुसार उसमें बताए गए रूस के "मिग 29", अमरीका, साऊदी अरब, इजराइल और जापान के "एफ-15" और अमरीका, इजराइल, मिस्र, पाकिस्तान, वैनेजुएला, बेल्जियम, डैनमार्क और नार्वे के "एफ-16 ए" विमानों की विशिष्ट कार्यक्षमता मिराज 2000 विमान के समान है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

2130. **श्री गंगा राम** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आगरा जिले के खेरागढ़, बाढ़ और फतेहाबाद तहसीलों और आगरा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों और जिला मैनपुरी की शिकोहाबाद तहसील को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र घोषित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र का तीव्रगति से औद्योगिक विकास करने के दृष्टिकोण से कोई विस्तृत सर्वेक्षण कराने का है;

(ग) क्या सरकार की पर्यावर्णीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से आगरा के विभिन्न उद्योगों को आगरा जिले से उक्त पिछड़े क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति के कार्यान्वयन के लिए क्या दिशानिदेश दिए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मैनपुरी के पूरे जिले को वर्ग "ग" का पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। आगरा जिले या इसके किसी भाग को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विशिष्ट जिले में उद्योगों की स्थापना करना मुख्य रूप में संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और राज्य सरकार के अनुरोध पर संबंधित जिला उद्योग केन्द्र समय-समय पर औद्योगिक सर्वेक्षण करते हैं।

(ग) और (घ) आगरा मथुरा क्षेत्र में एक समलम्ब चतुर्भुज (ट्रापिजियम) क्षेत्र का पता लगाया गया है जिसमें किसी प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रदूषण की संभावना को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात वे उद्योग जिनकी स्थापना की बिल्कुल मनाही है, वे उद्योग जिनकी स्थापना की उनके प्रभाव के मूल्यांकन के बाद अनुमति दी जा सकती है और वे उद्योग जो वर्जित क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं। पर्यावरण विभाग द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति आगरा-मथुरा क्षेत्र में प्रदूषण निवारक संबंधी उपायों की प्रगति को मानीटर करती है।

[हिन्दी]

एल० डी० पी० टी० और पी० पी० का वितरण

2131. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड एल० डी० पी० टी० और पी० पी० का उत्पादन करता है और इन्हें पोलिथन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में छोटे पैमाने के एककों और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन एककों को वितरित करता है और यदि हां, तो दिल्ली की उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें 1984-85 के दौरान उक्त कच्चा माल सप्लाई किया गया और प्रत्येक फर्म को कितनी-कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि आई० पी० सी० एल० द्वारा निर्मिम उक्त कच्चे माल की पूरे देश में भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या कच्चे माल की कमी को देखते हुए आई० एल० ने इस माल को सभी फर्मों में समान मात्रा में वितरित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है और 1985-86 के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित एल० डी० पी० ई० तथा पी० पी० दिल्ली

के क्रमश: 334 तथा 213 उपभोक्ताओं को वितरित किए गए। उपभोक्ताओं की लम्बी सूची होने के कारण ऐसे उपभोक्ताओं की मात्र एक रूपरेखा नीचे दी गई है :—

	एल० डी० पी० ई०	पी०पी०
प्रतिमाह एक मीट्रिक टन तक	178	96
प्रतिमाह एक से पांच मीट्रिक टन के बीच	124	104
प्रतिमाह 5 से 10 मीट्रिक टन के बीच	25	13
प्रतिमाह दस मीट्रिक टन से अधिक	7	शून्य

(ख) चूंकि एल०डी०पी०ई० दोनों की माग घरेलू पूर्ति से कहीं अधिक है इसलिए वास्तविक प्रयोग कर्ताओं के लिए ओ० जी० एल० के अन्तर्गत इस सामान के आयात की अनुमति दी गई है।

(ग) पिछले दो वर्षों में उठाए गए माल के आधार पर कच्चे माल का वितरण वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को किया जाता है न कि वितरकों को। वितरक उपभोक्ताओं की सेवा के लिए केवल स्टाकिस्ट का काम करते हैं।

(घ) इस समय 1985-86 के लिए वितरण के मानदण्डों में परिवर्तन अपेक्षित नहीं हैं।

[अनुवाद]

न्यू बम्बई टेलीफोन

2132. **श्री एम० जी० धोलप** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाणे बम्बई एक्सचेंज का हिस्सा है लेकिन "न्यू बम्बई" नहीं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में बम्बई के लिए एस० टी० डी० अथवा सीधी टेलीफोन काल सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त एक्सचेंज में सुधार करने का क्या प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) न्यू बंबई को बंबई टेलीफोन प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह ग्रेटर बंबई नगर निगम का भाग नहीं है। तथापि, भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से थाना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बंबई टेलीफोन प्रणाली में शामिल कर लिया गया है।

(ख) जी नहीं। न्यू बंबई में मौजूदा पांच एक्सचेंजों में से दो एक्सचेंजों में बंबई और कुछ अन्य स्टेशनों के लिए एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) न्यू बंबई के शेष एक्सचेंजों से बंबई और कुछ अन्य स्टेशनों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(घ) इस क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टुर्भे, बेलापुर, कालम बोली और पनवेल में एक क्रासबार और इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है जो मौजूदा एक्सचेंजों के स्थान पर होंगे। टुर्भे में एक ट्रंक और विशेष सेवा स्थापित करने की भी योजना है।

टेलीफोनों का कार्य निष्पादन

2133. **श्री मुकुल वासनिक :**

श्री सोमनाथ रथ :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा ऋतु में टेलीफोन लाइनों में खराबी पैदा आ जाती है तथा अधिकांश नगरों और कस्बों में अनेक टेलीफोन खराब हो जाते हैं;

(ख) क्या वर्षा और तूफान के कारण ट्रंक लाइनों में भी खराबी आ जाती है यह समस्या वर्ष प्रतिवर्ष आम बात होती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) भारी वर्षा और तूफान ओपन वायर ट्रंक लाइनों को क्षतिग्रस्त करते हैं।

(ग) वर्षा और तूफान के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(एक) केबिल का दाबीकरण करना जिससे शुष्क ऋतु के दौरान दोषों का पता लगाना तथा उसे दूर करना सम्भव होता है।

(दो) जैलीयुक्त केबिल का प्रयोग करना इसमें केबिल नमी में भी अधिक सक्षम होती है।

(तीन) केबिल मार्गों की निगरानी करना ताकि सम्भावित क्षतियों का पता लगाया जा सके।

(चार) बाहारी क्षति से बचाव करने के लिए मुख्य केबिल को डक्ट में बिछाना।

(पांच) बढ़िया स्तर तथा अधिक विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए पल्स कोड माड्यूलेशन, कौएक्सिअल तथा माइक्रोवेव पर हाईग्रेड इंटर एक्सचेंज सर्किटों की व्यवस्था करना।

(छः) जहां-कहीं भी तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टि से सम्भव हुआ है वहां ओपन वायर ट्रंक लाइनों के बदले यू०एच०एफ०, माइक्रोवेव तथा कोएक्सिअल प्रणालियों जैसे विश्वसनीय माध्यम को प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण

2134. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितने मूल्य के पेट्रोलियम उत्पाद की बचत होने की सम्भावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान करीब 2.18 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों की बचत किए जाने की आशा है, जिसके मूल्य चालू मूल्यों के आधार पर करीब 650 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संरक्षण गतिविधियां आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिसमें ईंधन कुशल कुकिंग उपकरण और अन्य उपकरणों को लोक-प्रिय बनाने के लिए शिक्षा अभियान तेज करना, स्टेट रोड-ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में माडल डिपों की स्थापना करना, ड्राईवर ट्रेनिंग क्लिनिकी का आयोजन करना, ईंधन कुशल प्रणाली में अन्तरण के लिए ऋण देना, पुनः शोधित स्नेहकों और दीर्घकालिक स्नेहकों और ग्रीसों आदि को विकसित करना शामिल है ।

कृष्णा-गोदावरी फील्ड पार्टियों का पड़ाव

2135. **श्री विजय कुमार राजू** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्ण-गोदावरी फील्ड पार्टियों तेल खोज क्षेत्र के निकट पड़ाव नहीं डाले हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषय में क्या आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाना पकाने की गैस से दुर्घनाग्रस्त होने वाले व्यक्तियों को मुआवजा

2136. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के सिलेंडर से गैस रिसने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने वाले व्यक्तियों के मामले के मुआवजा देने का कोई प्रस्तान सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एन्ड कंपनी के पुराने लोकप्रिय उत्पादों का उत्पादन

2137. **श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड आजकल केवल फार्मूलेशन **का कार्य कर रही है;**

(ख) क्या इस कम्पनी के पुराने लोकप्रिय उत्पादों का उत्पादन पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण कम्पनी का लक्ष्य पूरा करने में असफल रही;

(घ) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड को कच्चा माल उपलब्ध कराने में आई० डी० पी० एल० की क्या भूमिका है;

(ङ) क्या वे उस कम्पनी को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराते रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) कम्पनी सभी सम्बन्धित पहलुओं की जांच करने के बाद कुछ पुराने लोकप्रिय उत्पादों का उत्पादन दुबारा शुरू करने की सम्भावाओं पर विचार कर रही है ।

(ग) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मस्यूटिकल्स लि० ही एकमात्र ऐसी सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनी है जिसने वर्ष 1984-85 के दौरान शुद्ध मुनाफा कमाया । कम्पनी ने वर्ष 1984-85 के दौरान अपने उत्पादन लक्ष्य का 97 प्रतिशत प्राप्त किया है ।

(घ) यह कम्पनी आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित कुछ प्रपुंज औषधें आई० डी० पी० से प्राप्त करती है ।

(ङ) और (च) आई० डी० पी० एल० अधिकांश तौर पर नियमित रूप से स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मस्यूटिकल्स लि० को प्रपूंज औषधों की पूर्ति कर रही है ।

संवेदनाशील और महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निष्क्रिय होना

2138. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिक और राडार विकास प्रतिष्ठान को सौंपी गई तीन संवेदनशील और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के आठवें दशक से निष्क्रिय होने के क्या कारण हैं; और

(ख) अमरीकी कम्पनियों को, जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के डिजाइन और विकास के अनुबन्ध मंजूर किए गए थे, भारी मात्रा में दी गई अग्रिम धनराशियों की स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) तीन महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक राडार परियोजनाएं निष्क्रिय नहीं हो रही हैं बल्कि लगातार प्रगति कर रही हैं। इन तीनों में से एक

परियोजना एक वर्ष पूर्व ही पूरी की गयी है और हाल ही में इसका प्रयोक्ता मूल्यांकन किया गया है। दूसरी राडार परियोजना का अगले दो तीन महीनों में तकनीकी मूल्यांकन होना है। तीसरी परियोजना भी संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही है।

(ख) जहां कहीं भी अमरीकी कम्पनियों को ठेके के लिए अग्रिम भुगतान किया गया है और उन्होंने ठेका पूरा नहीं किया है वहां उस फर्म से उस राशि की वापसी और हुई हानि के लिए फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी आरम्भ की गयी है।

विदेशों में सरकारी क्षेत्र के रसायनिक और उर्वरक एककों की स्थापना

2139. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रतिष्ठान ने विदेशों में जहां पर गैस सस्ती है, एकक स्थापित करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जहां पर ऐसे एककों को स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु यदि कोई धनराशि आबंटित की गई है तो कितनी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर० सी० एफ०) ने विदेश में एकक स्थापित करने की कोई निश्चित योजनाएं तैयार नहीं की हैं, न ही आर० सी० एफ० की किसी योजना पर सरकार ने विचार ही किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर-प्रदेश में एल० पी० जी० (इंडेन) वितरक/एजेंसी दिया जाना

2140. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए एल० पी० जी० (इन्डेन) वितरक अथवा एजेंसी देने के लिए 1985-86 की अपनी विपणन योजना के अधीन सूची तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो वे कस्बे तथा शहर कौन से हैं जहां 1985-86 की योजना के अधीन गैस का वितरण किया जाना है;

(ग) उत्तर प्रदेश के वे स्थान कौन से हैं जहां इसकी 1983-84 तथा 1984-85 की विपणन योजनाओं के अधीन गैस दी गई थी तथा जिसके लिए ओ० एस० बी० (एन) ने अभी एजेंसी देनी है अथवा सिफारिश करनी है; और

(घ) उस पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

(घ) तेल चयन बोर्ड (उत्तर) पुराने मामलों को उचित प्राथमिकता देते हुए चयन कार्य पूरा कर रहा है।

विवरण-एक

उन नगरों और शहरों का नाम जिन्हें 1985-86 को विपणन योजना में शामिल किया गया है

क्रम सं०	स्थान	जिला
1	2	3
1.	बदायूं	बदायूं
2.	ककराला	बदायूं
3.	ठण्डा	रामपुर
4.	नहतौर	बिजनौर
5.	शेरकोट	बिजनौर
6.	अयोध्या	फैजाबाद
7.	बिलासपुर	रामपुर
8.	जलालपुर	फैजाबाद
9.	रदौली	बाराबंकी
10.	मुबारकपुर	आजमगढ़
11.	अकबरपुर	फैजाबाद
12.	पुरानपुर	पीलीभीत
13.	ओराय	जलौन
14.	गौरा बहराज	देओरिया
15.	संदिला	हरदोई
16.	सिकन्दराराव	अलीगढ़
17.	पदराउना	देओरिया
18.	मंगलौर	सहारनपुर

1	2	3
19.	बिलासपुर	पीलीभीत
20.	गुलोथी	बुलन्दशहर
21.	करवई/चितराकुट धान	बांदा
22.	कोसी कलां	मथुरा
23.	बागपत	मेरठ
24.	जहांगीराबाद	बुलन्दशहर
25.	अतरौली	अलीगढ़
26.	शामली	मुजफ्फरनगर
27.	बींदकी	फतेहपुर
28.	शिकरपुर	बुलन्दशहर
29.	वाराणसी	वाराणसी
30.	लहरतुर	सीतापुर
31.	दीवाई	बुलन्दशहर
32.	रुड़की	सहारनपुर
33.	खेकरा	मेरठ
34.	दीसवान	सीतापुर

विवरण-दो

30-6-85 की यथा स्थिति को वर्ष 1983-84 की एल० पी० जी० की विपणन योजना में शामिल वे स्थान जिनके लिए तेल चयन बोर्ड (उत्तरी) द्वारा उत्तर प्रदेश में एजेंसी देने के लिए अभी तक सिफारिशें नहीं की गई है।

विपणन योजना 1982-84 (भाग-I)

1. नजीबाबाद
2. शाहबाद
3. कन्नौज
4. नगीना

विपणन योजना 1982-84 (भाग-II)

5. कानपुर-ए
6. गोला गोंदाम नाथ
7. कानपुर-वी
8. सीतापुर
9. लखनऊ-ए
10. कानपुर-सी

11. बांदपुर
12. कानपुर-डी
13. औरिया
14. जालौन
15. तिल्हर
16. मुजफ्फरनगर
17. कानपुर-ई
18. महोवा
19. हापुर

विपणन योजना 1984-85

1. कीरतपुर
2. इलाहाबाद-
3. इलाहाबाद-बी
4. इतरा
5. अलीगढ़
6. उज्जैन
7. कईराना
8. बहेरी
9. औनला
10. इटावा
11. शाहजहांपुर
12. सिधारा
13. सहस्वन
14. गंगोह

किस्म नियन्त्रण सुनिश्चित करने वाले तीन संगठनों को एक ही संगठन में मिलाने का प्रस्ताव

2141. **श्री एम० अरूणाचलम** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उपकरणों का किस्म नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए तीन संगठन हैं;

(ख) क्या द्विरावर्ती से बचने तथा एकरूपता लाने के लिए इन सभी तीनों संस्थानों को मिलाकर एक किस्म नियंत्रण संगठन स्थापित करना सम्भव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का संगठन बनाने का कोई प्रस्ताव है और इसे कब कार्यान्वित किया जा रहा है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) तीनों निरीक्षण यूनिटों को एक गुणवता नियंत्रण संगठन के अन्तर्गत लाना उपयुक्त नहीं समझा गया है क्योंकि प्रत्येक यूनिट द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण तीनों सेनाओं में प्रत्येक के लिए विशिष्ट और विलक्षण होते हैं और उनके लिए अपेक्षित विशेषज्ञता भी भिन्न होती है ।

फिर भी निरीक्षण और कार्मिक नीतियों में कतिपय समानताएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "चीफ आफ स्टाफ कमेटी" से एक रक्षा गुणवता आश्वासन बोर्ड गठित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

महिला कर्मचारियों को आबंटित कार्य

2142. श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में कोई महिला कर्मचारी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें किस प्रकार का कार्य आबंटित किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा मन्त्रालय सचिवालय में 197 महिला कर्मचारी हैं।

(ग) उनको दिया गया कार्य उनके द्वारा धारित पदों के अनुसार है।

महाराष्ट्र में मिट्टी के तेल की कमी

2143. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से नागपुर में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि महाराष्ट्र के लोगों को मिट्टी का तेल प्राप्त करने के लिए महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य में मिट्टी के तेल की उपलब्धता में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) महाराष्ट्र को पिछले छः महीनों (जनवरी से जून, 1985) में किया गया मिट्टी तेल का आबंटन पिछले वर्ष की इसी अवधि में आबंटित मात्रा से 5 प्रतिशत अधिक है। राज्य को की गई वास्तविक पूर्ति आबंटन के लगभग बराबर अर्थात् आबंटन का 99.5 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में मिट्टी तेल की वास्तविक कमी या लोगों द्वारा इसके लिए महीनों तक प्रतीक्षा करने से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

आन्ध्र प्रदेश में नेप्था के उपयोग से कारखाने की स्थापना

2144. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेप्था के उपयोग से संचालित उर्वरक कारखानों का (राज्यवार) ब्यौरा क्या है; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश के काकीनाडा में ऐसे एक कारखाने की स्थापना करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) फीड-स्टाक के रूप में नेप्था पर आधारित वर्तमान उर्वरक कारखाने निम्न प्रकार हैं :

क्र सं०	कारखाने का नाम	स्थान और राज्य जहां स्थित है
1.	मैसर्स फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावलकोर लिमिटेड (फेकट)	आलवे, केरल
2.	—वही—	कोचिन, (केरल)
3.	मैसर्स ई० आई० डी० पैरी (इंडिया) लि०	इनौर, तमिलनाडु
4.	मैसर्स कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि०	विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश
5.	मैसर्स फर्टिलाइजर कोर्पोरेशन आफ इंडिया लि०	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
6.	मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	कोटा, राजस्थान
7.	मैसर्स इंडियन एक्सपलोसिव लि०	कानपुर, उत्तर प्रदेश
8.	मैसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	मनाली, तमिलनाडु
9.	मैसर्स जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि०	गोवा, गोवा
10.	मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाजर कार्पोरेशन लि०	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
11.	—वही—	बरोनी, बिहार
12.	मैसर्स मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	मंगलौर, कर्नाटक
13.	मैसर्स साउथर्न पेट्रोकैमिल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि०	टूटीकोरिण, तमिलनाडु
14.	मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव लि०	फूलपुर, उत्तर प्रदेश
15.	मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि०	राउरकेला, उड़ीसा

(ख) काकीनाडा में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने में काफी विलम्ब हुआ है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश सरकार जो परियोजना के प्रवर्तक है परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक उपयुक्त सहप्रवंतक का चयन नहीं कर सकी। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 1984 में सह प्रवंतक के रूप में नागारर्जुन कंपनी समूह की ओर से मैं० नागार्जुन होल्डिंग्स प्रा० लि० का चयन किया। कंपनी ने सूचित किया है कि उन्होंने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया है और वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय संस्थानों को आवेदनपत्र प्रस्तुत किए हैं। कम्पनी ने सूचित किया है कि मुख्य संयंत्र की स्थापना करने हेतु भूमि प्राप्त कर ली गई है और आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना की जल और पावर जैसी इन्फास्ट्रकचरल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रबन्ध कर लिए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भारी उद्योगों की स्थापना

2145. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र मे भारी उद्योग स्थापित किए जाने के मामले मे कोई क्षेत्रीय असंतुलन हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में कितने भारी उद्योग हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन डिवीजनों में जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में भारी उद्योग लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कौन-कौन से उद्योग लगाये जाने का विचार है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 1982-84 के दौरान मध्य प्रदेश में उद्योगों के सम्बन्ध में 194 आशय पत्र और 75 औद्योगिक लाइसेंस (सी० ओ० बी० लाइसेंसों सहित) जारी किए गये थे जिनमें से 168 आशय पत्र और 47 औद्योगिक लाइसेंस मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए थे।

सभी आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों को जारी करने के सम्बन्ध में सरकार क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखती है।

जारी किए गए प्रत्येक आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम और पता, निर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थापना स्थल (जिला/राज्य बताते हुए) जैसा ब्यौरों के इंडिया इंवेस्टमेंट सेन्टर द्वारा अपने मासिक सूचना-पत्र में नियमितरूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में भेजी जा रही हैं।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र में भारी इंजीनियरी और पूंजीगत सामान्य उद्योगों की स्थापना करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई प्रस्ताव हो तो उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

आजमगढ़ जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग

2146. **श्री राजकुमार राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस जिले में टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता कितनी है और इस समय लम्बित टेलीफोन कनेक्शनों के सम्बन्ध में मांग कितनी है; और

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों की बकाया मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक्सचेंज का अभी हाल ही में विस्तार किया गया है।

(ख) एक्सचेंज की क्षमता 800 लाइनों की है जिसमें 748 चालू कनेक्शन हैं और 20 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाया जा रहा है।

[अनुवाद]

समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन आयोग का गठन

2147. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन सुधारों पर सदन में विचार-विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि तीन-सदस्यीय एक समिति, जिसमें लोक सभा में सदन के नेता, लोक सभा में विपक्ष के नेता अथवा विपक्षी दलों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, की सिफारिशों पर निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की बाबत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के ढंग में उक्त परिवर्तन करने के लिए आवश्यक विधि अधिनियमित की जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां। यह सुझाव 20 अगस्त, 1981 को निर्वाचन सुधारों के बारे में प्रस्ताव रखते समय प्रो० मधु दण्डवते ने स्वयं दिया था।

(ख) और (ग) सरकार ने इस सुझाव पर ध्यान दिया है। निर्वाचन आयोग की संरचना और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की रीति के सम्बंध में सुझाव अभी हाल में ही दिए गए हैं। वे सभी सुझाव निर्वाचन सुधारों से संबंधित विचार-विमर्श के संदर्भ में दिए गए हैं। सरकार निर्वाचन सुधार संबंधी विनिश्चयों को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है और वह राजनैतिकदलों और अन्य प्रतिनिधि निकायों से परामर्श करने के पश्चात् ही ऐसा करेगी।

[हिन्दी]

गैस का निर्यात

2148. **श्री विष्णु मोदी** :क्या **पट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थान-वार खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर भरने वाली कितनी यूनिटें (प्रत्येक कम्पनी की) काम कर रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में मांग के अनुसार सप्लाई नहीं की जा रही है तथा कुछ और यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में खाना पकाने के गैस का भारी मात्रा में उत्पादन होता है परन्तु भरने की सुविधाओं की कमी के कारण बड़ी मात्रा में गैस बर्बाद हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने फालतू गैस का निर्यात करने का निर्णय कर लिया है अथवा उसके बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तों तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में 39 एल० पी० जी० भरण संयंत्र हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विद्यमान एल० पी० जी० भरण संयंत्रों और विद्यमान एल० पी० जी० उपभोक्ताओं की मांग को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। भविष्य में मांग में होने वाली भारी वृद्धि को पूरा करने के लिए तेल उद्योग ने और भरण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड

1. शकूरबस्ती
2. कानपुर
3. मथुरा
4. जालन्धर
5. इलाहाबाद
6. कल्याणी
7. बोंगईगांव
8. बंगलौर
9. सेलम
10. गुहाटी
11. बरौनी
12. हल्दिया
13. कोयाली
14. मद्रास
15. कोचीन
16. दुलियाजन

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

17. बम्बई
18. दिल्ली
19. कोम्बयटूर

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

20. बम्बई, महुल
21. बम्बई रिफाइनरी
22. विशाख
23. नागपुर
24. बंगलौर
25. हैदराबाद
26. दिल्ली
27. इंदौर
28. सूरत
29. मिराज
30. विजयवाड़ा
31. कलकत्ता
32. कटक
33. रायपुर
34. पूणे
35. जोधपुर
36. श्रीनगर
37. जम्मू
38. लुधियाना

[अनुवाद]

सोवियत संघ से अद्यतन प्रौद्योगिकी का आयात

2149. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में एक भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल ने सोवियत संघ का दौरा किया है;

(ख) क्या इस दौरे के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये भारत की अद्यतन प्रौद्योगिकी के आयात में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) यह बताया गया है कि इस शिष्टमंडल ने रूस से पेट्रो-रसायन, धातुकर्मी उपकरणों, इलेक्ट्रनिक्स, आटोमोटिव उत्पादों, इलेक्ट्रकोलैग रिफाईनिंग तथा स्टेनलेस स्टील बिलोज फर्नेसों इत्यादि-क्षेत्रों में रूस से आयात की जा सकने वाली प्रौद्योगिकियों का अस्थायी रूप से पता लगा लिया है ।

उद्योग में कार्य निष्पत्ति और कुशलता का दर्जा बढ़ाये जाने के लिए किए गए प्रयास

2150. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों की न्यूनतम जरूरतों की व्यवस्था करने हेतु उद्योग में बुनियादी ढांचे की कार्यनिष्पत्ति का दर्जा बढ़ाने, बेहतर उत्पादकता और कुशलता लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) विदेशी प्रतिस्पर्धा को पराजित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र किस प्रकार मिल कर कार्य करेंगे ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार, औद्योगिक लाइसेंस देने और आयात विषयक नीति में उपयुक्त परिवर्तन करके तथा मौद्रिक एवं राजकोषीय उपाय करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाती रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के नीति-पत्र में अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने पर बल दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक उत्पादन करने और उत्पादकता बढ़ाने हेतु औद्योगिक विकास के केन्द्र बिन्दु प्रौद्योगिकी का उन्नयन, आधुनिकीकरण, परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग तथा कार्य क्षमता का संवर्द्धन करना भी होंगे ।

(ख) व्यापारिक और औद्योगिक नीतियों को उदार बनाकर, सरकार औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है। इससे लागत कम करके और गुणवत्ता में सुधार करके भारतीय उत्पादकों की प्रतियोगिता अधिकाधिक हो जाएगी ।

राजपत्रित कर्मचारियों को अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन चिट्ठों में लाने का प्रस्ताव

2151. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज और जनशक्ति की बचत करने के उद्देश्य से राजपत्रित कर्मचारियों

को अपराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन चिट्ठों में लाने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संबंध में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) रक्षा लेखा विभाग और आयुध निर्माणियों सहित रक्षा मंत्रालय के राजपत्रित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा, अराजपत्रित कर्मचारियों के समान ही, स्थापना के वेतन बिलों पर आहृत किए जाते हैं। अधिकारियों द्वारा अपने-अपने बिल आहृत करने की पद्धति को पहले ही समाप्त किया जा चुका है ।

जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालयों/अन्तर सेवा संगठनों का संबंध है वहां स्थिति यह है कि वायु सेना मुख्यालय में राजपत्रित अफसरों का लेखा "वैयक्तिक चालू खाता लेखा पद्धति" पर नियंत्रक, रक्षा लेखा द्वारा रखा जाता है और इसलिए वायु सेना मुख्यालय के अफसरों को वेतन बिल तैयार नहीं करने होते हैं। सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों में कार्यरत अफसरों के संबंध में मामला अभी विचाराधीन है।

फिर भी नमूना अध्ययन के तौर पर सेना मुख्यालय/अन्तर सेवा संगठन के कुछ राजपत्रित अधिकारियों, जिनके कार्यालय निकटस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, के वेतन बिल नियंत्रक रक्षा लेखा (मुख्यालय, को समेकित रूप में पेश किए जा रहे हैं लेकिन इस मामले में भी राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों के बिल अलग-अलग समेकित किए जाते हैं।

मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाना लगाने का प्रस्ताव

2152. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इस्सार" ग्रुप ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ मिलकर कर्नाटक में मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किये जाने हेतु आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) "इस्सार" ग्रुप ने मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय को आवेदन किया है।

(ख) वह आवेदन पत्र सम्बद्ध गौण संसाधन सुविधाओं सहित 3 मि० मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता के एक तेल शोधक कारखाने और एक नैफ्था क्रेकर की स्थापना के लिए था जिसे साथ ही स्थापित किया जाएगा।

बम्बई में मिट्टी के तेल के डीलर

2153. **श्री अनूपचंद शाह** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृहतर बम्बई में मिट्टी के तेल के कुल कितने डीलर हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक को प्रति माह कितना कोटा आवंटित किया जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि इसकी डीलरशिप के लिए अनेक आवेदन पत्र तेल निगम के विचाराधीन पड़े हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वृहत बम्बई में तेल कम्पनियों के 99 मिट्टी तेल के डीलर हैं।

(ख) अपेक्षित ब्यौरों के संकलन में निहित प्रयास वांछित उद्देश्य पूर्ति के समतुल्य नहीं होंगे।

(ग) एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० की 8 डीलरशिपों के चयन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

2154. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि में दूरसंचार प्रणाली की किन-किन परियोजनाओं का आधुनिकीकरण किया जाना है; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : दूरसंचार प्रणाली को निम्नलिखित माध्यमों द्वारा आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है :—

स्थानीय तथा लंबी दूरी के नेटवर्क में नवीनतम टेक्नालॉजी अंकीय इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली तथा अंकीय माइक्रोवेव एवं फाइबर ऑप्टिक प्रणाली शुरु करना, उपग्रह सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग, टेलीग्राफ कार्य प्रणाली में पारगमन में होने वाले अत्यधिक बिलंब को दूर करने के लिए स्टोर एवं फारवर्ड टेलीग्राम सिस्टम शुरू करना, बेहतर डाटा संचार के लिए एक आधुनिक पैंकट स्विच्ड नेटवर्क की व्यवस्था तथा विडियोटेक्स, टेलीटेक्स आदि अनेक नए नॉन-वॉयस सेवाएं प्रदान करना, और अनेक मल्टी एक्सचेंज क्षेत्रों में आटो-मैनुअल सेवाओं का कंप्युटरीकरण करना। इन कार्यक्रमों को शुरू करने का लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार सेवाओं के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

प्रतिभाशाली विधिवेत्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रयास

2155. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियार और प्रतिभाशाली विधिवेत्ता और अधिवक्ता उच्च न्यायालयों में नियुक्ति ग्रहण करने के लिए आगे नहीं आते हैं जिसके कारण विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं और सरकार को उन्हें भरने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रतिभाशाली विधिवेत्ताओं और अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति स्वीकार करने हेतु आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) और (ख) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राज्य मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यपाल तथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से

की जाती हैं। परामर्श की प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। सरकार रिक्त पदों को यथासम्भव शीघ्र भरने और पात्र व्यक्तियों में से उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करने का हर सम्भव प्रयास करती है।

प्रतिभाशाली अधिवक्ताओं की नियुक्ति की बात सरकार के ध्यान में निरन्तर रहती है। किन्तु सेवा शर्तों की दृष्टि से न्यायाधीश के पद को अधिक आकर्षित बनाने के प्रश्न पर, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्य के मुख्य मन्त्रियों और विधि मन्त्रियों के आगामी सम्मेलन में विचार किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का उपयोग

2156. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को चीनी तैयार करने की प्रक्रिया और चूने के पत्थर और कोयले के विकल्प के रूप में "प्राकृतिक गैस" के उपयोग के सम्बन्ध में "वाइस आफ इंडिया" के प्रेजीडेंट से कोई प्रस्ताव अथवा सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सोवियत रूस ने इस प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ग) क्या यह प्रौद्योगिकी वर्तमान भारतीय चीनी उद्योग के लिए व्यवहार्य है; यदि हां, तो क्या यह किफायती है; और

(घ) क्या उनके विभाग ने "प्राकृतिक गैस" के उपयोग के बारे में कोई प्रत्यक्षतः जांच की है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) मन्त्रालय को इस बात का पता नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस प्रौद्योगिकी का चीनी उद्योग में इस्तेमाल किए जाने के सम्बन्ध में की गई प्रारम्भिक जांच पड़ताल से पता चला है कि यह प्रौद्योगिकी मितव्ययितापूर्ण नहीं है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

6 ए० पी० ए० के निर्माताओं के बीच पेन जी० की सप्लाई करने का समझौता

2157. **श्री एन० डेनिस** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्र में ए० पी० ए० के निर्माताओं तथा हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के बीच 500 रु० प्रति बी० यू० की दर पर पेन जी० प्रथम क्रिस्टल्स की सप्लाई के लिए कोई लिखित समझौता है;

(ख) यदि हां, तो समझौता कब किया गया था और उसकी प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) लघु क्षेत्र में 6 ए० पी० ए० के निर्माताओं को इस समझौते के क्षेत्र से अलग रखने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जो नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सीमा सड़क संगठन द्वारा दिगलीपुर से मायाबन्दर तक गेट सड़क बनाना

2158. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत सीमा सड़क संगठन के पास पर्याप्त कार्य नहीं है;

(ख) क्या अण्डमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का विचार सीमा सड़क संगठन द्वारा दिगलीपुर से मायाबन्दर तक गेट (जल-डमरूमध्य) सड़क बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपों के प्रशासन द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य शुरू करना सीमा सड़क संगठन के लिए सम्भव होगा । इसके लिए साधन जुटाने, निधि का प्रावधान करने और अन्य ब्यौरे अण्डमान और निकोबार प्रशासन और सीमा सड़क संगठन के साथ परामर्श करके तैयार किए जाएंगे ।

अन्डमान निकोबार द्वीप समूहों को खाना पकाने की गैस की सप्लाई

2159. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सभी जिलों के लिए खाना पकाने की गैस की व्यवस्था करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के लिए भी उपर्युक्त व्यवस्था की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने इस सम्बन्ध में जांच की है और इस पर निर्णय लिया जाना तय था परन्तु कार्यालयों में होने वाले विलम्ब के कारण मामला लम्बित पड़ा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के लिए खाना पकाने की गैस की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) डीलरशिप की आर्थिक व्यवहार्यता तथा एल० पी० जी० की उपलब्धता, बाटलिंग क्षमता तथा आवश्यक आधार-भूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 20,000 से अधिक आवादी वाले कस्बों में एल० पी० जी० सुविधाएं चरणबद्ध रूप से दी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) द्वीपों में सिलिण्डरों में एल० पीं० जी० भेजने की सम्भावना और क्रियाविधि तथा वहां उपलब्ध अपेक्षित आधारभूत ढ़ाचे की भारतीय तेल निगम द्वारा की गई जांच के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय प्रशासन से विचार-विमर्श करके छानबीन की जा रही है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तटीय और तटदूर ड्रिलिंग

2160. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तटीय और तट दूर ड्रिलिंग के लिए अब तक कितना निवेश किया जा चुका है;

(ख) कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तटीय और तट दूर ड्रिलिंग कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) अण्डमान द्वीप समूह में 31 मार्च, 1985 तक की गई खुदाई में 14.33 करोड़ रुपये का कुल व्यय था।

(ख) और (ग) अण्डमान में होने वाले व्यय की मात्रा और खुदाई कार्यक्रम के विवरण की जानकारी सातवीं योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही मिल सकेगी।

(घ) अभी तक अपतटीय क्षेत्र में केवल एक ही कुंआ गैस युक्त सिद्ध हुआ है, इस खोज की वाणिज्यिक व्यवहार्यता अभी तक स्थापित नहीं की गयी है।

उड़ीसा में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए सहायता

2161. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार का विचार उड़ीसा राज्य जो कि औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा हुआ राज्य है, में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को कितनी सहायता देने का है;

(एक) केन्द्रीय पूंजी निवेश, राजसहायता योजना और (दो) उद्योग रहित जिलों के आधार-भूत विकास राजसहायता; और

(ख) क्या वे उड़ीसा राज्य में उन पिछड़े क्षेत्रों का नाम बताएंगे जहां न्यूक्लिअस प्लांट प्रोग्राम शुरू किया गया है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस मंत्रालय द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रोत्साहनों-योजनाओं (जिनमें उद्योगरहित जिलों में अवस्थापना के विकास के लिए चल रही केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना तथा केन्द्रीय सहायता भी शामिल है) के संबंध में बजट सम्बन्धी प्रावधान राज्यवार नहीं किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से दावे प्राप्त होने पर उन्हें धन राशि दी जाती है।

(ख) केन्द्रस्थ संयन्त्र की स्थापना करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारो है। केन्द्र सरकार विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयासों में योगदान देती है। केन्द्रस्थ संयन्त्र का प्रमाणीकरण करने सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारित कर दिए गए हैं और रियायतों की घोषणा दिनांक 27-4-83 के प्रेस टिप्पण सं० 4/1/80 बी० ए० डी० खंड-III (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) में कर दी गई है। अब किसी भी चुने हुए पिछड़े क्षेत्र में केन्द्रस्थ संयन्त्र स्थापित किए जा सकते हैं।

खरीदे गए तेल की मात्रा और मूल्य

2162. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल उत्पाद निर्यातक देश और गैर-तेल उत्पाद निर्यातक देश दोनों ही स्रोतों के तेल की मांग में कमी आने के कारण तेल मूल्यों में हुई विश्वव्यापी गिरावट की स्थिति का लाभ उठाया है और तेल की तुरन्त खरीददारी की है;

(ख) यदि हां, तो कितना और कितने मूल्य का तेल खरीदा गया और किन-किन देशों से खरीदा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कच्चे तेल के मूल्यों में हुई इस गिरावट का लाभ न उठाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 1984 के दौरान, 796.68 करोड़ रुपए मूल्य के 3.45 मी० टन कच्चे तेल की खरीद स्पाट मार्किट से की गई थी। ये कारोबार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनियों के माध्यम से किए गए हैं और मूल्य देशों को विनिर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्माण स्तर पर सीमेंट की जांच करना

2163. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि सीमेंट बनाने वाली कुछ इकाइयों ने तैयार माल की गुणवत्ता की पूरी तरह अवहेलना करते हुए भारी मात्रा में पोज्जलीन सामग्री मिलानी शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत उनके मंत्रालय अथवा सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा सीमेंट बनाने वाली विभिन्न इकाइयों से, अचानक सीमेंट के

नमूने लेकर यह परीक्षण किया जाता है कि क्लिंकर में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में पोज्जलीन अथवा अन्य बाहरी सामग्री तो नहीं मिलाई गई; और

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन किया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सीमेंट में पोजोलाना सामग्री अधिक मात्रा में मिलाए जाने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत सीमेंट की गुणवत्ता की जांच करने के लिए संयन्त्रों से अचानक सीमेंट के नमूने लिए जाते हैं । राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (पहले भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान) सीमेंट उद्योग के विकास आयुक्त के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से जांच करने के लिए अचानक नमूने एकत्र करता है इन नमूनों का परीक्षण अन्तिम उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है । पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए सम्बद्ध भारतीय मानक के अनुसार पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का उत्पादन करने के लिए मिलाई जाने वाली अनुमत सामग्री 10 से 25 प्रतिशत तक अलग-अलग होती है और तैयार उत्पाद भारतीय नामक संस्थान (आई० एस० आई०) की विशिष्टियों के अनुरूप होने चाहिए ।

(ग) उन कारखानों के नाम जिनका पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट 1 जनवरी 1984 से आज तक ऊपरिलिखित परीक्षणों के अनुसार आई० एस० आई० विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया गया है, नीचे दिए गए हैं :—

1. उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर ।
2. मे० एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लि०, पोरबन्दर एकक ।
3. मे० सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, अकलतारा एकक ।
4. हीरा सीमेंट वर्क्स, बारगढ़ (उड़ीसा) ।
5. मे० तमिलनाडू सीमेंट कारपोरेशन एलान्गुलम सीमेंट वर्क्स ।
6. रेमण्ड सीमेंट वर्क्स, बिलासपुर (म०प्र०) ।
7. मे० इंडिया सीमेंट लि०, शंकरनगर एकक ।

नए डाकघर खोलने पर लगे प्रतिबंध को हटाना

2164. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए डाकघर खोलने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार डोमजर खण्ड हावड़ा के अन्तर्गत मनिकपोर, संकराली पी० एस०, और जगदीशपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैसर्स नेशनल इंस्ट्रूमेन्टस लिमिटेड में पूंजी निवेश

2165. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स नेशनल ईस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड में पिछले तीन वर्षों में कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी के क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) क्या आगे कोई और पूंजी निवेश करने का विचार है, यदि हां, तो उसका क्या उद्देश्य है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान नेशल इंस्ट्रूमैंट्स लिमिटेड में किया गया निवेश निम्न प्रकार है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	इक्विटी शेयर	ऋण	योग
1982-83	28.00	11.00	39.00
1983-84	30.00	35.00	65.00
1984-85	50.00	50.00	100.00

(ख) कम्पनी का पिछले 3 वर्षों का कार्य संचालन संबंधी परिणाम नीचे दिया गया है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री सकल	निवल हानि
1982-83	381.07	430.92	(—) 148.49
1983-84	487.01	569.87	(—) 172.39
1984-85	745.67	820.00	(—) 188.16

(ग) जी, हां । विविधीकरण और आधुनिकीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निवेश करने का प्रस्ताव है ताकि कंपनी का उत्पादन बढ़ाकर इसे जीव्य बनाया जा सके ।

भारतीय साइकिल निगम को हुई हानि

2166. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साइकिल निगम को होने वाली हानि में वृद्धि हो रही है; यदि हां, तो इसके राष्ट्रीयकरण से अब तक कितनी हानि हुई है;

(ख) इसके आधुनिकीकरण प्रोद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने आदि पर कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ग) इसकी हानियों को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां। राष्ट्रीयकरण के बाद पहले चार वित्तीय वर्षों के दौरान अर्थात् 1981-82, 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में दि साइकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को क्रमश: 224 लाख रुपये, 352 लाख रुपये, 458 लाख रुपये और 479 लाख रुपये की हानियां हुई हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 1984-85 के अंत तक इस कार्पोरेशन को योजना निधियों के रूप में 445.16 लाख रुपये की राशि आधुनिकीकरण के लिए दी जा चुकी है।

(ग) कम्पनी को उत्पादन बढ़ाने, प्राप्य राशियां वसूल करने और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी गई है।

भारती साइकिल निगम/भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम में पूंजी लगाने का प्रस्ताव

2167. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय साइकिल निगम अथवा मैसर्स नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पूंजी लगाने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किस-किस एकक में तथा किस उद्देश्य से पूंजी लगाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा साइकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड दोनों में उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी आदि के अभ्युत्थान हेतु 1985-86 के लिए दो करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र का पुनर्गठन

2168. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उद्योग का नवीकरण करने के लिए कोई पुनर्गठन योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के हल्दिया यूनिट का भाग्य भी पुनर्गठित

योजना से जुड़ा हुआ है और इसे राष्ट्रीय कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स (आर० सी० एफ०) के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) हल्दिया यूनिट की उत्पादकता में वृद्धि और प्रभावी प्रबन्ध में उक्त व्यवस्था किस प्रकार योगदान देगी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। उर्वरक कम्पनियों के पुनर्गठन से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा उच्च स्तर पर आग्रिम अवस्था में विचार किया जा रहा है। अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की आशा है। इस सम्बन्ध में हो रही प्रगति पर एक संसदीय समिति द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में विभिन्न तेल उत्पादों की ढुलाई के लिए पाइप लाइन क्षमता में वृद्धि

2169. **श्री सन्त कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की हल्दिया यूनिट ने पश्चिम बंगाल से विभिन्न तेल उत्पादों की ढुलाई के लिए पाइप-लाइन क्षमता में वृद्धि करने हेतु एक दस वर्षीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) सरकार ने पाइप-लाइन क्षमता में वृद्धि की भारतीय तेल निगम की योजना के बारे में क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशियां

2170. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में (एक) संसद सदस्यों, (दो) दिल्ली महानगर परिषद सदस्यों, (तीन) दिल्ली नगर निगम के सदस्यों, (चार) उद्योगपतियों, (पांच) डाक्टरों, वकीलों जैसे व्यावसायिक व्यक्तियों, (छः) मजिस्ट्रेटों और (सात) अन्य व्यक्तियों की ओर 31 मार्च, 1985, 31 मार्च, 1984 और 31 मार्च, 1982 को टेलीफोन बिलों की कुल कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) उक्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान इन श्रेणियों से बकाया राशि में से कुल कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ग) किन कारणों से टेलीफोन बिलों की बकाया राशि को जमा होने दिया गया; और

(घ) बकाया राशि की पूरी वसूली के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) विभाग के रिकार्ड में टेलीफोन उपभोक्ताओं का निम्नलिखित श्रेणियों में ग्रुप बनाए गए हैं :—केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा विभाग और प्राइवेट उपभोक्ता। (क) संसद सदस्य (ख) सदस्य दिल्ली महानगर परिषद (ग) सदस्य दिल्ली नगर निगम (घ) उद्योगपति (ङ) डाक्टर, एडवोकेट आदि व्यवसाय करने वाले जैसे (च) मजिस्ट्रेट की कोई श्रेणियां नहीं है। तथापि, संसद सदस्यों के नाम टेलीफोन बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली टेलीफोन जिले के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 31-3-82, 31-3-84 और 31-3-85 को कुल बकाया राशि तथा बाद के वर्षों के दौरान इत श्रेणियों के अन्तर्गत की गई वसूली निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

बकाए की तारीख	राशि	1982-83	1983-84	1984-85	31-3-85 को बकाया राशि	
		के दौरान की गई वसूली				
31-3-1982	12.98	6.53	1.41	1.12	3.92	31-3-82 तक जारी किए गए बिलों की संचयी बकाया राशि
31-3-84	12.21	—	—	5.86	6.35	31-3-84 तक जारी किए गए बिलों की संचयी बकाया राशि
31-3-85	12.36	—	—	—	12.36	31-3-85 तक जारी किए गए बिलों की संचयी बकाया राशि

(ग) चूंकि सेवा पहले प्रदान की जाती है और वसूली बाद में की जाती है। अतः कुछ बकाया राशि का होना अपरिहार्य है। हर संभव प्रयास किए जाने के बाद बिल की कुछ राशि निम्नलिखित कारणों से वसूल नहीं हो पाती :—

(एक) सेवा प्रदान करने के पश्चात उपभोक्ताओं का लापता हो जाना।

(दो) फर्मों का बन्द हो जाना।

(तीन) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाना तथा इसके उत्तराधिकारी द्वारा बकाया राशि अदायगी करने में अनिच्छा व्यक्त करना।

(चार) बिलों की राशि में उत्पन्न विवाद का निपटाया न जाना और कभी-कभी मामलों को न्यायालय में ले जाना।

(पांच) बकाया राशि का भुगतान करने में उपभोक्ता की वित्तीय असमर्थता।

विभाग पिछले वर्षों के दौरान जारी किए गए बिलों की 98 प्रतिशत बकाया राशि वसूल कर चुका है और उपरोक्त बकाया राशि का प्रतिशत जारी किए गए बिलों की कुल राशि से बहुत कम है।

(घ) (एक) दिल्ली तथा देश में काम कर रहे दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन / टेलेक्स काट दिए जाते हैं ताकि उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राजी किया जा सके।

(दो) टेलीफोन राजस्व निरीक्षक दोषी उपभोक्ताओं से निजी सम्पर्क करके उनसे किश्तों में भी बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध करते हैं।

(तीन) जहां उपभोक्ताओं की आर्थिक हालत अच्छी होती है, वहां बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका

2171. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका 1984 के जारी किए जाने के बाद बड़ी संख्या में टेलीफोन नम्बर बदले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी परिवर्तित नम्बरों की जानकारी देने के लिए कोई संयुक्त पूरक निर्देशका जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 15-5-1985 तक संशोधित डायरेक्टरी का परिशिष्ट छापा जा रहा है तथा इसे सितम्बर 1985 के पहले सप्ताह से उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में ट्रंक सेवा

2172. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में ट्रंक सेवा में सुधार के लिए सीधे सर्किट/अतिरिक्त चैनल अथवा II, III जंक्शन की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो (एक) विभिन्न एस० ए० एक्स० और ट्रंक एक्सचेंजों के बीच (दो) जिला मुख्यालय में ट्रंक एक्सचेंजों और उस जिला मुख्यालय से बाहर ट्रंक एक्सचेंजों के बीच (तीन) राज्य की राजधानी शिमला के लिए जिला सब-डीवजनों, खण्ड मुख्यालयों से सीधे सर्किट

के लिए (चार) हिमाचल प्रदेश में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों से पंजाब में होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर और चण्डीगढ़ को इन तीन मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत मांगों का ब्यौरा क्या है और शेष मांगों को कब तक स्वीकार किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) वे विशिष्ट मामले कौन से हैं, जहां ये पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और सर्किट/चैनल/जंक्शन ने कार्य करना शुरू कर दिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) मांगों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(एक) विभिन्न एस० ए० एक्स० और ट्रंक एक्सचेंजों के बीच।

1. जंडूथा—बिलासपुर
2. नैना देवी—बिलासपुर
3. बरस—हमीरपुर
4. ज्वालमुखी—देहरा
5. बोहरंज—हमीरपुर
6. अम्ब—उना
7. अम्ब—गगरेट
8. ज्वालामुखी—हमीरपुर
9. डेहरा—प्रागपुर
10. तलाई—घुमारबिन्द
11. चौबरी—नूरपुर
12. बाकलोह—नूरपूर
13. बाकलोह—डल्होजी
14. कालरेन—कुल्लू
15. मेहताबपुर—नांगल
16. सिहन्ता—चम्बा
17. चितपुरणी—गागरेट
18. कांगों—हमीरपुर
19. गग्ल—कांगड़ा
20. देवरीखनेटी—कोटखाई

21. सरहन्न—नहान
22. मारलोग—कोटखाई
23. गुम्मा—कोटखई
24. सावरा—रोहरू
25. कालाअम्ब—नहान
26. सुभातू—सोलन
27. टिकार—रोहरू
28. नन्दपुर—जुब्बल
29. शोगी—शिमला
30. चौपाल—थियोग
31. जंगा—शिमला
32. चिरगांव—रोहरू

(दो) जिला मुख्यालयों के अन्तर्गत ट्रंक एक्सचेंजों के बीच बाहरी एक्सचेंजों से जिला मुख्यालयों में स्थित एक्सचेंजों के लिए।

1. मेहातपुर—उना
2. नदौन—हमीरपुर
3. कुमारसैन—शिमला

(तीन) जिला उप मंडलों, ब्लाक मुख्यालयों के एक्सचेंजों से राज्य की राजधानी शिमला के लिए सीधी सर्किट हेतु।

1. करसोग—शिमला
2. नदोन—शिमला
3. गग्रेट—शिमला
4. धुमारविन्द—शिमला
5. देहरा—शिमला

(चार) हिमाचल प्रदेश के ट्रंक एक्सचेंजों से पंजाब में होशियारपुर, पठानकोट और जालंधर तथा चण्डीगढ़ के ट्रंक एक्सचेंजों के लिए।

1. मेहतपुर—चण्डीगढ़
2. मेहतपुर—जालंधर
3. राना—जालंधर

4. नदौन —होशियारपुर

5. उना—होशियारपुर

(ग) उपरोक्त श्रेणियों में से निम्नलिखित मांग स्वीकार कर ली गई है :—

(एक) बरसर—हमीरपुर

1. बरसर—हमीरपुर
2. अम्ब—गगरेट
3. देहरा—प्रागपुर
4. तलाई—घुमारबिन्व
5. चौबरी—नूरपुर
6. बाकलोह—डल्होजी
7. कालरेन—कुल्लू
8. चिंतपूर्णि—गगरेट
9. गग्ल—कांगड़ा
10. देवरी खनेटी—कोटखाई
11. सरहन—नहान
12. मरलोंग— कोटखाई
13. गम्मा—कोटखाई
14. सावरा—रोहरू
15. काला अम्ब—नहान
16. सुभातू—सोलन
17. टिकार—रोहरू
18. नन्दपुर—जुब्बल
19. सोगी—शिमला
20. चौपाल—थियोग
21. जुंगा—शिमला
22. चिरगांव—रोहरू

(दो) मेहातपुर—उना

(तीन) शून्य

(चार) उना—होशियारपुर

जिन किन्हीं मामलों में मांग का औचित्य पाया गया है उन्हें पहले स्वीकार कर लिया गया है जैसा कि ऊपर बतलाया गया है। शेष मांगें इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकी क्योंकि दो स्थानों के बीच सीधी ट्रंक लाइनों के लिए इस मार्ग पर परियात की दृष्टि से औचित्य नहीं पाया गया।

(घ) निम्नलिखित के लिए पहले ही सर्किट प्रदान किए जा चुके हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. बरसर—हमीरपुर
2. टिकार—रोहरू
3. नन्दपुर—जुब्बल
4. सौगी—शिमला
5. उना—होशियारपुर

हिमाचल प्रदेश में "पेक्ससेम" का विस्तार

2173. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्व रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को तैयार करने हेतु "पैक्ससेम" का विस्तार के लिए तर्क को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस जिले में इस योजना का विस्तार किस तारीख तक किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०बी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) "स्व रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को तैयार करने" (पैक्ससेम) नामक योजना को छः राज्यों (जिनमें हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला भी शामिल है) के प्रत्येक के एक जिले में, सितम्बर, 1985 तक, प्रायोगिक तौर पर चलाया जा रहा है। अन्य राज्यों और जिन राज्यों में यह योजना चालू की गई है उनके अन्य जिलों में, इस योजना के विस्तार पर निर्णय तब लिया जाएगा जब स्थायी तौर पर इसको जारी रखने पर निर्णय लिया जाएगा।

टायर और ट्यूबों का उत्पादन और निर्यात

2174. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कितनी औद्योगिक इकाइयां टायर और ट्यूबों का निर्माण कर रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय टायरों और ट्यूबों की भारी मांग है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने मूल्य के टायरों और ट्यूबों का निर्माण किया गया;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इनका निर्यात किया गया था; और

(ङ) वर्ष 1985-86 के दौरान टायर और ट्यूबों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस समय संगठित क्षेत्र में टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने वाले 22 एकक हैं।

(ख) भारतीय टायरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकृति मिल रही है।

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः 15.8 करोड़ और 48 करोड़ रु० मूल्य के टायरों का निर्यात किया गया है।

(घ) इस समय भारतीय टायरों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका (यू० एस० ए०) यू० एस० एस० आर० और बंगला देश को किया जा रहा है।

(ङ) उद्योग की लगभग 75 प्रतिशत क्षमता का उपयोग इस समय किया जा रहा है। मांग को ध्यान में रखकर उद्योग अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। निर्यात के संबंध में दी जाने वाले नकद प्रतिपूरक राजसहायता के अलावा, उद्योग निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल का निःशुल्क आयात करते का भी हकदार है।

[हिन्दी]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नया खण्ड

2175. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विधि आयोग की इस आशय की सिफारिश की ओर दिलाया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में संशोधन किया जाए जिसमें न्यायालयों को ऐसे मामले में अपना निष्कर्ष निकालने की शक्ति दी जाये जिनमें किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में शारीरिक चोट आयी हो तथा पुलिस के अत्याचारों के शिकार लोगों को कानूनी सहायता दी जाए;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1985 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी उस रिपोर्ट की ओर भी दिलाया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार को साक्ष्य अधिनियम के उस भाग पर विचार करना चाहिए, जो अपराध सिद्ध करने के लिए दायित्व निर्धारित करता है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार को विधि आयोग की रिपोर्ट कब मिली और सर्वोच्च न्यायालय का उक्त वक्तव्य उनके ध्यान में कब आया ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां । विधि आयोग ने "पुलिस अभिरक्षा में क्षति : साक्ष्य अधिनियम में धारा 114ख के जोड़े जाने का सुझाव" नामक अपनी 113वीं रिपोर्ट में, सिफारिश की है कि ऐसे किसी अपराध के लिए जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को जो पुलिस अभिरक्षा में है, किसी कार्य से, जिससे उस व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित होना अभिकथित है, किसी पुलिस अधिकारी के अभियोजन में न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि उक्त अवधि के दौरान उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने वाले पुलिस अधिकारी ने ऐसी क्षति कारित की है ।

(ख) और (ग) विधि आयोग ने उपर्युक्त रिपोर्ट, हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट में निर्दिष्ट मामले में उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षणों को ध्यान में रख कर, प्रस्तुत की है । विधि आयोग की रिपोर्ट 30 जुलाई, 1985 को प्राप्त हुई है । विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन के बारे में विनिश्चय सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा ।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों के विकास की योजना

2176. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक सेवाओं के विकास हेतु वर्ष 1985-86 के लिए क्या योजनायें और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और अनुमोदित किए गए हैं; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने धनराशि को दूसरे मद पर व्यय करने को रोकने के लिए उड़ीसा मण्डल को धनराशि निर्धारित की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार के क्षेत्रों में 25 लाइनों की क्षमता के 9 टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने का प्रस्ताव है तथा जनजातीय क्षेत्रों के मौजूदा एक्सचेंजों में 625 लाइनें जोड़ी जाएंगी । 1985-86 के दौरान उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में 50 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है । जैंपोर (कोरापुट) मैनुअल एक्सचेंज को ओटोमेटिक बनाया जाएगा । राउरकेला प्लांट एक्सचेंज में 2700 लाइनों को 3000 लाइनों का तक बढ़ाया जा रहा है ।

(क) डाक विभाग में निम्नलिखित विकास योजनाओं की मंजूरी दी गई है :—

(एक) नितव्ययिता के लिए नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध के आदेशों के समाप्त होने पर 50 ग्रामीण शाखा डाकघर खोलना ।

(दो) राउरकेला में कार्यालय भवन का निर्माण ।

(तीन) फुलबनी में 8 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण ।

(ख) उपर्युक्त कार्यों के लिए अपेक्षित व्यय निदेशालय द्वारा प्रति वर्ष डाक और दूरसंचार को आबंटिक एक मुश्त मंजूरी में से पूरा किया जाएगा ।

तेल उत्पादन का लक्ष्य

2178. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ख) संतोषजनक उपलब्धियां किस हद तक प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल उत्पादन के लक्ष्यों की संभावनाओं के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान 93.4 मि० मी० टन के लक्ष्य की तुलना में 102.8 मि० मी० टन का उत्पादन हुआ था ।

(ग) सातवीं योजना के क्रूड तेल के उत्पादन के लक्ष्य का पता योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही चलेगा ।

नए कुंओं का छिद्रण

2179. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में नए कुंओं के छिद्रण के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) ऐसे नए कुंओं का ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां छिद्रण कार्य शुरू करने का विचार है; और

(ग) इन कुंओं से कितनी मात्रा में तेल प्राप्त होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही सातवीं योजना में नए कूओं को खोदने के परिव्यय तथा इस सम्बन्ध में अन्य विवरणों का पता चलेगा ।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा खराब टर्बो जेनेरेटर्स की सप्लाई

2180. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा कुछ विद्युत परियोजनाओं को खराब टर्बो-जेनेरेटर्स सप्लाई करने का क्या कारण है; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) विद्युत जनित्रण उपकरणों के निर्माण की बी० एच० ई० एल० की क्षमता सुस्थापित है । स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में पुराने डिजाइन वाले कुछ टर्बो जनरेटरो में हाइड्रोजन रिसने जैसी कमियों की सूचना मिली थी । अपेक्षित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ।

पुरानी प्रौद्योगिकी के आयात के कारण डी० एम० टी० उत्पादन में कमी

2181. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० एम० टी० के आयात से इसके उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) क्या बम्बई डाइंग द्वारा पुराने टूटे-फूटे उपकरणों की खरीद के कारण डी० एम० टी० का उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता से काफी कम हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुराना डी० एम० टी० संयंत्र तथा पुरानी प्रौद्योगिकी के आयात के मामले में जांच करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बात की जांच करने का है कि इस खरीद में विदेशी मुद्रा खर्च क्यों की गई थी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय देश में डी० एम० टी० का उत्पादन पालिएस्टर उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः इस अभाव को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) बाम्बे डाइंग के डी० एम० टी० प्लांट ने हाल ही में उत्पादन शुरू किया है और ऐसे संयन्त्रों से उनकी निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन प्राप्ति में आम तौर पर समय लगता है । इतनी जल्दी दीर्घावधि के आधार पर इस संयन्त्र की उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करना कठिन है । इस संयन्त्र के लिए तत्कालीन आयात नीति के अनुसार पुरानी मशीनों सहित, को आयात की स्वीकृति दी गई थी ।

(घ) जी नहीं ।

इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाने वाली कम्पनियां

2183. **श्री विजय कुमार यादव** :
डा० गौरीशंकर राजहंस :

क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न टाइपराइटर निर्माता कम्पनियों को इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाने हेतु लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम और उनकी क्षमता क्या है;

(ग) विदेशी सहयोग प्राप्त करने वाली कम्पनियों को इस प्रकार के लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी नीति क्या है; और

(घ) संघटकों आदि के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां । हाथ से चलने वाले टाइपराइटर बनाने वाली तीन विद्यमान कम्पनियों को, जिन्होंने इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस मांगा था, नये औद्योगिक लाइसेंस देकर, या उनके विद्यमान औद्योगिक लाइसेंस या आशय पत्र में पृष्ठांकन

करके लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं। इनका विस्तृत ब्यौरा अर्थात् कम्पनी का नाम और उसकी क्षमता भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मंथली न्यूजलैटर" में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

(ग) विद्यमान टाइपराइटर निर्माताओं को इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाने की अनुमति देते समय इस बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि कंपनी का किसी के साथ विदेशी सहयोग मौजूद है या नहीं।

(घ) उपकरणों आदि के आयात के लिए विदेशी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकता प्रत्येक एकक में भिन्न-भिन्न होती है जो एक ऐसे प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम पर निर्भर करती है जो प्रत्येक वर्ष के उत्पादन के लिए स्वीकृत मॉडलों और उनकी विशेषताओं और कार्यक्रम आदि पर आधारित होती है।

स्कूलों और कालेजों में एन० सी० सी० के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता

2185. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार को दक्षिण राज्यों से स्कूलों और कालेजों में एन० सी० सी० कार्यक्रम आयोजन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता 80 प्रतिशत कर देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जी नहीं।

[हिन्दी]

लघु सीमेंट संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

2186. **श्री राम प्यारे सुमन :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु सीमेंट संयन्त्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या उपाय किए गए हैं और विभिन्न राज्यों में, स्थान-वार संयन्त्र लगाने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या उन सभी लघु सीमेंट संयन्त्र ने, जिनके लिए लाइसेंस जारी किए गए थे, अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य किया था और यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार लघु सीमेंट संयन्त्रों को बन्द करने का है और उसने उन्हें वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मिनी सीमेंट सन्यन्त्रों की स्थापना करने के लिए बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने इन संयन्त्रों को मूल्य और वितरण नियन्त्रण लागू करने से मुक्त रखा है। सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री राष्ट्रीय परिषद (नेशनल कौंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मेटीरियल जो (पहले सीमेंट अनुसंधान संस्थान कहलाता था) उन सन्यन्त्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकीय सहायता देता है। मिनी सीमेंट संयन्त्रों के लिए 31 मार्च, 1984 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में

कुछ सीमा तक राहतें भी उपलब्ध थीं। मिनी सीमेंट संयन्त्रों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(ख) लाइसेंस प्राप्त 34 मिनी सीमेंट संयन्त्रों में से 14 एककों में अब उत्पादन शुरू हो गया है। इन एककों का उत्पादन सम्बन्धी कार्य-निष्पादन संलग्न विवरण-दो में दिया गया है। इन कई संयन्त्रों में उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण बिजली की कमी बताया गया है।

(ग) मिनी सीमेंट संयन्त्रों को बन्द करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मिनी सीमेंट संयन्त्रों को वित्तीय सहायता सीधे सरकार से प्राप्त होकर सरकारी वित्तीय संस्थानों जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई० डी० बी० आई० से प्राप्त होती है। जब तक सीमेंट उद्योग की प्रवृत्तियों की विस्तृत समीक्षा और आई० डी० बी० आई० द्वारा पहले से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे मिनी सीमेंट सन्यन्त्रों के कार्य-संचालन की जांच नहीं कर ली जाती तब तक आई० डी० बी० आई० ने मिनी सीमेंट संयन्त्रों को जनवरी, 1985 से वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया था परन्तु कुछ शर्तों के अधीन यह सुविधा फिर से देना आरम्भ कर दिया है।

विवरण-एक

क्रम सं०	राज्य	जिला	स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	नालगोंडा	6
2.	—वहीं—	गुंटूर	1
3.	—वहीं—	कुरनूल	1
4.	—वहीं—	कृष्णा	1
5.	—वहीं—	आदिलाबाद	1
6.	गुजरात	जूनागढ़	2
7.	—वही—	अमरैली	1
8.	—वही—	बांसकंठा	3
9.	—वही—	पंचमहल	1
10.	हिमाचल प्रदेश	सिरमूर	1
11.	कर्नाटक	चित्रदुर्गा	4
12.	—वही—	बेलगाम	1
13.	—वही—	बीजापुर	1
14.	—वही—	गुलबर्गा	1
15.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	1
16.	मध्य प्रदेश	दमोह	1
17.	—वही—	सिधी	1
18.	—वही—	धार	1
19.	उड़ीसा	सुंदरगढ़	1
20.	राजस्थान	जयपुर	1
21.	—वही—	बनवाड़ा	1
22.	—वही—	सीकर	1
23.	उत्तर प्रदेश	देहरादून	1
		योग :	34

विवरण-दो

क्रम सं०	एकक का नाम	स्थान जिला और राज्य	वार्षिक लाइसेंस प्राप्त क्षमता (मी० टन०)	उत्पादन (मी० टन में) जनवरी से जून, 83)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स काकेतिया सामेंट्स लिमिटेड	नालगोंडा (आ० प्र०)	66,000	39,096	क्षमता का पूर्ण उपयोग।
2.	मैसर्म डेकन सीमेंट्स	—वही—	66,000	34,123	—
3.	मैसर्स सोमेश्वर सीमेंट्स	आदिलाबाद (आ० प्र०)	66,000	19,444	किसी रुकावट की सूचना नहीं मिली है।
4.	मैसर्स नागार्जुन सीमेंट्स	नालगोंडा (आ० प्र०)	66,000	34,211	क्षमता का पूर्ण उपयोग।
5.	मैसर्स ए० आर० सी० सीमेंट्स लिमिटेड	देहरादून (उ० प्र०)	60,000	उत्पादन की सूचना नहीं मिली है।	नवम्बर, 19८2 से उत्पादन हो रहा है।
6.	मैसर्स पार्थसारथी सीमेंट्स एंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	गुन्टूर (आ० प्र०)	66,000	2,781	जनवरी, 1985 से उत्पादन हो रहा है।
7.	मैसर्स कल्याण सुन्दरम सीमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	बांसवाड़ा (राजस्थान)	66,000	1,141	जनवरी, 1985 से उत्पादन हो रहा है।

1	2	3	4	5	6
8.	मैसर्स स्वदेश सीमेंट्स	जयपुर (राजस्थान)	66,000	2,925	फरवरी, 1985 से उत्पादन हो रहा है।
9.	मैसर्स पंचमहल सीमेंट कंपनी लिमिटेड	पंचमहल (गुजरात)	66,000	4,851	मार्च, 1985 से उत्पादन हो रहा है।
10.	मैसर्स श्रीराम सीमेंट्स लिमिटेड	बांसकंठा (गुजरात)	66,000	उत्पादन की सूचना नहीं मिली है।	जनवरी, 1985 से उत्पादन हो रहा है।
11.	मैसर्स हेमाद्रि सीमेंट्स	कृष्णा (आ० प्र०)	66,000	उत्पादन की सूचना नहीं मिली है।	मार्च, 1985 से उत्पादन हो रहा है।
12.	मैसर्स सागर सीमेंट्स	नालगोंडा (आ० प्र०)	66,000	—वही—	जनवरी, 1985 से उत्पादन हो रहा है।
13.	मैसर्स धार सीमेंट्स	धार (मध्य प्रदेश)	66,000	—वही—	फरवरी, 1985 से उत्पादन हो रहा है।
14.	मैसर्स कर्नाटक सीमेंट्स लिमिटेड	गुलबर्गा (कर्नाटक)	66,000	—वही—	मई, 1985 से उत्पादन हो रहा है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

2187. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण दिल्ली और उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं, और कब से हैं;

(ख) टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या नियम/शर्तें निर्धारित की गई हैं और नियमों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभाग ने सम्बन्धित अधिकारियों को कई वर्षों से लम्बित आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए कोई आदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-5-85 को दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदकों की संख्या क्रमशः 1,40,029 और 22,994 है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की प्रतीक्षा सूची में लम्बित सबसे पुराने आवेदक क्रमशः 19-1-65 और 19-11-77 के हैं।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत नए टेलीफोन कनेक्शन निम्नलिखित प्रतिशत के अनुसार प्रदान किए जाते हैं :

(क) ओ० वाई० टी० जनरल तथा स्पेशल	40 प्रतिशत
(ख) गैर ओ० वाई० टी० जनरल	40 प्रतिशत
(ग) गैर-ओ० वाई० टी० स्पेशल	20 प्रतिशत

टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब का मुख्य कारण संसाधन की कमी तथा स्विचन उपस्कर और केबिलों का अपर्याप्त उत्पादन है :

(ग) प्रतीक्षा सूची शीघ्र निपटाने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। यह अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता व जुटाई गई नई क्षमता पर निर्भर करता है और यह सब कुछ संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(घ) मौजूदा प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को यथाशीघ्र टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। सातवीं योजना के दौरान मांग होने पर अत्यधिक संख्या में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि विभाग को पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन केन्द्र के लिए भवन का निर्माण

2188. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के टेलीफोन केन्द्र के अकबरपुर भवन के निर्माण के

लिए कितनी भूमि उपलब्ध है और विभाग द्वारा इसका क्या उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार इस भूमि पर भवन का निर्माण शीघ्र आरम्भ करेगी और यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जुलाई, 1980 में टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए लगभग 3237 वर्ग गज जमीन का अधिग्रहण किया गया था। 15 वर्षों की टेलीफोन संबंधी मांग पूरी करने के लिए विभाग की नीति के अनुसार भूमि का अधिग्रहण अग्रिमरूप में किया गया है। फिलहाल इस भूमि का उपयोग स्टोर रखने के लिए किया जा रहा है।

(ख) भवन निमाण का कार्य उपयुक्त समय पर शुरू किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एकक

2190. **श्री बी० बी० देसाई** :

श्री नारायण चौबे :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के अन्तिम दो वर्षों में उर्वरकों के उपयोग और उत्पादन में अपूर्व वृद्धि होने के बावजूद पूर्वी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एकक अन्य क्षेत्रों के उर्वरक एककों की तुलना में गंभीर संकट में हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) पूर्वी क्षेत्र में उर्वरक एककों को इस स्थिति से निकलने में उनकी सहायता करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पूर्वी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्रीय संयंत्र हानि उठा रहे हैं।

(ख) पावर की कमी, वोल्टेज उतार-चढ़ाव और यांत्रिकी समस्याओं के कारण कम उत्पादकता ही इसके मुख्य कारण हैं। तालचेर संयंत्र के मामले में समस्याएं हैं अपर्याप्त पावर, उपकरण समस्याएं और असन्तुलन।

(ग) कठिनाईयों को समाप्त करने और उत्पादन में सुधार करने हेतु एच० एफ० सी० संयंत्रों में सम्पूर्ण सर्वेक्षण किये गये थे। संयंत्रों में कुछ परिवर्तन/प्रतिस्थापन कर दिये गये हैं और कुछ कार्यान्वयनाधीन हैं। इस सम्बन्ध में उठाया जा रहा एक प्रमुख कदम है सभी संयंत्रों में रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना।

फर्टिलाइजर कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तालचर उर्वरक संयंत्र में ग्रिड से पावर की कमी पर काबू पाने के लिये एक 30 मेगावाट गैस टर्बाईन सैट स्थापित किया गया है। संयंत्र की उपकरण

समस्याओं और असन्तुलनों को समाप्त करने के लिये कुछ दीर्घावधि उपायों की शिनाख्त की गई है। इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता से संयंत्र का सम्पूर्ण सर्वेक्षण किया गया है।

उड़ीसा के समुद्र तट के लिए "फिशर" योजना को मंजूरी

2191. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे सरकार के सहयोग से उड़ीसा राज्य में बालसोर जिले के "कसाफल माउथ" के समीप कार्यान्वित की जाने वाली उड़ीसा के समुद्र तट हेतु फिशर योजना काफी समय से स्वीकृति हेतु उनके मंत्रालय में लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से लम्बित पड़ी है और इसके क्या कारण हैं और उसे कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कृषि मंत्रालय ने "कसाफल परियोजना" को सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी देने के बारे में मामला रक्षा मंत्रालय को 22-5-1985 को भेजा था। कृषि मंत्रालय को सुरक्षा की मंजूरी 10-7-1985 को सूचित कर दी थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार पर व्यय

2192. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने दूरसंचार योजना का अनुमोदन कर दिया है तथा सातवीं योजना के लिये व्यय निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए योजनाओं हेतु स्वीकृत राशि के बारे में ब्यौरा क्या है तथा क्या प्रमुख मांगों को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क का विस्तार किया जाना है ताकि विद्यमान प्रमुख टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि हो सके;

(ग) क्या राज्य के छिड़े क्षेत्रों पर भी कोई विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस मामले पर योजना अयोग के साथ विचार-विमर्श हो रहा है।

(ख) से (घ) योजना अयोग द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय को अंतिम रूप से स्वीकृति देने के बाद ही पृथक-पृथक यूनिटों के नेटवर्क के विस्तार की योजनाओं के ब्यौरों और साथ ही विभिन्न राज्यों को उनका आबंटन करने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में चौनाला में सीमेंट संयंत्र

2193. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में चौनाला नामक स्थान पर

सीमेंट का उत्पादन करने के लिए बड़ी मात्रा में चूना पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने टन चूना पत्थर के भंडार हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान सीमेंट निगम को यहां पर एक बड़ा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की सलाह देंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार भोगोलिक एवं खनन विभाग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के, पिथौरागढ़ जिले में चौनाली (गंगोलीहाट) के इर्दगिर्द के क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर के निक्षेपों (निर्दिष्ट तथा अनुमानित) लगभग 92 लाख मी० टन का भंडार मौजूद है जिनका सीमेंट संयत्र स्थापित करने के लिए विस्तृत अन्वेषण करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) संभवतः यहां आशय सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इन्डिया से है, जो इस समय मुख्यतः संसाधनसम्बन्धी अड़चनों के कारण इन निक्षेपों पर आधारित सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है ।

रानीखेत से दिल्ली और लखनऊ के लिए एस० टी० डी० सुविधा

2194. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रानीखेत टेलीफोन एक्सचेंज में पहले दिल्ली और लखनऊ के लिए एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अब यह सुविधा समाप्त कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रयोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों की ओर ध्यान देते हुए सरकार का विचार सुविधा को बहाल करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

चम्पावत-पिथौरागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज में सुधार करना तथा दर्जा बढ़ाना

2195. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश चम्पावत में पिथौरागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज में सुधार करने तथा उसका दर्जा बढ़ाने के बारे में लोक प्रतिनिधियों से कोई प्रतिवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

चम्पावत-पिथौरागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाने और उसमें सुधार करने के प्रस्ताव।

पिथौरागढ़

(1) 1986-87 के दौरान 300 लाइनों के मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज द्वारा बदलने का प्रस्ताव है।

(2) पिथौरागढ़-पाट-बरेली के बीच 60 चैनल यू० एच० एफ० लिंक प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

(3) सौरिख बेस-स्टेशन बनाते हुए पिथौरागढ़ जिले के लिए एम० ए० आर० आर० योजना बनाई गई है।

(4) सातवीं योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित 74 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक-तार घरों में से 21 एल० डी० पी० टी०/सी० ओ०, एम० ए० आर० आर० योजना के अंतर्गत खोले जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव है।

जहां तक चम्पावत एक्सचेंज (25 लाइनों का छोटा स्वचल एक्सचेंज) का संबंध है, इस समय किसी प्रकार के विस्तार कार्यक्रम पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसमें 17 चालू कनेक्शन हैं।

रानीखेत में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज भवन

2196. **श्री हरीश रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय ने रानीखेत (उत्तर प्रदेश) में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज भवन और इसके कर्मचारियों के लिए मकानों आदि का निर्माण करने हेतु भूमि देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो संचार मंत्रालय ने कुल कितनी भूमि मांगी है और यह भूमि कब तक उसे अंतरित कर दी जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) मांगी गई भूमि 11,849 वर्गगज है। मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अमरीका की यात्रा करने वाले अधिकारियों/मंत्रियों पर विदेश यात्रा भत्ता आदि पर हुआ खर्च

2197. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल गैस के मामले के संबंध में अमरीका की यात्रा करने वाले अधिकारियों, मंत्रियों तथा महान्यायवादी पर विदेश यात्रा भत्ता, होटल प्रभार आदि पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों से माल खरीदने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

2198. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लघु उद्योगों के सम्बन्ध में अन्य सरकारी विभागों/उपक्रमों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये हैं :

(1) माल खरीदने में लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाये ;

(2) घरेलू प्रतिभोगी निविदा में उद्धत दरों में अधिकतम 15 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जाये;

(3) निविदाओं के साथ अग्रिम राशि जमा कराने से छूट दी जाये;

(4) प्रतिभूति जमा करने तथा संविदा निष्पादन गारंटी से छूट दी जाये ;

(5) निविदा के कागजात निःशुल्क दिए जायें;

(6) तय हुई शर्तों के अनुसार लघु औद्योगिक एककों को भुगतान शीघ्र किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दिशा-निर्देशों का सभी सम्बन्धित विभागों/उपक्रमों द्वारा पालन किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में, जो यह देश में विद्युत उपकरणों का अकेला सबसे बड़ा खरीदार है, भी इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेगी क्योंकि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि एन० टी० पी० सी०, में उनका पालन नहीं किया जा रहा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। तथापि यह बता देना पर्याप्त होगा कि सरकारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों अथवा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के साथ पंजीकृत लघु एककों से धरोहर राशि, प्रतिभूति जमा धनराशि लेना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों अथवा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के साथ पंजीकृत लघु एककों को अपेक्षित वस्तुओं के बारे में निविदा प्रलेख निःशुल्क दिए जाने चाहिए।

(ख) ये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की तरह ही हैं। किन्तु सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन न किए जाने के सम्बन्ध में यदि किसी सरकारी विभाग/उपक्रम के खिलाफ लघु एककों से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है तथा उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करें।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तारों का वितरण

2199. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री तारों के वितरण के बारे में 15 नवम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान कितने तार नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित

स्थानीय तारघरों को दस्ती तौर पर स्थानान्तरित किए गए, इसके मास-वार और तारघर-वार आंकड़े क्या हैं और तारों को टेखीग्राफ सर्किट पर भेजने के बजाय दस्ती तौर पर भेजने के क्या कारण हैं तथा शाम के समय प्रत्येक तारघर में इस प्रकार के तारों में औसतन कितना विलम्ब हुआ; और

(ख) स्थानीय तारघरों से सम्बद्ध केन्द्रीय तारघरों को तारों के पारेषण का तरीका क्या है और इसमें समान्यत: औसतन कितना विलम्ब होता है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित स्थानीय तारघरों में व्यक्ति द्वारा भेजे गए तारों की संख्या के बारे में आंकड़े (माहवार एवं कार्यालयवार) संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तारों को व्यक्ति द्वारा भेजने के कारण सामान्यतया इस प्रकार हैं :—

चूंकि एक्सप्रेस/साधारण तार आमतौर पर 2200 एवं 0600 बजे के बीच वितरित नहीं किए जाते हैं अत: इस अवधि में स्थानीय तारघरों में वायर पर प्राप्त तारों का संचारण करना उतना लाभदायक नहीं होगा जितना कि सीमति स्टाफ को अन्य लम्बी दूरी के मुख्य सर्किटों पर लगाने से होगा।

2. लाइन/मशीन दोषों के कारण स्थानीय सर्किटों में व्यवधान।

3. अधिक समय तक/बार-बार बिजली फेल हो जाना।

4. परियात अधिक मात्रा में एकत्र होना, विशेष रूप से शादियों/त्यौहारों के दिनों में जब वायर पर एक-एक तार का संचारण करने की उपेक्षा व्यक्ति द्वारा शीघ्र निबटान किया जाता है।

5. चिकित्सा आधार सहित अनुपस्थिति के कारण स्टाफ की कमी तथा उपलब्ध स्टाफ को लम्बी दूरी के सर्किटों पर लगाने की अधिक आवश्यकता। सायं के समय प्रत्येक तारघरों में ऐसे तारों में औसत विलम्ब इस प्रकार है :—

नई दिल्ली	तीन से चार घंटे
बम्बई	दो घंटे
कलकत्ता	2 से तीन घंटे
मद्रास	दो घंटे।

(ख) स्थानीय तारघरों से सम्बन्धित केन्द्रीय तारघरों के लिए तारों का निबटान सामान्यतया टेलीप्रिंटरों द्वारा किया जाता है। सामान्य औसत विलम्ब इस प्रकार है :—

नई दिल्ली	1 घंटा
बम्बई	1 घंटा
कलकत्ता	1 घंटा
मद्रास	लगभग 1 घंटा।

विवरण

वर्ष 1984-85 के दौरान नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित केन्द्रीय तारघरों से स्थानीय तारघरों में व्यक्ति द्वारा प्रेषित तारों की संख्या

	अप्रैल, 84	मई, 84	जून, 84	जुलाई, 84	अगस्त, 84	सितम्बर, 84	अक्टूबर, 84	नवम्बर, 84	दिसम्बर, 84	जनवरी, 85	फरवरी, 85	मार्च, 85
नई दिल्ली	90426	116403	99395	76928	70536	70027	81435	76291	98517	79903	89630	70433
बम्बई	242967	342086	242436	226795	148355	136676	176975	194008	187759	142046	164864	198314
कलकत्ता	54195	51187	5657	51171	50565	48389	58988	50050	45554	47511	43197	48217
मद्रास	61483	104979	83529	76062	78199	85672	58370	110804	72400	47505	61675	47806

भारतीय वायु सेना द्वारा समय से पूर्व चेतावनी देने की क्षमता में सुधार

2200. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना की निश्चित ठोस और स्पष्ट समय से पूर्व चेतावनी देने की क्षमता विकसित करली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सीमा पार से परमाणु तथा अन्य आक्रमणों के खतरे को देखते हुए सरकार का विचार रक्षा तंत्र को सबल बनाने और इसे पूरी तरह से तैयार रखने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) क्या सरकार ने पूर्व चेतावनी देने की क्षमता यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। देश में ही क्षमता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ताकि पूर्ण रक्षा तैयारी के लिए आवश्यक उपाए किए जा सकें।

रुग्ण एककों की नीति की समीक्षा

2201. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रुग्ण एककों सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; तथा उस पर सरकार का क्या निर्णय है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लेने से पहले इस पर सम्बन्धित लोगों के विचार आमंत्रित करने का प्रस्ताव है तथा क्या इस विषय पर सार्वजनिक बहस की जाएगी ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मारुति कार के खुदरा मूल्य में उतार चढ़ाव

2202. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति और उसके माडलों के खुदरा मूल्यों में डालर और येन के मूल्यों के आधार पर बार-बार परिवर्तन किया जा रहा है;

(ख) क्या कोई अन्य देश भी उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में इस प्रकार की वित्तीय और मूल्य निर्धारण नीतियों का अनुसरण करता है;

(ग) मारुति कार शत प्रतिशत भारतीय कब तक हो जाएगी; और

(घ) क्या फिएट अथवा हिन्दुस्तान कार में पेट्रोल की कम खपत वाले इंजन नहीं लगाए जा सकते हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मारुति कार द्वारा 1989 तक 95% स्वदेशीकरण प्राप्त किए जाने की आशा है।

(घ) इंधनक्षम कारों का निर्माण करने के लिए मै० हिन्दुस्तान मोटर्स और प्रीमियर आटोमोबाइल्स के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं।

पेप्सी कोला के उत्पादन के लिए लाइसेंस

2203. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पेप्सी कोला" के उत्पादन के लिए लाइसेंस हेतु एक आवेदन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस स्तर पर है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) अमेरिका की मै० पेप्सी को० इनकोरपोरेटेड के साथ विदेशी सहयोग से फलों के रस एवं कृषि पर आधारित प्रक्रियायित वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु अनुमोदनार्थ मै० एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टस इण्डिया प्राइवेट लि० की ओर से प्राप्त एक आवेदन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत में पेप्सी कोला नामक मृदु पेय बेचना भी निहित था, अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि उसमें किए गए प्रस्ताव सरकारी नीति के अनुरूप नहीं थे।

केरल के जिलों में सीधी डायल सेवा सुविधाएं

2204. **श्री के० मोहनदास** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान केरल के सभी जिलों में सीधी डायल सेवा उपलब्ध कराने की कोई भावी योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम के लिए एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ख) केरल सर्किल में 14 जिला मुख्यालयों में से 12 जिला मुख्यालयों को पहले ही एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष दो जिला मुख्यालयों अर्थात् पट्टनमथिट्टा और कासरगोड को सातवीं योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निधि तथा स्विचन और संचारण उपस्कर उपलब्ध हों।

केरल में खाना पकाने की गैस की मांग

2205. **श्री के० मोहनदास :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में खाना पकाने की गैस की कितनी मांग है;

(ख) क्या इस समय इस मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे पूर्ण रूप से कब पूरा किया जाएगा;

(घ) क्या यह सच है कि केरल में गैस की पुनः पूर्ति में बहुत विलम्ब होता है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) केरल के मौजूदा उपभोक्ताओं की एल० पी० जी० की कुल मांग 29,900 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है जिसकी पूर्णतया पूर्ति की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) कोचीन रिफाइनरी में हड़ताल होने तथा भारी वर्षा के कारण परिवहन में रुकावटों के आने से एल० पी० जी० की पूर्ति में कुछ व्यवधान हुआ था । तेल उद्योग स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कदम उठा रहा है।

निवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश के लिए केरल सरकार की योजना

2206. **श्री के० मोहनदास :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केरल सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल में आप्टीकल फाइबर केबल कारखाने

2207. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में आप्टीकल फाइबर केबल बनाने के लिए एक कारखाने की स्थापना में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त कारखाने में किस तारीख तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है;

(ग) उक्त कारखाने की अधिकतम उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(घ) प्रस्तावित कारखाने में प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने आप्टिक फाइबर केबल की 40,000 फाइबर किलोमीटर और 610 आप्टिकल लाइन सिस्टम की वार्षिक क्षमता के एक संयन्त्र की स्थापना करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस योजना को तीन चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। तीसरे चरण के स्वीकृति मिलने की तारीख से 27 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। एक ख्याति प्राप्त विदेशी उत्पादक के साथ विदेशी सहयोग करने की परिकल्पना की गई है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अनिवासी उद्योगपति द्वारा शाहजहांपुर में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने की पेशकश

2208. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित कप्रो ग्रुप के उद्योगपति श्री स्वराज पाल ने शाहजहांपुर में गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्र स्थापित करने की पेशकश की है, जिसमें इक्विटी शेयरों में 75 प्रतिशत अनिवासी पूंजी निवेश किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मैसर्स केप्रो ग्रुप, लन्दन, उन कई पार्टियों में से एक हैं जिन्होंने 620 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिसमें कुल समय पूंजी का 50 प्रतिशत प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश किया जायेगा।

(ग) उस पार्टी के चयन से सम्बन्धित मामला चयन के अन्तिम चरणों पर है, जो इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दोषपूर्ण टर्बो जेनरेटरों की सप्लाई

2209. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विरुद्ध दोषपूर्ण टर्बो जेनरेटर सप्लाई करने की कई शिकायतें हैं;

(ख) यदि हां, 31 जुलाई, 1984 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्य चालन को सुचारू बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि इस प्रकार की शिकायतों को कम किया जा सके ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ग) विद्युत जनित्रण उपकरणों के निर्माण की बी० एच० ई० एल० की क्षमता सुस्थापित है। अब तक चालू किए गए 200/210 मे० वाट वाले 52 सेटों में से पिछले तीन वर्षों में जुलाई, 1985 तक 6 सेटों में हाइड्रोजन के रिसने की खराबी का पता लग गया था। रूसी विशेषज्ञों के परामर्श से आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

घटिया टेलीफोन केबलों का प्रयोग

2210. श्री गौरी शंकर राजहंस :

डा० सी० एस० वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में टेलीफोन व्यवस्था के विशेष रूप से बरसात में, अस्त-व्यस्त हो जाने का एक मुख्य कारण घटिया केबलों का प्रयोग किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इम्प्रूव्ड टेलीफोन केवल आन वे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में नये बेहतर टेलीफोन केबल कब तक प्रयोग किए जाने लगेंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। टेलीफोन प्रणाली के खराब होने का मुख्य कारण विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनेक विकास कार्यों के लिए सड़क खोदने के दौरान टेलीफोन केबिल का क्षतिग्रस्त हो जाना है।

(ख) सरकार समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों से अवगत है।

(ग) खुदाई के दौरान भूमिगत केबिल की क्षति को कम करने के लिए एक जेली युक्त केबिल का विकास किया गया है तथा विभाग ने मुख्यतः छोटी केबिल के लिए, जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, इसके मानक रूप का प्रयोग करने की स्वीकृति दी है। मै० हिन्दुस्तान केबिल लि० ऐसा जेली युक्त केबिल निर्मित करने के लिए रूप नारायणपुर, पश्चिम बंगाल तथा हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

स्थित मौजूदा विनिर्माण यूनिटों में नयी मशीनें लगा रहा है। इसके अतिरिक्त बड़े आकार की जैली युक्त केबिल के लिए हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में एक नया यूनिट लगाया जा रहा है। मै० हिन्दुस्तान केबिल आप्टिकल फाइबर केबिल के निर्माण की भी तैयारी कर रहा है।

(घ) दूरसंचार विभाग पहले से ही अर्थात् 1975 से छोटे आकार का जैली युक्त केबिल का प्रयोग कर रहा है। आगामी वर्षों में संभवत: बड़े आकार की केबल उपलब्ध हो जायेंगी। पहले आयात द्वारा तथा बाद में देश में ही उपलब्ध संसाधनों से आप्टिकल फाइबर केबिल इस्तेमाल करने का भी कार्यक्रम है।

मारुति कार के सहायक कल-पुर्जों के दाम

2211. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1985 के "इण्डियन ऐक्सप्रेस में "मारुति प्रूविंग टु बी ए व्हाइट एलीफेन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि कि मारुति कारों के स्वामियों को सहायक कल पुर्जों और मारुति कारों के अन्य हिस्सों के मूल्यों के बारे में काफी परेशानी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सहायक कल-पुर्जों और अन्य हिस्सों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए उनके मंत्रालय का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को मारुति वाहनों के कुछ आयातित हिस्से पुर्जों की अधिक लागत होने की शिकायतों के बारे में मालूम है।

(ग) रख-रखाव के हिस्से पुर्जों की लागत स्वदेशीकरण होने पर काफी कम हो जाएगी। सरकार ने भी मारुति उद्योग लि० पर बल दिया है कि वह रख-रखाव के काम आने वाले हिस्से पुर्जों का तेजी से स्वदेशीकरण करने के लिए जोरदार प्रयास करे और इस बीच आयातित हिस्से पुर्जों की आवश्यक मात्रा के लिए प्रबन्ध करें।

राजधानी में पाइप लाइनों के द्वारा गैस की सप्लाई

2212. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कुछ भागों में पाइप लाइनों के द्वारा गैस सप्लाई करने की प्रणाली इस समय विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में किन-किन स्थानों पर पाइप लाइनें लगाई गई हैं; और

(ग) सफदरजंग एन्कलेव क्षेत्र में पाइप लाइनें कब लगाई जाएंगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय दिल्ली में पाइप लाइनों से प्राकृतिक गैस देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इण्डियन केमिकल्स मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित गोष्ठी में चर्चित सिफारिश

2213. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन सिफारिशों की प्रतिलिपियां मिली हैं जिन पर इण्डियन केमिकल मैन्युफेक्चरर्स एशोसिएशन द्वारा 11 अप्रैल, 1985 को आयोजित गोष्ठी में चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) भारतीय रसायन निर्माता संघ ने सूचित किया है कि दिनांक 11-4-85 को उन्होंने कलकत्ता में कोल रसायन उद्योग और चुनौती पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की थी। और उस गोष्ठी में कुछ सिफारिशों (जो संलग्न विवरण में दर्शाई गई है) तो अपनाया गया था।

सरकार पहले ही मामले से अवगत है और उसने रसायनों के बिर्माण के लिए कोल के इस्टतम उपयोग का अध्ययन करने और इस्पात संयन्त्रों द्वारा रसायन उप-उत्पादों की रिकवरी और विपणन के लिए अनुसरण की जा रही पद्धतियों में सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय सभी सम्बन्धित विभागों के साथ-परामर्श से इसकी जांच करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

विवरण

(1) सरकार और सभी सम्बन्धित प्राधिकरणों को रसायन फीडस्टाक के रूप में ईंधन के स्थान पर कोल-तार को मान्यता देनी चाहिए और कोलतार और उसके आस्त्रुतों को ईंधन के रूप में जलने पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त प्रतिबन्धात्मक उपाय लागू करने चाहियें।

(2) कोल रसायनों के लिए इस्पात मिलों और कोल कार्बोनाइजेशन संयंत्रों से पर्याप्त कच्चे माल उपलब्ध होने चाहिए। वर्तमान कमी इस कारण है कि इस्पात संयन्त्र विश्व के 25 प्रतिशत की तुलना में ईंधन के रूप में लगभग 90 प्रतिशत कोल-तार आस्त्रुतों को जला रहे हैं। व्यापक राष्ट्रीय संसाधन को बेकार करने से बचाने के लिए वर्तमान व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से रसायनों के सम्पूर्ण विकास हेतु भारत में एक पृथक कोल-कार्बोनाइजेशन बाइ-प्रोडक्ट्स कार्पोरेशन की स्थापना की जानी चाहिए। यह कार्पोरेशन कोयला भट्टियों से कोलतार और इसके आस्त्रुतों को खरीद सकता है और इस्पात संयन्त्रों को स्ट्रीप्ड गैस की बिक्री कर सकता है। ऐसा कार्पोरेशन उत्पादन, उत्पाद-मिश्र को इष्टतम बनाने और रसायन कोलतार और तारएसिड्स की वसूली में सुधार करने में नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठित करने में सक्षम होगा और उपरोक्त सभी से समग्र उत्पादन प्रक्रिया की संचालनात्मक दक्षता में सुधार होगा।

(3) इस्पात संयन्त्रों को धीरे-धीरे पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कि एल० एच० एच० एस० में परिवर्तित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि रसायनों की वसूली के लिए कोलतार और इसके आस्त्रुत प्रदान कर सके। ईंधन के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों द्वारा कोल-तार और इसके आस्त्रुतों के ऐसे प्रतिस्थापन से राष्ट्रीय स्तर पर हुए लाभों का मूल्यांकन करने हेतु एक अध्ययन किया जाना चाहिए।

(4) अपर्याप्तता वाले वर्तमान कोयला भट्टी संयन्त्रों में तार, बेन्जोल और अन्य उप-उत्पाद की वसूली के लिए संयन्त्र क्षमता में वृद्धि करने हेतु शीघ्र ही उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

(5) इस्पात संयन्त्रों के लिए कोक का उत्पादन अनेक एच० टी० सी० और एल० टी० सी० किस्म के कोल-कार्बोनाइजेशन संयन्त्रों में किया जाना चाहिए न कि वर्तमान की भांति बी-हाइव कोक ओवन्स अथवा भट्टों में, ताकि कोल गैस की प्रचुरता अमोनिया के स्रोत के रूप में उपलब्ध हो और कोल रसायनों की वसूली को इष्टतम किया जा सकेगा।

(6) बढ़ते हुए अल्यूमिनियम उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिच कोक के उत्पादन हेतु कम से कम एक पूर्ण क्षमता वाला संयन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे उपाय के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम कोक के आयात को समाप्त करके मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है।

(7) कोल रसायनों की वसूली के लिए सभी सुविधाओं के साथ देश में विभिन्न भागों में कम से कम चार अतिरिक्त एल० टी० सी० संयन्त्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(8) उर्वरक उत्पादन के लिए, जहां सम्भव हो पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में कोल को वरीयता दी जानी चाहिए।

(9) कोल रसायनों के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी सैल गठित किया जाना चाहिए जिसमें इस्पात संयन्त्रों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों, रसायन निर्माता और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि होने चाहिए। इस सैल को मार्ग-दर्शन देना चाहिए और कोल रसायनों के सम्बन्ध में नीतियों का तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये।

नई प्रौद्योगिकी तथा टेलीफोन उपकरण

2214. श्री अजित कुमार साहा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन व्यवस्था के फेल होने का प्रमुख कारण विभाग की पुरानी मशीनरी है न कि टेलीफोन कार्मिक;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की देश के लिए नई प्रौद्योगिकी तथा टेलीफोन उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए कोई योजना नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। मानसून के दौरान टेलीफोन सेवा में गड़बड़ी का मुख्य कारण केबिल का खराब हो जाना है।

(ख) तथापि, टेलिफोन सेवा में सुधार लाने के लिए विभाग ने आधुनिक टेक्नालाजी और उपस्कार अपनाने की योजना बनाई है।

(ग) टेलीफोन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) इलेक्ट्रा मैगनेटिक स्विचिंग उपस्कर में होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए आधुनिक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज प्रारंभ करना।

(2) बेहतर किस्म की तथा अधिक विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली और आप्टिकल फाइबर प्रणाली पर उच्च ग्रेड अंतर-एक्सचेंज सर्किट प्रदान करना।

(3) कार्य कुशलता और परिशुद्धता के लिए विशेष सेवाओं, केबिल रिकार्ड, दोष मरम्मत सेवा, बिल बनाने तथा प्रशासन संबंधी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण।

(4) मुख्य केबिलों को डक्टों में बिछाना ताकि उन्हें बाहरी क्षति से बचाया जा सके।

(घ) जिन पुरानी मशीनों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उन्हें उत्तरोत्तर बदल दिया जाएगा जो संसाधनों पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में पारादीप में फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र का निर्माण

2215. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पारादीप में फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र के निर्माण में क्या प्रगति हुई है और यह कब चालू किया जाएगा;

(ख) इस योजना का विस्तार कार्यक्रम क्या है और यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया जाएगा;

(ग) क्या इस प्रमुख परियोजना के चारों ओर एक अनुषंगी उद्योग कम्पलैक्स तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पारादीप में फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र के निर्माण की प्रगति सन्तोषजनक है। डी०ए० पी० संयंत्र मार्च 1986 में चालू हो जाने की सम्भावना है और फस्फोरिक एसिड/सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को मई, 1988 तक पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) कम्पनी ने एक विस्तार कार्यक्रम के लिए सरकार से आवेदन किया है जिसमें एक अमोनिया और एक सोडा ऐश संयन्त्र शामिल है। इस पर कोई निर्णय, सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही लिया जा सकता है।

(ग) और (घ) कम्पनी द्वारा एच० डी० पी० ई० बैगों और अल्यूमिनियम फलोराइड सहित सहायक उद्योग के विकास के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

उड़ीसा में समुद्रतट में तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिए तट पर तथा अपतट पर छिद्रण कार्य में प्रगति

2216. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के समुद्र तट में तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिए तट पर तथा अपतट पर छिद्रण कार्य में क्या प्रगतति हुई है; और

(ख) अब तक के निष्कर्ष क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन/उत्तर पूर्वी तट के अपतटीय इलाकों में आठ कुओं की खुदाई की गई है। अन्तिम कुएं में उत्पादन परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक कोई वाणिज्यक खोज नहीं की गई है। तटीय सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर 1985-86 में एक अन्वेषी कुएं की खुदाई किए जाने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा के जिलों में एस०टी०डी० सुविधा

2217. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का उड़ीसा के सभी मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा देने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है जैसा कि बहुत से अन्य राज्यों जैसे केरल में किया गया है; और

(ख) उड़ीसा के सभी जिला मुख्यालयों में इस प्रकार की सुविधा कब तक दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। सातवीं योजना में उड़ीसा के सभी जिला मुख्यालयों से राज्य की राजधानी के लिए एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

(ख) उड़ीसा राज्य में 13 जिला मुख्यालय हैं जिनमें से दो जिला मुख्यालय अर्थात पुरी और कटक में एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। बाकी 11 जिला मुख्यालायों में सातवीं योजना के दौरान एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निधि और स्विचन तथा संचारण उपस्कर उपलब्ध हों।

कैंसर-रोधी औषधियों का उत्पादन

2218. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कैंसर-रोधी औषधियों का उत्पादन करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र के उन संगठनों/औषधि निर्माण एककों के नाम क्या हैं जिन्हें इन औषधियों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है; और

(ग) इस प्रकार का कैंसर-रोधी औषवियों का देश में किस वर्ष तक उत्पादन किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) जी हां। उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सभी कैंसर-निरोधी औषधों को गैर-फैरा/गैर-एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के लिए लाइसेंस समाप्त करने की योजना में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध ब्यौरों की सीमा तक मै० सिपला और मै० तमिलनाडु दाधा फार्मास्यूटिकल्स लि० विभिन्न कैंसर निरोधी औषधों के निर्माण में व्यस्त है।

तालचेर उर्वक संयंत्र को घाटा

2219. श्री राधाकांत डिगाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर उर्वक संयंत्र को घाटा है;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष से;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) तालचेर संयंत्र के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) तलचेर उर्वक संयंत्र को इसके नवम्बर, 1980 में चालू होने के बाद से निरन्तर हानि हो रही है क्योंकि उपकरण असंतुलनों/खाराबियों और पावर कमी के कारण आदर्श स्तरों पर इसका

संचालन नहीं किया जा सका है। इकाई के निष्पादन में सुधार के लिए कुछ अल्प-अवधि के उपाय किए गए हैं जबकि दीर्घ-अवधि उपायों के कार्यान्वयन पर निर्णय तभी लिया जाएगा जब उत्पादन की बाधाओं का पता लगाने के लिए संयंत्र का चल रहा व्यापक अध्ययन पूरा हो जाए। पावर की आवश्यकता को अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिए 30 मे० वा० पावर का एक संयंत्र भी स्थापित किया गया है।

न्यायालय फीस को युक्तियुक्त बनाना

2220. **श्री शरद दिघे** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालय फीस को युक्तियुक्त बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधि मंत्रियों की स्थापित की गई समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में आगे क्या प्रगति हुई ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) न्यायालय फीस को युक्तियुक्त बनाए जाने के बारे में पांच राज्यों के विधि मंत्रियों की समिति की सिफारशोंपर हाल ही में होने वाले न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में विचार-विमर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की भण्डारण क्षमता

2221. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की फर्नेस, डीजल, पेट्रोल, आदि तेलों की भण्डारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की इन पेट्रोलियम उत्पादों की भण्डारण क्षमता अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की भण्डारण क्षमता की पर्याप्तता बराबर पुनरीक्षण किया जाता है और आवश्यकयानुसार उसे बढ़ाया जाता है। लोकहित में कोई भी, विवरण देना उचित नहीं होगा।

मद्रास रिफाइनरीज की विस्तार परियोजनायें

2222. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मद्रास रिफाइनरीज ने विभिन्न विस्तार परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) मद्रास रिफ़ाइनरी ने अपनी शोधन क्षमता को 2.8 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5.6 मिलियन मीट्रिक टन करने की एक विस्तार परियोजना को हाथ में लिया है। इसमें क्रूड डिस्टीलेशन यूनिट तथा माध्यमिक संसाधन सुविधाएं शामिल हैं। यह परियोजना मार्च 1985 में पूरी हो गई है।

असम में तेल शोधक कारखानों में स्थानीय लोगों की भर्ती

2223. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम के तेल शोधक कारखानों में केवल स्थानीय लोगों को भर्ती किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) ऐसे जिन पदों का अधिकतम वेतनमान 1250/- रुपये प्रति मास तक होता है, उनकी भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों में से की जाती है। अन्य पदों के लिए खुले विज्ञापनों के आधार पर भर्ती की जाती है।

(ख) ऐसा रोजगार कार्यालय अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम और सरकारी उद्यमों के ब्यूरो के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के चलते होता है।

आटो सहायक उपकरण एककों का स्वदेशीकरण

2224. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** :
श्री वी० तुलसी राम :

क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आटो-सहायक उपकरणों के एककों के शीघ्र स्वदेशीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार देश में मोटरगाड़ी सहायक सामान उद्योग के विकास और स्वदेशीकरण का समय-समय पुनरीक्षण करती रही है। मोटरगाड़ियों के हिस्से पुर्जों की मांग और उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में अनेक नये एककों और नई प्रौद्योगिकीयों को लाने के साथ-साथ विद्यमान प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। सरकार ने मोटरगाड़ी सहायक सामान उद्योग को लाइसेंस मुक्त भी कर दिया है। यह आशा है कि उपर्युक्त उपाय करने से यह उद्योग उत्पादन में वृद्धि कर सकेगा तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी से हिस्से पुर्जों का देशीकरण भी कर सकेगा।

लघु एककों के लिए परिसम्पत्ति सीमा बढ़ाना

2225. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "लघु क्षेत्र में चुने हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाये जाने" सम्बन्धी कार्यदल ने लघु एककों के लिए परिसम्पत्तियों की सीमा बढ़ाये जाने का सुझाव दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) समित की रिपोर्ट के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की दूरसंचार प्रणाली सुधारने के लिए उपग्रह का राष्ट्रीय नेटवर्क

2226. **श्री बाजूबन रियान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की दूरसंचार प्रणाली को सुधारने के लिए उपग्रह के राष्ट्रीय नेटवर्क के द्वारा इस क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालय का शेष देश से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा; और

(घ) किन-किन जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय नेटवर्क व्यवस्था से जोड़े जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के अंतर्गत स्थलीय यू० एच० एफ०, माइक्रोवेव और उपग्रह संचार प्रणालियों जैसे विश्वसनीय संचार माध्यमों की व्यवस्था कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालयों को संचार सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। देश के किसी भी भाग में विश्वसनीय संचार व्यवस्था प्रदान करने के लिए उपलब्ध अनेक माध्यमों में से उपग्रह संचार प्रणाली भी एक विश्वसनीय माध्यम है। इन योजनाओं को तभी कार्यान्वित किया जा सकेगा जब दूरसंचार क्षेत्रों को पर्याप्त परिव्यय उपलब्ध करा दिया जाए। इन योजनाओं के पूरा होने पर जिला मुख्यालयों को उनके राज्य की राजधानियों के साथ तथा राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क के साथ विश्वसनीय दूरसंचार माध्यम द्वारा जोड़ दिया जाएगा।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालयों को संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिन विश्वसनीय संचारण माध्यमों की योजना बनाई गई है, उनके अंतर्गत उपग्रह भू-केन्द्र अगरतल्ला, ऐजल, इम्फाल, इटानगर, कोहिमा में पहले से ही कार्य कर रहे हैं तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित स्थानों में इनकी स्थापना की मंजूरी दे दी गई है :—

असम में गुवाहाटी, हाफलांग, दिपहू;

मेघालय में नांगस्टाइन, विलियम नगर और तुरा;

मणिपुर में कारांग;

अरुणाचल प्रदेश में जेरो, दपोरेजो, सेप्पा, अनिनी, आलोंग और बोमडिल;
मिजोरम में लूंगलेह और साइहाट ;

नागालैंड में मोन, जुलेबंटो, त्यूनसांग;

त्रिपुरा में कैलाशहार, राधाकिशोरपुर ।

(ग) उपर्युक्त "ख" में उल्लिखित इन स्थानों में से अनेक स्थानों पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है ।

(घ) जैसा कि उत्तर के भाग "क" में बताया गया है और बशर्ते पर्याप्त निधि उपलब्ध रहे, तो सभी जिला मुख्यालय राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क के साथ जोड़े जा सकते हैं ।

दूसरे देशों की राजधानियों से सीधा अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्पर्क

2227. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार बड़े महानगरों, अर्थात् दल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का दूसरे देशों की विभिन्न राजधानियों से सीधी अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्पर्क है;

(ख) यदि हां, तो क्या हैदराबाद को दूसरे देशों की राजधानियों से अन्तर्राष्ट्रीय सीधा सम्पर्क शहर सूची में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) हैदराबाद को सम्पर्क सूची में शामिल करने के फलस्वरूप बम्बई तथा मद्रास का कितना अन्तर्राष्ट्रीय संचार दबाव कम होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। इन शहरों से 6 देशों यथा आस्ट्रेलिया, फ्रांस, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और संयुक्त राज्य (इंग्लिस्तान) के लिए प्रयोक्ता डायल टेलीफोन सेवा सुलभ है ।

(ख) और (ग) सीधी अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और टेलेक्स सुविधाएं हैदराबाद से भी सुलभ हैं। बाहर से आने वाली अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन कालें हैदराबाद के सभी प्रयोक्ताओं को प्रयोक्ता ट्रंक डायल सेवा के संचार तंत्र के जरिये सीधी मिलाई जाती हैं। जहां तक बाहर जाने वाली कालों का संबंध है, हैदराबाद स्थित अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक आपरेटर, 134 देशों के किसी भी नम्बर को सीधे डायल कर मिला सकता है । अन्तराष्ट्रीय टेलेक्स के लिए बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले दोनों ही तरह के संचार सम्पर्क, पूरी तरह स्वचल हैं । तकनीकी कारणों से हैदराबाद से बाहर जाने वाली कालों के लिए सीधी प्रयोक्ता डायल सेवा सुलभ कराना इस समय व्यवहार्य नहीं है ।

(घ) सवाल पैदा ही नहीं होता ।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कर्मचारियों के विवादों का निपटान

2228. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विवाद पर समझौते के बारे में दिनांक 27 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8930 और दिनांक 14 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 961 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विवाद, जो खादी ग्रामोद्योग के पास गत 8-10 वर्षों से लम्बित हैं पर न्यायोचित ढंग से निपटा दिये गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इन विवादों के अन्तिम रूप से कब तक हल किये जाने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों का ऐसा कोई भी विवाद नहीं है जो कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास पिछले 8-10 वर्षों से लम्बित पड़ा हो । फिर भी 1982 के प्रश्न सं० 961 के उत्तर में उल्लिखित एक कर्मचारी की वरिष्ठता के मामले में अन्य प्रभावित कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन के कारण अंतिम रूप से निपटान नहीं हो सका ।

(ख) इस मामले को यथाशीघ्र निपटा दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

एच० बी० जे० पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का बन्द होना

2229. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से जगदीशपुर (उ०प्र०) तक पाइप लाइन पर आधारित जिन उद्योगों को लाइसेंस दिया गया था उनके इस पाइपलाइन के चालू होने में बिलम्ब के कारण बन्द होने की संभावना है;

(ख) क्या कोई ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने अपने परियोजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है परन्तु इस विलम्ब के कारण उत्पादन नहीं कर सकते; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसे उद्योगों को ऋण पर ब्याज के संबंध में क्या सहायता देगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, एच० बी० जे० गैस पाइपलाइन पर आधारित छः उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है । गुना स्थित प्रथम उर्वरक संयंत्र के बायलरों के लिए गैस की निर्धारित मांग की पूर्ति मार्च 1981 में होने की सम्भावना है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मूल्य वृद्धि की रोकथाम के लिए सीमेंट का आयात

2230. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में लेवी मुक्त सीमेंट का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार मूल्य वृद्धि की रोकथाम के लिए सीमेंट का आयात करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) गैर लेवी सीमेंट मूल्य और वितरण नियन्त्रण से मुक्त है। किन्तु, विशेष रूप से महत्वपूर्ण शहरी केन्द्रों में निर्माण कार्य की गति में वृद्धि होने के कारण हाल ही में गैर लेवी सीमेंट की मांग में बढ़ोतरी हुई जिसके कारण गैर लेवी सीमेंट के मूल्य अस्थाई रूप से बढ़े हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1984-85 में अधिकृत आयात पर, भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा 3 लाख मी० टन सीमेंट के लिए संविदाएं की गई हैं। सीमेंट आयात करने हेतु कोई भी नई स्वीकृति जारी करने के लिए इस समय किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उर्वरक उद्योग के क्षेत्र में आबंटन

2231. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान सम्पूर्ण देश में उर्वरक उद्योग के क्षेत्र में कितना आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) पूर्वी राज्य के लिए प्रस्तावित आबंटन का कितना प्रतिशत है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही उर्वरक संयन्त्रों के लिए निधियों के आबंटन पर निर्णय किया जा सकता है। अत: इस समय पचवर्षीय अवधि के दौरान उर्वरक संयन्त्रों के लिए समग्र आबंटन या पूर्वी राज्यों में संयंत्रों के लिए आबंटन की विशिष्ट प्रतिशतता बताना कठिन है।

मैसर्ज बंगाल पोट्रीज लिमिटेड

2232. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगाल पोट्रीज के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए संसद के बजट सत्र के तुरन्त बाद सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों, बंगाल पोट्रीज के प्रबंधकों और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के प्रतिनिधियों तथा पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार के क्या प्रस्ताव थे तथा बैठक में बुलाए गए गैर-सरकारी व्यक्तियों की क्या मतैक्य था; और

(ग) उक्त कम्पनी के संकट का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा इस बैठक के बाद से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) क्राकरी एकक का आधुनिकीकरण करने और इंसूलेटर एंड प्लास्टर ऑफ पैरिस एकक को बंद करने संबंधी जीव्यता योजना के माध्यम से उपक्रम को पुनरूज्जीवित करने की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था। बैठक में भाग लेने वाले गैर-सरकारी अधिकारियों ने सर्व-सम्मति से यह राय जाहिर की थी कि सरकार द्वारा सुविचारित जीव्यता योजना के आधार पर उपक्रम को पुनरूज्जीवित करना उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

(ग) उपक्रम की भावी व्यवस्था के संबंध में निर्णय उपक्रम को पुनरूज्जीवित करने के लिए किए गए विभिन्न अध्ययनों की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में गैस अथवा तेल भंडारों के लिए ड्रिलिंग

2233. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :**

श्री रेणुपद दास :

क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपने सर्वेक्षण में कलकत्ता के भीतरी भाग और हल्दिया सहित पश्चिम बंगाल के गंगा बेसिन और बंगाल की खाड़ी में गैस और तेल भंडारों की संभावनाओं का आगे पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं और उन क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य प्रारम्भ करने में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने क्या प्रगति प्राप्त की है; और

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिम बंगाल में किन-किन स्थानों पर गैस अथवा तेल का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग कार्य कर रहा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) 1978 में सोवियत दल द्वारा किये गये मूल्यांकन में पश्चिम बंगाल के डेल्टा वाले मैदानी क्षेत्रों को हाइड्रो-कार्बनों के लिए सम्भावनापूर्ण बताया गया है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में अभी तक बोदरा, बकुलतला, गालसी, डाइमंड हारबर, राधा, अमय, बिशनपुर, जगुली, नालदाह, माजु और धनंजयपुर में कुओं की खुदाई की है।

(ग) इस समय, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बोदरा में कूप बोदरा-2 की खुदाई कर रहा है। माजु और धनंजयपुर-1 के कुओं का परीक्षण किया जा रहा है।

राउरकेला में प्रधान डाकघर के भवन का निर्माण

2234. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र ने वहां प्रधान डाकघर के भवन का निर्माण करने हेतु उड़ीसा डाक सर्किल को भूमि दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त डाकघर का निर्माण न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार राउरकेला को एक पृथक डाक सर्किल बनाने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस डाकघर भवन का निर्माण करने के लिए विभागीय औपचारिकताएं प्रारंभ कर दी गई हैं। प्रारम्भिक नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

खोल बनाने का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को देना

2235. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यों या वस्तुएं जिनका निर्माण अब तक विभिन्न आयुध कारखानों में होता था, अब धीरे-धीरे कतिपय गैर-सरकारी क्षेत्रों में दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि लुधियाना में एक नयी फर्म को खोल बनाने का कार्य दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सेनाओं की प्रक्षिप्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब आयुध निर्माणियों में किसी विशेष मद के उत्पादन के लिए विद्यमान उत्पादन क्षमताएं अपर्याप्त रहती हैं तो रक्षा सामग्री के लिए सिविल क्षेत्र के उद्योग (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों) को आदेश दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) खोलों सहित विभिन्न रक्षा सामग्रियों की पूर्ति के लिए लुधियाना में एक गैर-सरकारी फर्म सहित विभिन्न स्थानों में स्थित सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों को आदेश दिए गए हैं। आदेश निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिए जाते हैं।

यात्री कार बनाने के लिए टेल्को और जापान की होंडा के बीच समझौता

2236. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा की टेल्को ने वर्ष 1987 तक भारत में यात्री कारों का निर्माण जापान की होंडा कम्पनी के सहयोग से करने के लिए एक समझौता किया है;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने उक्त समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ?

उत्तर प्रदेश में बंबई हाई के कच्चे तेल (क्रूड) ले जाने के लिए पाइप लाइन बिछाना

2237. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने बम्बई हाई के कच्चे तेल (क्रूड) को प्रस्तावित पश्चिम रेलवे लाइन के स्थान पर मध्य रेलवे लाइन के रास्ते से उत्तर भारत ले जाने के लिए पाइप लाइन बिछाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया था कि गैस पाइप लाइन को केन्द्रीय रेलवे मार्ग के साथ-साथ अर्थात् सूरत, भुसावल, इटारसी, भोपाल और इसके बाद जगदीशपुर तक ले जाना चाहिए।

(ख) और (ग) सरकार ने इस पर विचार किया था और इस पाइपलाइन को मध्य प्रदेश से राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ले जाने के वैकल्पिक मार्ग से ले जाने की तुलना में अधिक महंगा पाया था।

तटीय ड्रिलिंग ठेकों के लिए निविदाएं आमंत्रित करना

2238. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में गहरी तटीय ड्रिलिंग के लिए ठेके देने हेतु निविदाएं आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या निविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने दो निविदाएं आमंत्रित की हैं, जिनमें से एक 6000 मीटर के चार खुदाई रिगों और दूसरी भारतीय उद्यमियों से 3500 मीटर के दो खुदाई रिगों को किराये पर लेने के लिए थीं।

(ख) पहली निविदा के प्रत्युत्तर में 15 फर्मों से और दूसरी निविदा में 13 फर्मों से दी गई दरें प्राप्त हुई थीं।

(ग) जी, नहीं।

महाराष्ट्र में बुल्डाना जिले के लिए सीधी डायल सेवा

2239. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों को सीधी डायल सेवा से जोड़ने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सीधी डायल सेवा उपलब्ध कराने के लिए विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना में महाराष्ट्र का बुल्डाना जिला शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। सभी जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ने की योजना को प्राथमिकता की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।

(ग) और (घ) जी हां। महाराष्ट्र में बुल्डाना जिला यानी बुल्डाना जिला मुख्यालय को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बम्बई के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

समेकित दूरसंचार व्यवस्था/कार्यक्रम

2241. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री समेकित दूरसंचार व्यवस्था कार्यक्रम के बारे में 20 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं०-1888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित कार्यक्रम के विस्तार और विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) बाड़मेर (राजस्थान), मथुरा (उत्तर प्रदेश) और कोहिमा में यह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और कब तक इसके पूरे हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नेटवर्क प्लान तैयार कर लिए गए हैं, परियोजनाओं से हानि का अनुमान है और कोहिमा, बाड़मेर, नैनीताल और मथुरा की परियोजनाओं को मंजूरी देने पर विचार किया जा रहा है। कोहिमा में निर्माण कार्य चल रहा है और बाड़मेर, नैनीताल और मथुरा के प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) कोहिमा में 1985 के अन्त तक उपस्कार की संस्थापना का कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है। बाड़मेर और मथुरा के लिए 1986 के दौरान उपस्कर प्राप्त होने की सम्भावना है। सम्पूर्ण परियोजना को 1988 के अन्त तक पूरा किए जाने की योजना है।

राजस्थान से पेट्रोल पम्प खोलना

2242. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसलमेर जिले के मोहनगढ़, नाचना, और रामगढ़ जैसे स्थान, जो वहां राजस्थान नहर के पहुंच जाने से महत्वपूर्ण स्थान हो गए हैं, के लोगों को पेट्रोल पम्पों के न होने के कारण बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या पेट्रोल पम्पों की मांग के बारे में कोई पुर्नमूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) तेल उद्योग ने बाजार सर्वेक्षणों के आधार पर राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़, नाचना तथा रामगढ़ को कम लागत वाले पेट्रोस/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र खोजने के लिए 1985-86 की अपनी विपणन योजना में शामिल कर लिया है ।

खाना बनाने की गैस के सिलेन्डरों के निर्माण को प्रोत्साहन

2243. **श्री विजय कुमार राजू** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान खाना बनाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण करने वाले कितने एककों को प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) क्या देश में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए खाना बनाने की गैस के सिलेन्डरों का निर्माण करने वाले कुछ और एककों को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इच्छुक उद्यमियों के कितने आवेदन सरकार के पास लम्बित पड़े हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) एल० पी० जी० सिलिंडरों को बनाने के लिए 600 से अधिक एककों ने डी० जी० टी० जी के पास अपने नाम दर्ज कराए हैं । तेल उद्योग ने 1983 में तीन वर्षों के लिए 21 सिलिण्डर उत्पादन एककों को आर्डर दिए ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार के पास कोई आवेदन पत्र बकाया नहीं है ।

बालासोर, उड़ीसा में राष्ट्रीय परीक्षण क्षेत्र (रेंज) की स्थापना

2244. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के बालासोर जिले में राष्ट्रीय परीक्षा क्षेत्र (रेंज) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन स्थलों का चयन किया गया है;

(ग) उक्त परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) इसके लिए चुना गया क्षेत्र उड़ीसा राज्य में बालासौर जिले का तटीय क्षेत्र है।

(ग) इस पर होने वाली अनुमानित लागत का हिसाब लगाया जा रहा है।

(घ) पूरे प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने और उसे आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है।

फ्रांस से इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज का आयात

2245. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1985 के टेलीग्राफ में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि फ्रांस से आयात की गई 10,000 लाइन की तीन इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज, जो पिछले वर्ष कलकत्ता पत्तन पर वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गई थी, का क्षति निर्धारण करने के लिए अभी भी फ्रांस के विशेषज्ञों के आने की प्रतीक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) फ्रांस से आयातित कुछ इलैक्टानिक एक्सचेंज उपस्कर, जून, 1984 में हुई कलकत्ता में अप्रत्याशित वर्षा के कारण बाढ़ के पानी में क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये उपस्कर एक गोदाम (वेयर हाउस) में रखे हुए थे न कि कलकत्ता पोर्ट पर पड़े थे जैसाकि अगस्त, 1984 में समाचार पत्रों में छपा था। प्रभावित मामलों की जांच की जा रही है तथा फ्रैंच विशेषज्ञों एवं बीमा पर्यवेक्षकों के सहयोग से लगभग दो तिहायी मामलों की पहले ही जांच कर ली गयी है बाकी मामलों की जांच भी संभवतः बहुत जल्दी कर ली जाएगी।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की कमी

2246. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की कमी है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की सप्लाई के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त सिलेंडरों के निर्माताओं के संघ ने इस बात की शिकायत की है कि सिलेंडरों के लिए आवश्यक वाल्वों की सप्लाई न होने के कारण कई निर्माण इकाइयां निर्माण आर्डर पूरा नहीं कर पा रही हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि इन एककों में करोड़ों रुपए मूल्य के सिलेंडर जमा पड़े हैं?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) 1984-85 में एल० पी० जी० के सिलिण्डरों का कुल उत्पादन तेल कम्पनियों की आवश्यकता से अधिक हुआ था इसलिए कुछ निर्माताओं के पास सिलिंडर बड़ी मात्रा में जमा हो गए। ऐसे स्टाक की मात्रा तथा मूल्य के बारे में इन एककों ने तेल उद्योग को अभी तक सूचित नहीं किया है।

राजधानी में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

2247. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं से अकुशल टेलीफोन सेवा, गलत और अधिक राशि के टेलीफोन बिल भेजे जाने तथा विशेष सुविधाओं का स्तर घटिया होने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1985 तक की अवधि में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन सेवा और विशेष सुविधाओं के बारे में 9,55,946 और गलत बिलों के बारे में 7570 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) एक्सचेंज में "दोष मरम्मत सेवा" में प्राप्त शिकायतों को दोष ठीक करने के लिए लाइन स्टाफ या स्विच कक्ष में भेज दिया जाता है। लिखित शिकायतों के प्राप्त होते ही तुरन्त उनकी पावती भेजी जाती है तथा उन पर यथा शीघ्र ध्यान देने के लिए उन्हें सम्बन्धित अधिकारी को भेज दिया जाता है और उपभोक्ता को शिकायत के सम्बन्ध में जवाब दिया जाता है। इसी प्रकार अधिक राशि के बिलों से सम्बन्धित शिकायतों पर 'एरिया मैनेजर के कार्यालय में कारंवाई की जाती है तथा उनकी जांच करने के बाद उन पर निर्णय लिया जाता है। तदनुसार उपभोक्ता को इस बारे में सूचित कर दिया जाता है।

पोर्ट ब्लेयर से एस० टी० डी० सेवा

2248. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नह सच है कि पोर्ट ब्लेयर से मेन लैण्ड तक एस० टी० डी० की सेवा की मांग लगातार की जाती रही है जिसे 1984 तक शुरू किया जाना था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पोर्ट ब्लेयर से एस० टी० डी० सेवा शुरू करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। मेनलैंड के लिए सर्किटों की संख्या में वृद्धि करके 1984-85 के दौरान पोर्ट ब्लेयर से मेनलैंड के लिए एस० टी० डी० सेवा प्रदान करने का कार्यक्रम था। सर्किटों की संख्या में वृद्धि के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) जी हां। सर्किटों की संख्या बढ़ाकर पोर्ट ब्लेयर से एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

टेन्योर स्टेशन घोषित करने का मानदंड

2250. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से केन्द्रों को टेन्योर स्टेशनों के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किसी केन्द्र को टेन्योर स्टेशन के रूप में घोषित करने के लिए क्या मानदंड है;

(ग) क्या अवधि केन्द्रों में तैनात व्यक्तियों को उनकी अवधि के पूर्ण होने के तुरन्त बाद स्थानान्तरित कर दिया जाता है; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान कितने व्यक्ति अपनी अवधि के समाप्त होने पर स्थानान्तरित नहीं हुए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) एक स्टेशन को टेन्योर स्टेशन घोषित करने का निर्णय वहां की जलवायु और मकान, शिक्षा, कानून और व्यवस्था आदि जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं पर निर्भर करता है।

(ग) जी हां। जहां तक सम्भव होता है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हजीरा उर्वरक परियोजना को गैस सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन का पूरा होना

2251. **श्री हन्नान मोल्लाह** :
श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को हजीरा उर्वरक संयंत्र को गैस की सप्लाई के लिए जनवरी, 1985 तक 245 कि० मी० पाइप लाइन पूरी करनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जनवरी, 1985 तक केवल 30 कि० मी० पाइप लाइन पूरी की है;

(ग) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से इतनी कम पाइप लाइन बनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पाइप लाइन परियोजना को पूरा करने सम्बन्धी अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। जनवरी, 1985 तक करीब 226 किलो मीटर की पाइपलाइन का काम पूरा हो गया था।

(ग) चूक मुख्यत: आलेपित पाइपों की सप्लाई में बिलम्ब और विदेशी और भारतीय ठेकेदारों के बीच अन्तर होने के कारण हुई थी।

(घ) मिनडोला नदी घाट के छोटे भाग जिसके लिए काम चल रहा है, के सिवाय, पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। कार्य पूरा करने की वर्तमान योजना में मिनडोला नदी के मध्य में चार स्थानों पर पाइपों की टाई-इन (बेल्डिंग) सहित मैसर्स मैकर्डमोट बार्ज द्वारा पाइपलाइन की खिचाई की जाने की आवश्यकता है। ये दोनों चालन मौसम और तरंगों की स्थिति पर पूर्णत निर्भर करते हैं। साथ-साथ एक वैकल्पिक आकस्मिक योजना जिसमें मिन्डोला नदी के बाहरी हिस्से में 25 किलो मीटर भूमि लाइन पाइप बिछाना विहित है, भी तैयार की गई हैं।

महाराष्ट्र में सैनिक विद्यालय खोलना

2252. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में "सैनिक विद्यालय" खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) इस समय महाराष्ट्र राज्य में चल रहे सैनिक विद्यालयों की संख्या क्या है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या नागपुर जिला (महाराष्ट्र) काम्पटी में सैनिक विद्यालय खोलने का एक प्रस्ताव भी काफी समय से केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो काम्पटी में किस अवधि तक सैनिक विद्यालय कार्य करना प्रारम्भ कर देगा; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में कितने नए सैनिक विद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ङ) सैनिक स्कूल राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर स्थापित किया जाता है क्योंकि सैनिक स्कूल का समस्त पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय का अधिक भाग राज्य सरकार को वहन करना होता है। महाराष्ट्र सरकार से राज्य में एक और सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) महाराष्ट्र में सतारा में एक सैनिक स्कूल चल रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

2253. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में गैस पर आधारित उर्वरक सन्यन्त्र और पेट्रोकैमिकल्स सन्यन्त्र स्थापित करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के लोगों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निर्णय क्या है और प्रस्तावित यूनिट और कम्पलैक्स की स्थापना कब तक होगी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ऐसी मांग महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों द्वारा की गई थी।

(ख) और (घ) उर्वरक सन्यन्त्रों के स्थान तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर आधारित होते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों की मांग, फीड स्टाक की उपलब्धता, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं और पर्यावरण पर प्रभाव जैसे अन्य सम्बद्ध पहलु शामिल हैं। इन पहलुओं के आधार पर बम्बई हाई गैस का प्रयोग करने वाले उर्वरक सन्यन्त्र थाल (महाराष्ट्र) हाजिरा (गुजरात), गुना (मध्य प्रदेश) आंवला, जगदीशपुर, बबराला और जहजहांपुर (सभी उत्तर प्रदेश) और सवाई माधोपुर (राजस्थान) में स्थापित किए गए हैं/किए जा रहे है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक गैस क्रेकर कम्पलैक्स की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

नागपुर में खाना पकाने की गैस एजेंसियां

2254. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर (महाराष्ट्र) में इस समय विभिन्न पेट्रोलियम कम्पनियों की खाना पकाने की कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नागपुर में खाना पकाने की गैस और एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नागपुर में खाना पकाने की गैस की कमी को देखते हुए प्रस्ताविक गैस एजेंसियां कब तक काम शुरू कर देंगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) नागपुर में विभिन्न तेल कम्पनियों की 21 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्य कर रही हैं।

(ख) से (घ) तेल उद्योग की 1985-86 के दौरान विपणन योजनाओं के अधीन नागपुर में

8 और एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोजने की योजना है। इन 8 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 6 को 1985-86 में दौरान आरम्भ कर दिए जाने की आशा है।

दूरसंचार सम्बन्धी सरीन समिति की सिफारिशें

2255. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सम्बन्धी सरीन समिति की कुछ सिफारिशों को अभी कार्यान्वित किया जाना है;

(ख) क्या सरकार ने शेष सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों के कार्यान्वियन में क्या रुकावट है; और

(घ) शेष सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) समिति की 437 सिफारिशों में से 378 सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) स्वीकृत सिफारिशों को या तो क्रियान्वित किया जा चुका है या फिर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

(घ) जिन सिफारिशों को अभी नामंजूर/स्वीकार किया जाना है वे फील्ड में क्षेत्रीय व्यवस्था के गठन, आई० टी० आई० का विभाजन तार परियात और इंजीनियरी डिवीजनों का एकीकरण तथा संयुक्त डाकतार घरों को विभागीय तार घरों में बदलने से सम्बन्धित हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिवीजन में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए सरकारी मकान

2256. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिवीजन में कार्यरत डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए कोई सरकारी मकान उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उन्हें सरकारी मकान की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। वाराणसी मंडल में 155 स्टाफ क्वार्टर हैं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में डाकघरों में "अन्तर्देशीय" पत्र, कार्ड और लिफाफों की कमी

2257. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड और लिफाफे आदि उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति सुधारने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) आजमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्र कार्डों, पोस्ट-कार्डों और इमबॉस्ट लिफाफों की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, वितरण संबन्धी कठिनाइयों के कारण कुछ डाकघरों में डाक मदों की अस्थाई कमी के कुछ छुट-पुट मामले हो सकते हैं। इन पर ध्यान दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश में सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल को हिदायतें दे दी गई हैं कि वे सभी डाकघरों में डाक सामग्री की विभिन्न मदों की संतोषजनक सप्लाई को सुनिश्चित करें।

दिल्ली दूरसंचार में नैमित्तिक कामगारों को स्थायी किया जाना

2258. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरसंचार में सात से आठ वर्षों से लगातार सेवा में रहने के बाद भी नैमित्तिक कामगारों को स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें कब तक स्थायी कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस तारीख तक अनुमानतः 5,000 नैमित्तिक मजदूर कार्य कर रहे हैं।

(ग) इन 5,000 मजदूरों में से 700 नैमित्तिक मजदूरों को वर्ष 1984 की भर्ती में नियमित मजदूर, चपरासी, लाइनमैन, वायर मैन, गेटमैन, चौकीदार आदि के संवर्ग में नियमित पदों पर नियमितरूप से खपाने के लिए विचार किया जा रहा है। अन्य नैमित्तिक मजदूरों को भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर खपाया जाएगा।

ग्राम करखिया-रुस्तम सराय जिला आजमगढ़, उ० प्र० में डाकघर खोलना

2259. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम करखिया-रुस्तम सराय, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में डाकघर खोलने के लिए कब मंजूरी दी गयी थी;

(ख) सरकार उपर्युक्त डाकघर खोलने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) स्थानीय लोगों को इसके लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्राम करखिया रुस्तम सराय, जिला आजमगढ़, उ० प्र० में डाकघर खोलने की स्वीकृति सिद्धान्ततः 19-12-84 को दे दी गई थी ।

(ख) और (ग) मितव्ययिता के लिए नये पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध के आदेशों के हटते ही डाकघर खोलने की कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

लोहिया मशीन्स लि० द्वारा एकत्र की गई जमाराशि

2260. **श्री आर० एम० भोये : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति स्कूटर 500 रुपये की दर से आर्डर बुकिंग करने हेतु जमा राशि के रूप में लोहिया मशीन्स लि०, कानपुर द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) कम्पनी द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में 1 अप्रैल, 1985 को कितने आवेदक थे और इसे लम्बित आदेशों को निपटाने में कितने वर्ष लग जाएंगे; और

(ग) अब तक कितने स्कूटर रिलीज किए गए हैं, उनके वितरण के मानदण्ड क्या हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कम्पनी ने बताया है कि उसने स्कूटरों के लिए बुक किए गए आर्डरों पर 115 करोड़ रुपए की राशि जमा राशि के रूप में इकट्ठी की है ।

(ख) 1-4-1985 को बकाया पड़े आर्डरों की संख्या 21 लाख थी और कम्पनी को आशा है कि ये 6-7 वर्षों में निबटा दिए जाएंगे ।

(ग) कम्पनी ने बताया है कि 31-7-1985 तक 31,200 स्कूटरों की सुपुर्दगी कर दी है । स्कूटरों का आबंटन निम्न प्रकार से क्षेत्रवार (53 स्थान) किया जाता है :—

(i) वार्षिक उत्पादन का 35 प्रतिशत डिबेंचर होल्डरों को लाटरी निकालकर आबंटित किया जाता है;

(ii) 35 प्रतिशत का आबंटन क्षेत्र-वार कम्प्यूटर से प्राथमिकता सूचियों के अनुसार किया जाता है;

(iii) 35 प्रतिशत का आबंटन प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रवार लाटरी निकालकर किया जाता है;

(iv) 5 प्रतिशत का आबंटन निर्माता-कोटे से किया जाता है।

अनुमति के बिना कंपनियों का विस्तार

2261. **श्री के० प्रधानी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियां बनाने वाली उन (बहुराष्ट्रिक और भारतीय) कम्पनियों के नाम क्या हैं,

जिन्होंने सरकार की अनुमति लिये बिना अपनी इकाइयों का विस्तार किया है और इस प्रकार औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है;

(ख) सरकार की स्वीकृति के बिना अपनी क्षमता का विस्तार करने के परिणामस्वरूप इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित और बेची गई औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) उपलब्ध सीमा तक सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

2262. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है नहीं कि कोचीन तेल शोधक कारखाने के बार-बार बन्द होने से बहुत से कुशल कर्मचारी लाभदायक नौकरियों पर काम करने के लिए देश छोड़कर खाड़ी के देशों में चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने लोग छोड़कर खाड़ी के देशों को जा चुके हैं; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप हो रहे प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) 1982-83 से 1984-85 में कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड के कुल 48 कर्मचारी मात्र अधिक पारिश्रमिक के लिए विदेशों को चले गए थे, न कि रिफाइनरी के बन्द होने के कारण ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

2263. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार की क्या योजनाएं हैं;

(ख) इनसे ग्रामीण क्षेत्रों/पर्वतीय क्षेत्रों को क्या लाभ प्राप्त होंगे;

(ग) कौन-कौन से क्षेत्र इनसे लाभान्वित होंगे; और

(घ) कौन-कौन से क्षेत्र इनके अन्तर्गत नहीं आ पाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चूंकि सातवीं योजना के लिए दूरसंचार विभाग को निधि के आबंटन का निर्णय नहीं लिया गया है, अतः महाराष्ट्र राज्य में

आगामी पांच वर्षों के लिए दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार की विस्तृत योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों की मांगों को पूर्णरूप से पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ख) ग्रामीण/पहाड़ी क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए लगभग 200 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीफोन सुविधाओं से निम्नलिखित लाभ होंगे :—

(एक) सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार,

(दो) देहात से शहर की ओर आने पर नियन्त्रण,

(तीन) अलगाव की स्थिति में कमी आना, और

(चार) यात्रा का स्थान लेना।

(ग) और (घ) सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है, बशर्ते इसके लिए व्यवहार्यता मांग और संसाधन हों।

भारतीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए अमरीकी सहायता की पेशकश

2264. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए तथा रूस से शस्त्रों पर भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से अमरीका के रक्षा अंडर सेक्रेटरी ने अमरीका सहायता की पेशकश की है, जैसाकि दिनांक 2 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था;

(ख) क्या सरकार ने उक्त पेशकश पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों को देखा है। अमरीका के रक्षा नीति के अंडर सेक्रेटरी ने मई, 1985 में अपनी भारत यात्रा के दौरान इस सम्बन्ध में कोई विशेष पेशकश नहीं की थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अहमदनगर, महाराष्ट्र में के०के० रेंज का विस्तार

2265. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अहमदनगर, महाराष्ट्र में के० के० रेंज का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना के लिए 125 कि०मी० भूमि का अधिग्रहण करने का है;

(घ) यदि हां, तो उन ग्रामवासियों, किसानों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, उनके पुनर्वास के लिए यदि कोई योजनाएं बनाई गई हैं तो वे क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बेघर हुए परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ङ) के० के० रेंज के विस्तार का प्रस्ताव अभी केवल विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकता

2266. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र में गैस पर आधारित पांच उर्वरक संयंत्रों की वित्तीय आवश्यकता का पुनः मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो पुनः मूल्यांकन के पश्चात, गैस पर आधारित इन पांचों उर्वरक संयत्रों में से प्रत्येक की कुल अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों ने सरकार से 6:1 के उच्चतम ऋण इक्विटी अनुपात का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जिन 5 कंपनियों को गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आशयपत्र जारी किए गए हैं, उनमें से दो निजी क्षेत्र में हैं, एक-एक सहायताप्राप्त, सहकारी तथा सरकारी क्षेत्र में/निजी क्षेत्र की दो परियोजनाओं तथा सहायताप्राप्त क्षेत्र में एक परियोजना की वित्तीय अपेक्षाओं के सम्बन्ध में/प्रत्येक पर 700 करोड़ रुपए की लागत होने का अनुमान है, जिनका कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अन्ततः मूल्यांकन किया जाना है। सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र से सम्बन्धित संयन्त्रों की परियोजना लागत तथा परिणामी वित्तीय अपेक्षाओं की उर्वरक संयंत्रों से सम्बन्धित पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क की समाप्ति तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुनः गणना की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्योंझरगढ़ (उड़ीसा) में स्टाफ-क्वाटरों का निर्माण

2267. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्योंझरगढ़ (उड़ीसा) में दूरसंचार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्योंझरगढ़ के दूरसंचार कर्मचारियों के लिए बनाये जाने वाले प्रस्तावित क्वार्टरों की संख्या क्या है; और

(ग) इन क्वार्टरों के किस वर्ष तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 32 क्वार्टर।

(ग) वर्ष 1986 के अंत तक या 1987 के प्रारम्भ में।

डीजिटल माइक्रोवेव प्रणाली का निर्माण

2268. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयातित प्रौद्योगिकी के आधार पर आधुनिकतम डीजिटल माइक्रोवेव प्रणाली का निर्माण करने का है;

(ख) उक्त परियोजना का काम गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जाएगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को; और

(ग) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें निर्माण कार्य शुरू करने का काम दिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) यह परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा शुरू की जाएगी।

(ग` उपर्युक्त प्रणालियां इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाएंगी।

गैस-पाइपलाइन बिछाने के लिए पाइप का आयात

2269. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैस पाइप लाईन बिछाने के लिए अपेक्षित लाइन पाइप आयात किए जा रहे हैं तथा वे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके आयात का ब्यौरा क्या है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न गैस पाइप लाइन परियोजनाओं के लिए किन-किन देशों से कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में इन पाइपों का आयात किया गया और देश के बाजारों से कितनी मात्रा खरीदी गई ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) एच० बी० जे० गैस पाइपलाइन के मामले में, दिए गए आर्डरों का विवरण नीचे

दिया गया है :

पाइप का व्यास (इंचों में)	मात्रा (लाख मी० टनों में)	किन देशों से आयात किया जाना है	सी० एण्ड एफ० मूल्य (मिलियन यू० एस० डालरों में)
36"	1.52	जापान	94.04
36"	1.01	ब्राजील	51.33
30"	10.2	पश्चिम जर्मनी	56.40
24"	0.59	इटली	32.39
कुल :	4.14		234.16

इसके साथ ही, ब्राजील से 18" व्यास की लगभग 26,500 मी०टन पाइप (सी० एण्ड एफ० मूल्य लगभग 15.11 मि० यू० एस० डालर) तथा देश में ही स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एस० ए० आई० एल०) से 18" व्यास की लगभग 22,200 मी० टन पाइप खरीदने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। आयातित पाइप यू० ओ० ई० किस्म के हैं जिनका भारत में उत्पादन नहीं होता है। स्टील आथिरटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड केवल एस० डब्ल्यू० (स्पाइरली वेल्डिड) पाइपों का निर्माण करता है।

अन्य गैस पाइपलाइनों से सम्बन्धित ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और इन्हें एकत्र किया जा रहा है।

उर्वरक सन्यन्त्रों को बिजली की सप्लाई

2270. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक सन्यन्त्रों को बिजली की अपेक्षित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने की योजना है; और

(ख) विद्युत के कौन से वैकल्पिक स्रोत की खोज की जा रही है/खोजने का प्रस्ताव है और उड़ीसा में उर्वरक संयंत्र को फीड स्टाक के रूप में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने हेतु क्रियान्वित की जा रही परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पावर स्टेशनों से 20 प्रतिशत अनावन्टित पावर में से उर्वरकों सहित केन्द्रीय परियोजनाओं को पावर की आपूर्ति करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया गया है। कुछ वर्तमान उर्वरक सन्यन्त्रों द्वारा सामना की गई अपर्याप्त/अस्थिर पावर आपूर्ति की समस्या को भी जहां सम्भव है रक्षित विद्युत सुविधाओं के प्रावधान द्वारा न्यूनतम किया जा रहा है/किया जाएगा। गैस

पर आधारित नई उर्वरक परियोजनाओं में भी रक्षित विद्युत एकक होंगे ताकि वे विद्युत समस्याओं से बची रहें।

उड़ीसा स्थित उर्वरक सन्यन्त्रों को फीड स्टाक के रूप में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लो प्लाई रेटिड टायरों का उत्पादन

2271. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टायरों की कीमत निर्धारित करने का है/अथवा टायर निर्माताओं को सस्ते लो प्लाई रेटिड टायरों का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मजबूर करने का है ताकि उपभोक्ता को पर्याप्त रूप से अपनी पसन्द का माल मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान देश में विभिन्न प्लाई रेटिड टायरों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि की दर क्या थी ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस समय सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) भारतीय टायर उद्योग 200 से अधिक विभिन्न आकारों और भिन्न प्लाई रेटिंग के अनेक किस्म के टायरों का उत्पादन करता है। विभिन्न आकारों के विभिन्न प्लाई रेटेड टायरों तथा टायरों की किस्मों के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते किन्तु पिछले पांच वर्षों के दौरान टायरों के उत्पादन में कुल मिला कर लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मारुति कार का निर्यात

2272. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मारुति कार की भारी मांग है;

(ख) क्या किसी बाहरी देश ने भारत से मारुति कार आयात करने में अपनी रुचि व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मारुति कार के निर्यात की मांग की स्थिति में सरकार की नीति क्या होगी ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पड़ौसी देशों जैसे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने मारुति कारों के आयात में रुचि दिखाई है।

(घ) मोटर गाड़ियों सहित इंजीनियरी सामान के निर्यात को सरकार प्रोत्साहन देती है।

बड़े क्षेत्र के एककों द्वारा लाइसेंस समाप्त किए गए औषधियों का निर्माण

2273. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े क्षेत्र के एकक उन 94 औषधों में से किसी भी औषध का निर्माण कर सकते हैं जिन्हें हाल ही में औषध मध्यवर्तियों से निकालकर उनका लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन मध्यवर्तियों के नाम क्या हैं जिनका उपयोग इन औषध के निर्माण में किया जाता है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) हाल ही में लाइसेंस मुक्त की गयी 94 प्रपुंज औषधों/औषध मध्यवर्तियों को लाइसेंस मुक्त करने की योजना के अधीन सेक्रेटेरियट आफ इण्डस्ट्रियल अप्रूवल्स द्वारा जारी किए गए पंजीकरण के साथ संलग्न मानक शर्तों के अनुसार पात्र कम्पनियों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। एक मानक शर्त यह है कि सरकार की संतुष्टि के अनुसार क्रमिक स्वदेशीकरण कार्यक्रम तय किया जाएगा।

विदेशी कम्पनियों को अनचाहा लाभ

22‍74. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 40 प्रतिशत से कम इक्विटी वाली विदेशी कम्पनियों के गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लघु औषधि एककों से कौन-कौन सा कच्चा माल, कितनी मात्रा में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर खरीदा और कितने मूल्य पर खरीदा;

(ख) इसके कारण इन कम्पनियों को कितना अनचाहा लाभ हुआ है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) देश में लगभग 225 बल्क औषधों का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें से अनेक का उत्पादन सैंकड़ों लघु एककों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे एककों द्वारा इन बल्क औषधों की बिक्री 40 प्रतिशत तक विदेशी पूंजा वाली कम्पनियों सहित विभिन्न कम्पनियों को की जा रही है। चूंकि ऐसे बिक्री लेन देनों की संख्या काफी अधिक है अतः उन पर निगरानी नहीं रखी जाती।

[हिन्दी]

एटा में शाखा डाकघरों में टेलीफोन लगाना

2275. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शाखा डाकघरों में टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन शाखा डाकघरों की संख्या क्या है जहां चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन लगाए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मौजूदा नीति के अन्तर्गत आबादी वाले अधिकांश ग्रामों में 5 कि० मी० के भीतर दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था है। कुछ शाखा डाकघरों को भी यह सुविधा मिल सकती है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान जिन स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने हैं उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

कम सप्लाई वाली जीवन रक्षक औषधियों को लाइसेंस मुक्त करना

2276. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवश्यक जीवन रक्षक फार्मूलेशनों और अन्य औषधियों में प्रयुक्त उन औषधियों के बारे में जानकारी है जिनकी पिछले दो वर्षों के दौरान अत्यत कमी पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी औषधियों को उन औषधियों की सूची में शामिल किया गया है जिनके लाइसेंस हाल ही में समाप्त किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो आसानी से उपलब्ध न होने वाली कुछ औषधियों के लाइसेंस सरकार ने क्यों नहीं समाप्त किए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जिन प्रपुंज औषधियों की कमी से सम्बद्ध जीवन रक्षक तथा आवश्यक फार्मूलेशनों की लगातार कम आपूर्ति हुई वे पिलोकारपाइन निट्रेट, ग्रिसियों, फुलबिन तथा क्लोफिबरेट थी।

(ग) और (घ) पिलोकारपाइन निट्रेट तथा ग्रिसियो फुलबिन लाइसेंस मुक्त औषधों की सूची में आती है। लाइसेंस, मुक्त करने की योजना का सतत पुनरीक्षण किया जाता है।

रुग्ण एककों को सक्षम बनाने के लिए गैर-वाणिज्यिक उधार ऋण

2278. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक एककों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नियन्त्रण को देखते हुए उद्योग के रुग्ण होने की स्थिति में राज्य सरकार का क्या उत्तरदायित्व है;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि क्या सरकार द्वारा मामले को उठाये जाने पर भारतीय

औद्योगिक पुनर्गठन बैंकों द्वारा ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी की मांग की जाती है और जबकि सक्षम बनाने का प्राथमिक कार्य भारतीय औद्योगिक पुनर्गटन बैंक का है;

(ग) रुग्ण एककों के कार्य को सक्षम बनाने के कितने मामलों में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से गारंटी मांगी गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में रुग्ण एककों को सक्षम बनाने और उसका विस्तार करने के लिए विश्व बैंक ऋण के ढांचे पर कुछ अवधि के लिए गैर-वाणिज्यक ऋण उपलब्ध कराने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) यदि अनुमान लगाने पर कोई एकक वाणिज्यिक दृष्टि से जीव्य पाया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में सामान्यतः किसी राज्य सरकार से गारंटी नहीं मांगी जाती है। उन मामलों में, जिनमें एकक आर्थिक दृष्टि से जीव्य नहीं पाए जाते हैं, किन्तु, उसके बावजूद भी, राज्य सरकारें इन एककों को आई० आर० बी० आई० से सहायता प्राप्त कराने के सम्बन्ध में जोर डालती हैं, तो राज्य सरकारों से आवश्यक गारंटी देने के लिए कहा जाता है। किन्तु इन गारन्टियों की व्यवस्था आपस में बातचीत करके कर ली जाती है। उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार का इक्विटी के रूप में अधिक स्वामित्व होता है, इन दोनों से ही इक्विटी में अंशदान देने को कहा जाता है। यदि राज्य सरकार इक्विटी में अंशदान करने में असमर्थ रहती है, तो उस बारे में सामान्यतः गारंटी देने की मांग की जाती है।

(ग) अब तक आई० आर० बी० आई०/आई० आर० सी० आई० से सहायता प्राप्त केवल 15 एककों के सम्बन्ध में ही पश्चिम बंगाल सरकार से गारंटी की मांग की गई है। उन मामलों से भिन्न हैं, जिसमें एककों को पुनरुज्जीवित करने के हित में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एककों की निलम्बित की गई देयताओं की बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित एकक को एक राहत प्राप्त एकक घोषित करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में पश्चिमी बंगाल सरकार से गारंटी प्राप्त करना आवश्यक था।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एल० पी० जी० गैस सिलेंडरों का निर्माण

2279. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल ऐसे एककों की संख्या (वे किन किन राज्यों में स्थित हैं) कितनी हैं; जो एल० पी० जी० गैस के सिलेंडरों का निर्माण करते हैं लेकिन जिन्हें तेल कम्पनियों से मंजूरी प्राप्त करने के बावजूद भी राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) सिलेंडरों का आयात करने के क्या कारण हैं जबकि देश में निर्मित सिलेंडर उपलब्ध हैं;

(ग) क्या नए एककों को परीक्षण क्रयादेश देकर स्वीकृत एककों का दर्जा देने के बारे में कोई योजना तैयार की गई है यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन एककों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें परीक्षण क्रयादेश दिए गए हैं; और

(ङ) क्या केरल एककों को कोई परीक्षण क्रयादेश नहीं दिए गए हैं और यदि हां, तो इस बात को देखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि केरल एकक बेकार न पड़े रहें और उन पर विपरीत प्रभाव न पड़े ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में 11 यूनिटें ऐसी हैं जिन्हें विस्फोटक नियंत्रक में एल० पी० जी० सिलिंडरों के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया था परन्तु उन्हें तेल कम्पनियों से कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गए हैं।

बिहार	1
गुजरात	1
हिमाचल प्रदेश	1
केरल	1
महाराष्ट्र	2
राजस्थान	2
तमिल नाडु	2
उत्तर प्रदेश	1
	11

(ख) स्वदेशी स्रोतों से इसकी प्राप्यता में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए 1983 में सिलिंडरों के आयात का निर्णय लिया गया था।

(ग) किसी सिलिंडर को तब परीक्षण आर्डर दिया जाता है। जब वे सभी स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं।

(घ) तेल कम्पनियों ने 37 नई यूनिटों को परीक्षण आर्डर दिए हैं। राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) केरल की यूनिटों को सिलिंडरों की सप्लाई के लिए कोई आर्डर नहीं दिया गया था क्योंकि उन्हें न तो कोई विकासात्मक आर्डर दिया ही गया था और न उन्होंने इसे पूरा किया था और उन्हें अप्रैल, 1985 से पूर्व तेल उद्योग तकनीकी समिति ने कोई अनुमोदन भी प्रदान नहीं किया था। जब तेल उद्योग द्वारा वर्ष 1986-87 की खरीदों को अन्तिम रूप दिया जाएगा। तभी उन्हें आर्डर दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्यों का नाम	यूनिटों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	9
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	2
4.	हरियाणा	2
5.	जम्मू	1
6.	कर्नाटक	4
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	महाराष्ट्र	1
9.	उड़ीसा	2
10.	पंजाब	2
11.	राजस्थान	2
12.	तमिलनाडु	2
13.	उत्तर प्रदेश	5
14.	पश्चिम पंजाब	2
	योग :	37

आटोमोबाइलों के लिए बुशलैस आल्टरनेटरों का निर्माण

2280. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णतया केरल सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम केरल इलैक्ट्रिकल एण्ड अलायड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड ने आटोमोबाइलों के लिए एक बुशलैस आल्टरनेटर का निर्माण करने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो आवेदन पत्र कब प्राप्त हुआ;

(ग) जिन आधारों पर औद्योगिक लाइसेंस मांगा गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह ध्यान में रखा गया है कि कथित कम्पनी के पास लम्बा अनुभव उत्तम प्रोद्योगिकी है तथा उनके उत्पादों की कार्यशीलता को रेलवे द्वारा सराहा गया है;

(ङ) क्या कम्पनी ने मालपुरम जिले जो कि केरल का एक अधिसूचित पिछड़ा जिला है, में उद्योग लगाने का प्रस्ताव रखा है; और

(च) क्या लाइसेंस शीघ्र प्रदान कर दिया जाएगा और यदि हां, तो कब तक यह लाइसेंस दिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) आवेदन 26-6-1984 को प्राप्त हुआ था ।

(ग) कम्पनी का विचार आटो इलैक्ट्रिकल क्षेत्र में विविधता लाने का है, जिसके लिए उन्होंने लगभग 45 लाख रु० के प्रस्तावित निवेश में 1 लाख नग प्रतिवर्ष की क्षमता में आल्टरनेटरों का निर्माण करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस की मांग की है। कम्पनी का प्रस्ताव तहसील क्विलोन, जिला क्विलोन में एकक स्थापित करने का था और विदेशी सहयोग के लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया गया था ।

(घ) कम्पनी के पास रेल के डिब्बों में प्रकाश करने, वातानुकूलन और बैट्री चार्ज करने के लिए ब्रुशलैस आल्टरनेटरों का निर्माण करने का लाइसेंस है । कम्पनी के उत्पाद और प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई प्रतिकूल मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) जब से मोटर सहायक उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया है, कम्पनी को पहले ही सलाह दी गई है कि वह अपने एकक का औद्योगिक स्वीकृती सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग में आवश्यक पंजीकरण करा लें ।

टीटानियम डायोक्साइड का वार्षिक उत्पादन

2281. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टीटानियम डायोक्साइड (अनाटेस ग्रेड) (ख) टीटानियम डायोक्साइड (राटइल ग्रेड) का वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्या है; और

(ख) वर्ष 1981-82 से 1984-85 के प्रत्येक वर्ष के दौरान हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े टनों में)

वर्ष	टिटेनियम डाइआक्साइड (एनटेस ग्रेड)	टिटेनियम डाइआक्साइड (रूटाइल ग्रेड)	जोड़
1981-82	10628	321	10949
1982-83	9813	714	10527
1983-84	7287	1	7288
1984-85	12396	--	12396

बजहूर, केरल में एस० टी० डी० सुविधा

2282. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार बजहूर में टेलीफोन एक्सचेंज को पोनकुन्नम में प्रस्तावित माइक्रोवेव स्टेशन के साथ जोड़ने और बजहूर में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : केरल के पोनकुन्नम और बजहूर में माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बजहूर में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

बझूर टेलीफोन केन्द्र, केरल में 200 मैक्स एक्सचेंज की स्थापना

2283. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बझूर, टेलीफोन केन्द्र केरल में एक 200 मैक्स एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए संपत्ति खरीदी गई है;

(ग) क्या नए भवन के निर्माण के लिए अनुमानित व्यय का ब्यौरा तैयार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या नए एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए अनुमानित व्यय का ब्यौरा तैयार कर उसका शीघ्र निर्माण आरम्भ करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। 1983-84 के सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत बझूर के लिए एक 200 लाइनों का आटोमेटिक स्विचिंग उपस्कर अलाट कर दिया गया है।

(ख) जी हां। 40 सेंट भूमि खरीद ली गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां। टेंडर आमंत्रित करने और कार्य सुपुर्द कर देने के बाद 1986-87 में भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किए जाने की संभावना है।

पोनकुन्नम, कोट्टायम, केरल में माइक्रोवेव स्टेशन

2284. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोनकुन्नम, कोट्टायम जिला, केरल में एक माइक्रोवेव स्टेशन आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब कार्य आरम्भ करेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मणिपुर में डाक सेवा

2285. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ मास से मणिपुर के मुख्य और शाखा डाकघरों में स्टेशनरी की कुछ आवश्यक मदें कम मात्रा में उपलब्ध होने से लोगों को भारी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कारावाई की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जी नहीं। स्टेशनरी की मदों की कमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ ऐसे इक्के-दुक्के मामले हो सकते हैं, जिनमें हो सकता है कि किसी एक-आध मद की अस्थायी कमी हो गई हो। इन पर ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर पूर्व सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल इसकी व्यवस्था करते हैं। उन्हें स्टेशनरी की विभिन्न मदों की संतोषजनक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की हिदायतें दे दी गई हैं।

पश्चिम बंगाल विधान सभा के प्रतिनिधिमण्डल का हल्दिया स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन की समस्याओं के बारे में ज्ञापन

2286. **श्री पीयूष तिरकी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल विधान सभा के सर्व दलीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) क्या उसमें हल्दिया स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन की समस्याओं को उठाया गया है;

(ग) प्रतिनिधिमंडल में मंत्रालय ने सामने मुख्यतः क्या मुद्दे उठाए हैं और क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) प्रतिनिधिमंडल को दिए गए आश्वासन के अनुसार रुग्ण एककों के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली नीति के बारे में निर्णय की घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल से एक शिष्ट मण्डल ने पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव विभिन्न विषयों से सम्बन्धित है जैसे कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक रुग्णता, तथा इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रकशन बैंक आफ इण्डिया की भूमिका, सफल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सहभागिता, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिग्रहण किए गए एककों का भविष्य, बोर्ड फार इंडस्ट्रियल एण्ड फिनांनसिएल रिकंस्ट्रक्शन (बी० आई० एफ० आर०) स्थापित करना तथा रुग्ण एककों का पुनरुत्थान करने के लिए अन्य उपाय। इन विषयों पर सम्बन्धित विभाग गौर कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में भारतीय उर्वरक निगम के रामागुण्डम उर्वरक संयंत्र में दुर्घटना

2287. **श्री जी० भूपति : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 जुलाई, 1985 के आन्ध्र प्रदेश में रामागुण्डम में भारतीय उर्वरक निगम के उर्वरक एकक में हुई गंभीर दुर्घटना के और उसमें खराबी होने के क्या कारण हैं; जिस कारण संयन्त्र को बन्द करना पड़ा;

(ख) इसके उक्त संयंत्र और श्रमिकों को कितनी क्षति पहुंची, प्रभावित श्रमिकों और कर्मचारियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) उक्त संयन्त्र को पुन: चलाने की स्थिति में लाने के लिए उसकी मरम्मत और उपकरण को बदलने पर कितनी लागत आएगी और कितना समय लगेगा; और

(घ) क्या दुर्घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में भोपाल की तरह दुर्घटना रोकने के लिए उक्त दुर्घटना की कोई व्यापक जांच की जायेगी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अग्नि का सम्भावित कारण स्ट्रीम लाइन में वैल्ड किए हुए जोड़ का खुलना था, जिससे पाइप लाइन में दरार पड़ गई और बहते हुए तेल में आग लग गई। सही कारण का पता एफ० सी० आई० द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने पर लगेगा।

(ख) सिन्थेसिन गैस कम्प्रेशर और अमोनिया रेफ्रिजरेशन कम्प्रेशर को कुछ क्षति हुई है। एक कर्मकार आग से जख्मी हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। शोक संतप्त परिवार को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, एफ० सी० आई० मृत्यु लाभ योजना, सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना आदि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) रु० 1.5 करोड़ की अनुमानित लागत पर मरम्मत कार्य छः हफ्तों के भीतर पूरा होने की आशा है।

(घ) चल रही जांच को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना की न्यायिक जांच इस अवस्था में आवश्यक नहीं है।

मालडिब्बों की कमी के कारण गुजरात में नमक का जमा हो जाना

2288. **श्री अमर सिंह राठवा : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में नमक का बहुत बड़ा भण्डार जमा हो गया है और मालडिब्बों की कमी के कारण उसे वहां से हटाया नहीं जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या रेल अधिकारियों से और अधिक मालडिब्बों का आबंटन करने के लिए कहा गया है ताकि नमक को मानसून आरम्भ होने से पहले ही उस जगह से ले जाया जा सके; और

(ग) उस पर रेल अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है और मानसून आरम्भ होने से पहले नमक को वहां से हटाने अथवा उसके परिरक्षण के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) गुजरात में नमक का संचित स्टाक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.48 प्रतिशत अधिक है। इसका प्रमुख कारण नमक के उत्पादन में वृद्धि होना है जो इस वर्ष (मई, 1985 तक) के दौरान पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। माल डिब्बों की सप्लाई बहुत कुछ पिछले वर्ष जैसी ही रही। अधिक उत्पादन होने के कारण, रेलवे प्राधिकरण को अधिक मांगपत्र भेजे गए थे और उनमें से कुछ अभी बकाया हैं।

(ख) और (ग) रेलवे प्राधिकरण से आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नियमित रूप से अनुरोध किया गया है और उन्होंने यथासंभव आवश्यकताएं पूरी करने का आश्वासन दिया है।

डाक और तार विभाग द्वारा कलकत्ता में गल्वानाईजिंग संयन्त्र की स्थापना

2289. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने डाक और तार विभाग द्वारा कलकत्ता में ऐसे कोर्स के पास अपने दूरसंचार कारखाने, जिंक गेल्वानाइजिंग संयन्त्र स्थापित किए जाने पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो डाक और तार विभाग और राज्य सरकार के बीच विवाद के मुद्दे क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिंक गल्वानाइजिंग संयन्त्र से पर्यावरण प्रभावित न हो डाक और तार प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्य सरकार में मौजूदा संयन्त्र के स्थान के पर स्थापित किए जा रहे आधुनिक गल्वानाइजिंग संयन्त्र को तब तक चालू न करने का निवेदन किया है जब तक वे इस बात से संतुष्ट न हो जाएं कि आस-पास के क्षेत्रों में इससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी।

(ग) मौजूदा संयन्त्र को बदलने का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना था। इस नए आधुनिक संयन्त्र ने वायु प्रदूषण और बाह्य प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिए सुरक्षात्मक उपाय हैं। दूरसंचार फैक्टरी, कलकत्ता के प्राधिकारियों द्वारा जनवरी, 1985 में पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार को इस नए गल्वानाइजिंग संयन्त्र को चालू करने के उद्देश्य से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी करने के लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों ने फैक्टरी का दौरा किया तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों तथा उनके प्रभावों के सम्बन्ध में अध्ययन किया। राज्य सरकार से प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के बाद नए सन्यन्त्र को चालू कर दिया जाएगा।

हल्दिया उर्वरक कारखाने पर व्यय

2291. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हल्दिया उर्वरक कारखाने के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की है; और

(ख) कर्मचारियों को वेतन, समयोपरि भत्ता, बोनस और अन्य मदों के संबंध में अब तक कितनी धनराशि की अदायगी की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की हल्दिया फर्टिलाइजर परियोजना पर 31 मार्च, 1985 तक किया गया व्यय, वित्तीय लागतों सहित, लगभग 404.35 करोड़ रु० बैठता है।

(ख) 31 मार्च, 1985 तक वेतन, समयोपरि भत्ता, बोनस तथा अन्य मदों के सम्बन्ध में कर्मचारियों को दी गयी राशि लगभग 25.41 करोड़ रुपए बैठती है।

प्रबन्धनिदेशक आदि की नियुक्ति के लिए स्वीकृति प्रदान करने में ढील देना

2292. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनियों में प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान करने के मामले में कंपनी कार्य विभाग इस समय क्या मानदण्ड अपना रहा है; और

(ख) क्या रुग्ण कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों को अन्य कम्पनियों का अध्यक्ष न बनाने को सुनिश्चित करने हेतु इन मानदण्डों में ढील दी गई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मांत्रलय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकारी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनी या निजी कंपनी, जो सरकारी कम्पनी की सहायक है, के प्रबन्ध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक की नियुक्त को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 269 के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है। इस धारा से अनुमोदन करने के मानदण्डों को विस्तीर्ण रूप से सूचीबद्ध किया गया है, जो निम्नलिखित हैं :—

(1) क्या यह कंपनी के हित में है कि उसमें प्रबन्ध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक हो;

(2) क्या कंपनी का प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक योग्यपात्र और इस प्रकार की नियुक्ति के लिए सही व्यक्ति है तथा उसकी नियुक्ति जनहित के विरुद्ध नहीं है; और

(3) क्या प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक की नियुक्ति की शर्तें निष्कपट और उचित हैं।

(ख) इस उद्देश्य के लिए उपर्युक्त मानदण्ड पर्याप्त हैं।

भारतीय आयुध कारखानों द्वारा युद्ध सामग्री का उत्पादन

2293. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आयुध कारखानों द्वारा किए जाने वाली युद्ध सामग्री के उत्पादन में गत वर्षों में सराहनीय वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में लिए आयुध निर्माणियों में उत्पादन का मूल्य निम्नलिखित था :—

(1) 1981-82	787 करोड़ रुपए
(2) 1982-83	879 करोड़ रुपए
(3) 1983-84	1017 करोड़ रुपए

भारत में 'राक फास्फेट' में चीन की रुचि

2294. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत के राक फास्फेट खनन और परिष्ककरण प्रौद्योगिकी में रुचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में भारत की क्षमता और योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए चीन के किसी प्रतिनिधिमंडल ने भारत का हाल ही में दौरा किया है और बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यू० एन० डी० पी० तकनीकी सहयोग योजना के अधीन चीन के शिष्टमंडल ने निम्न श्रेणी के रॉक फास्फेट्स जो मूल रूप में चीन में उपलब्ध होने वाले अवसादी फास्फेट की तरह का है, की लाभप्रदत्ता और उपयोग पर भारत द्वारा किये जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु भारत का दौरा किया था।

चीन का शिष्टमंडल, जिसमें 5 इंजीनियर शामिल थे, ने 11/12 जून, 1985 को दिल्ली पहुंचा और पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० (पी० पी० सी० एल०) के साथ बात-चीत की। उनको, मसूरी रॉकफास्फेट की लाभप्रदत्ता और सीधे फास्फेटिक उर्वरकों के रूप में उनका प्रयोग करने के लिए कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया था।

भारत द्वारा अल्जीरिया से तेल की खरीद

2295. **श्री हरिहर सोरन** :
श्री राधाकांत डिगाल :

क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्जीरिया से तेल खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अल्जीरिया से कुल कितनी मात्रा में तेल खरीदने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए भारत और अल्जीरिया के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) अल्जीरिया से 0.5 एम० टी० क्रूड तेल खरीदे जाने का प्रस्ताव है।

(ग) अभी तक कोई करार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने जुलाई को सी० आई० एफ० के अत्याचारों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : तथ्यों का पता लगाने के बाद मैं इस पर विचार करूंगा। अनुमति नहीं है, अस्वीकृत किया गया···मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। मैं मना नहीं कर रहा···अनुमति नहीं है। अस्वीकृत किया गया···यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। एकदम अस्वीकृत किया गया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल दत्ता जी को अनुमति दे रहा हूं। आचार्य जी, ऐसा मत करिए। मैं इस पर विचार करूंगा···

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे पास फोटो हैं···

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कुछ भी होगा···ऐसा मत करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए। यह आपका काम नहीं है।

[हिन्दी]

मैं आपकी बात सुनता हूं। आप घबड़ाए नहीं।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : कल मैंने रेलवे बोर्ड के एक अफसर की पदावनति के बारे में एक मामला उठाया था । मैंने आज नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नही है । मुझे नोटिस मिला है । उसे मैंने आपको भी दिखाया है । मैंने तसल्ली कर ली है कि उसमें कुछ गलत बात नहीं है···अनुमति नहीं है ।

श्री अमल दत्त : मैं चाहता हूं कि वह सदन की सम्पत्ति बने । जो आपने मुझे दिखाया उसे सदन की सम्पत्ति बनने दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : सदन की सम्पत्ति बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।···कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा । मैं सन्तुष्ट हूं, अस्वीकृत अनुमति, नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं···मैं संतुष्ट हूं । इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है । नियम पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा । अनुमति नहीं है । जब मैं अपना निर्णय दे रहा हूं तो मेरे साथ बहस मत करिए ।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकारा) : एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि त्रिवेन्द्रम में पुलिस ने मनोचिकित्सा अस्पताल में रहने वाले मानसिक रोगियों के साथ बलात्कार किया है । इससे पहले आगरा, कालीकट और अन्य जगहों पर भी ऐसा हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : लिखित में दीजिए तब मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री तम्पन थामस : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस पहले ही दे चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए । मैं इस पर विचार करूंगा···तथ्य प्राप्त करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा । कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नही किया जाएगा । और भी सदस्य हैं । भगवान के लिए, बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : तमिल में बोले ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । बिना नोटिस के आप इस तरह नहीं बोल सकते ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : उन्होंने कहा कि दिल्ली में तमिल समुदाय के विद्यार्थियों को दिल्ली के स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल रहा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें नोटिस देने दीजिए । मैं पता लगा लूंगा ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कालिंग एटेंशन आ रहा है, इसको 193 के तहत ले लीजिए । यह बहुत इम्पोर्टेन्ट विषय है ।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलत नहीं किया गया ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, पटना बिहार की राजधानी है। वहां पर 10 दिन से एक हजार से ज्यादा टेलीफोन आऊट आफ आर्डर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए, कोई खास बात नहीं है।

श्रीमती कृष्णा साही : एक हजार से ज्यादा टेलीफोन कनेक्शन खराब हैं···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

आप लिख कर भेज दीजिए।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

डा० कृपासिंधु भोई (सम्भलपुर) : मुझे कुछ निवेदन करना है। आशा है समस्त सदन मुझसे सहमत होगा। आज चार विशिष्ट माननीय सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की जो सूचना दी गई है उस पर चर्चा होनी है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों से सम्बन्धित हैं। इसलिए हमारा निवेदन है इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं उसे मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में परिवर्तित करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इस विषय पर अधिक समय देने की जरूरत है अतः इसे अगले सप्ताह के लिए रख दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले भी ऐसा किया है और मैं अब भी ऐसा कर सकता हूं। अगर सदस्य चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है उन्हें प्राथिकता मिलेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक निवेदन है, बैलट में जिनका नाम सूची के आरम्भ में है पहले उन्हें प्राथिमकता दी जाएगी फिर अन्यों को।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, 15 लाख रुपए की लागत का यूरोनियम···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है ?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलत नहीं किया गया।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : जी हां, मैंने ध्यानकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा में परिवर्वित करने का विरोध···

अध्यक्ष महोदय : सदन की इच्छा थी इसलिए हमने ऐसा किया । पहले भी हमने ऐसा किया है । पांच-सात बार हम ऐसा कर चुके हैं । मैंने नियम के विरुद्ध कुछ नहीं किया ।

(**व्यवधान**)

श्री सी० माधव रेड्डी : लेकिन इस पर कार्य मंत्रणा समिति में सहमति हो गई थी और संसद ने स्वीकृति···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यही तो हम हमेशा करते हैं । अगर सदन चाहे तो उसकी सहमति से हम ऐसा करते हैं । इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : राजनीतिल-दांव पेंच स्पष्ट है ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय हम जब नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए कहते हैं तो आप हमें अनुमति नहीं देते हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम किसी के अधिकार नहीं छीन रहे हैं । हम दोनों पक्षों को अनुमति देते हैं ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जब हमने कहा कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जाए तो आप बोले कि केवल ध्यानकर्षण प्रस्ताव पर ही चर्चा की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा था । लेकिन सदन की इच्छा है कि···

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : उस दिन सदन की इच्छा थी लेकिन आपने अनुमति नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : सदन में अभी-अभी अनुमति दी गई है ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : उस दिन जब मैंने सदन में कहा था···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर 90-95 प्रतिशत सदस्य चाहते हैं और सदन के पास समय है तो मुझे क्या परेशानी है । यह तो केवल समय का सवाल था ।

(**व्यवधान**)

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमने इस बारे में नोटिस दिया था । कार्य सूची में भी इसका उल्लेख है । लेकिन अब चर्चा के समय···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकृत । भट्टम साहब, इसे अस्वीकृत कर दिया गया है । अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

---

12. म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

छावनी निधि कर्मचारी (दूसरा संशोधन) नियम, 1985

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 281 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, छावनी निधि कर्मचारी (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 11 मई, 1985 को अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 97 में प्रकाशति हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1260/85]

डिजाइन (संशोधन) नियम 1985, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 तथा कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हू :

(1) डिजाइन अधिनियम, 1911 की धारा 77 के अन्तर्गत जारी किए गए डिजाइन (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 6 जून, 1985 को अधिसूचना संख्या का० आ० 448(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1261/85]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क की उपधारा (3) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 408(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 मई, 1985 को भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कतिपय उद्योगों अथवा सेवाओं को 22 मई, 1985 से 5 वर्षों की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के उपबन्धों से छूट देने के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1262/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 506(अ) तथा 507(अ) की एक-एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी, संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 24 जून, 1985 को प्रकाशित हुई थीं तथा जो केन्द्रीय सरकार की शक्तियां तथा कृत्य क्षेत्रीय निदेशकों तथा कम्पनी रजिस्ट्रारों को प्रत्यायोजित करने के बारे में है ताकि स्थल संगठनों के पास निर्णय लेने की शक्ति को सुदृढ़ किया जा सके और विकेन्द्रित किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1263/85]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 576(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 16 जुलाई, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 10 में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं, ताकि भाग III-सामान्य एवं मद संख्या 15 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों का लोप किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1264/85]

परिसीमन अधिनियम 1963 के सम्बन्ध में विधि आयोग का 98वां प्रतिवेदन

विधि तथा न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1963 के सम्बन्ध में विधि आयोग के 89वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1265/85]

आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1985 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत, आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1985, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 31 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या का० आ० 568(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1266/85]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 169 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 616 (अ) तथा 617(अ) की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 1 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 46-सी० शु० को रद्द किया गया है तथा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 158-सी०

शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि पावर चालित हलों को मिलने वाली मूल तथा सहायक सीमा-शुल्क से छूट हटाई जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1267/85]

12.10 म० प०

तमिलनाडु की कावेरी नदी घाटी में बड़ी मात्रा में तेल मिलने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : महोदय, तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में महत्वपूर्ण तेल के भण्डार के मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुए मुझे खुशी हो रही है।

नारीमानम-1 नामक अन्वेषण कूप में तेल और गैस मिली है जहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा धारित रिग सं० ई-760 से 2321 मीटर तक खुदाई कराई गई। यह कुआं तमिलनाडु में तंजाबुर जिले में नागा पाट्टिनम नगर से लगभग 10 किलो मीटर दक्षिण पश्चिम में तथा कराइकल से लगभग 11 किलो मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और 28 मार्च, 1985 को इसमें तेल पाया गया। इसमें 15400 घन मीटर गैस का तथा 250 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल का प्रारम्भिक बहाव देखा गया। स्थिर बहाव दर को निर्धारित करने के लिए उत्पादन परीक्षण चल रहा है।

यह हाल ही के महीनों में कावेरी बेसिन की सरजमीन पर हाईड्रोकार्बनों के मिलने की दूसरी घटना है, पहली बार यह जनवरी, 1985 में मिला था जो अपेक्षाकृत काफी छोटा है और कोविलकलप्पल-1 कूप में और वर्तमान स्थान से लगभग 10 किलो मीटर दूर है। कराइकल-नागापट्टिनम क्षेत्र में लोअर टेरटिपरि सेडिमेंट में तेल के मिलने से इस सब-बेनिस में तेल मिलने की सम्भावना में वृद्धि हुई है तथा इस बेसिन में इसी प्रकार की भौगोलिक स्थितियों में और स्थानों पर तेल निकलने की आशा की जा सकती है।

इस समय कावेरी की जमीन पर दो रिग खुदायी का काम कर रहे हैं तथा अन्वेषण खुदायी के काम में तेजी लाने के लिए शीघ्र ही एक और रिग लगाया जा रहा है।

12.11 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) अलीगढ़ के लघु क्षेत्र के उद्योगों को रेलवे द्वारा अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई

श्रीमती उषा रानी तोमर (अलीगढ़) : अलीगढ़ में बीच के दर्जे के बहुत कारखाने हैं, परन्तु

बिजली और कोयला के अभाव में करोड़ों रुपए का उत्पादन नहीं हो पाता। ट्रक द्वारा लाया गया कोयला बहुत महंगा पड़ता है और रेल का अव्वल तो डिब्बा नहीं मिलता और जिन्हें डिब्बा मिल जाता है उन्हें कोयला घटिया मिलता है। मान्यवर, मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करूंगी कि अलीगढ़ के कारखानों को भरपूर मात्रा में अच्छा कोयला रेल द्वारा सप्लाई कराने की व्यवस्था करें।

(दो) इन्दिरा नहर के साथ-साथ एक नई रेल लाइन बिछाने की मांग

श्री बीरबल (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोकमहत्व का प्रश्न सदन में उठाना चाहता हूं। इन्दिरा कैनाल के साथ-साथ एक नई रेल लाईन बिठाई जावे। इस लाईन की लंबाई 500 किलोमीटर के लगभग होगी और सुरक्षा व आमदनी के लिहाज से देश की प्रत्येक रेलवे लाईनों से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इन्दिरा कैनाल संसार की मानी हुई कैनालों में से एक है। इस कैनाल की क्षमता साढ़े 18 हजार क्यूसिक पानी की होगी, इसलिए इस कैनाल का क्षेत्र अन्न व चारे का भण्डार होगा और और इसके साथ-साथ कीमती लड़की का भण्डार होगा और राजस्थान का काफी हिस्सा पहाड़ों का भी आएगा तो कीमती पत्थर का भी इस एरिया में भण्डार है। इसलिए अनाज व चारा और कीमती लकड़ी पत्थर देश के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाने के लिए यह नई रेल लाईन काफी महत्वपूर्ण होगी। यह लाईन राजस्थान के छः जिलों को जोड़ेगी, प्रथम जिला श्री गंगानगर, नं० 2 चुरू नं० 3 बीकानेर नं० 4 जैसलमेर, नं० 5 बाड़मेर, नं० 6 जोधपुर और बीसों बड़े-बड़े शहरों को भी जोड़ेगी। तो मैं भारत सरकार व रेलवे मन्त्री जी का ध्यान इस महत्वपूर्ण रेलवे लाईन की ओर दिलाना चाहता हूं कि मन्त्री जी सदन में घोषणा करें।

(तीन) बिहार में मुंगेर और बेगूसराय को प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्ण साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में गंगा, क्यूल और हरोहर नदियों में अचानक भीषण बाढ़ आ जाने के कारण भयंकर कटाव एवं असीम क्षति जान-माल की हो रही है। वर्षों के इतिहास में यह एक दुखद घटना है। हजारों हजार एकड़ जमीन रातों-रात बालू और मिट्टी में परिणत या जलमग्न हो जाती है। कटाव के कारण हजारों घर इन नदियों के गर्भ में चले गए। मुंगेर एवं बेगूसराह के खुटहा, रामचन्द्रपुर, मोहनपुर, वलीपुर, रहातपुर के साथ-साथ अकबर पुल बिजलिया खानी आदि 50-60 हजार जनसंख्या के सामने भुखमरी, आवास की समस्या खड़ी हो गई है। रियर टाल के पंचायतों के गांवों में यातायात, पेयजल, स्वास्थ्य उपचार का भीषण संकट उपस्थित हो गया है।

इस सम्बन्ध में 1972 से 1985 तक मैं बिहार विधान सभा में भी बिहार सरकार का ध्यान इन दुखद परिस्थितियों की ओर आकर्षित करती रही और पुनः 1980 से 84 तक भारत सरकार से भी कहती आई हूं। दीर्घकालीन एवं कालबद्ध योजना के अभाव में यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गयी है। व्यवस्था के नाम पर वहां अल्पकालीन और आपातकालीन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एवं बिहार सरकार से करोड़ों की राशि जान-माल के बचाव पर खर्च की गई, परन्तु आम जनता को कोई लाभ न होकर अभियंताओं और ठेकेदारों को ही विशेष लाभ हुआ है। इसलिए मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूं कि मुंगेर और बेगूसराय जिले की नदियों के कटाव से राहत के लिए एक दीर्घकालीन कारगर योजना बनावें।

(चार) जम्मू और काश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : जम्मू और काश्मीर राज्य में पर्यटन उद्योग की स्थिति बहुत खराब है। अधिकांश हाऊस बोट और होटल खाली पड़े हैं। हाऊस बोट मालिकों ने अपना व्यापार चलाने के लिए सात वर्ष पूर्व बैंकों से जो ऋण लिए थे, उनका भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।

जो उद्योग केवल पर्यटन उद्योग के कारण ही फलते-फूलते हैं, जैसे लकड़ी 'पेपर-मैशो' कढ़ाई, कशीदाकारी, कालीन और शाल बनाने में लगे व्यक्तियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। काश्मीर में कुछ स्पष्ट कारणों से अपने ही देश के पर्यटकों की संख्या में कमी आई हैं। लेकिन ऐसा कोई कारण समक्ष नहीं आता कि विदेशों से यहां आने वाले पर्यटनकों की संख्या में कमी क्यों आई है। हमें समझ में नहीं आता कि भारत आने वाले अन्तर्राष्टीय पर्यटकों में से काश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या केवल 6 प्रतिशत ही क्यों है। मुझे इस तथ्य का पता चला है कि विश्व के सभी देशों की राजधनानियों में स्थित हमारे पर्यटन कार्यालय पर्यटकों को काश्मीर के पर्यटक स्थल होने की जानकारी नहीं दे रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मेरे निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं :—

(1) भारत सरकार काश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपाय करे।

(2) पर्यटकों को काश्मीर और लद्दाख आने के लिए आकर्षित करने हेतु मध्य पूर्व एशियाई देशों में विशेषज्ञों के एक दल को भेजा जाये।

(3) श्रीनगर हवाई-अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाये।

(4) विदेशों में स्थित सभी पर्यटन कार्यालयों को कहा जाना चाहिए कि वे भारत में पर्यटन केन्द्रों सम्बन्धी विवरणियों/पुस्तिकाओं आदि की जांच करें और उनमें वैष्णों देवी, काश्मीर और लद्दाख को पर्यटन स्थल दर्शाएं।

(5) भारत सरकार श्रीनगर में एक वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी नियुक्त करे जो पर्यटन में गिरावट की वर्तमान स्थिति का जायजा ले तथा काश्मीर में पर्यटन का विकास करने के लिए सुझाव दे।

(पांच) विश्व में पूर्ण निरस्त्रीकरण कराने हेतु सभी प्रकार के परमाणु अस्त्रों के निर्माण और उनके परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : आज 6 अगस्त, 1985 का दिन समूचे विश्व और मानवता को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने की 40वीं वर्षगांठ की याद दिलाता है। समूची मानवता, जिसमें अमरीका तथा परमाणु अस्त्र बनाने वाले देशों के अपने लोग भी शामिल हैं, परमाणु अस्त्रों के प्रयोग का विरोध

कर रहे हैं। यदि भविष्य में कभी आणविक युद्ध हुआ तो यह निश्चित है कि परमाणु युद्ध की विजय की खुशी मनाने के लिए कोई जीवित नहीं बचेगा।

मैं सोवियत संघ के राज्याध्यक्ष को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह घोषणा की है कि 6 अगस्त, 1985 के बाद उनका देश आगे आणविक परीक्षण नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि यह परमाणु अस्त्रों की रोक पर उठाया गया पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं अमरीका के राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वह भी अमरीका में आणविक परीक्षण किए जाने पर रोक लगाने की घोषणा करें।

भारत के प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन ही समूचे विश्व को परमाणु युद्ध और अन्तरिक्ष-युद्ध (स्टार वार) कार्यक्रम से, जो अमरीका के राष्ट्रपति तैयार कर रहे हैं, बचने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे केवल पृथ्वी पर ही विनाश नहीं होगा अपितु बाह्य अन्तरिक्ष पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।

हाल ही में समाप्त हुए छः राष्ट्रों के सम्मेलन में महाशक्तियों से की गई अपील तथा हमारे प्रधान मन्त्री की हाल ही की सोवियत संघ और अमरीका की यात्रा के दौरान लाभप्रद वार्तालाप करने की जो पहल की गई, उसके परिणामस्वरूप परमाणु-निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर 19 नवम्बर, 1985 को जेनेवा में शिखर सम्मेलन होना संभव हो सका है।

मैं गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन के अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे सभी आणविक शस्त्रों के निर्माण और परीक्षण पर रोक लगाने के प्रभावी कदम उठाएं और अंततः समूचे विश्व में 'पूर्ण निरस्त्रीकरण' के लिए प्रयास करें।

(छः) मनखुर्द से बेलापुर तक नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा कराने के लिए पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता

श्री एस० जी० घोलप (थाणे) : यह सच है कि बम्बई में बहुत भीड़-भाड़ है और जब तक नई बम्बई का विकास नहीं किया जाता, वहां नवागन्तुक नहीं रह सकते। प्रधानमन्त्री ने भी कहा है कि पुराने शहरों के आस-पास नए शहर बनाए जाने चाहिएं। नई बम्बई का विकास हो रहा है किन्तु वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है और इसलिए वहां रेलवे लाइन को शीघ्र पूरा करना बहुत आवश्यक है। मनखुर्द से बेलापुर तक एक नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन यह सच है कि बजट में इसके लिए बहुत कम धनराशि का प्रावधान रखा गया है। इस लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः केन्द्र सरकार को मनखुर्द से बेलापुर तक नई रेल लाइन के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : डा० राजहंस। नियम 377 के अधीन अपनी बात कहने के बाद आप अनुदानों की मांगों पर अपना कल का भाषण पूरा कर सकते हैं।

(सात) अमरीका, कनाडा, फ्रांस आदि को मधुबनी चित्रकारी और मिथिला क्षेत्र की अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तर बिहार विशेषकर मिथिला प्रदेश से गैर-पारम्परिक मदों के निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। किसी समय मधुबनी के चित्र विदेशों में विशेषकर

अमरीका, कनाडा और फ्रांस में बहुत लोकप्रिय थे और काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे। लेकिन धीरे-धीरे इनका निर्यात कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप यह कला वस्तुतः अपने मूल स्थान, मिथिला, में ही लुप्त हो रही है। अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त देशों में मधुबनी चित्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय को प्रयास करने चाहिए। इस संदर्भ में इस समय अमरीका तथा फ्रांस में हो रहे भारत महोत्सव में मधुबनी के चित्र प्रदर्शित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही मिथिला की दस्तकारी, जो पहले विदेशियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थीं, के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। इस प्रदेश से आम अथवा आम के गूदे का भी निर्यात किया जा सकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि वाणिज्य मन्त्रालय को इस सम्भावना का भी पता लगाना चाहिए।

———

12.22 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1985-86—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। डा० राजहंस, आप अपना भाषण जारी रखेंगे। मैंने यह कहा है। आपको बैठने और फिर खड़े होने का कष्ट नहीं करना होगा।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस : अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि स्टेट्स को आप जितना पैसा देते हैं, उसकी मौनिटरिंग होनी चाहिए। आपकी सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फार ग्रांट्स के पृष्ठ 4 पर कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"बजट में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। बजट के पश्चात् लिए गए एक निर्णय के परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी। वर्षा के दौरान, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम दरों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए राज्य सरकारों को 10.34 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का भी निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 110.34 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान मांगा गया है।"

[हिन्दी]

उसी तरह से एक अन्य स्थान पर कहा गया है—

[अनुवाद]

"बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 230 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

इस बीच, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कम दरों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए राज्य सरकारों को 11.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पूरक अनुदान मांगा गया है।"

12.23 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप सप्लीमेंटरी डिमाण्डस लाकर सबसिडी वगैरह देना चाहते हैं, दूसरी सुविधाएं देना चाहते हैं, कई योजनाओं के लिए आपने पैसा मांगा है, लेकिन जैसाकि मैं कल भी कह रहा था, आप ग्रान्ट जरूर दीजिए, अगर यह भी देखिये कि वह पैसा कहां जाता है, किसको मिलता है, इन सब बातों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए।

जो बात मैंने कल कही थी, उसी को आज भी दोहराना चाहता हूं कि इन कार्यक्रम के जरिए जिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है और……

जिसको यह फायदा मिलना चाहिए उसको वह फायदा नहीं मिल पा रहा है और यह सचमुच ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपका ध्यान पेज 11 की ओर ले जाना चाहूंगा जहां एजुकेशन हैड के अन्तर्गत आप कहते हैं—

[अनुवाद]

"बजट में शिक्षा के बारे में केन्द्रीय क्षेत्र के आयोजना परिव्यय के लिए 221 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। नए कार्यक्रमों के विस्तार जैसे माडल स्कूलों को खोलने, अनौपचारिक शिक्षा, सबको प्राथमिक शिक्षा देने, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने, सामुदायिक पालीटेकनीक खोलने, नौकरियों को डिग्री से अलग करने की योजनाएं तैयार करने आदि के लिए 108 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

तो मैं चाहता हूं कि यह डिमांड तो बहुत ही अच्छी है, आप ने जिस परपज के लिए यह सप्लीमेंट्री डिमांड मांगी है, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मॉडल स्कूल्स कहां खुलेंगे, इसकी भी तो हमें कोई जानकारी होनी चाहिए। क्या बैकवर्ड एरियाज में ये मॉडल स्कूल खोलेंगे ? क्या डिग्री डिलीट करके जो आप जॉब देंगे, उसके बारे में भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या-क्या आप करना चाहते हैं, इसका जरा हमें भी तो पता चले। तो इसके लिए आप जो नैशनल पॉलिसी तय करते है, या तय करने वाले हैं, यह कब तक तय होगी। क्योंकि सारे देश में बहुत एक्सपेक्टेशन से इसके लिए इन्तजार हो रहा है, सारा देश बहुत व्यग्रता से इसका इंतजार कर रहा है कि नैशनल एजूकेशन पॉलिसी कब तय होगी।

आपने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए फण्ड मांगा है, यह अच्छी बात है कि आप टीचर्स को ट्रेनिग देंगे, लेकिन देहातों में आप जाइए, वहां देखिए, वहां क्या होता है। जहां स्कूल हैं, वहां टीचर्स नहीं हैं और जहां टीचर्स हैं, और यदि 10 टीचर्स एक जगह हैं, तो वहां एक टीचर ही आता

है और वह भी साल में 6 महीने खेती करता है। स्थिति बड़ी भयावह है। एजूकेशन पर जितना भी खर्च किया जाए, सब उचित है, लेकिन वह खर्च जायज तरीके से हो। आप यह कह कर पीछा नहीं छुड़ा सकते कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। यदि यह स्टेट सब्जैक्ट है, तो आप ग्रांट क्यों दे रहे हैं। यदि आप ग्रांट देते हैं, तो मॉनिटर क्यों नहीं करते हैं।

मैं आपका ध्यान पेज 12 पर ले जाना चाहूंगा, जहां आप कहते हैं"

[अनुवाद]

"पूरक अनुदान की आवश्यकता मुख्यतः तस्करी विरोधी उपायों को जोरदार बनाने के अभियान के भाग के रूप में तस्करी की वस्तुओं को पकड़ने के लिए इनाम की बढ़ी हुई अदायगी पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए है।"

[हिन्दी]

यह बहुत ही अच्छा है, बल्कि इसमें और भी ज्यादा खर्च करें, तो उचित है, लेकिन मेरा निवेदन यही है जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपने होर्डर्स को पकड़ा, मर्चेण्ट्स को पकड़ा, फायनेंस मिनिस्टर की बात थी, आपने टी० वी० पर दिखाया, करेंसी नोट पकड़े गए, हीरे जवाहरात पकड़े गए, बहुत ही अच्छी बात है। इतने नोट और हीरे जवाहरात तो मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखे थे, तो श्रीमन्, मैं यही निवेदन करता हूं कि अगर आप स्मगलर्स को पकड़ें, उनको टी० वी० पर दिखाइए, जिससे देश की जनता को एक संतोष होगा कि सरकार कुछ कर रही है। इसी प्रकार एजूकेशन के सम्बन्ध में भी देश की जनता को पता चलना चाहिए कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है, जिससे जनता में एक संतोष की भावना पैदा होगी। ऐसे ही हम खर्च करते जाएं, ठीक डायरेक्शन में खर्च हो नहीं रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा।

मैं आपका ध्यान पेज नम्बर 14 पर ले जाना चाहता हूं, यह सबसे ज्यादा जरूरी है, आप कहते हैं कि—

[अनुवाद]

"देश में सिक्कों की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए 20,000 लाख अदद सिक्कों का आयात। इससे कोई नकद निकासी नहीं होगी क्योंकि सिक्कों के चलन से जो प्राप्तियां होंगी, वे व्यय से अधिक होंगी।"

[हिन्दी]

क्वाइंस को आप फारेन से इम्पोर्ट करेंगे, मेरे विचार में इससे दुखद बात और क्या होगी। इस देश में छोटे-छोटे सिक्कों को होर्डर्स ने उठा लिया, भिखारियों के पास भी नहीं रहने दिया और आप देखते रहे। होता क्या है, यह आप समझ नहीं पाते और देखते रह जाते हैं और होर्डर्स फायदा उठा जाते हैं। सरकार को रिंग मास्टर की चाबुक की तरह होना चाहिए। वैसे चाबुक में कोई दम नहीं रहता है, एक अफवाह रहती है कि चाबुक में बिजली की छड़ी है, रिंग मास्टर की चाबुक में बिजली की छड़ी है, यह एक डर रहता है, रिंग मास्टर की चाबुक में कोई बिजली की छड़ी होती नहीं है, लकिन सिर्फ एक भय, डर रहता है। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि सरकार

का डर ऐसे लोगों के मन में होना चाहिए कि हम जो भी गलत काम करेंगे, वह गलत काम हमें सरकार नहीं करने देगी। लोगों ने चीनी को अंडरग्राउण्ड कर लिया, तो आप कुछ कर नहीं पाए, लोगों ने क्वाइन्स को अंडरग्राउण्ड कर लिया, तो आप कुछ नहीं कर पाए, आपने ब्लैक मनी होर्डर्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, लोगों ने छोटे-छोटे क्वाइंस को अण्डरग्राउण्ड कर लिया और आप कुछ नहीं कर पाए और आज हालत यह हो गई है कि सारे क्वाइंस अंडरग्राउन्ड हो गए हैं इसलिए आप फारेन से मंगा रहे हैं। आप हार्ड एण्ड फारेन एक्सचेंज को कितनी बुरी तरह से खर्च कर रहे हैं, इस देश की जनता के साथ आप कितना अन्याय कर रहे हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिए। इस पर जरा ध्यान दीजिए। आप जरूर क्वाइंस इम्पोर्ट कीजिए, लेकिन यह भी सोचिए कि ये क्वाइंस गए कहां? इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए।

पेज 15 पर आपने कहा है कि स्टेट्स के 90 परसेंट ओवर-ड्राफ्ट को मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट करने के लिए यह फण्ड चाहिए। मेरे विचार से इससे अच्छा डिसीजन हो नहीं सकता। ओवर-ड्राफ्ट को लेकर इस देश में बड़ा डिस्कशन हुआ है, लेकिन यह आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है।

पेज 16 पर आपने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया को ग्रान्ट-इन-एड देने के लिए 20 लाख रुपए का फण्ड आपको चाहिए। इसमें यह भी है :

[अनुवाद]

"पूरक अनुदान की आवश्यकता सरकारी क्षेत्र के संगठनों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि और अन्य संगठनों से आए कार्मिकों की बढ़ी हुई प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज इण्डिया को, जो प्रबन्ध सम्बन्धी अनुसंधान संस्था है, अपने होस्टल में आवास की सुविधाओं का विस्तार करने हेतु सहायता अनुदान के रूप में 20 लाख रुपए की अदायगी करने के लिए है।"

[हिन्दी]

मेरा इसमें एक ही निवेदन है कि आप जरूर खर्चा कीजिए, लेकिन वहां पर ऐसे आफिसर्स बनाइए, चाहे ब्यूरोक्रेट्स बनाइए, चाहे पब्लिक सैक्टर के मैनेजर्स बनाइए, जो इण्डियनाइज्ड हों, जो अंग्रेजियत के न रहें। उनको कहिए कि अगर आप पब्लिक सैक्टर के हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देने होंगे, अगर नहीं देते हैं तो 24 घण्टे में छुट्टी हो जाएगी।

पेज 18 पर आपने कहा है कि आल इंडिया इस्ट्रीट्यूट आफ मैडिकल साइंसेज के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट के लिए फण्ड आपको चाहिए। आप जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया हस्पताल के लिए भी सामान खरीदा गया था, इसकी अखबारों में चर्चा हुई थी। यह सामान कहां चला गया, यह पता नहीं चला। आप कह रहे हैं कि इन डिमांडज के जरिए रोगियों को फैसिलिटी देना चाहते हैं कुछ नई मशीनें खरीदनी हैं। आप जरूर नई मशीनें खरीदिए, लेकिन आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसेज में आज भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। जिनकी पैरवी पहुंच जाती है, उन मरीजों पर ध्यान दिया जाता है और जिनकी पैरवी नहीं पहुंचती है, उन्हें घुमाया और तड़पाया जाता

है। मैं तो कहूंगा कि आल इण्डिया इंस्ट्रीट्यूट आफ मैडिकल साईसेज के बारे में यहां एक सैपरेट डिस्कशन होना चाहिए और मैं इसके लिए स्पीकर साहब को लिखूंगा। लेकिन अगर इस इंस्टीट्यूट के लिए आप नई मशीनें खरीद रहे हैं तो उसका प्रापर यूटिलाइजेशन होना चाहिए और गरीबों को उनका बैनिफिट मिलना चाहिए।

पेज 22 पर आपने कहा है कि "नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स" के लिए आपको फण्ड चाहिए। क्या आपने 'नो इण्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स' को आइडिएंटीफाई किया है। नार्थ बिहार "नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट' है। साउथ बिहार में दुनिया भर का सामान है लेकिन उनके साथ भी न्याय नहीं होता है। बिहार में सारी चीजों हैं, लेकिन इण्डस्ट्री नहीं है। मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि इन सारे खर्चों का लाभ जनता को मिलना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, तीन महीने की अवधि में वित्त मंत्रालय अनुपूरक मांगों का पहला बैंच लाया है। यह कैसे हो सकता है कि सरकार को दो महीने पहले इन बातों का पता न हो? क्या सरकार इतनी अक्षम थी उसमें इतनी कल्पना शक्ति नहीं थी कि वह इनका अनुमान लगा पाती। या क्या सरकार जान बूझकर धोखा दे रही है? मेरे ख्याल में यह तो संसद को धोखा देने का एक प्रयास है, क्योंकि यहां जो भी मुद्दे पेश किए गए हैं उनमें से कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। मैं इस अवसर पर आपका ध्यान उस वित्तीय अनुशासनहीनता की ओर दिला रहा हूं जिसमें यह सरकार लगी हुई है। अब यह पहला बैच है। नवम्बर के महीने में आपके पास दूसरा बैंच आएगा। फरवरी के महीने में आपके पास तीसरा बैंच आएगा और शायद मार्च के महीने में आपके पास चौथा बैच होगी।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : हमारा विकासशील देश है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या वित्तीय और बजट सम्बन्धी मामलों में धोखे का इससे अधिक ज्वलंत उदाहरण हो सकता है?

अब हम बजट अनुमान के प्रश्न को लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाद्यान्न के उर्वरक और निर्यात संवर्द्धन—इन तीनों पर दी जाने वाली राजसहायता हमारी सरकार की कुल राजसहायता की चौथाई होती है और सरकार ने बजट को पेश करते समय इन तीनों राजसहायता शीर्षों में दी जाने वाली राजसहायता के आंकड़े जान बूझकर कम बताए ताकि लोगों और संसद को बजट में वास्तविक और व्यापक घाटे का ठीक से पता न चल सके।

इन तीनों शीर्षों पर राजसहायना की राशि 1984-85 के दौरान 2,556 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,512 करोड़ रुपए हो गई। इसमें 956 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। परन्तु 1985-86 के बजट अनुमानों में क्या प्रावधान किया गया? यह केवल 3,524 करोड़ रुपए ही था। इसका मतलब यह हुआ कि इस वर्ष जो वृद्धि दिखाई गई वह केवल 12 करोड़ रुपए थी। इन तीनों मदों के बारे में राजसहायता के आंकड़ों को जानबूझकर कम आंकने के लिए आप कौन सा अन्य उदाहरण चाहते हैं?

अब मैं इन तीनों शीर्षों को एक-एक करके लूंगा। इन तीनों में उर्वरक पर राजसहायता की राशि सबसे अधिक है जोकि अर्थात् कुल राजसहायता का 51 प्रतिशत है।

श्री राम प्यारे पनिका : इससे बच नहीं सकते ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 1984-85 के संशोधित आंकड़ों के अनुसार उर्वरकों पर राज-सहायता 1,080 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,832 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसका मतलब यह हुआ कि उर्वरक राजसहायता के शीर्ष के बारे में 752 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । परन्तु 1985-86 के बजट में अनुमान में केवल 1,801 करोड़ रुपए है । अन्य शब्दों में यह 1984-85 के संशोधित आंकड़ों की अपेक्षा इस वर्ष 31 करोड़ रुपए कम है ।

1984-85 के संशोधित आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न पर राजसहायता 850 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,100 करोड़ रुपए हो गई । लेकिन इस वर्ष बजट अनुमान 850 करोड़ रुपए था । इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार ने मार्च के महीने में सोचा कि इस वर्ष खाद्यान्न पर राजसहायता केवल 850 करोड़ रुपए होगी । दो महीनों में अनुपूरक मांगों के पहले बैच के एक भाग के रूप में 250 करोड़ रुपए के आंकड़े को शामिल करने के लिए वित्त मंत्री जी आगे आए हैं ।

उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रास्फीति के दवाब को रोकने के लिए सरकार को पिछले वर्ष की अपेक्षा इसवर्ष खाद्यान्न पर राजसहायता के रूप में और अधिक राशि खर्च करनी होगी ।

अब आप निर्यात संबर्धन राजसहायता के शीर्ष को लें। 1984-85 के संशोधित आंकड़े 621 करोड़ रुपए थे लेकिन इस वर्ष आंकड़े 580 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं । इसका मतलब यह हुआ है कि गत वर्ष की अपेक्षा यह 41 करोड़ रुपए कम है । चूंकि सरकार ने निर्यात के लिए उदारता के साथ वित्तीय रियायतें दी हैं, इसलिए वस्तुत: पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में जो आंकड़े थे उसकी अपेक्षा इसे और अधिक होना चाहिए ।

इन सभी आंकड़ों को दबा लिया गया था, क्योंकि सरकार नही चाहती थी कि लोगों और संसद को घोटे का सही पता चल सके । उदाहरण के लिए, जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्तें में वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले पूरे प्रभाव को इस अनुपूरक बजट में भी नहीं दिखाया गया है । बजट पेश करते समय बहुत से शीर्षों के बहुत से आंकड़ों को दबा लिया गया है । इस समय जबकि अनुपूरक मांगों का पहला बैच पेश किया जा रहा है उसमें आज तक 7,200 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है । बजट में यह मूलरूप 3,400 करोड़ रुपए था । अनुपूरक मांगों के रूप में इसमें 3,800 करोड़ रुपए जोड़ दिए गए हैं । हमारे वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घाटे के बारे में बड़ी चतुरता से जबाब दिया है । 1984-85 के आंकड़ों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि 1984-85 में बजट में अनुमानित घाटा 1,773 करोड़ रुपए था । अनुपूरक बजट का घाटा 3,612 करोड़ रुपए था । इसलिए कुल 5,385 करोड़ रुपया हुआ । लेकिन वास्तविक अनुमान या वास्तविक आंकड़े केवल 3,742 करोड़ रुपए थे । इसीलिए उनका तर्क यह था कि इस वर्ष हमारा घाटा 7,200 करोड़ नहीं होगा । लेकिन महोदय, यदि आप उनके तर्क पर जाएं तो कुल अनुमानित घाटे के मुकाबले में वास्तविक घाटा 70 प्रतिशत होता है । यदि इस वर्ष के घाटे के लिए वही प्रतिशत रखा जाए तो इस वर्ष 5,100 करोड़ रुपए का घाटा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अपने दल में से केवल मैं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण अय्यर ने अपना नाम दिया है। वह बोलना चाहते हैं। आपने पहले से ही 10 मिनट ले लिए हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : गत वर्ष जब बजट पेश किया गया था तो यह कल्पना करना सही था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में अनुमानित निवेश को कम करना होगा। अनुमानित आंकड़े 1,80,000 करोड़ रुपए के बताए गए थे। बजट पेश करने के बाद हमारे प्रधानमन्त्री ने योजना आयोग को स्पष्ट किया कि इन आंकड़ों को रखा जाएगा। मैं नहीं जानता कि इन आंकड़ों को किस प्रकार रखा जा सकता है। मैं इन आंकड़ों के रखने के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट करे कि इस राशि को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। सरकार सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती है। किन्तु सरकार लोगों को यह नहीं जताना चाहती कि वह सरकारी क्षेत्र के ऊपर कम महत्व दे रही है। वह अपना रवैया साफ-साफ नहीं जताना चाहती है। एलेक्जेण्डर पोप के शब्दों में इस सरकार का रवैया सरकारी क्षेत्र को आघात पहुंचाने का तो है परन्तु वह आघात पहुंचाने में डरती है।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मंत्री महोदय संसाधनों के इस अन्तर को किस प्रकार से पूरा करेंगे। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि 40,000 से 60,000 करोड़ रुपए तक संसाधनों का अन्तर रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस अन्तर का सीधा सम्बन्ध गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र में अनावश्यक व्यय का होना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अपने दल में मैं ही वक्ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल को ग्यारह मिनट दिए हैं। वह भी अपने समय का समायोजन कर रहे हैं। कृपया समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय मैं बजट पर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं। यदि आप एक दिन भी चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं लेकिन समय नहीं है। समय की ही तो बात है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार ने बचत पूल से 50 प्रतिशत ले लिया है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है···

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (अदिलाबाद) : कम से कम जयपाल रेड्डी को बोलने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समय दे रहा हूं। परन्तु यदि वह अधिक समय लेते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आप मेरे अगले वर्ष के समय से ले लेना।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह नोट करना एक महत्वपूर्ण बात है कि बचत पूल का तीन-चौथाई भाग औद्योगिक क्षेत्र से नहीं बल्कि घरों से आता है। सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद का

केवल एक चौथाई भाग ही पैदा करती है जबकि खर्च लगभग इसका एक-तिहाई भाग होता है। सरकारी खर्च और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अनुपात 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 1984-85 के दौरान सरकार का यह खर्च 68,000 हजार करोड़ रुपए का था हालांकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद केवल 2,10,000 करोड़ रुपए का था। भारत में केन्द्र तथा राज्यों दोनों में कई वर्षों से, अब चालू मूल्यों पर, लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष सरकारी खर्च बढ़ रहा है। गैर-निवेशी पूंजी व्यय में असावधानी के कारण वास्तविक योजना व्यय कम हो गया है। सातवीं योजना परिव्यय के लिए मूल रूप से 26 प्रतिशत बचत का वर्ष अनुमान लगाया गया था परन्तु नवीनतम रिपोर्टों से मालूम हुआ है कि योजनाआयोग खुद यह मानता है कि बचत प्रतिशत 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह केवल सातवीं योजना के लिए संसाधनों की कमी की समस्याएं धीरे-धीरे बढ़ायेगा, क्योंकि 1984-85 के लिए बचत प्रतिशत कम से कम 23 प्रतिशत था। यह 23 प्रतिशत भी विकसित देश के लिए बहुत अधिक है। परन्तु इसके बाद हम प्रायः भूल जाते हैं कि यह ऊंची बचत दर वित्तीय ह्रास और काली अर्थव्यवस्था इन दो बातों के कारण है। अब काली अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिवेदन उपलब्ध ही है जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० ब्रह्मानन्द के अनुसार इस सरकार ने अपने बजट में 1,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय रियायतें दी हैं। पिछले दिन हमारे वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कह रहे थे कि उन्होंने प्रत्यक्ष करों में केवल 200 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हां, परन्तु सीमा शुल्क के मामले में 420 करोड़ रुपए और उत्पाद शुल्क के मामले में 165 करोड़ रुपए। समय न होने की वजह से मैं कई अन्य छोटी मदों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

मुझे दो ठोस सुझाव देने हैं। सरकार को यह ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे की देश में अमीरों के द्वारा किये जा रहे अत्यधिक खर्च पर नियन्त्रण हो सके। पांच तारा होटलों के प्रसार पर नजर डालिए। हमारी संस्थाओं से धन की व्यवस्था की जा रही है और के विदेशी पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं तथा हम इन पांच तारा होटलों में शायद ही किसी विदेशी को पाते हैं। आप यह भी देखें कि काला धन आलीशान भवनों में छिपाया जा रहा है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि नई इमारतों के कुरसी क्षेत्र की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये।

जनता शासनकाल के दौरान, एक खर्च आयोग स्थापित किया गया था परन्तु इसे समाप्त कर दिया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सरकारी खर्च के सम्बन्ध में इस आयोग को पुनः गठित किया जाए, ताकि हमारे सरकारी खर्च को समुचितरूप से नियमित किया जा सके।

संसाधनों की स्थिति के सम्बन्ध में मैं नहीं जानना चाहता कि क्या वित्त मंत्री जी ने चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान यह नोट किया है कि गतवर्ष की इसी अवधि की तुलना में भेजा गया विदेशी धन 400 करोड़ रुपए कम हो गया है।

महोदय, अब राज्यों के ओवर ड्राफ्ट को लीजिए। मैं राज्यों की वित्तीय अनुशासनहीनता के भी खिलाफ हूं। लेकिन वित्तीय अनुशासनहीनता पर एकमात्र रूप से केन्द्रीय सरकार को ही एकाधिकार नहीं हो सकता। वित्तीय अनुशासनहीनता के बारे में जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि भारत सरकार सबसे बड़ी और सबसे बुरी अपराधी है। महोदय, मुझे खुशी है कि विजाग इस्पात संयन्त्र को कुछ और धन आबंटित किया गया है। बजट में केवल 215 करोड़ रुपए के आंकड़े थे। अब इसे 700 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

कि विजाग इस्पात संयंत्र को 1,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है । मैं आपसे विजाग संयन्त्र को और आबंटन के लिए अनुरोध करता हूं इसलिए नहीं कि यह आन्ध्र प्रदेश में है बल्कि इसलिए कि हम इस तरह के बड़े संयन्त्र में आवश्यकता से अधिक समय नहीं लगने दे सकते ।

मैं आयातित सिक्कों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं । सरकार का दिवालिया होने का ज्वलंत उदाहरण इससे अधिक हो ही नहीं सकता । हमें सिक्के का भी आयात करना पड़ा । हमारे देश में इस तरह से जब हमारे पास देशी सिक्के और आयातित सिक्के देंगे तब हमें इसी तरह वित्त मंत्री को आयात करने की आवश्यकता होगी ।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस सप्लीमेंट्री बजट की देख-रेख इस हाउस में हमारे वित्त राज्य मंत्री जी, श्री जनार्दन पुजारी, कर रहे हैं । श्री जनार्दन पुजारी जी को, जैसा कि मैं जानता हूं, गरीबों के बड़े हमदर्द हैं और खुद भी कमजोर वर्ग से आते हैं । पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में और खास कर वित्त विभाग में इन्होंने कमजोर लोगों की, दबे लोगों की और गरीब लोगों की सेवा का अच्छा अवसर देने के लिए जो संघर्ष किया है और जो कर रहे हैं, वह वाक्यी सराहनीय है । इस अवसर पर मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष जी, मुख्य बजट और इस सप्लीमेंट्री बजट के बीच में सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, वह पंजाब के बारे में किया गया समझौता था । पजाब का मामला बड़े गम्भीर रूप से हमारे देश के सामने आया था । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि पंजाब को लेकर इस देश में बहुत खून बहाया गया । पंजाब के अन्दर भी और पंजाब के बाहर भी और सबसे बड़ी कुर्बानी इस देश ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में दी । यह समस्या एक गम्भीर सूरत पकड़ चुकी थी । देश में जब लोक सभा के चुनाव हुए, तब पंजाब में चुनाव नहीं हो सके । असम में भी पिछली बार सन् 1980 में चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दो-तीन स्थानों पर चुनाव हुए थे और दो-तीन लोग असम से लोकसभा में आएंगे थे, लेकिन अब की बार पंजाब में बिल्कुल भी चुनाव नहीं हुए । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, जब लोकसभा में पंजाब के बजट पर बहस हो रही थी, तो एक भी प्रतिनिधि पंजाब का लोकसभा में नहीं था । वहां पर भी विधानसभा नहीं चल रही है और लोकसभा में भी पंजाब का कोई प्रतिनिधि नहीं है । इससे देश की एकता और अखण्डता के लिए एक बड़ा भारी खतरा देश के सामने आ गया था । मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधान मन्त्री जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं अकाली दल के नेताओं को और विशेष कर संत लोगोंवाल साहब को, जिनकी दूरदर्शिता से, जिनके प्रयासों से, जिनकी अच्छी नीयत से एक अच्छा समझौता हुआ । मुझे बड़ी खुशी है और प्रसन्नता है कि इस समझौते का पूरे देश में और विशेषकर पंजाब के सभी वर्गों के लोगों ने बड़ा स्वागत किया है, लेकिन भी कुछ लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं । बहुत बड़ी संख्या में जिस तरह से इस समझौते का स्वागत हुआ है, जिस तरह से लोगों ने इस समझौते को पसन्द किया है, उससे सारे देश के लोगों को एक राहत की सांस मिली है । मुख्य बजट से लेकर सप्लीमेंट्री बजट के बीच इन सात महीनों में राजीव गांधी की सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में यह बात लिखी जाएगी ।

उपाध्यक्ष जी, इसी बीच में प्रधानमंत्री जी का विदेशों का दौरा हुआ, वे रूस, अमरीका, फ्रांस और दूसरी जगहों पर गए। प्रधान मंत्री के रूप में राजीव गांधी जी का यह व्यापक दौरा पहली बार हुआ था और हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश की विदेश नीति को विदेशों में चलाया, जिस तरीके से देश की छवि बनाने में···

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या वह अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में बोल रहे हैं ?

श्री जैनुल बशर : जब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे होते हैं तो दुनियां की हर चीज पर चर्चा की जा सकती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह पूरक बजट को छोड़कर सब कुछ बोल रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : यह आम चर्चा है। हम सूर्य के प्रकाश में आने वाली हर चीज की चर्चा कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारे पास संगत बातों पर चर्चा करने का तो समय होता नहीं है।

श्री जैनुल बशर : बजट पर चर्चा करते समय सब कुछ संगत है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी का विदेश का यह दौरा बहुत ही कामयाब रहा, चाहे वह रूस में हो, चाहे अमरीका में, भारत की जो इमेज उन्होंने पेश की और प्रधान मंत्री जी को जो व्यक्तिगत इज्जत मिली, व्यक्तिगततौर से उन्होंने दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो अपना रिश्ता-नाता कायम किया, जो सम्बन्ध कायम किए वह देश के लिए बहुत गौरव और सौभाग्य की बात है। मैं आज इस माध्यम से उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और प्रधान मन्त्री के विदेश के इस दौरे पर उनकी बड़ी सफलता के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, जो सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया है, इसमें सबसे अच्छी और तारीफ की बात यह है कि जो एन्टी पावर्टी प्रोग्राम्स गरीबी उन्मूलन के हैं उनके लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई है। मुख्य बजट के समय बोलते हुए मैंने इस बात के लिए सरकार और वित्त मंत्री जी की आलोचना की थी कि उन्होंने एन्टी पावर्टी प्रोग्राम्स के मद में पिछले वर्ष की बनिस्पत इस वर्ष कम पैसा दिया। उसी वक्त वित्त मन्त्री जी ने उठ कर कहा था कि अभी राज्यों से रिपोर्टें इन प्रोग्राम्स के सिलसिले में नहीं आई हैं। जब रिपोर्टें आ जाएंगी, तब हम सप्लीमेंट्री बजट में और ज्यादा धन की व्यवस्था करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अधिक धन की व्यवस्था, जैसा उन्होंने कहा था, की है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या राष्ट्रीय भूमिहीन गारन्टी योजना, बहुत ही क्रान्तिकारी कार्यक्रम हैं। अभी कल ही हमारे तेलगु देशम के नेता श्री माधव रेड्डी कह रहे थे कि इस कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं जानता

कि आंन्ध्र प्रदेश में ये कार्य कैसे लागू किए जा रहे हैं, लेकिन जिन प्रदेशों को मैं जानता हूं और विशेष कर जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां इस कार्यक्रम में, हालांकि अभी वे ठीक प्रकार से लागू नहीं किए जा रहे हैं, उनके लागू किए जाने में कुछ खामियां है, लेकिन उसके बावजूद भी उन राज्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। बहुत से लोंगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में इन कार्यक्रमों ने मदद की है और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों के जरिए जो परमार्सेंट एसैट्स बन रहे हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, हरिजनों के लिए आवास बन रहे हैं, आदिवासियों के लिए आवास बन रहे हैं, रोजगार धन्धों में लगाए जाने के जो कार्यक्रम हैं—ये वास्तव में क्रान्तिकारी कार्यक्रम हैं। सरकार ने इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश की गरीबी को हटाने की बहुत बड़ी क्रान्तिकारी शुरूआत की है, इसमें कोई दो रायें नहीं है। इन कामों के लिए जितना भी पैसा दिया जाए, वह कम है। मैं तो अभी भी वर्तमान प्रावधान से संतुष्ट नहीं हूं,

1.00 म० प०

लेकिन अपने सीधित साधनों में से जो कुछ दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें और अधिक पैसे, और अधिक धन की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ, मैं पुजारी जी से, जो हमारे आदरणीय वित्त राज्य मंत्री हैं, यह कहना चाहूंगा कि इन कार्यक्रमों को लागू किए जाने में जो कठिनाइयां हैं, जो लूपहोल्स हैं, जो सुराख हैं, उनको बन्द करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट और।

श्री जैनुल बशर : महोदय, क्या मैं दोपहर के भोजन के बाद भी अपनी बात जारी रख सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप दस मिनट तो पहले ही ले चुके हैं।

श्री जैनुल बशर : महोदय, यह सब आपकी अनुमति पर निर्भर करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दोपहर के भोजन के पश्चात दो बजे म० प० फिर समवेत होंगे।

1.01 म० प०

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक स्थगित हुई)

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

2.06 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1985-86—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैनुल बशर अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एन०आर०ई०पी० और एन०आर० एल० जी० पी० के लागू किए जाने के बारे में कह रहा था। इन कार्यक्रमों में स्टेट लेवल पर और खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक इन कार्यक्रमों में साझेदार बनाया जाना चाहिए, उनकी भी प्रभावकारी भूमिका इन कार्यक्रमों को लागू करने में रखी जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जिस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं, वे शिकायतें बराबर मिलती रहेंगी। हम करोड़ों रुपए, बहुत बड़ी धनराशि इन कार्यक्रमों के लिए खर्च कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि इनसे क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में, देश के आर्थिक ढांचे में आ रहा है। इसलिए इसका जो लागू किया जाना है, इंप्लीमेंटेशन है वह भी इसी ढंग से होना चाहिए। गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को इस कार्यक्रम से काफी आशाएं बंध रही हैं। उनकी आशाओं को मायूस नहीं किया जाना चाहिए। अभी प्रधान मंत्री ने मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के आदिवासी इलाकों का दौरा किया। वे वहां पर गांवों में गए, उनके घरों में गए और कितनी गरीबी है, कितनी समस्या है, कितनी परेशानी है, उन्होंने वहां जाकर उसका जायजा लिया, उसका अवलोकन किया। इन इलाकों में भी इन कार्यक्रमों के जरिए व्यापक पैमाने पर सुधार लाया जा सकता है, उनकी हालत बदली जा सकती है। ऐसे इलाकों में और भी धनराशि, और भी पैसा दिया जाना चाहिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी दशा को सुधारने के लिए। मेरा यह भी सुझाव है कि प्रधान मंत्री जी कुछ हरिजन बस्तियों में भी जाएं। आदिवासियों की बस्तियों में तो वे गए और उसका बड़ा जबरदस्त असर पड़ा, देश के गरीब लोगों ने, कमजोर लोगों ने, दबे लोगों ने, हरिजनों ने, आदिवासियों ने प्रधान मंत्री की तरफ आशा भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया है और उन पर भी उनका उसी प्रकार का अटूट विश्वास पैदा हो गया है जिस प्रकार से उनका विश्वास श्रीमती इंदिरा गांधी पर था। तो मेरा सुझाव यह है कि वे कुछ हरिजन बस्तियों में भी जाएं और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बिहार के हरिजनों की बस्तियों में जाएं, जहां गरीबी बहुत अधिक है। वहां भी प्रधान मंत्री जी को अपने दौरे का कार्यक्रम रखना चाहिए, इन बस्तियों में भी उनको जाना चाहिए। इससे उनका मनोबल ऊंचा होगा और जो विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो एजेंसियां यह काम कर रही हैं, उनको भी कार्य करने का उत्साह मिलेगा और थोड़ा डर भी पैदा होगा।

उपाध्यक्ष जी, इस बजट में सौ ऐसे माडल स्कूलों को खोलने के लिए धनराशि रखी गई है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। अभी शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किया जाने वाला है, उसकी रूपरेखा हम लोगों के सामने नहीं आई है। मुझे आशा है कि कोई अच्छा और क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जाएगा। मैं तो इस विचार का हूं कि हमारे यहां जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वह समाज के सभी लोगों को समान अवसर नहीं देती है। इसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए लड़कों और गांव या शहर के म्युनिसिपिलिटी के स्कूल के पढ़े हुए लड़कों में समान अवसर नहीं आ सकता। उनको समान अवसर भी नहीं मिलता है। मेरा सुझाव यह होगा कि ये जो माडल स्कूल खुल रहे हैं, ये खासकर पिछड़े जिलों में खोले जाएं। उन माडल स्कूलों में समाज के गरीब तबके के चाहे आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हों, उन्हीं के लड़कों का प्रवेश किया जाए। बड़े-बड़े लोग अपने बच्चों को पब्लिक और अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिला सकते हैं। गरीब, कमजोर

व गांव का आदमी अपने लड़कों को पब्लिक और अच्छे स्कूलों में शिक्षा नहीं दिला सकता। इस बात की शुरूआत होनी चाहिए कि जो माडल स्कूल खुल रहे हैं उनमें सिर्फ गरीब तबके के लोगों, चाहे सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हों, उनकी आमदनी की एक सीलिंग होनी चाहिए कि इतनी आमदनी तक के लड़कों को शिक्षा दी जा सकती है। मैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से आता हूं। वह एक पिछड़ा जिला है। स्वतंत्रता संग्राम के जमाने में उसने बड़ी कुर्बानी दी है। मेरा यह सुझाव होगा कि इन माडल स्कूलों में से एक माडल स्कूल वहां पर खोला जाना चाहिए। अन्त में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। हमारे यहां गार्जीपुर में एक स्टील फैब्रीकेशन प्लांट बनाया जाना स्वीकृत किया गया था। मई-जून 1984 में वित्त मंत्री, स्टील मंत्री, योजना मंत्री तथा उद्योग मंत्री की एक बैठक हुई थी। उस मीटिंग में यह प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था। लेकिन बाद में पता नहीं कैसे वह फिर से स्टडी करने के लिए किसी एक कमेटी को दे दिया गया। उस कमेटी ने शायद यह रिपोर्ट दी है कि वह वायेबल नहीं है। इतने मंत्रियों की बैठक में यह फैसला किया गया था और जिसका ऐलान रेडियो तथा प्रैस में भी किया गया था। एक करोड़ रुपया 1984-85 में इसके लिए रखा गया था। इस प्रकार का कोई फैसला बदला जाए तो इससे लोगों में बड़ी मायूसी और उत्तेजना पैदा होगी। वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन वह कि वह इस बात को देखें कि उनकी मौजूदगी में यह चीज तय हुई थी कि गाजीपुर के दिलदार नगर में वह कारखाना लगाया जाना चाहिए। उसके लिए एक करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। अगर किसी तरह से यह प्रयास किया गया कि उसको बदला जाए तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इस मामले में मैं खासकर पुजारी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वह अपने व्यक्तिगत लेवल से भी इस बात को देखने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदय, मैं वर्ष 1985-86 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय, श्री रेड्डी ने उल्लेख किया है कि यह अनुदानों की अनुपूरक मांगों की पहली किश्त नहीं होगी, अपितु वित्त मन्त्री महोदय इस सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों की ऐसी अनेक किश्तें लेकर आयेंगे। मैं नहीं जानता कि यह वक्तव्य कहां तक सही है। मेरे विचार से वह उन समस्याओं की गम्भीरता को नहीं समझ सके हैं, जिनका वित्त मंत्रालय को और वित्त मन्त्री महोदय को सामना करना है, विशेषरूप से इस वर्ष। महोदय, गत मई में 1985-86 के सामान्य बजट को पास किये जाने के पश्चात इस वर्ष हमारे देश को अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ा। और अब गत दो मास से देश के बहुत से भागों में अभूतपूर्व बाढ़ आ रही है। और फिर कुछ राजनीतिक समस्याएं भी हैं, जिनका मेरे मित्र ने उल्लेख किया है, विशेषकर पंजाब में जो कुछ हुआ है। कुछ समय पहले देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में दो राज्यों के बीच सशस्त्र भिड़न्त हुई थी। इस देश में जब कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी तो क्या आप समझते हैं कि अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जब कभी भी लोगों को धन की आवश्यकता होती है, जब कभी भी केन्द्रीय सरकार को स्थानीय सरकार की सहायता करनी होती है, राज्य सरकार या किसी विशेष स्थान को विशेष वर्ग के लोगों की सहायता करनी होती है तो, धन खर्च करना पड़ेगा और अनुपूरक मांगों के माध्यम से उन्हें संसद की स्वीकृति के लिए लाना पड़ेगा। यदि सरकार स्थिति के प्रति सजग है और एक उत्तरदायी सरकार के रूप में, न केवल विधायिका के लिए, बल्कि जनता के लिए कार्य करती है और लोगों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करती है तथा धन खर्च करके

संसद के पास स्वीकृति के लिए आती है तो उसमें क्या बुराई है। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि घाटा बहुत अधिक और इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो यह बहुत खराब है। परन्तु यदि घाटा बढ़ी हुई उत्पादकता की ओर, अच्छी सामाजिक सेवाओं की ओर ले जाता है और मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाता है तो यह बहुत अच्छा है। यदि आप रुपया भी उधार लेते हैं तो आपका घाटे का बजट होगा, परन्तु यदि आप उचित रूप से मुद्रा-नियन्त्रण बनाए रखते हैं तो इससे क्या अन्तर पड़ता है। प्रश्न यह है कि आप धन किसलिए खर्च कर रहे हैं। हमें यही तो देखना है। केवल यह कहना कि चूंकि यह घाटे का बजट है, इसलिए बुरा है तो यह ठीक नहीं है। पुराने दिन चले गए हैं और हम न तो पुलिस राज्य चला रहे हैं और नहीं पूंजीवादी राज्य, हमारा तो कल्याणकारी राज्य है जिसमें हमें लोगों के कल्याण की बात सोचनी है। मैं अपने विपक्ष के मित्रों द्वारा की गई आलोचना को समझने में असमर्थ हूं। सम्भवतया वे इन बातों को खुले दिमाग से सोच पाते हैं। एक सावधान वित्त मन्त्री अनावश्यक रूप से ऐसा नहीं करेगा, वह तो तभी प्रावधान करेगा जब इसकी नितान्त आवश्यकता होगी। अतः, मैं कहूंगा कि वित्त मंत्रालय जो कुछ भी कर रहा है वह सही है और इसकी तकनीक काफी अच्छी है।

परन्तु मेरी एक शिकायत भी है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को 20-सूत्री कार्यक्रमों को चलाने के लिए धन देती है और फिर भूल जाती है। मेरे मित्र ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित फसल विकास योजना, 'टराईसेम' आदि कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। ये सभी कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू किये जाते हैं, परन्तु धन राज्यों को दिया जाता है और राज्य इसको करते क्या हैं इसकी कोई परवाह नहीं करता है। यहीं पर वित्तीय और प्रशासनिक नियन्त्रण की ढ़ील है। जब केन्द्रीय सरकार धन प्रदान करती है तो उन्हें इसके उपयोग पर भी निगरानी रखनी चाहिए, किसी को वहां पर जाकर यह देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि क्या कार्यक्रम को उचित स्थल पर लागू किया जा रहा है अथवा कागज पर ही कार्यवाही चल रही है। कुछ ऐसे राज्य भी हो सकते हैं, जहां पर इन्हें भली-भांति लागू किया जा रहा है परन्तु अन्यथा हरकोई इसके बारे में शिकायत कर रहा है। मैं यह तो नहीं करता हूं किसभी राज्य इस कार्यक्रम के साथ अन्याय कर रहे हैं। परन्तु अधिकांश राज्य यही कर रहे हैं और मेरे राज्य में तो यह कार्यक्रम एकदम असफल हो गया है। या तो यह धन उन कुछ उपयुक्तों की जेब में चला जाता है जो जिलों के विकास आयुक्त हैं याफिर किसी अन्य उद्देश्यार्थ इसका उपयोग किया जा रहा है। हमारे राज्य में प्रशासकों का एक वर्ग है, जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा से भी ऊंचा समझा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारियों को जिले के प्रशासन में हाथ डालने की अनुमति नहीं दी जाती है, जनता की सेवा करने का अवसर उन्हें नहीं दिया जाता हैं। जिन लोगों ने अपनी नौकरी नीचे से लिपिक के रूप में आरंभ की थी वे पदोन्नति पाकर ऊंचे पदों पर पहुंच गये हैं और उन्हें जिलों का प्रभारी बना दिया गया है। दूसरी ओर बैठे मेरे मित्र तब चिल्लाने लगते हैं जब श्री नामग्याल कुछ बोलते हैं। चौबे साहब, आप जरा सुनिये। कुछ लिपिकों और छोटे प्रशासकों को वरिष्ठ वेतनमान दे दिए जाते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर दिया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी जो भली भांति प्रशिक्षित और देशभक्त होते हैं, उन्हें जिलों का प्रभारी नहीं बनाया जाता है। पहले भी ऐसा ही होता था और अभी भी यही हो रहा है। 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने सम्बन्धी कई पद खाली पड़े हैं विशेषकर आई० सी० डी० के। उन्हें भरा नहीं जाता है। ये

कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं परन्तु उन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया जाता है। अतः, मेरा निवेदन है कि सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए।

जहां तक कृषि का सन्बन्ध है, पशुपालन के लिए बहुत सारा धन किया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। कृषि के क्षेत्र में यथेष्ट मात्रा में धन प्रदान किया जा रहा है। परन्तु हमें यह भी देखना चाहिए कि विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दूध के उपयोग को लोकप्रिय बनाए। गरीब लोगों को कम दरों पर दूध प्रदान करने के लिए कुछ किया जाना चाहिये। हमारे लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और कुपोषण एक बड़ी भारी समस्या है और दूध के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।

जहां तक शिक्षा की बात है यह बड़ा अच्छा है, कि हम प्रत्येक जिले में एक आदर्श विद्यालय खोलने जा रहे हैं तथा शिक्षा के लिए एक नई नीति अपनाने जा रहे हैं। महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमें एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिये। जो कुछ भी आप करें, कृपया राज्यों से सलाह भी लें और उन्हें विश्वास में लेकर यह निश्चित करें कि सबके लिए पाठ्यक्रम एक सा होना चाहिए अन्यथा पिछड़े राज्यों का विकास नहीं होने पायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश मुख्य पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है और यदि किसी राज्य-विशेष में पाठ्यक्रम भिन्न हैं तो उस राज्य के बच्चों को व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पायेगा। हम इसी कारण घाटे में रहते आये हैं और हमारे बच्चों को अच्छे संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता है। अत, एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिये और राज्यों से सलाह-मशविरा करके इसको अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। शिक्षा नीति के बारे में भी राज्यों से सलाह ली जानी चाहिए।

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियां हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें असफल हो रही हैं, सहकारिताएं असफल हो रही हैं और सरकारी सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की वस्तुएं अन्ततः उन काला बाजारियो के माध्यम से बेची जा रही हैं जिनके मन में पुराने मानव मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार को यह देखना चाहिए कि राज्य सहकारी प्रणाली को सही ढ़ंग से चलाएं और एक अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाएं।

अब मैं औषधियों की बात करता हूं। महोदय, आप एक युवा हैं और आपको चिकित्सा केन्द्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परन्तु मेरे जैसे लोगों को प्रायः जाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम भी जा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : नकली दवाईयां बहुत हैं। चिकित्सक कुछ औषधियां लिख देते हैं और हमें मिलती कुछ और ही हैं। और फिर विभाग भी बड़े पैमाने पर खरीद करता है और उन्हें ही हमारे पल्ले डाल दिया जाता है। दूसरे, जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सुविधाओं का सम्बन्ध है, वे स्वागत योग्य हैं, परन्तु सारे देश के लिए एक संस्थान पर्याप्त नहीं है। अतः हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सुविधाएं अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई जाएं। हमें यह भी देखना है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में और विशेषरूप से राज्यों की राजधानियों में एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था का विकास होना चाहिए। महोदय, जहां तक उद्योगों का संबंध है, लघु उद्योगों के विकास हेतु बहुत कुछ किया गया है। मैं केवल यह कहूंगा कि राज्यों

द्वारा एक सीमित समय के लिए कुछ रियायतें दी जाती हैं और वास्तव में होता यह है कि जैसे ही पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है नए यूनिट पुराने यूनिटों द्वारा धकेल दिए जाते हैं क्योंकि पांच वर्ष की अवधि में कोई भी यूनिट अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अतः समस्या का गम्भीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। परन्तु मेरे पास कोई हल नहीं है। बिक्री कर 16 या 17 प्रतिशत है और कुछ नए यूनिटों को बिक्री कर से छूट दी जाती है। 16 प्रतिशत एक बड़ी राशि होती है। पुराने यूनिट जिन्हें हमने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ सुविधाएं दी थीं नए यूनिटों से प्रतिस्पर्धा में जल्दी ही खतम हो जाते हैं।

महोदय, पेट्रोलियम मंत्रालय को यह भी अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक हमारे पास बाहर पर्याप्त बिजली न हो मिट्टी का तेल काफी मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। परन्तु मिट्टी का तेल आसानी से उपलब्ध नहीं होता है।

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, मैं यह अवश्य कहूंगा कि उनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं एक बार बीस सूत्री कार्यक्रम पर आता हूं। हमें राज्यों को बीस सूत्री कार्यक्रम लागू करने के लिए आग्रह करने के बजाय उन्हें विवश करना चाहिए। जब तक बीस सूत्री कार्यक्रम लागू नहीं किया जाता निर्धन लोगों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। दूर-दराज और अलग-अलग क्षेत्रों में यदि केवल बीस सूत्री कार्यक्रम ही ईमानदारी से लागू किया जाए तो उससे सहायता मिलेगी और लोग स्वयं को इस महान देश का अंग समझने लगेंगे। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि ये कार्यक्रम उन पर थोप दिए गए हैं। ये लोग मैदानी क्षेत्रों के हैं। वे दूरदराज क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत नहीं हैं। वे यदि वहां जाकर देखें कि लोग किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं तो उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। दूर-दराज के क्षेत्रों में यदि इसे उचित ढंग से कार्यान्वयन किया जाए तो वहां रहन-सहन बेहतर हो सकता है। परन्तु इसे तब तक उचित ढंग से लागू नहीं किया जा सकता जब तक अधिकारी दौरा नहीं करते। और यदि कोई अधिकारी क्रियान्वयन के मामले में गम्भीर और ईमानदार नहीं है तो वह दी गई राशि खर्च नहीं करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा। अतः इसे अत्यन्त ईमानदारी से लागू करना होगा और केन्द्रीय सरकार के पास यह जांच करने के लिए कि इस कार्यक्रम पर उचित ढंग से काम हो रहा है या नहीं एक मशीनरी होनी चाहिए। और उन्हें यह सुनिश्चत करना चाहिए कि इसे सही प्रकार से लागू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : महोदय, आपने मेरे अनुरोध पर मुझे इतना समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पुनः धन्यवाद करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, इससे पूर्व कि मैं अतुपूरक मांगों पर बोलना आरम्भ करूं, मैं मंत्री महोदय से इन सब बातों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं सभी मुख्य मंत्री दिल्ली में एकत्रित हुए थे और वे 'कन्साइनमेंट टैक्स' लागू करने के लिए सहमत हो गए थे। परन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे।

महोदय, पिछले दो से अधिक वर्षों से छोटे सिक्कों की कमी चल रही है और अब हम

सिक्कों का आयात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हम यह आयात पहली बार कर रहे हैं और वह भी इंगलैण्ड जैसे देश से जहां श्रम भारत से अधिक मंहगा है। हमें यह देखना होगा कि क्या हम उस पर अधिक तो खर्च कर नहीं रहे हैं ? छोटे सिक्कों की कमी तत्काल हल की जानी चाहिए।

इसके बाद महोदय, आपने समस्याग्रस्त कुछ गांवों के लिए धन स्वीकृत किया है। सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व समस्या प्रधान गांव निर्धारित किए गए थे और वह भी लगभग 10 वर्ष पहले। अब और भी बहुत से गांव समस्याग्रस्त गांवों की श्रेणी में आ गए हैं। कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे समस्याग्रस्त गांवों की सूची अद्यतन की जाए।

जहां तक इन गांवों को जलपूर्ति का संबंध है, दो योजनाएं हैं। एक—राज्य सरकार को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या करना चाहिए। यह कार्यक्रम सभी राज्यों में लागू हैं। एक ओर, त्वरित कार्यक्रम है इसके लिए केन्द्रीय सरकार बराबर का अनुदान देती है। होता यह है कि कई राज्य धन अभाव के कारण आवश्यकतानुसार खर्च नहीं कर सकते हैं चाहे केन्द्र द्वारा कुछ आबंटन कर भी दिया गया हो। चूंकि राज्य खर्च नहीं कर सकता इसलिए केन्द्र भी नहीं करता है। अतः इस त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देना खतम करना होगा। केन्द्र को इस बात का ध्यान रखे बिना कि राज्य पैसा खर्च कर सकते हैं या नहीं पैसा खर्च करना चाहिए जैसा कि वर्ष 1984 में चुनाव वर्ष में किया गया था।

तीसरे लगभग दो वर्ष से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती पर प्रतिबन्ध है और इस कारण केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भारी नुकसान हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्त्ती पर लगे इस प्रतिबन्ध को तत्काल खतम किया जाए।

मैंने यह भी देखा है कि सिंचाई के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है, मानो इस विभाग को धन की कोई आवश्यकता ही न हो। आपने देखा है कि देश के अधिकांश भागों—उत्तर और दक्षिण में सब जगह बाढ़ आई हुई है। आप निकट भविष्य में फिर सिंचाई के लिए अनुपूरक मांगें लायेंगे।

मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल दो परियोजनाओं के लिए धन की मांग कर रहा है। एक है तीस्ता परियोजना। आपको तीस्ता परियोजना पूरी करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए क्योंकि आप इसमें जितना विलम्ब करेंगे उतना ही आपको अधिक खर्च करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल एक ओर जिस परियोजना के लिए संघर्ष कर रहा है वह है मिदनापुर में बसराघाट में सुवर्णरेखा नदी पर बान्ध का निर्माण। इस क्षेत्र में जो सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, वह इस क्षेत्र के छः प्रतिशत से अधिक नहीं है।

आपकी इन अनुपूरक मांगों के बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता परन्तु मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी वित्त वर्ष में आप दो या तीन बार और अनुपूरक मांगें लायेंगे।

जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक बढ़ता जा रहा है। अभी मई में ही आपने मंहगाई भत्ते की एक किश्त दी है। मूल्य सूचकांक में फिर वृद्धि होगी। आपने यह नहीं बताया कि केन्द्रीय सरकार

कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने पर आप कितना धन खर्च करना चाहते हैं क्योंकि आप इसे छिपाना चाहते हैं।

मुझे रक्षा मंत्रालय की अनुपूरक मांगों में कोई दोष नजर नहीं आता क्योंकि आप यह दिखाना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, जबकि यह सच नहीं है। आपकी रक्षा के लिए पुन: अनुपूरक मांगें लानी होंगी। आपको तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए हेलीकाप्टर खरीदने पड़ेंगे, आपको 15 एम० एम० की तोपें खरीदनी पड़ेंगी। आपने वर्तमानअ नुपूरक मांगों में ये बातें नहीं कहीं हैं। संभवत: आप एक बार और या दो या तीन बार और अनुपूरक मांगें लायेंगे।

अब मैं ओवरड्राफ्ट को लेता हूं। इस सभा में जब कभी 1982, 1983 और 1984 में ओवरड्राफ्ट का प्रश्न उठा तो आपने हमेशा पश्चिम बंगाल के प्रथम स्थान पर होने की बात कही। अब पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर नहीं है। उत्तर प्रदेश है। परन्तु राज्य ओवरड्राफ्ट लेने के लिए विवश है।

(व्यवधान)

सभी राज्यों को अपने अधीन अस्पतालों को बनवाने, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, सड़कें बनवाने, शिक्षा और सिंचाई आदि जैसे काम करवाने हैं। इन कार्यों के लिए वे धन कहां से लायेंगे ? राज्यों के सारे संसाधन आप जुटा लेते हैं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : उनके अपने संसाधन हैं।

श्री नारायण चौबे : उनके संसाधन अत्यन्त सीमित हैं। आपके राज्य में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार है इसलिए आप इस प्रकार बोल रहे हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा नहीं बोलेंगे।

मार्च और इक्कीस जून के बीच आपने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक ऋण लिया है। यह पिछले वर्ष से 5,280 करोड़ रुपये अधिक है। और पिछले चार सप्ताहों से 21-6-85 से आपने 3,106 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। इस प्रकार आप भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकाधिक ऋण लेते जा रहे हैं और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं जितना आप दिखावा कर रहे हैं। इसी बीच, निस्सन्देह, भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों को ऋण के रूप में 394 करोड़ रुपये की कमी आई है।

बेरोजगारी और बढ़ेगी। आप बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को अपने देश में पहले ही निमन्त्रण दे रहे हैं। आपने पूंजीगत माल की 200 वस्तुएं खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अन्तर्गत रखी हैं जिनके माध्यम से आप जल-विद्युत सयन्त्र मशीनरी, ताप विद्युत सयन्त्र मशीनरी, कपड़ा मशीनरी, जूट वस्त्र मशीनरी मंगवा रहे हैं और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का गला घोट रहे हैं। इस प्रकार इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि बेरोजगारी में वृद्धि होगी।

पिछले दिनों ही हाजीपुर से उत्तर प्रदेश तक गैस पाइप बिछाने का ठेका इटली की एक कम्पनी को दिया गया है। समाचार-पत्रों की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात विद्युत बोर्ड ने भारतीय फर्म की लागत और भारतीय तकनीकी जानकारी की लागत पर "डीसैलीनेशन प्लांट" का ठेका एक फ्रांसिसी फर्म को दिया है। यदि आप भारतीय तकनीकी जानकारी लेते तो आपको 100 लाख डालर विदेशी मुद्रा की बचत होती।

आप अपने सामान्य राजस्व के लिए जनता से ऋण ले रहे हैं इसका अर्थ है आप धीरे-धीरे सामान्य राजस्व के लिए जनता से ऋण ले रहे हैं और देश के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं।

मैं काले धन के बारे में नहीं बोलना चाहता। कोई कह रहा था यह 32,000 करोड़ रुपया काला धन है। श्री वसन्त साठे कहते हैं यह 54,000 करोड़ रुपए हैं। मैं नहीं जानता कौन ठीक है। आपने सोचा था इन बड़े लोगों को धन देकर आप अधिक पैसा इकट्ठा कर सकेंगे परन्तु यह गलत सिद्ध हुआ है। पिछले कुछ महीनों में वसूली केवल आठ प्रतिशत बढ़ी है, यद्यपि आपका लक्ष्य पूरे वर्ष के लिए बीस प्रतिशत था। यदि आप पांच महीनों में 8 प्रतिशत ही वसूली कर सकते हैं तो आप 28 प्रतिशत वसूली के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते।

कलकत्ता चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष ने पिछले दिनों ही वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समक्ष इसी प्रकार की बात कहीं थी। उन्होंने कहा :

> "काले धन में रियायत से जमाखोरों को न तो गैर-कानूनी धन संचय को छोड़ने में और न ही उनको ईमानदारी से कमाए गए धन और कानूनी उद्यमों तक स्वयं को सीमित रखने में प्रेरणा मिलेगी।"

इस प्रकार आपको जो प्राप्त हो रहा है, वह यह है। मार्च में हमारे समक्ष बजट प्रस्तुत करते हुए आपने कहा था इससे हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे। हम जब इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करेंगे तो हम अत्यन्त समृद्ध होंगे। परन्तु आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं उससे वास्तव में राष्ट्रीय तबाही आएगी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बड़े आराम से शोषण कर सकेंगी। आप कृपया इस नीति को बदल डालिए और राष्ट्र समर्थक तथा बहुराष्ट्र विरोधी बनिए, भारत समर्थक और बहुराष्ट्र विरोधी बनिए। अन्यथा बेरोजगारी और बढ़ेगी। कालाहांडी में पहले ही बच्चे बेचे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं पहले ही लाखों लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी में हमारा प्रथम स्थान हैं। हम विश्व में निरक्षरता के मामले में प्रथम स्थान पर हैं। हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने में प्रथम हैं। आप यदि अब भी न रुके तो लोगों को लड़ना पड़ेगा।

आपके दल के लोग हमारे साथ मिलकर इन सब बातों के लिए—बन्द पड़ी मिलों को खुलवाने के लिए, केन्द्र सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए एक आन्दोलन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। 12 सितम्बर को सम्पूर्ण बंगाल बन्द रहेगा। इसमें 'इन्टक' के नेता भी सम्मिलित होंगे। मैं शुक्रगुजार हूं कि वे समझते हैं कि भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए हमारे साथ मिलकर चलना जरूरी है। यह इस महीने या सितम्बर, 1985 में होगा और मेरे विचार में सितम्बर, 1986 तक सम्पूर्ण सभा वर्तमान जन-विरोधी नीतियों को बदलने के लिए एक होगी। आप यदि नीति नहीं बदलते तो आपको भारत की जनता की आवाज सुननी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती बसव राजेश्वरी।

***श्रीमती बसव राजेश्वरी** (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1985-86 की अनुदानों

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं। वर्तमान वर्ष में हम पहली बार 3872.54 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

कई राज्यों ने ओवरड्राफ्ट किया है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों को ओवरड्राफ्ट की इस बीमारी से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया है। राज्यों को मध्यावधि ऋण देने के लिए 1628 करोड़ रुपए रखे गए हैं ताकि वे ओवरड्राफ्ट से बच सकें। परन्तु अब इस राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना राज्यों का काम है। मुझे आशा है कि इसके बाद राज्य ओवरड्राफ्ट से बचने के लिए अधिक जिम्मेवारी से काम लेंगे।

केन्द्रीय सरकार राज्यों के विकास के लिए काफी धनराशि खर्च कर रही है। परन्तु मैं महसूस करती हूं कि राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर पर खर्च बहुत ज्यादा है। लगभग सभी राज्यों में गैर-योजना खर्च योजना खर्च से बहुत ज्यादा है। इसे बन्द करना होगा। गैर-योजना खर्च का मैं विरोध करती हूं और मुझे आशा है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय मुझे गलत नहीं समझेंगे। सरकार गैर-योजना खर्च के कई कारण बता सकती है जैसा कि मंहगाई भत्ते और अन्तरिम राहत आदि का भुगतान। परन्तु इसके बावजूद मेरा यह मत है कि गैर-योजना खर्च यथासंभव कम होना चाहिए। कुल 3872.54 करोड़ रुपए में से 2516.71 करोड़ रुपया गैर-योजना खर्च के लिए है। योजना खर्च के लिए केवल 1355.83 करोड़ रुपए हैं।

इस प्रकार की स्थिति से बचना होगा और यह देखा जाना चाहिए कि गैर-योजना व्यय योजना व्यय से कम हो।

हमारे प्रधान मन्त्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं तथा हमारे वित्त महोदय और अन्य वित्त विशेषज्ञ योजना आयोग में हैं। इस आयोग ने आवश्यकताओं के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों को धन आवंटित किया। परन्तु यह देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आबंटित धन का सदुपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित करने हेतु कि धन को सही ढंग से उपयोग में लाया जाए, अच्छा मार्ग-दर्शन और सही पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए और एक व्यय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। अतः मेरा अपने वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह व्यय आयोग स्थापित करने के मामले पर विचार करें। यह आयोग यह देखने के लिए निवारक कदम उठाएगा कि फिजूल खर्च में धन का दुरुपयोग न हो।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए, मकान निर्माण हेतु 121 करोड़ रुपए की धनराशि का आबंटन किया गया है।

लगभग 121 करोड़ रुपए की धनराशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान बनाने हेतु मांगी गई है। परन्तु इन लोगों के लिए जो मकान बनाए जा रहे हैं, वे बेकार हैं। इन्हें लापरवाही से बनाया गया है और ये निर्माण के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर ढह जायेंगे। अतः, यह देखना बहुत आवश्यक है कि इन मकानों को बनाते समय कुछ स्थायी प्रबन्ध किए जायें। इसके लिए कुछ गावों को लिया जाए और उनके लिए अच्छे और मजबूत मकान बनाए जायें। अच्छे मकानों के निर्माण के अतिरिक्त, उनको पीने के पानी, विद्यालयों, अच्छी सड़कों, प्रकाश आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। तभी वे भी समाज में ऊपर उठ सकते हैं और अन्य लोगों की तरह सम्मान और खुशी का जीवन बिता सकते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसे और अन्य बहुत से कार्यक्रम हैं जिनसे गरीबों का उद्धार किया जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्य से इन कार्यक्रमों हेतु आबंटित धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आबंटित धन कर केवल लगभग 20 प्रतिशत का इस काम के लिए उपयोग किया जा रहा हैं। गरीबी उन्मूलन योजनाएं संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। नारी के जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम हैं।

इन कार्यक्रमों हेतु केन्द्र राज्यों को भारी धन दे रहा है। परन्तु मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि धन को सही ढंग से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। मेरा वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह इस मामले की जांच कराएं और आवश्यक कार्यवाही करें। मेरा उनसे निवेदन है कि वह विधायकों और संसदो को इसमें शामिल करें और वह इन विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर निगरानी रखने हेतु समितियां स्थापित करें। ये समितियां धन के दुरुपयोग को बचायेंगी और कार्यक्रमों को वांछित दिशाओं में ले जाने में सहायता करेंगी।

अच्छे बुवाई के बीज एवं खाद आदि खरीदने हेतु कृषकों को लगभग 60 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। और करोड़ों रुपए कृषकों को राजसहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश में किसान की हालत संतोषजनक नहीं है। उसकी स्थिति दयनीय है, क्योंकि उसे अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारे देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है। कृषि एक असंगठित क्षेत्र है। लाभकारी मूल्यों के लिए किसान की आवाज देश के हर कोने से सुनाई दे रही है। दुर्भाग्य से अभी तक किसान पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी सरकार को किसानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

खाद्यान्नों के उत्पादन में हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। परन्तु हम अभी भी तिलहन, चीनी, दालें, आदि जैसी कुछ वस्तुएं आयात कर रहे हैं और इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यदि किसान को लाभकारी मूल्य और अन्य प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह सभी वस्तुएं पैदा करेगा और हम कई करोड़ रुपए की कीमती विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में सुपर कम्पूटर लगाने के लिए भवन निर्माण हेतु 1.5 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। वास्तव में इसके लिए 40 करोड़ रुपए चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इसके लिए शीघ्र ही और धन आवंटित करें जिससे निर्माण लागत में किसी प्रकार की वृद्धि से बचा जा सके।

सारे देश में कर्नाटक की जनता को सबसे अधिक कर भार वहन करना पड़ता है, फिर भी यह परेषित माल पर कर लगाने पर जोर दे रहा है जो कि जनता के सिर भार है और राज्य में जनता की कमर तोड़ रहा है।

कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें शीघ्र चालू किया जाना चाहिए। विजयनगर इस्पात संयन्त्र में काम शीघ्र ही आरम्भ होना चाहिए और मंगलौर तेल-शोधक कारखाने को भी शीघ्र ही कार्य आरम्भ करना चाहिए। इस प्रकार की परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए कुछ निजी उद्योगपति भी आगे आ रहे हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि ये प्रमुख इकाइयां यथा शीघ्र कार्य आरम्भ करें। मुझे आशा है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे कि विजयनगर इस्पात संयन्त्र और मंगलौर तेल-शोधक कारखाना शीघ्र आरम्भ किए जायें।

उत्तर प्रदेश के लिए एक डिजिटल संयन्त्र इकाई स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जबकि वास्तव में कर्नाटक इसकी आशा कर रहा था। अब केन्द्र हमें आश्वासन दे रहा है कि इस संयन्त्र की दूसरी इकाई कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही स्थापित की जाएगी।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जमाखोरी, कालाबाजारी को समाप्त करने तथा सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। काले धन पर वांचू समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना होगा और प्रीमियर इन्सटीच्यूट द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में दी गई सिफारिशों को लागू किया जाना होगा।

मैं अपने वित्त मंत्री महोदय को इस अवसर पर बधाई देता हूं, जिन्होंने काले धन को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार उनके सच्चे प्रयास से उस काले धन को समाप्त कर सकेगी जो कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रही है। मैं बोलने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आर्कोनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1985-86 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के समर्थन में कुछेक सुझाव देना चाहता हूं।

2-8-1985 को हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सभा को आश्वासन दिया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जायेंगे कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोका जाए। इसी प्रकार उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि एक नई वित्तीय नीति तैयार की जा रही है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। यदि कीमतों की वृद्धि को रोकना है तो असामाजिक तत्वों विशेषकर कालाबाजारियों, मुनाफाखोरों और जमाखोरों की गतिविधियों को राष्ट्र से समाप्त कर देना चाहिए। वे देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो, एक कानून विशेष द्वारा इन लोगों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए।

गत दो वर्षों के दौरान सारे देश भर में एक रुपए के नोट में कमी हुई है और सिक्कों का भी काफी अभाव है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम कूपन दे रहा है। चाहे छोटी दुकान हो या सुपर बाजार हो अथवा बड़ी दुकान हो या छोटी पान की दुकान, बकाया पैसे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि छोटे सिक्के हैं ही नहीं। चाहे रुपए की कीमत 16 पैसे ही क्यों न हो, आप हमारे लोगों की क्रय-शक्ति में भारी गिरावट की कल्पना कर सकते हैं। उन्हें अब निरन्तर बनी हुई सिक्कों की कमी के कारण परेशान किया जाता है। हमारे मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी ने हाल ही में कहा है कि सिक्कों की इस कमी को पूरा करने के लिए 45 करोड़ रुपए के सिक्कों का आयात किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कितनी जल्दी हो जाएगा। इस देश की भारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, मैं मांग करता हूं कि 145 करोड़ रुपए के मूल्य के छोटे सिक्कों का आयात यथा शीघ्र किया जाना चाहिए। महोदय केन्द्र सरकार की ठीक नाक के नीचे, भारतीय

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रिजर्व बैंक के सामने, संसद-मार्ग पर, 100 रुपए के छोटे सिक्के देने के लिए 10 रुपए की कटौती कर ली जाती है। इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही क्योंकि नहीं की जानी चाहिए ? छोटे सिक्के तो एक लाभकारी व्यवसाय बन गए हैं। मैं चाहता हूं कि छोटे सिक्कों के ऐसे जमाखोरों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

मुद्रा, सिक्के और टकसाल शीर्षक मांग के अधीन सरकार ने नई दिल्ली के निकट एक नई टकसाल स्थापित करने हेतु 55.38 रुपए के लिए सभा की अनुमति मांगी है। कुछ समय पहले वित्त राज्य मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी ने कहा था कि दो टकसालें खोली जायेंगी। नई दिल्ली के निकट प्रस्तावित टकसाल शीघ्र खोली जानी चाहिए और दूसरी टकसाल तमिलनाडु में खोली जानी चाहिए, क्योंकि टकसाल हेतु वह सुरक्षित स्थान है।

हाल ही में, वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री महोदय ने बताया है कि शीघ्र ही 500 रुपए का नया नोट छापा जाएगा। मैं मांग करता हूं कि दो रुपए और एक रुपए के नोट के अतिरिक्त 200 रुपए के नोट भी भारी संख्या में छापे जाएं जिससे दो और एक रुपये के नोटों की कमी दूर की जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेश दिए हैं कि वाणिज्यिक बैंकों की कोई भी शाखा ग्रामीण क्षेत्रों में न खोली जाए। इसी के साथ-साथ देश के सभी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं भीं नहीं हैं। 460 जिलों में से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं केवल 220 जिलों में ही हैं। उदाहरणस्वरूप, तमिलनाडु में केवल दो ही जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं। जब वाणिज्यिक बैंक नहीं होंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि ग्रामीण लोगों को अपेक्षित वित्तीय आधारभूत ढांचे से वंचित रखा जाएगा। यदि सरकार कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है तो देश के सभी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं स्थापित की जानी चाहिए। वित्त मंत्री महोदय को यह निदेश देने चाहिए कि यह अविलम्ब किया जाना चाहिए।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 'ट्राईसेम' जैसी ग्रामीण विकास परियोजनाओं ने ग्रामीण जनता को पूर्ण लाभ नहीं पहुंचाया है। भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन योजनाओं से गरीब लोगों को केवल 20% लाभ मिला है। हमारे युवा और गतिशील प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों के हाल ही के दौरों के दौरान देखा है कि स्थिति ऐसी ही है। वह चाहते थे कि इस उद्देश्यार्थ एक निगरानी कक्ष केन्द्रीय स्तर पर स्थापित किया जाए। केन्द्र देश से गरीबी के उन्मूलन के लिए एक क्रांतिकारी कार्यक्रम भी बना रहा है। इसकी शीघ्र घोषणा की जानी चाहिए और जोरदार ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

इन अनुपूरक मांगों में ग्रामीण विकास हेतु और कृषि के लिए क्रमशः 121.54 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुझे इन योजनाओं के बारे में स्पष्टीकरण चाहिये और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह धन किन राज्यों को आबंटित किया जायेगा।

शिक्षित युवकों में बेरोजगारी की समस्या उग्ररूप धारण कर रही है। 1980 में रोजगार कार्यालयों में लगभग 162 लाख लोगों ने पंजीयन करा रखा था और 1984 के अन्त तक उनकी

संख्या बढ़कर 236 लाख हो गई। देश भर में बेरोजगारी गारंटी योजना लागू की जानी चाहिये, जिसके अन्तर्गत इन बेरोजगार शिक्षित युवकों और युवतियों को मासिक वृत्तिका दी जानी चाहिए। हम केवल तभी इन युवाओं को निराशा और आक्रोश से बचा सकेंगे।

उद्योग की मांग संख्या 58 के अधीन देश के उद्योग-विहीन जिलों के लिए 27.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। यह अनुपूरक मांगों की पहली किस्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी सत्र के दौरान अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त भी आयेगी। मैं मांग करता हूं कि उस समय तमिलनाडु के रानी पेट्टाई में बी० एच० एल० परियोजना के विस्तार हेतु 90 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान विशेषरूप से किया जाना चाहिए। इस निवेदन के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इन कुछेक शब्दों को बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

3.00 म. प.

श्री एन० टोम्बीसिंह (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1985-86 के खर्च के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं जो कि 26 अनुदानों से सम्बद्ध हैं। हम अपनी स्वतन्त्रता के 38वें वर्ष में अपने गणतन्त्र के 36वें वर्ष में, छठी योजना से सातवीं योजना के सन्धिकाल में और सातवें वित्त आयोग से लेकर आठवें वित्त आयोग तक और इस आठवीं लोक सभा में इस सदन में, इस अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं। अतः, इसका महत्व है और इसलिए यह सही समय है कि हम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा करते समय अपने पिछले कार्यों का सिंहावलोकन करें।

कुछेक मांगों की चर्चा करने से पूर्व मैं कुछ आम टिप्पणियां करना चाहूंगा। गत दशकों में अपने नेक इरादों और प्रयासों के बावजूद, हम क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने में असफल रहे हैं। जैसे-जैसे हमने प्रगति की, हमारे देश ने विज्ञान के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में निस्सन्देह आश्चर्यजनक प्रगति की है और लगभग सभी क्षेत्रों में आमतौर से हम आगे बढ़े हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं है। क्षेत्रों के बीच अन्तर काफी बढ़ गया है। हमें यह भी देखना चाहिए कि विकास हेतु आधारभूत ढांचे का केन्द्रीकरण और कुछ क्षेत्रों में विकासात्मक क्रियाकलापों का केन्द्रण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वास्तव में, 'उत्तर-पूर्व' शब्द बहुत ही अस्पष्ट और निरर्थक है। जैसे कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि 'मैं दक्षिण वालों पर ध्यान दे रहा हूं और तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक को प्रसन्न करने के लिए हमें दक्षिण को राज्य-वार और भाषाई समूह-वार देखना होगा। उत्तर के बारे में भी जब मैं यह कहता हूं, 'मैं उत्तर पर ध्यान दे रहा हूं' तो हरियाणा खुश नहीं होगा, उत्तर-प्रदेश सन्तुष्ट नही होगा और बिहार भी सन्तुष्ट नहीं होता। हमें उत्तर को राज्य-वार देखना होगा। इसी प्रकार जब हम यह कहते हैं 'पूर्वोत्तर' तो यह तो बड़ा ही जटिल और कठिन क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर बहुत से छोटे-छोटे राज्य और केंन्द्र शासित प्रदेश साथ-साथ हैं।

3.02 म०प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

महोदय, मैं एक बड़ा ही ताजा उदाहरण दूंगा। वस्त्र मंत्री महोदय श्री चन्द्रशेखर सिंह ने

गत सत्र में वायदा किया था कि वह उत्तर-पूर्व का ध्यान रखेंगे और वह हथकरधा बुनकरों की समस्याओं का अध्ययन करने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाएंगे। सम्भवत: वह इसी गलत धारणा से शिलांग हो आए थे कि शिलंग का अर्थ है सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र कुछ लोग गोहाटी को देखेंगे और कहेंगे 'हां, मैंने आपके पूर्वोत्तर प्रदेश को देख लिया है और इस पर ध्यान दिया है।' इसी प्रकार कोई (बहुत ही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति) या कोई जानकार आदमी अन्यथा यह कहेगा 'मैंने अगरतला देख लिया है अत: मैंने समूचा पूर्वोत्तर देख लिया है।' सदैव धन ही कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो कि छोटे राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करती है। उन लोगों को केवल धन ही सन्तुष्ट नहीं कर सकता है। और भी बहुत से पहलू हैं। मैं यहां पर कुछेक पहलुओं का उल्लेख करूंगा जिन पर गृह मन्त्रालय बाद में विचार कर सकता है। उदाहरणस्वरूप, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश और उस क्षेत्र के कुछ भाषाई ग्रुप यह आकांक्षा रखते हैं कि उनकी भाषा आठवीं अनुसूची में रखी जानी चाहिए। यह केवल भावना की ही बात नहीं हैं, वास्तव में हो यह रहा है कि भाषा के आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित न होने का अर्थ है अनेक तरह से भाषा को दबाया जाना। एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को ले सकते हैं। बंगाली फिल्मों की प्रतियोगिता बंगाली फिल्मों से होती है और मराठी फिल्मों की मराठी फिल्मों से। तमिल और तेलगू फिल्मों की क्षेत्रीय फिल्मों के नाम पर स्वयं अपनी ही भाषाओं में आपस में प्रतियोगिता होती है। परन्तु कोंकणी की मिजों फिल्मों से प्रतियोगिता होती है और मिजो की खासी से, खासी की मणिपुरी से प्रतियोगिता करनी पड़ती है और मणिपुरी की गारो से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धन नहीं है (इसे छोटी भाषाओं के लिए पुरस्कारों पर अलग से खर्च करना पड़ता है)। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिविजन का कहना है कि उसके पास धन नहीं है। असली अड़चन धन है और उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई गई सर्वोत्तम फिल्म को पुरस्कृत करने हेतु 20,000 रुपए रखे गए हैं जो कि साहित्य अकादमी की सूची में तो हैं परन्तु आठवीं अनुसूचि में सम्मिलति नहीं हैं। यदि इन भाषाओं में पर्याप्त फिल्म नहीं बम पाती है तो कोई प्रतियोगिता नहीं होगी कोई पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। परन्तु जब मराठी फिल्मों की आपस में प्रतियोगिता होती है तो मणिपुरी फिल्म की कोंकणी भाषा की फिल्म प्रतियोगिता क्यों हो? धाम पृष्ठभूमि क्या है। यह अत्यन्त गलत बात हैं और विनियम को बदलता पड़ेगा। महोदया, मैं यह उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूं जिससे कि वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर जाए कि हमें विवेक से खर्च करना चाहिए, विभिन्न छोटे समुदाओं, भाषाई समुदायों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा आदिवासियों की आकांक्षाओं को भी पूरा करना चाहिए। भाषायी समुदाय यह मांग करते हैं कि उनकी आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करने और न्याय प्रदान करने के लिए आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और फिर, गृह मंत्रालय या विधि मंत्रालय का उत्तर यह होता है कि व्यावहारिक रूप में उन भाषाओं को अपनी वैध सुविधाएं प्राप्त करने में कोई पाबन्दी नहीं है जो आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई हैं। परन्तु बहुत सारी पबान्दियां हैं। उदाहरण स्वरूप, लोक सेवा आयोग में, गणतन्त्र दिवस और स्वतन्त्रा दिवस से अवसर पर कवि सम्मेलनों में, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर और बहुत से अन्य अवसरों पर उन पर पाबन्दियां लगी हुई हैं। केवल उन्ही भाषाओं का उत्सवों और संगोष्ठियों में प्रयोग हो रहा है और उन्हें ही सुविधाएं मिल रही हैं, जिनका कि उल्लेख आठवीं अनुसूची में किया गया है। अगर आप आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या नहीं बढ़ाना चाहते तो अन्य सभी भाषाओं को इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इससे छोटे भाषाई वर्गों की आकांक्षाओं की

सन्तुष्टि होगी और सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। परन्तु यह भी नहीं हो रहा है। अब केवल एक ही तरीका है कि आठवीं अनुसूचि में संशोधन किया जाए।

महोदया, सांस्कृति के क्षेत्र में अधिकांश छोटे-छोटे सम्प्रदाय तथा राज्य अपनी संस्कृति को गंभीरता से लेते हैं। मणिपुर, नागालैंड तथा मेघालय जैसे छोटे राज्य अपने छोटे आकार या कम आबादी या कम संसाधन होने के बावजूद अलग-अलग राज्य क्यों बन गए हैं इसका एक कारण यह है कि अपनी-अपनी सांस्कृतिक तथा परम्परागत पृष्ठभूमि की वजह से ये स्वयं को पड़ोसी राज्य से साथ नहीं मिला पाए हैं। इस तथ्य को मान्यता देनी होगी। अन्यथा युवा पीढ़ी में असंतोष बना रहेगा।

महोदया, मुझे स्वर्गीय प्रधानमंत्री की टिप्पणी याद आती है जो उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था :

"मैं यह बात समझता हूं कि हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवा इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने अन्यत्र प्रगति देखी है और उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रगति ह्रास को भी देखा है।"

महोदया, स्वाभाविक है कि इसे दुरुस्त करना होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : महोदया, चर्चा में पूरे क्षेत्र का सिर्फ मैं ही प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आसाम की भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः मुझे कुछ और मिनट का समय दिया जाए।

अनुपूरक बजट की एक मांग उस अनुदान से संबंधित है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अधिक बेहतर संस्थान बनाने हेतु कुछ उपकरण खरीदने के लिए है। हम इस बात का स्वागत करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विरुद्ध कुछ आरोप हैं कि वह अपने मरीजों के साथ न्याय नहीं कर रहा है। मैं इस मत से सहमत नहीं हूं क्योंकि इस संस्थान पर पहले ही इसकी क्षमता से अधिक मरीजों का भार है और यह सभी मरीजों के साथ न्याय नहीं कर सकता। हमें इसी ऐसे संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करना चाहिए जबकि यह देश का सर्वश्रेष्ठ अच्छा संस्थान बना रहे। हमें ऐसे ही संस्थान देश के दूरस्थ क्षेत्रों, दक्षिण में, पूर्वोत्तर, पूर्व तथा पश्चिम में, शुरू करने चाहिएं। हमारा देश बहुत विशाल है, और सभी लोगों को जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है मजबूरन यहां आना पड़ता है और इस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भीड़ हो जाती है। अतः हमें विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की अधिक सुविधाएं तथा अधिक संस्थान उपलब्ध कराने चाहिएं।

मैं अपने क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे विचार में, भारत सरकार इसी प्रकार का एक संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोलने का प्रस्ताव कर रही है। मेरी मांग है कि इसे मणिपुर में, खोलना चाहिए क्योंकि इसके लिए मणिपुर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा कालेज, बुनियादी ढांचा उपलब्ध करा सकेगा। एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि इसे शिलांग में स्थापित किया जा रहा है। शिलांग पूर्वोत्तर परिषद का मुख्य कार्यालय है और यह दूर-संचार तथा अन्य बातों के लिए भी मुख्य कार्यालय है···यह कुछ सुविधाओं का त्याग कर सकता है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री एन० टोम्बी सिंह : मैं अन्त में, अपना भाषण समाप्त करने से पहले, विशेषतौर पर

भारतीय खाद्य निगम का जिक्र करूंगा। हम यह मांग करते रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों का जो अब अगरतला, मणिपुर, नागालैंड, आदि, में स्थिति हैं, दर्जा बढ़ाकर क्षेत्रीय स्तर का कर देना चाहिए। अब शिलांग में स्थित एक कार्यालय इसकी देखभाल करता है और बाकी की शाखाओं को जिला कार्यालय कहा जाता है--पणिपुर जिला कार्यालय, अगरतला जिला कार्यालय, आदि। मणिपुर अब जिला नहीं रहा है; इसमें बहुत से जिले हैं। इसी प्रकार, त्रिपुरा में बहुत से जिलें हैं। जब नागालैंड में 8 या 9 से अधिक जिले हैं, तो नागालैंड कार्यालयों को एक 'जिला कार्यालय' क्यों कहा जाए? यह लागत से संबंधित मामला नहीं है। केवल बुनियादी ढांचें को बदला जाना चाहिए। परन्तु खाद्य मंत्रालय इस माँग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय पर पुनर्विचार किया जाएगा।

हमें इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि इन पिछड़े क्षेत्र के छोटे-छोटे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की आकांक्षाएं पूरी हो सकें। मेरे विचार में तभी हमारे दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन आयेगा।

[हिन्दी]

श्री ओवेसी (हैदराबाद) : मैडम चेयरमैन, इस वक्त हाउस में सप्लीमैंटरी डिमाण्डस फार ग्रान्टस पेश की गई हैं और उन पर बहस हो रही है। जहाँ इनमें दीगर चीजों से ताल्लुक रखा गया है, बीस-प्वाइंट प्रोग्राम का जिक्र किया गया है, वहां यह भी जरूरी हो जाता है कि उर्दू के मुदारिस खोलने की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए···

मैं कह रहा था कि उर्दू के स्कूल खोलने की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए क्योंकि उर्दू जुबान हिंदुस्तान के अंदर एक जमाने से चली आ रही है और इस इंतहा से उर्दू अवाम में बेचैनी पैदा है क्योंकि उर्दू का कोई भी मुआकफ नहीं है। यही जुबान थी जिसने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए जिद्दो-जहद की। मैं समझता हूं कि उर्दू के ताल्लुक से बेहतर यह होगा कि सदर-ए-जम्हूरिया, खुद अपने दस्तूर में जो इख्तयारात दिए गए हैं, काम में लाते हुए, उर्दू को सरकारी मुआकफ अता करे। तभी उर्दू का मसला हल हो सकता है।

इसी तरीके से आप जानते हैं कि यहां कर अकलियतों के मसाइल हैं, उर्दू के मसाइल हैं, मुसलमानों के मसाइल हैं लेकिन आजादी के बाद से आज तक उर्दू के बारे में बहुत बेतवज्जही बरती जा रही है। हम लोग यह महसूस करते हैं कि सुबह उठते ही क्या होने वाला है। हम अपनी जान और माल को महफूज रखने का तसव्वुर नहीं करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मसाइल चाहे हिन्दुस्तान में उठ जाए, एक तरफ गुजरात का मसाइल चल रहा है, वैसे तो तहाफ्फुजात का मसाइल है, रिजर्वेशन का मसाइल है, लेकिन उस मसाइल को मोड़ दिया जाता है फसादात की तरफ। आप बताईए कि एक तरफ रिजर्वेशन का मसाइल है लेकिन आखिर हमारे जान और माल···लेकिन आखिर हमारी जानमाल के लिए क्यों कतलेआम और गारदगिरी हो रही है। आपको रिजर्वेशन के मसले पर लड़ना है, आप मुवाफिकत कीजिए या एजीटेशन कीजिए, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन महज इसलिए कि एजीटेशन को रोकने के लिए ये समझा जाए कि सबसे आसान तरकीब यह है कि इसको झगड़े और फसाद में मोड़ दिया जाए और मुसलमानों की जानमाल तबाह व गारत किया जाए, ये गलत किस्म की बात है और मैं समझता हूं कि मर्कजी हुकूमत यह चाहती तो यकीनन 24 घंटे के अंदर फसाद रुकता अगर ये

कह दिया जाता कि सुबह तक चीफ मिनिस्टर को निकाल दिया जाएगा, तो ये फसाद रुकता और वहां पर आज आप देखते हैं कि यह नतीजा सामने आ चुका है। वहां चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया, तमाम चीजें खत्म हुईं। तो मतलब यह है कि क्या हम कोई यरगमाली हैं कि हर मसले के लिए हमारी ही गरदनें काटी जाएं। ये तो चीज हमारी समझ में नहीं आती। यह बड़े अफसोस की बात है और आप ये देखते हैं कि किस तरीके से ये गुजरात के अंदर हुआ। सहारनपुर के अंदर भी एक हंगामा खड़ा किया गया। इसलिए जरूरी हो जाता है कि पुलिस फोर्स के अंदर मायनारिटी के लोगों को लिया जाए और मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिया जाए, ताकि वहाँ पर जुल्मो-सितम न होने पाए।

मोहतरिमा मैं यह कहूंगा कि जहां आप जानती हैं कि हरिजन के दस्तूर के अंदर तमाम मजाहिद को आजादी दी गई है, लेकिन सुप्रीमकोर्ट के हालिया फैसने ने मुसलिम पर्सनल ला में मदाखलत का सिलसिला खोल दिया और ये फैसले एक इन्तिहाई बदबख्ताना फैसला है और जब से ये इस्लाम शुरू हुआ, यानी चौदह सौ बरस से अब तक कोई ऐसी बात नहीं की गई, लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने अपना जो फैसला किया कि औरत के तहफ्फुज से इद्दत के दिन गुजर जाने के बाद भी खर्चा दिया जाए, तो ये सरासर इस्लामी उसूल के मयार है। आज तक दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का होना जिससे मैं समझता हूं कि काफी हद तक स्थिति खराब हो चुकी है और हुकूमत का काम है कि वह इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक वजाह कानून लाए, जिससे मुसलिम पर्सनल ला में मदाखलत का सिलसिला खत्म हो जाए।

इसी तरीके से मुलाजमत के अन्दर क्या परसेंटेज है, मुलाजमत के अंदर कुछ भी परसेंटेज नहीं है। दो फीसदी भी मुसलमानों की परसेंटेज नहीं है, तो इसके लिए ये देखना चाहिए कि मायनारिटी कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन उस पर मायनारिटी कमीशन को कानूनी मुअक्किफ नहीं दिया गया है। अगर मायनारिटी कमीशन को कानूनी मुअक्किफ दिया जाता, तो मैं समझता हूं कि बहुत-सी चीजें ऐसी होतीं जिससे मसाइल खुद-ब-खुद हल होता, लेकिन मायनारिटी कमीशन रिपोर्ट पेश करता है, लेकिन उसको कानूनी मुअक्किफ नहीं है और यही नहीं सारी स्टेट के अन्दर जहां-जहां मायनारिटी कमीशन बनाया गया है, आंध्र के अन्दर भी बनाया गया है, लेकिन वहां भी उसको कोई कानूनी मुअक्किफ नहीं है। सिर्फ मायनारिटी कमीशन रिपोर्ट पेश करता है, लेकिन आज तक 4 रिपोर्ट पेश कर दी गई; कुछ भी नहीं हुआ और मैं यह कहना चाहूंगा कि इसी तरह से ये रिपोर्टें पेश होती रहेंगी और मायनारिटी के लोगों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मायनारिटी कमीशन को कुछ कानूनी मुअक्किफ हासिल होना चाहिए।

जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल है, इस बारे में मैं आपको कहूंगा कि मर्कज को भी यह इख्तियार हासिल है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर यह देखे कि आखिर एग्जाम्स बराबर हो रहे हैं या नहीं और किस तरह से काम चल रहा है। हम यह देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के अन्दर भी पब्लिक सर्विस कमीशन को जो इख्तियरात हैं, उनको छीन लिया जाता है, तो यह मर्कज का काम है कि हमारी मुलाजिमतों के लिए ताल्लुक से तहफ्फुजात करे। इसके लिए तो आपकी जिम्मेदारी आयद होती है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें चल रही हैं।

मोहतरिमा, अब मैं ला एण्ड आर्डर का मामला आपके सामने रखना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश के

अंदर भी ला एण्ड आर्डर का मसला इन्तिहाई खराब हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए तैयार हूं, ये तस्वीरें अखबारों में शाया हुई हैं। पेशाबगाह की जगह पर मछली पर जो कांटा है, वह लगाकर खींचा गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और उसके बाद फिर ये कहें कि ला एण्ड आर्डर की हालत बहुत जोरदार है। आप बताइए कि किसी भी मुहज्जिब देश में ऐसा हुआ है? पेशाबगाह की जगह पर मछली का कांटा लगाकर खींचा गया, इसके बाद आप यह कहते हैं कि ला एण्ड आर्डर की सूरते-हाल अच्छी है, तो यह अफसोस की बात है और इस बात पर आपको गौर करना चाहिए।

इसके बाद मैं यह कहूंगा कि तालीम के मैदान में भी इसी तरीके से काम होना चाहिए। आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती फूलरेणु गुहा** (कन्टई) : सभापति महोदया, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं। बहुत से हमारे मित्र जो दूसरी ओर बैठे हैं यह सोचते हैं कि इतनी जल्दी अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करना सरकार की अयोग्यता को दर्शाता है। परन्तु मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे विचार में कोष की कमी इसलिए हुई हैं क्योंकि सरकार ने शीघ्रता से काम किया है जिसके परिणामस्वरूप व्यय भी उतनी ही तेजी से हुआ है। इसी कारण उन्हें अधिक धन की आवश्यकता है और सरकार ने सभा के समक्ष इन अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं। सरकार को सदा ही विभिन्न कामों तथा कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक धनराशि सरकार जुटायेंगी उतनी ही अधिक विकास कार्य में प्रगति होगी। हमारे देश में आयकर की वसूली संतोषजनक नहीं है। बहुत से लोग अपना आयकर ठीक से तथा ईमानदारी से नहीं देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में जितनी धनराशि आनी चाहिए नहीं आ रही है जिसके कारण संसाधनों में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त, देश में तस्करी बहुत हो रही है। सभी प्रकार का विदेशी समान सस्ते मूल्यों पर बेचा जा रहा है। मैंने देखा है कि तस्करी का विदेशी माल खुले आम पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तथा मिरिक की पटरियों पर बेचा जा रहा है। यही स्थिति सभी बड़े शहरों जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, आदि में है। ये तस्कर करोड़ों रुपये का माल सरकार को कर दिये बिना बेचते हैं, और सरकार एक बहुत बड़े राजस्व से वंचित रह जाती है। अगर ये गतिविधियां रोक दी जायें तो बहुत बड़ी धनराशि सरकारी में खजाने आना सम्भव हो सकेगा। चूंकि मेरा समय बहुत कम है, मैं तस्करी की गतिविधियों के और अधिक विवरण में नहीं जाऊंगी परन्तु मैं अपने भाषण को ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे कुछ विषयों तक सीमित रखूंगी।

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि एक समय था जब भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी। परन्तु आज, आजादी के बाद के 38 वर्षों में हमारे वैज्ञानिक चांद पर जाने योग्य हो गए हैं। भारत ने बहुत से अन्य क्षेत्रों में इतनी तेजी से प्रगति की है कि हम उस पर गर्व महसूस करते हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि अभी भी हमारे देश में बहुत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को शिक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। बहुत अधिक संख्या में युवा लोग बेरोजगार हैं। आर्थिक कारणों की वजह से बहुत सी महिलाएं बहुत ही दयनीय जीवन

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

व्यतीत कर रही हैं। प्रति दिन उन्हें जल तथा इंधन, जो जीवन के लिए आवश्यक तथा अनिवार्य हैं, लाने के लिए 7 या 8 मील तक पैदल चलना पड़ता है। लाखों महिलाएं हमारे देश में ऐसा कठोर तथा दयनीय जीवन व्यतीत कर रही हैं। महोदया, हमारे पास एक 'ग्रामीण विकास' का विभाग है परन्तु हमारे गांवों का विकास बहुत ही दूर की बात है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र, कन्टई की तरफ दिलाना चाहती हूं। यहां अनेक गांवों में जल उपलब्ध नहीं है। अनेक औषधालयों तथा अस्पतालों में कोई औषधि उपलब्ध नहीं है। अगर आप गांवों में जायें तो आपको सैंकड़ों छोटे बच्चे बेकार इधर-ऊधर घूमते हुए मिल जायेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम यहां विशेष रूप में सफल नहीं हुआ है। एक तरफ तो सैंकड़ों गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है परन्तु दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने जल पूर्ति परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि में से 8 करोड़ और 67 लाख रुपये इस्तेमाल न होने के कारण वापिस लौटा दिये हैं। समस्याग्रस्त गांवों में जल पूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए की गई आबंटित धनराशि का वे इस्तेमाल नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, महोदया, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 30 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे। मेरी दृष्टि में यह नियतन बहुत ही अपर्याप्त था। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि इतनी कम धनराशि को भी पश्चिम बंगाल सरकार ग्रामीण विकास के कार्य पर इस्तेमाल नहीं कर सकी और उन्होंने 25 करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि प्रयोग न करने की वजह से वापिस कर दी है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से जानना चाहूंगी कि उन राज्य सरकारों पर क्या कार्यवाही की जा सकती है जो किसी विशेष योजना के लिए आबंटित की गई धनराशि का प्रयोग नहीं करती और धनराशि को वापिस करती है।

महोदया, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जनपद के बहुत से क्षेत्रों में बहुत अच्छी फसल होती है। अगर वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाये तो कृषक एक वर्ष में दो फसलें पैदा कर सकते हैं। इसने न केवल खाद्य उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जायेगा बल्कि कृषकों की आर्थिक दशा में भी बहुत सुधार होगा। कृपया इस बात पर ध्यान दिया जाये। पश्चिम बंगाल सरकार ने भगवानपुर-नन्दीग्राम बृहद योजना की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है। मैं आपसे सच्चे दिल से निवेदन करती हूं कि इस योजना को शीघ्र स्वीकृति दी जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर बच्चों को विभिन्न कारणों से पोषक आहार का अभाव तथा शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि गरीब ग्रामीण बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए पूरी कोशिश की जाए। अकेले सरकार के लिए चौतरफा ग्रामीण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों को एक साथ मिलकर एक दूसरे का पूरक तथा अनुपूरक होकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। शिक्षा का प्रसार किये बिना देश को प्रगति की तरफ ले जाना संभव नहीं है, विशेषकर भारतीय ग्रामीण जनता को। बहुत से स्वयंसेवी संगठन इस कार्य को पूरा करने के इच्छुक हैं परन्तु राज्य सरकारें अनेक आवेदन केन्द्रीय सरकार के पास नहीं भेजती हैं। यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूं। मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी थीं परन्तु समय नहीं है। अन्त में सारांश के तौर पर मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगी कि वह गरीब विधवाओं तथा निःसहाय महिलाओं एवम् उन औरतों की जिन्हें उनके पतियों द्वारा छोड़ दिया गया है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रही हैं, दशा सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन महिलाओं में से जो आयकर नहीं देती हैं, उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज दिया जाना चाहिए। सारे देश में ऐसी

महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय है । हम सबको मिलकर उनकी कठिनाइयां कम करने के लिए प्रयास करने चाहिएं और उनकी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए । यह हमारा नैतिक कर्त्तव्य है । इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं ।

[हिन्दी]

श्री उमा कांत मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदया, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया ।

अभी कल ही एक विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजना में जो धन दिया जाता है, वह जबर्दस्ती राज्यों पर लादा जाता है, और राज्य सरकारें जैसा चाहती हैं, खर्च करती हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाए । मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या चाहते थे ? यह जो ग्रामीण रोजगार योजना, और ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजना और ग्रामीण एकीकृत विकास योजना कार्यक्रम हैं, यह सारे 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप हैं । यह श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की एक महान नेता थीं । वह जानती थी कि अगर गांव के गरीबों का विकास नहीं होगा, तो गांवों से गरीबी दूर नहीं की गई, गांव के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठाया गया तो इस देश में सशस्त्र क्रांति आ जाएगी, इसलिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया । 20 सूत्री कार्यक्रम मुख्य रूप से देश में उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम है, उचित वितरण का कार्यक्रम है और साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब किसानों, गरीब मजदूरों, आदिवासियों और हरिजनों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम है । ऐसे कार्यक्रमों को बन्द करने की बात कहना यह तो देश और देश की जनता और गरीबों का अहित करना होगा ।

श्रीमान् यह कार्यक्रम बहुत ही मूल्यवान कार्यक्रम है । एन० आर० ई० पी० के गांव से लाखों लोगों को काम मिलता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम होते हैं, सम्पर्क मार्ग बनते हैं, स्कूल के भवन बनते हैं, सिंचाई के साधन तैयार होते हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनता है। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इनके अन्तर्गत होते हैं । ऐसे मूल्यवान कार्यक्रम को बन्द करने की बात आश्चर्यजनक लगता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत जिलों को जो पैसा जाता है, उससे जिलों में बैठकें होती हैं । बैठकों में जन-प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, किन्तु आर० एल० ई० जी० पी० में जो पैसा दिया गया, उसमें हमने देखा कि सीधे राज्य सरकारों ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगा ली । जिलाधिकारियों ने प्रस्ताव भेज दिए । प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास आए और मंजूर हो गए । मेरे जिले मिर्जापुर में तो ऐसा हो गया कि एक ही मद में साढ़े तीन करोड़ रुपया दे दिया गया । आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रम में साढ़े तीन करोड़ रुपया केवल भूमि संरक्षण के लिए दे दिया गया । अब भूमि-संरक्षण का कार्यक्रम तो चल रहा है लेकिन बहुत से उपयोगी कार्यक्रम छूट गए । सम्पर्क मार्ग छूट गए । अब बताइए कि साढ़े तीन करोड़ रुपया अगर गांवों पर खर्च किया जाए तो गांवों का नक्शा बदल सकता है । तो हमने सुझाव दिया था कि इस तरह के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में गांवों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए, उनकी मीटिंग करके यह तय किया जाए कि कहां सम्पर्क

मार्ग बनने हैं, कहां सिंचाई के साधन तैयार किए जाने हैं । कहां स्कूल की बिल्डिगें बननी चाहिएं, यह तय करके तब वहां से प्रस्ताव भेजे जाएं । मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार अब जो प्रस्ताव मांगेंगी इस वर्ष वह जिला प्रतिनिधियों से राय ले कर तय किए जाएंगे ।

साथ ही जो केन्द्रीय सरकार का पैसा गांवों में खर्च होता है उससे वहां गरीबों के काम मिलने के साथ-साथ ग्रामीण विकास के काम भी होते हैं । स्कूल के भवन बनने हैं तो स्कूल के भवन बनें, सम्पर्क मार्ग बने, नहरें बनें, बन्धे बन्धियां बनें, वृक्षारोपण हो । चारों तरफ विकास की शकल दिखाई दे ।

एक कार्यक्रम श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने और चलाया था । वह था शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम । शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है । शिक्षित बेरोजगार मारे-मारे घूम रहे हैं और कभी-कभी तो वे अवांछित कार्यों में लग जाते हैं, अपराधिक कामों में लग जाते हैं । तो उनके लिए एक और कार्यक्रम उन्होंने चलाया कि बैंकों से दस हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक उनको ऋण दिया जाए । उससे वह अपना रोजगार शुरु करें । उत्पादन करें और अपनी जीविका उपार्जन करें । तो वह कार्यक्रम भी सफल रहा । उस कार्यक्रम में जिन नौजवानों ने पैसा लिया उसमें से 75 से 80 प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं । इस वर्ष इस कार्यक्रम के तहत अभी तक आदेश नहीं गया, अभी तक बजट नहीं गया । मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करें ।

अब मैं संक्षेप में प्वाइंट-वाइज कह रहा हूं । उत्तर प्रदेश बड़ा भारी प्रदेश है । वहां किसी इलाके में सूखा पड़ता है, किसी इलाके में बाढ़ आ जाती है, किसी में किसी और प्रकार की आपदा आ जाती है । हमारे मिर्जापुर जिले में और उसके आस-पास के इलाकों में सूखा पड़ गया । आप लोग आश्चर्य करते होंगे कि इतनी बड़ी बरसात हुई तो वहां सूखा कैसे पड़ गया ? जब अभी तीन चार दिन पहले बरसात हुई तो बताइए धान की फसल कैसे बोयी जा सकती है ? मकई नहीं लगायी जा सकती । भदई की फसल सूख गई । मक्का सूख गया, सावां सूख गया । भदई की फसल नष्ट हो गई । मकई नहीं लगायी जा सकी, धान भी नहीं लगाया जा सका । इस तरह से सूखा पड़ गया । अब जब पानी बरसा तो जो कुछ थोड़ी बहुत भदई फसल थी वह सब उससे नष्ट हो गई । तो मिर्जापुर जिला और उसके आसपास के जो इलाके हैं, बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर, के इलाके, ये सूखे से भी ग्रस्त हैं और अति-वृष्टि हो गई तो कुछ थोड़ी बहुत भदई फसल थी वह भी नष्ट हो गई । दैवी आपदाओं से जब कभी कोई प्रदेश या इलाका ग्रस्त होता है तो केन्द्रीय सरकार का एक प्रेक्षक दल वहां जाता है और देखकर रिपोर्ट देता है । रिपोर्ट देने के बाद सहायता देने में बड़ी देर की जाती है । अभी सूखा देखने के लिए केन्द्रीय दल गया था । उसने रिपोर्ट दी कि सूखा है लेकिन सूखे की सहायता अभी तक नहीं गई । वह अभी तक वहां नहीं पहुंची । तो उत्तर प्रदेश के जो जिले दैवी आपदाओं से, प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित हैं उनको सहायता देने में केन्द्रीय सरकार शीघ्रता करे और खास तौर से हमारे मिर्जापुर जिले और उसके आस-पास के जिलों के लिए जो दैवी आपदा से ग्रस्त हैं तुरंत सहायता दी जाय । तभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजी रोटी मिल सकेगी । अन्यथा बड़ी आपदा आ सकती है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बार-बार याद दिलाऊंगा । हमारे उद्योग विभाग के मन्त्री भी बैठे हुए हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में आबादी का दबाव बड़ी तेजी के बढ़ता जा रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास किया जा रहा है । अब ये जो बिना इंडस्ट्री के जिले घोषित किए गए

हैं जैसे जौनपुर है, बलिया है इन जिलों में भी एक-एक उद्योग लगना था। आज तक उन की शुरूआत ही नहीं हुई। मिर्जापुर एक बहुत बड़ा जिला है। वहां की एक-एक तहसील एक जिले के बराबर है। इसलिए मेरा यह कहना है कि वहां पर बड़े उद्योग लगाए जाएं मगर उस दिशा में काम नहीं हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आबादी का दबाव बढ़ रहा है और लोग दूसरे प्रदेशों में भाग रहे हैं। यहां तक कि अरब देशों में लोग जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 5 करोड़ आबादी, जो 70 प्रतिशत गरीब लोग हैं और 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, को काम दिलाने के लिए, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं और वहां का उद्योगीकरण किया जाए। हथकरघा, कालीन उद्योग, बनारस की साड़ियों का उद्योग, ये जितने भी उद्योग हैं, इन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और मिर्जापुर का जो बर्तन उद्योग है, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा शिवारामन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हर तहसील को, हर ब्लाक को जो पिछड़ा हुआ है, उसको पिछड़ा घोषित किया जाए और वहां पर उद्योग लगाए जाएं।

महंगाई की यहां पर बड़ी चर्चा हुई है और मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नमक, डालडा, दियासलाई, मोटा कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम थोड़े बढ़े हैं लेकिन उसमें केन्द्रीय सरकार के बजट का दोष नहीं है। उसमें स्थानीय प्रशासन का दोष है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वे जिले का प्रशासन कड़ाई से करें और उसमें सख्ती करें ताकि मुनाफाखोर, जमाखोर और तस्कर जनता का शोषण न कर सकें।

महोदया, आज यहां पर बहुत से वक्ताओं ने अपने प्रदेश की मातृभाषा में भाषण किया और आज मुझे यह लगा कि यह लोक सभा भारत की लोक सभा है। आप ने कन्नड़ में भाषण किया और एक माननीय सदस्या ने बंगला भाषा में भाषण किया और कई सदस्यों ने तमिल में भाषण किया। आज मुझे ऐसा लगा कि हम भारत की लोक सभा में बैठे हैं और एक जन-प्रतिनिधित्व सभा में बैठे हैं। इसके लिए आपको बधाई देता हूं और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदया, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं। आबंटन राशि की वृद्धि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र आदि से वित्त मंत्रालय पर बहुत दबाव पड़ रहा है। ऐसा महसूस किया गया है कि बजट में आबंटित धनराशि से सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं को जारी नहीं रखा जा सकता।

अनुपूरक मांगों में 3872.54 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त व्यय के प्रस्ताव शामिल हैं। 2516.17 करोड़ रुपए के गैर-योजना व्यय में ओवरड्राफ्ट की कुछ अंश तक अदायगी करने के लिए राज्यों को 1628 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में दी जाने वाली है। सरकार ने राज्यों के 90 प्रतिशत ओवरड्राफ्टों को 28 जनवरी, 1985 से मध्यकालिक ऋण के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

हाल के कुछ वर्षों में पहली बार वित्त मंत्रालय ने राज्यों को अर्थोपाय ऋण के लिए बजट में की गई 800 करोड़ रुपए की राशि आबंटन पूर्णतया समाप्त हो जाने पर अर्थोपाय ऋण के लिए अनुपूरक मांगें पेश की हैं। अर्थोपाय ऋण के लिए 100 करोड़ रुपए अधिक आबंटित किए गए हैं,

योजना व्यय के लिए 1355.83 करोड़ रुपयों में से 991.13 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र को दिए जाएंगे ।

हमें खुशी है कि अनुपूरक मांगों में 'नेल्को' के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लेकिन 'नेल्को' ने 500 करोड़ रुपए की मांग की है जबकि बजट में 412 करोड़ रुपए का ही प्रावधान है। यह उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त आबंटन के बिना यह कम्पनी-निर्माण कार्य के निर्धारित कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएगी। इसकी बाक्साइट की खान में काम इस वर्ष शुरू हो जाएगा तथा 80,000 टन क्षमता के अल्यूनियम संयंत्र में उत्पादन कार्य अगले वर्ष तक शुरू हो जाएगा।

परियोजना की कुल लागत पहले ही 1242 करोड़ रुपए से बढ़कर 2218 करोड़ रुपए हो चुकी है। अत: 500 करोड़ रुपए के बजाय 290 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान राशि मिलने से यह आशंका है कि परियोजना के कार्य में विलम्ब होगा और यह निर्धारित समय के अन्दर पूरी नहीं हो पायेगी।

आपने चिमनी गिरने के मामले के बारे में भी सुना होगा। हमें बताया गया है कि इस मामले की जांच की जा रही है। मालूम नहीं इससे कितना नुकसान हुआ है। मैं जानना चाहती हूं कि इस परियोजना को हम कैसे शीघ्र पूरा करेंगे। इसे तत्काल पूरा करने के लिए वित्त मंत्री महोदय को पर्याप्त धनराशि आबंटित करनी चाहिए। पिछड़े राज्यों में कुछ उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए ताकि वे विकास कर सकें। उड़ीसा ऐसा ही राज्य है। औद्योगिक विकास की दिशा में इसने कुछ प्रगति की है। विकास के इस सिलसिले को बनाए रखा जाना चाहिए तथा राज्य में और उद्योग स्थापित किए जाने चाहिएं।

मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पाटने के लिए सरकार से हमारा पुरजोर अनुरोध है कि सरकार तलचेर सुपर-ताप बिजली संयन्त्र को केन्द्रीय क्षेत्र में तथा "आई० बी० घाटी" स्थित विद्युत संयन्त्र को राज्य क्षेत्र में ले लिया जाए। लेकिन इनका न तो बजट में ही उल्लेख है और ना ही अनुपूरक मांगों में इसका उल्लेख किया गया है।

मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जा रहा है। इन सब पर विचार करते समय हमें देखना चाहिए कि क्षेत्रीय विषमताएं दूर की जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रम और योजनाएं आरम्भ की जानी चाहिएं।

उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां 38 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की है और यहां हर साल प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। राज्य को 160 करोड़ रुपए की हानि हुई है और वित्त आयोग ने इसे राजस्व के घाटे वाला राज्य घोषित किया है। ऐसे राज्यों को राज्य योजना के अलावा भी अधिकतम सहायता दी जानी चाहिए।

महोदया, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें आदिवासी लोगों तथा महिला शिक्षा के पहलुओं पर विचार करना चाहिए। उड़ीसा में प्रत्येक आदिवासी पंचायत में कम से कम एक बोर्डिंग स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सब बच्चों को शिक्षा देना इसका उद्देश्य होना चाहिए। यह कार्य राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत लाया जा सकता है। राज्य पर यह काम नहीं

सौंपा जाना चाहिए। क्योंकि धन की कमी के कारण राज्य इसे कार्यान्वित नहीं कर सकता।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों में पाराद्वीप बन्दरगाह की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए सात करोड़ रुपए की ऋण सहायता निर्धारित की गई है। उक्त बन्दरगाह को गहरा करने के लिए दक्षिण कोरिया ने ऋण तथा तकनीकी सहायता की पेशकश की है, जिससे इसमें अधिक क्षमता के पोत आ-जा सकें। बन्दरगाह को गहरा करने से लौह अयस्क का निर्यात जो इस समय 20 लाख टन किया जाता है बढ़कर 60 लाख टन हो जाएगा। ह्यूंदई निगम द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट पर नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय को विचार करना चाहिए। वित्त मंत्री महोदय को पाराद्वीप बन्दरगाह में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी विचार करना चाहिए। इसके लिए विदेशों से ऋण लिया जा सकता है तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा वहन संसाधन लागत का कुछ भाग वहन करेगा।

महोदया, पाराद्वीप बन्दरगाह को गहरा करने के बाद खनन कार्यों के विस्तार से आदिवासी लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि ये खानें आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थित हैं।

अनुपूरक मांगों में महिला कल्याण के लिए कुछ और व्यवस्था नहीं की गई है। जहां तक काम करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों का सम्बन्ध है इसके लिए पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कम धनराशि आबंटित की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक समाप्ति पर है तथा महिला कल्याण कार्यों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया है। अतः मेरा अनुरोध है कि काम करने वाली महिलाओं के लिए होस्टल के मामलों पर विचार किया जाए।

अन्य संयन्त्रों के अलावा, बहुत लम्बे समय से अधर में लटकी दैत्री इस्पात संयन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए। विद्युत भट्टियों आदि के लिए नई प्रौद्योगिकी का पता लग जाने के कारण यह लाभदायक रहेगा अतः इस संयन्त्र पर काम शुरू किया जाना चाहिए।

पाराद्वीप मत्स्य पत्तन के निर्माण का कार्य पिछले 10 सालों से अधर में लटका हुआ है। इसे भी शुरू किया जाना चाहिए। उड़ीसा में विशाल समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण वहां मछली पकड़ने की बहुत अधिक सम्भावना है। अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त बन्दरगाह का निर्माण किया जाना चाहिए।

अंत में मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

***श्री आर० अण्णानम्बी** (पोल्लाची) : महोदया मैं अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम मैं अनुपूरक मांग सं० 35 का समर्थन करता हूं। यह मांग 2000 करोड़ सिक्कों के आयात तथा दिल्ली के समीप 'नोएडा' में सिक्का ढालने की एक छोटी टकसाल स्थापित करने के लिए सदन से 55.38 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्राप्त करने से सम्बन्धित है।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

छोटे सिक्कों का आयात शीघ्र ही किया जाना चाहिए। छोटे सिक्कों की कमी की समस्या भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है। आम आदमी परेशानी में है। उनके लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है। छोटे सिक्कों की कमी देश भर में घड़यानल की तरह फैलती जा रही है। एक रुपए का नोट तो है ही नहीं। नई टकसाल में सिक्कों-की ढुलाई का काम शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। कुछ महीने पहले समाचार पत्रों में यह समाचार आया था कि सरकार का दो नई टकसाल खोलने का विचार है। लेकिन मैंने देखा कि इन अनुपूरक मांगों में केवल एक ही टकसाल की व्यवस्था है। दूसरी टकसाल स्थापित करने का जब निर्णय लिया गया है तो मैं आशा करता हूं केन्द्रीय सरकार इसे तमिलनाडु में स्थापित करेगी। दुर्भाग्य का विषय है कि जमाखोर सिक्के जमा करने लगे हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए तथा छोटे-सिक्कों के जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। इस समस्या का अन्तिम हल अविलम्ब ढूंढ़ा जाना चाहिए।

मांग संख्या 38 के अन्तर्गत प्रस्ताव किया गया है कि जिन राज्यों के ओवर-ड्राफ्ट बकाया हैं उन्हें मध्यम कालिक ऋण के रूप में 1628 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है हमारे मुख्य मंत्री पुराची शलाइवर डा० ए० जी० आर० रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अन्धाधुन्ध ओवर-ड्राफ्ट किए जाने के खिलाफ हैं। तमिलनाडु की ओर कोई ओवर-ड्राफ्ट बकाया नहीं है। बड़े खेद की बात है कि इस ऋण की सुविधा केवल उन राज्यों को ही दी जा रही है जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ओवर-ड्राफ्ट करते रहते हैं। समाचार है कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को निर्देश दिए हैं कि राज्यों को ओवर-ड्राफ्ट की सुविधा बन्द की जाए। राज्यों के राजस्व संसाधन सीमित होने के कारण उन्हें बाध्य होकर रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफ्ट लेना पड़ता है। केन्द्र के पास बहुत ही अधिक राजस्व संसाधन हैं। मेरा सुझाव है कि अपरिहार्य कारणों से ओवर-ड्राफ्ट लेते हैं और समय पर भुगतान करने वाले राज्यों को ओवर-ड्राफ्ट सुविधा देनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया को उपयुक्त आदेश देंगे।

अनुपूरक मांग संख्या 8 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों के लिए मकान बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रावधान में से किन राज्यों को राशि आबंटन किया जाएगा। 1985-86 के सामान्य बजट में इस योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चूंकि इस योजना का अब विस्तार किया जा रहा है अतः इस अनुपूरक मांग के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। यदि इस उचित योजना के लिए अधिक धन की आवश्यकता है तो केन्द्र को अतिरिक्त प्रावधान के लिए आगे आने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह अनुपूरक मांगों का केवल पहला बैच है। मुझे विश्वास है कि अगले सत्र के दौरान अनुपूरक मांगों का दूसरा बैच सदन के सामने आएगा। यदि आवश्यक हुआ तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मकानों के निर्माण के लिए तब अधिक धन आबंटित किया जाएगा।

मुझे पता चला है कि विशाखापत्तनम इस्पात सन्यन्त्र के लिए मांग संख्या 83 के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जा रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे इस्पात मंत्री श्री वसन्त साठे ने हाल ही में घोषणा की है कि तमिलनाडु में सलेम इस्पात सन्यन्त्र का विस्तार किया जाएगा। लेकिन इन अनुपूरक मांगों में सलेम इस्पात सन्यन्त्र के विस्तार योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ। मैं मांग करता हूं कि सलेम इस्पात सन्यन्त्र परियोजना के विस्तार के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

1985-86 के सामान्य बजट में उन उद्यमियों को राजसहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जो उद्योगहीन जिलों में नयी औद्योगिक यूनिटें स्थापित करना चाहते हैं। इस प्रयोजन के लिए मांग संख्या 58 के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जा रही है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं सुझाव देता हूं कि केन्द्र को उद्योगहीन ब्लाक रखने की नीति को अपनाना चाहिए जिससे ही पूरे देश में उद्योगों के समान वितरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों के माध्यम से छोटे सिक्कों का वितरण किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले में महानगर अच्छे हैं। यदि सम्भव हो तो 'ए' श्रेणी के सभी शहरों में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों को खोला जाना चाहिए। अन्यथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरे देश में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से छोटे सिक्कों को वितरित किया जाएगा।

पश्चिमी देशों में, विशेषकर अमरीका में आप सड़कों के सभी कोनों में ऐसे बूथ पाएंगे जिनमें ऐसी मशीनें लगी होंगी जिनमें लोग नोट डालने के बाद छोटे सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। इससे छोटे सिक्कों की जमाखोरी नहीं होती है। हमें भी भारत में इस तरह की मशीनों को रखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे देश में छोटे सिक्कों की इस तरह की कमी नहीं होगी। इससे जमाखोरी की समस्या भी समाप्त हो सकेगी। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इसकी व्यवहार्यता पर तुरन्त विचार करें।

वित्त मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस प्रकार के निदेश जारी करता है कि वे समाज के कमजोर वर्गों को सुविधाएं व ऋण दें। लेकिन वे इन निदेशों का पालन नहीं करते हैं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों किनाथुकडूनू, पोल्लाची, वालपराई, पोंगालूर, दारापुरभ और उदुमालपेट में स्वयं यह देखा है। मैं सुझाव देता हूं कि वित्त मंत्रालय को फिर इन बैंकों को निदेश जारी करने चाहिए कि जब इस प्रकार के ऋणों की जन-प्रतिनिधियों अर्थात् संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों द्वारा सिफारिश की जाती है तो उन्हें समाज के कमजोर वर्गों को ऋण मंजूर करने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदया, मैं आज सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत एक विकासशील देश है। आजादी के बाद बहुत सारे काम हमने किए हैं। भारत हमेशा शान्तिप्रिय देश रहा है और शान्ति में विश्वास रखता है। आज के दिन जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था। उस समय एक लाख चालीस हजार लोगों की जानें गई थी। आज दुनिया के लोग शान्ति चाहते हैं। दुनिया के बहुत सारे विकासशील देश हैं। उन देशों में अकाल युद्ध की छाया मंडरा रही है। हमको दुनिया के सभी लोगों से यह अपील करनी चाहिए कि सबको शान्ति से जिन्दा रखना है हम अणु बम से जिन्दा नहीं रह सकते हैं। शासन ने गांवों में सड़कें, बिजली, पीने का पानी, अस्पताल और शिक्षा आदि के बहुत सारे काम किए हैं हम लोग आगे भी करना चाहते हैं। बहुत सारा पैसा साक्ष्य की ओर खर्चना पड़ता है। हमें

बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने संत लोंगोवाल के साथ पंजाब के बारे में जो समझौता किया है उसका सारी दुनिया के लोगों ने स्वागत किया है। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। पंजाब की जनता इस समझौते से खुश है, वहां के लोगों को खुशी है कि इस समस्या का हमेशा के लिए अन्त हो गया। वहां के लोग चाहते हैं कि हमारे नुमाइन्दे लोकसभा में जाएं, विधान सभा में जाएं क्योंकि पंजाब के लोग, और सारे हिन्दुस्तान के लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, जनतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं। वे लोग चाहते हैं कि पंजाब में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बने। पंजाब के लोग खुशहाली में विश्वास रखने वाले हैं, एकता और अखण्डता में विश्वास रखने वाले हैं। इस समझौते के कारण उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। इसलिए पंजाब में चुनाव कराने चाहिए।

सभापति महोदय, इन ग्रान्टस में उद्योग के लिए भी काफी पैसा रखा गया है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मध्य प्रदेश खनिज के मामले में बहुत धनी प्रदेश है। वहां उन खनिजों पर आधारित कई तरह की इण्डसीट्रज लगाई जा सकती हैं। हमारे उद्योग मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि हमारा प्रदेश हर मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां खनिज पर आधारित कोई इण्डस्ट्री नहीं है। मैं जिस इलाके से आता हूं, उस जिले में अक्सर अकाल पड़ा रहता है, सूखा पड़ा रहता है और अभी भी वहां सूखा है। हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने पिछली 23 अक्तूबर को मेरी कान्सटीटूऐंसी में 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पोलियेस्टर फाइबर उद्योग की आधारशिला रखी थी, मगर उसके लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने की बात थी। सुविधा तो अलग, अब जल्दी ही अगली 23 अक्तूबर आने वाली है, परन्तु न वहां पानी की व्यवस्था हुई है, न सड़क की व्यवस्था हुई है, न बिजली का प्रावधान हुआ है। न उसके लिए कोई पैसे की बात हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे उद्योग मंत्री जी उस ओर ध्यान दें। जहां भी ऐसे जिले हैं, आदिवासी जिले हैं, पिछड़े हुए जिले हैं, जहां अधिकतर सूखा पड़ा रहता है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई जिलों की बात मैं जानता हूं जहां अक्सर ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, वहां मवेशी पानी के अभाव में मर जाते हैं, खाने-पीने के साधन उपलब्ध नहीं हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ऐसी जगह आपको बड़ी-बड़ी योजनाएं चलानी होंगी, बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने होंगे। इसका कारण यह भी है कि ऐसे इलाक़ों के लोग सिर्फ मेहनत मजदूरी करना जानते हैं और वे ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्री जी मेरे सुझाव पर ध्यान दें और समुचित कदम उठाएं ताकि वहां रहने वाले लोगों की रोजी-रोटी चल सके। वहां इरीगेशन डैम बनाए जा सकते हैं, रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता है और इस तरह की कई दूसरी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं, यही मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वैसे तो हमारी सरकार ने एन०आर०ई०पी० और आई० आर०डी०पी० आदि कई कार्यक्रम चलाए हुए हैं, मगर हमारी कमजोरी यह है कि उन सारे कार्यक्रमों का लोगों को फायादा नहीं पहुंच रहा है। हमारे यहां जिस तरह की विकास की एजेन्सी होनी चाहिए, उसका अभाव है। आज हमारे यहां क्या हो रहा है कि उन एजेन्सियों को राज्य सरकारों द्वारा मौनिटर किया जा रहा है, उनको राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। अब बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं जो अपने ढंग से उनका काम चला रही हैं। इन्दिरा जी ने सारे देश के सामने जो बीस-सूत्री कार्यक्रम रखा था, उसका उद्देश्य गांवों में खुशहाली लाना था, गांवों में क्रान्ति लाने के लिए ही उस कार्यक्रम को चलाया गया था। हम पार्लियामैंट में इतनी भारी संख्या में जीतकर आए हैं, यह सब

उसी प्रोग्राम के कारण हुआ है। यह हमारे उस प्रोग्राम की जीत है। मैं यहां अपने विरोध पक्ष के भाइयों को भी सलाह देता हूं कि वे इस कार्यक्रम का विरोध करना छोड़ दें। यदि उन्होंने विरोध बंद नहीं किया तो उनकी संख्या घटती ही जाएगी। आप उस कार्यक्रम का स्वागत कीजिए क्योंकि सभी जगह, गरीब लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। वे लोग इस कार्यक्रम को चाहते हैं। इस कार्यक्रम के कारण बहुत से लोग उन्नति कर पाए हैं।

मैडम, आप भी अक्सर किसानों की बातें करती हैं। हमारे यहां भारत सरकार के एक आदेश के अनुसार सैन्ट्रल गवर्नमैंट एम्पलाईज को सप्ताह में 5 दिन काम करने का नियम बनाया गया है, बाकी दो दिन छुट्टी रहती है और कुछ काम के घण्टे बढ़ा दिए गए हैं। मुझे भारत सरकार के उस निर्णय से खुशी है। मगर आज हमारे किसान की हालत क्या है, उस तरफ भी हमें देखना चाहिए। वह खुद काम करता है, उसकी पत्नी काम करती है, बच्चे काम करते हैं, लेकिन क्या वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पाया है। वह बरसात हो या गर्मी, ठण्ड हो या पतझड़, हर मौसम में चौबीसों घण्टे काम करता है उसके बावजूद भी वह गरीब का गरीब बना हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस गरीब किसान को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कुछ-न-कुछ योजनाएं अवश्य बनाई जानी चाहिए, उसको मदद करने वाली बात होनी चाहिए। यदि सरकारी कर्मचारियों की तरह किसान भी सप्ताह में पांच दिन काम करना शुरू कर दे और दो दिन काम बंद कर दे तो यह देश डूब जाएगा, फिर इस देश को बचाने वाला कोई नहीं है। हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग किसान हैं या खेती के कार्य से जुड़े हुए हैं। एक तरफ हम पब्लिक मनी को, उन लोगों को दे रहे हैं जो सप्ताह में 5 दिन काम और दो दिन आराम करते हैं, जो हमने टैक्स लगा कर उगाही है, और दूसरी तरफ किसानों की तरफ ध्यान नहीं जाता। यदि आप किसान की तरफ देखें तो यदि आज किसान को खाद बहुत महंगा मिल रहा है, खेत में काम आने वाले औजार बहुत महंगे मिल रहे हैं, खेती के काम आने वाली तमाम चीजें महंगी मिल रही हैं। क्या उसके बारे में हमने कभी सोचा है। यहां पर भी बहुत से किसानों के प्रतिनिधि आए हुए हैं तो मैं यह चाहता हूं···

4.00 म०प०

तो मैं यह चाहता हूं कि आज किसान को अधिक से अधिक सबसिड़ी दी जाए, जिससे उसकी उसकी फसल का जो नुकसान होता है, उसकी कुछ हद तक पूर्ति हो सके। इन सब बातों को सोचना चाहिए जिससे किसान आगे बढ़ सके। हम देखते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगों को सबसिडी दी जाती है, तो क्यों न किसानों को भी सबसिड़ी दो जाए जिससे उनकी उन्नति हो और खुशहाली देश में फैले।

मैं अपने फायनेंस मिनिस्टर साहब को निवेदन करूंगा कि हमारा देश क्लायमेट पर निर्भर करता है। अगर हमारे देश में वर्षा हो जाए, तो इस देश में खुशहाली हो सकती है, इस देश की महंगाई खत्म हो सकती है, और अगर सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, तो देश में गरीबी और बीमारियां फैल जाती हैं, मेंहगाई बढ़ जाती है और देश में तबाही आ जाती है, इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा सहूलियत किसानों को दें।

इन्हीं बातों को कहते हुए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आपने बोलने के लिए जो समय दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : इस विधेयक के समर्थन में मैं कुछ महत्वपूर्ण मद्दों को उठाना चाहती हूं। मैं समझती हूं कि सामान्य महत्व के महत्वपूर्ण विषयों को उठाने के लिए हमारे लिए यह उचित समय है। और इसके साथ ही हम स्थानीय समस्याओं के बारे में भी कुछ विचार व्यक्त कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल से आए कुल 42 संसद सदस्यों में से हम 16 सदस्य कांग्रेस दल के हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि हम 16 सदस्यों को अपनी राज्य सरकार से किसी भी तरह की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है।

एक माननीय सदस्य : आप कौन सी सुविधा चाहते हैं? वह यहां नहीं उठाई जा सकती है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यह उचित है। अतः मैं इसे यहां उठाना चाहती हूं।

सभापति महोदय : आप कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

कुमारी ममता बनर्जी : सरकार ने 1985-86 के सामान्य बजट पर इस दृष्टि से पर्याप्त ध्यान दिया है कि इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में भारत आर्थिक दृष्टि से उन्नति कर सके और रोजगार के अवसर पैदा कर सके। यह भी बताया गया है कि इससे गरीबों को लाभ होगा और इस प्रयोजन के लिए सरकार को और कर लगाने पड़े तथा कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ने स्वाभाविक ही हैं। और इसके साथ ही यह भी आशा की गई कि सरकार इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बढ़ती हुई कीमतों पर नियन्त्रण रखने के लिए शीघ्र कोई योजना बनायी जाये।

दूसरे, मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। स्वरोजगार योजनाएं शुरू की जानी हैं। हमें यह कहते हुए दुःख होता है कि इस तरह की स्वरोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए गरीब युवकों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि उनको मिलने वाले ऋणों को कुछ ऐसे अन्य परिवारों को दिया जा रहा है जो इसके हकदार नहीं हैं परन्तु जो पश्चिम बंगाल में वाप पंथी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें उन लोगों की कीमत पर जो वास्तव में इसके पात्र हैं, युवा कार्यक्रमों में सुविधाएं या अवसर दिये जा रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह राज्य सरकार से इसकी जांच करें और यह देखें कि कार्यक्रमों का उपयोग उन लोगों के लाभ के लिए हो जिनके लिए यह बना है। इसको लागू करने के लिए सरकार को एक सलाहकार समिति स्थापित करनी चाहिए। सभी संसद सदस्यों को इस समिति का सदस्य बनाना चाहिए। तभी यह इसको गम्भीरता से देख भाल कर सकती है। यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष होने के कारण मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह इसे विशेषरूप से देखें कि युवाओं के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उन्हें समुचित रूप से लागू किया जाए। यह अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष है। इसलिए सरकार को कुछ नई, नीतियां, नई परियोजनाएं बनानी चाहिए जिनमें युवाओं को लगाया जाना चाहिए। तभी अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

तीसरे, पश्चिम बंगाल में कुछ कारखाने बन्द हो गए हैं और यह विशेष रूप से उस मामले में सच है जहां इस्पात और इससे सम्बद्ध उत्पादों का निर्माण होता है। यह कारखाना पिछले पांच साल से बन्द है और इससे 2000 मजदूर प्रभावित हुए हैं।

4.04 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासन हुए]

इन मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है और वे भिखारी की तरह रह रहे हैं। उन्हें यथोचित भोजन नहीं मिल रहा है और वे भूखों मर रहे हैं। इसलिए माननीय मंत्री से इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करती हूं। मैं नहीं जानती कि क्या यह सरकार के लिए संभव होगा या नहीं परन्तु उसे किसी परियोजना की मंजूरी देनी चाहिए जहां इन 2000 गरीब लोगों को खपाया जा सके। वे मरने की स्थिति में हैं। वे बेरोजगार हैं। यदि आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो वे मर जाएंगे। मैं अपने मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु से मिली थी लेकिन उन्होंने मुझे केवल यह कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम संसद सदस्य अपने मुख्य मन्त्री से मिलते हैं तो वह यही कह देते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग मन्त्री से भी मिली थी लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः हम असहाय हैं। हम इन मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, हालांकि वे हमारे पास आ रहे हैं। अतः कृपया कोई परियोजना शुरू करिए जिसमें इन लोगों को खपाया जा सके। केवल आप ही इन लोगों को बचा सकते हो। मेरा आप से यही अनुरोध है।

चौथे, पश्चिम बंगाल में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कोई संचार साधनों की व्यवस्था नहीं है। संचार साधनों की कमी के कारण एक गर्भवती महिला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं जा सकती है। ऐसे कई स्थान है जहां जल की सुविधा नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पेयजल भी नहीं मिलता है। अतः यह बहुत गम्भीर समस्या है। मैं इनका उल्लेख इसलिए कर रही हूं, क्योंकि यह एक उचित मंच है जहां हम अपने महत्वपूर्ण मामलों को उठा सकते हैं, जहां हम अपने लोगों की समस्याओं को उठा सकते हैं।

गरीबों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, आदि जैसी कई योजनाएं हैं। हम श्री जनार्दन पुजारी जी के बहुत आभारी हैं कि वह मिदनापुर जिले में गरीब लोगों को बड़ी संख्या में ऋण बांटने के लिए पिछले महीने पश्चिम बंगाल आए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह इन ग्रामीण लोगों को भी बचाने के लिए पश्चिम बंगाल आएं, क्योंकि राज्य सरकार दिवालिया हो गयी है। वे ग्रामीण लोगों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे केवल अपने लोगों में ही दिलचस्पी रखते हैं। हम संसद सदस्य पूरी तरह से असहाय हैं। हम इन लोगों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०' तथा 'डी० आर० डी० ए० इन सभी योअनाओं को उन लोगों ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। केवल मार्क्सवादी लोगों को ये सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और सामान्य लोग कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अतः मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री से केवल यह देखने का अनुरोध करती हूं कि इन योजनाओं पर समुचित निगरानी रखी जानी चाहिए, अन्यथा लोगों की समस्याओं को निपटाना बहुत मुश्किल है।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगें यहां प्रस्तुत की गई हैं और उन पर विस्तृत चर्चा हो रही है। वास्तव में पिछला बजट पेश करने के बाद जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, या जो अधिक व्यय करना पड़ा, कंटिंजैंसी फंडज से भी लेना पड़ा, यह जो धन जिस मद के लिए रखा गया गया था उसके लिये और इसमें व्यवस्था की गई है, इसके लिये मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं और विशेष तौर से दो बातों का मैं जिक्र करना चाहता हूं।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी हटाने के सिलसिले में जितने भी कार्यक्रम उस समय रखे गये थे, उनके लिए उस समय कम धन रखा गया था, लेकिन इन अनुपूरक अनुदानों में उसके लिए पर्याप्त धन रखा गया है। मुझे आशा है कि इन सबकी स्वीकृति होने के बाद बरसात का मौसम खत्म होते-होते ये सभी कार्यक्रम तेजी से शुरू होंगे और उनका समुचित लाभ सब लोगों को प्राप्त होगा। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, उनके स्थायी निर्माण पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इस काम की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकारों पर है।

आज विभिन्न पार्टियों की सरकारें प्रदेश में हैं। मैं अभी एक माननीया सदस्या का भाषण सुन रहा था, वह बंगाल के बारे में कह रही थीं, दूसरे प्रदेश के बारे में दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है। मेरा यह कहना है कि जो कार्यक्रम इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों में लिए जाते हैं, वह ठीक प्रकार के संचालित होते हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं और जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिये, वह मिलता है या नहीं, इस सम्बन्ध में यह मांग उचित है कि केन्द्रीय सरकार उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनको देखने से लिए कि ठीक से उनका कार्यान्वियन हुआ कि नहीं, सरकारी तौर पर अपनी तरफ से उसकी जांच-पड़ताल करने के लिए व्यवस्था करे तो यह अधिक उपयोगी होगा। मैं यह नहीं कहता कि वह राज्य सरकारों के कामों पर निगरानी का काम करे, लेकिन केवल यह व्यापक और सरकारी तौर पर देखने के लिए कि जो धन दिया गया है वह ठीक खर्च हो रहा है या नहीं, उसका पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं। क्योंकि कई राज्य सरकारें अपने ढंग से इस धन का उपयोग करती हैं और राज्य स्तर पर कोई स्कीम बना लेती हैं और वह धन उसमें लगा देती हैं। वह धन केवल तात्कालिक लाभ और उपयोग के लिए पूरे किए जा रहे हैं। वैसे उस धन से एक तरफ लोगों कोरोजगार मिलता है और मजदूरों को मजदूरी मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका स्थायी निदान नहीं निकलता है। हमें यह देखना चाहिए कि वह आगे चलकर लाभप्रद रहेगा यह नहीं।

हमें हरेक गांव कोपक्की सड़क से जोड़ना होगा, सिंचाई के लिये नहरों का निर्माण करना होगा, जहां कच्ची नहरें हैं वहां उनको पक्का करना होगा। इसके बाद पीने के पानी की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। आज गांवों में पीने के पानी की समस्या विशेषकर गर्मियों में बहुत भयंकर हो जाती है। उत्तर भारत में यह समस्या बड़ी विकट है। हमने यह देखा है कि गर्मी में जब स्थिति विषम होती है तो तुरन्त नलकूप या हैंडपम्प लगा दिए जाते हैं। इसका आपको स्थायी हल निकालना होगा। आपको हर गांव में हैंड पम्प बनाकर पानी पहुंचाना होगा।

महोदय, अनुपूरक मांगों में विशेषरूप से शिक्षा के लिए धन दिया गया है। यह बहुत

सराहनीय कदम है कि शिक्षा आज समवर्ती सूची में आ गई है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करना और पर्याप्त धन उपलब्ध कराना यह सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि प्रारम्भिक शिक्षा, हायर सेकेण्डरी स्कूल की शिक्षा और डिग्री कालेज की शिक्षा के लिए प्रदेश सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और स्थिति बहुत संतोषप्रद रही। भारत सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन पर विशेषरूप से बल दिया और उसके लिए विशेष अनुदान भी इसमें रखा जा रहा है। इसके साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था और जो लोग साक्षर बनाए जाते हैं, उनकी साक्षरता को कायम रखने के लिए बराबर की शिक्षा देते रहना यह एक सही व्यवस्था है।

आज प्राइमरी शिक्षा की स्थिति राज्यों में अच्छी नहीं है। गांवों में या शहरों में प्राइमरी शिक्षा के जो विद्यालय है, उनके भवन नहीं है, उनमें साज-सामान नहीं और वहां पर पर्याप्त स्थान बच्चों के बैठने के लिए नहीं है, इसलिए आज हम देख रहे हैं कि पब्लिक स्कूलों की तरफ आज सब भाग रहे हैं। जगह-जगह नर्सरी स्कूल खुल रहे हैं। इसके लिए हर जिले में आपने स्कीम रखी है कि मॉडल स्कूल खोले जाएंगे उसमें आपने काफी पैसा भी रखा है। यह एक सराहनीय कदम है। मुझे आशा है कि जहां पर इन स्कूलों की व्यवस्था हो सकती है, वहां पर शीघ्र ऐसे स्कूल खुलेंगे।

अब यह देखना है कि इन मॉडल स्कूलों में किस के बच्चे पढ़ेंगे। आज जो राज्य कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। अभी कोई मित्र कह रहे थे कि उस पर बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है। उस महंगाई भत्ते को देने के लिए सब लोग जोर देते हैं, सारी पार्टियां कहती है कि महंगाई भत्ता दीजिए। तो जैसे जो केन्द्रीय विद्यालय खोले उसमें राज्य कर्मचारियों के बच्चों को ही अधिकांश रूप में शिक्षा दी जा रही है, इसी तरह इन मॉडल स्कूलों में भी उन्हीं के बच्चे भर्ती होंगे तब तो केवल एक प्रकार से राज-कर्मचारियों की ही सहायता आप करेंगे। मेरा अनुरोध हैं कि इन मॉडल स्कूलों में मध्यम श्रेणी के लोगों के बच्चे और जो गांवों में रहते हैं जिनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं है, जो राज-कर्मचारी नहीं हैं उनके बच्चे इनमें भर्त्ती किए जाएं। उन लोगों के बच्चे तो और कालेजों में भी जा सकते हैं। वह तो देश के बहुत सौभाग्यशाली नागरिक हैं जिनको अधिक वेतन भी मिलता है। तो उनके बच्चों को अगर यहां भर्ती करना है तो मैं समझता हूं कि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। इसके बजाय आम जनता और मध्यम श्रेणी के लोग जिनको आज यह लाभ नहीं मिलता उनके बच्चे इसमें भर्ती किए जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा।

भारत सरकार ने थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स की मान्यता दी है। आप ने कहा कि टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम होगा। अब सेंटल यूनिवर्सिटीज ने तो इसको लागू कर दिया। राज्य सरकारें इसको लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में दो साल का डिग्री कोर्स है। तीन साल का डिग्री कोर्स करने के लिए एक साल की पढ़ाई और हो, उसके लिए आप को अध्यापक देने होंगे। इसके लिए यू० जी० सी० को, प्रदेश की सरकार को और भारत सरकार को विशेष अनुदान देना पड़ेगा। तब कहीं जा कर यह थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स हो सकेगा। वरना एक बहुत ही एनामलस स्थिति पैदा होगी। मेरे ही स्टेट में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में तीन साल का डिग्री कोर्स है। एम० ए० में भर्ती होने के लिए जो तीन साल का डिग्री कोर्स नहीं करेगा वह भर्ती नहीं हो सकेगा। हमारी और सारी यूनिवर्सिटीज में दो साल का डिग्री कोर्स है। एक साल को पहले वहां लिंक कोर्स रखा, इस साल उसको भी खत्म कर रहे हैं। बहुत सीमित संख्या में उसको रख रहे

हैं। इस से बड़ी अव्यवस्था सी हो रही है। तो मेरा अनुरोध है कि इस स्कीम को चलाने के लिए आप अलग से धन दीजिए डिग्री कालेजेज को और यूनिवर्सिटीज को।

ब्लैक मनी के लिए इस तरह के होर्डर्स से रुपया बरामद करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया है उसके अच्छे नतीजे निकले हैं। मुझे आशा है कि यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

अन्तिम बात स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य के लिए भी आप ने कुछ रुपया रखा है। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे नार्थ ईस्टर्न स्टेट के और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि आल इण्डिया मैडिकल इंस्टीच्यूट दिल्ली में बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, यह बड़ी सराहनीय बात है, लेकिन इंस्टीच्यूट देश के अन्य भागों में भी होने चाहिए। हमारे यहां बनारस में एक मैडिकल इंस्टीच्यूट बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में है। उसके लिए बहुत कम रुपया मिल रहा है। बहुत योग्य प्राध्यापक और प्रोफेसर वहां पर हैं जिनकी ख्याति देश में और देश के बाहर भी है। लेकिन वहां पर साधन नहीं हैं। वहां पर बेड बहुत कम पैसा मिलता है। कोई व्यवस्था दवा के लिए नहीं है न कोई और सुविधाएं हैं। लिहाजा वहां पर मैडिकल इंस्टीच्यूट रहते हुए भी वह उतनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है। आम जनता को यह भ्रम है कि यह मैडिकल इंस्टीच्यूट है, इसको इतना पैसा मिलता है, इससे उनको सहायया मिलेगी, लेकिन वाकई उनको उतनी सहायता वहां से मिलती नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि बनारस के मैडिकल इंस्टीच्यूट को और ऐसे ही इंस्टीच्यूट जो आलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जो भारत सरकार से धन प्राप्त कर रहे हैं उनको और अधिक प्रोत्साहन दीजिये ताकि ये मैडिकल इंस्टीच्यूट जनता की और अधिक सेवा कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, हमारे सामने अनुदानों की पहली अनुपूरक मांगें हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष को शुरू हुए अभी चार महीने हुए हैं और हमारे पास बड़ी किश्तों में मांगें आई हैं।

महोदय, हमें पता चला है कि अनुपूरक मांगों में 2,876.25 करोड़ रुपए का शुद्ध अतिरिक्त व्यव अन्तर्ग्रस्त होगा जो कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरू होने के केवल चार महीनों के भीतर एक बहुत बड़ी रकम है। इसमें 2,876.25 करोड़ रुपए का शुद्ध अतिरिक्त व्यय अन्तर्गत होगा। इस राशि को वर्ष 1985-86 के हमारे मौजूदा बजट में घाटे की जो राशि थी, उससे तुलना कीजिए। हमें पता है कि 3349 करोड़ रुपए का घाटा था। अतः जहां बजट में घाटा 3349 करोड़ रुपए था अब सबसे अधिक चार महीनों के भीतर हमारे सामने अतिरिक्त व्यय की इतनी बड़ी किश्त आयी है जो 2876 करोड़ रुपए की होगी। अतः महोदय, मैं यह कहता हूं कि इससे बजट का मजाक उड़ाया जा रहा है। बजट को पेश करने का यह असंगत और अर्थहीन प्रयास है। यह किसी दल की दृष्टि से आलोचना नहीं है। यह आलोचना इसलिए की जा रही है जिससे बजट को तैयार करने में बहुत सावधानी, और सतर्कता बरते।

महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों में सम्मिलित की गयी इस तरह की मदों पर

विशेष रूप से आपत्ति करता हूं जिन पर बजट बनाने के समय आसानी से विचार किया जा सकता था। इसमें ऐसी बहुत सी मदें हैं जिन पर आसानी से विचार किया जा सकता था और बजट बनाने के समय उन पर गौर किया जा सकता था तथा राष्ट्र को बजट, देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर बताकर इन्हें बजट में शामिल किया जा सकता था। मैं आपको बाद में उदाहरण दूंगा। जब मैं यह कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन मांगों पर आपत्ति करता हूं। यह बात नहीं है। मैं इन मांगों पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। वित्तीय और बजट सम्बन्धी नियन्त्रण में जो असावधानी बरती जा रही है उस पर मेरी आपत्ति है। उदाहरण के लिए आपके पास एक अच्छी मद है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए यहां आपके पास एक मद है और इसके लिए मांग 100 करोड़ रुपए है। यह एक रात में नहीं हो गयी है।

बजट पेश किए हुये अभी कुछ ही माह हुए हैं और बजट तैयार करते समय इस मामले पर ध्यान दिया जा सकता था। मैं मांग का समर्थन करता हूं। लेकिन मेरा मुद्दा ठीक से समझा जाए और वह यह है कि बजट बनाने का उद्देश्य निरर्थक नहीं होना चाहिए।

इसी तरह, अन्य कई मदें हैं। दिल्ली में 6 गैस टरबाईन एकक लगाने के लिए 75 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। इस योजना या कार्यक्रम की कल्पना एक वर्ष पूर्व की गई थी। इसमें विलम्ब क्यों किया गया? जब एक वर्ष पूर्व इस योजना के बारे में सोचा गया था, तब बजट तैयार करते समय आप इस आसानी से इस पर विचार कर सकते थे और धन की व्यवस्था कर सकते थे। ऐसी अन्य बहुत मदें हैं। अतः सर्वप्रथम मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि वित्तीय और बजट के अन्तर्गत नियन्त्रण का जो तरीका है। उस पर मुझे असंतोष है और आपत्ति है और हमारा बजट एक मजाक बना गया है।

हमारे बजट में हमें 3,349 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि हमने 1984-85 में 1,762 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान लगाया था और यह घाटा उससे 90 प्रतिशत अधिक हुआ था। मैंने ऐसा इस बात पर बल देने के लिए कहा कि इस वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने के केवल चार महीने के अन्दर ही हमारी अनुपूरक मांगें इतनी अधिक हो गई हैं।

अब मैं मांग संख्या 25 का जिक्र करता हूं। शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के विस्तार के लिए जिस के बारे में अभी माननीय सदस्य श्री श्याम लाल यादव बोल रहे थे, 108 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। यह एक अच्छी मांग है। आपको शिक्षा के लिए और धन की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। लेकिन स्थिति पर नजर डालिये। बजट में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए भी 221 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और 4 महीने के अन्दर ही आप अतिरिक्त अनुपूरक मांगें पेश कर रहे हैं जो कि बजट में की गई कुल व्यवस्था का 50 प्रतिशत हो जाती है। उससे विभिन्न सरकारी विभागों के कुप्रबन्ध और अदूरदर्शिता का पता चलता है। हमें कहा गया है कि शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के विस्तार के लिए 108 करोड़ रुपए की मांग के लिए मंजूरी दें। यह अच्छी बात है। लेकिन नई शिक्षा नीति पर अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं है। सभी व्यवस्था की जा रही है और हमें यह भी जानकारी नहीं है कि नई शिक्षा नीति का क्या हुआ और यह धनराशि किस तरह खर्च की जाएगी। यहां मॉडल स्कूलों का जिक्र किया गया था, और माननीय सदस्य श्री श्याम लाल यादव ने बड़ा प्रशंसनीय सुझाव दिया कि इन मॉडल स्कूलों के दरवाजे आम जनता के लिए भी खुले रखे जाने चाहिए। अब 108 करोड़ रुपयों की

आवश्यकता है। हमें यह कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति बनने वाली है और अभी उस नई शिक्षा नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः मैं एक बात के लिए सरकार पर बल देना चाहूंगा। सरकार कहती है कि वह केवल काम ही नहीं करती अपितु तेजी से काम करती है। महोदय, इस सरकार को राष्ट्र के हित में भी इतनी तत्परता से काम करना चाहिए।

विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों जैसे मॉडल स्कूल और पोलिटेक्नीक स्कूल खोलने आदि के लिए 108 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, मैं सरकार को इस सुझाव या निदेश का स्मरण कराना चाहता हूं। जो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 11 मई, 1983 अथवा किसी और दिन दिया गया था। हमारे अभ्यावेदन पर उन्होंने एक निदेश जारी किया था कि जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक है उन स्थानों पर अधिक से अधिक स्कूल, कालेज और पोलिटेक्नीक आदि खोले जाने चाहिए। उन्होंने वर्ष 1983 में यह निदेश दिया था। मुझे विश्वास है कि जब आपने और पोलिटेक्नीक आदि खोलने के लिए अतिरिक्त धनराशि मांगी है, तो इस निदेश का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

मैं यहां दिल्ली के सम्बन्ध में की गई मांग-मांग संख्या 52, का भी उल्लेख कर दूं। डेसू के पुराने एककों के स्थान पर 30-30 मेगावाट के 6 गैस टरबाइल एकक लगाने के लिए 75 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इस मांग का हम स्वागत करते हैं। किन्तु जैसा कि मैंने कहा। योजना को पिछले वर्ष अन्तिम रूप दिया गया था। फिर इसे इतने विलम्ब से क्यों पेश किया गया ? सरकार धनराशि की व्यवस्था करने में इतनी देर करती है जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

महोदय, दिल्ली में लगातार बिजली जाती रही है और कुछ स्थानों पर 12 से 14 घण्टे तक बिजली गायब रहती है। इस पर विश्वास नहीं होता। किन्तु महोदय, केवल जून के महीने में ही एक हजार से भी अधिक शिकायतें बिजली के बार-बार फेल होने के बारे में तथा 8000 शिकायतें 'करंट न होने' की मिलीं। थोड़ी बहुत देर के लिए बिजली जाने की कई शिकायतें दर्ज न कराएं जाने का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। महोदय, डेसू लोड-शैडिंग और बिजली कटौती की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है किन्तु इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराना होगा कि यह योजनाओं को अन्तिम रूप देने, योजनाओं को स्वीकृति देने और धन की व्यवस्था करने में इतनी लापरवाही बरतती है। सरकार बड़ी धीमी गति से काम कर रही है। इससे लोगों को बहुत कठिनाई होती है।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, यहां शामिल की गई मांग 'तस्करी के विरुद्ध अभियान तेज करने···' का स्वागत करता हूं। सरकार ने सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए तीन निधियों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। हमारे सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिए पारितोषिक बढ़ाने की भी मांग की गई है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और हमें तस्करी के विरुद्ध अभियान तेज करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। यह बात समझनी होगी कि 1975 में 2.22 करोड़ मूल्य का सोना बरामद हुआ जबकि 1984 में बरामद सोने का मूल्य 7.82 करोड़ रुपए था यह वृद्धि बहुत कम है। हम इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। 1983 में बरामद सोने, घड़ियों, कृत्रिम रेशे, हीरे आदि का मूल्य केवल 90 करोड़ रुपए था और 1984 में केवल 95 करोड़ रुपए का सामान पकड़ा गया। बावजूद इसके कि सोने की तस्करी करने वाले को 1983 में 10 ग्राम सोने

के पीछे 48 रु० का मुनाफा होता था जब कि नवम्बर 1984 तक 10 ग्राम सोने के लिए 196 रुपए लाभ होने लगा। सोने की तस्करी में मुनाफा इतना अधिक होने से हम समझ सकते हैं कि तस्करी को रोकने के लिए तस्करी अभियान में उपयुक्त तेजी लाना आवश्यक है। अतः मैं हृदय से इस उपबंध का स्वागत करता हूं। केवल इतना ही नहीं, मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि विधि में अधिक से अधिक अंशदान द्वारा पर्याप्त वृद्धि की जाए विशेषकर उस विधि को बढ़ाया जाए। वह विशेषकर जो सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों, की सुरक्षा के लिए है, जो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं।

महोदय मांग संख्या 49 का जिक्र करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुई हिंसा की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए जांच आयोग को 12 लाख रुपए दिए जाने की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि सरकार जनता की मांग का सम्मान करती है। ऐसी जांच कराए जाने की बहुत मांग की जा रही थी। सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न समझे बिना उस विशेष मांग को मान लिया है। अतः सरकार को जनता की आवाज का सम्मान करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि दिल्ली में हुए दंगों के शिकार लोगों को हर तरह से सहायता दी जानी चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। महोदय, इसके साथ ही गुजरात में हिंसा के शिकार हुए दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को भी हर तरह की सहायता दी जानी चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां तक राहत कार्य का सम्बन्ध है, गुजरात में स्थिति अत्याधिक खराब है। आपको यह जानकर दुःख होगा कि पुलिस के कड़े आदेशों से अथवा स्वयं पुलिस द्वारा शरणार्थी कैंप खाली कराए गए थे। चूंकि उनके घर जलाए जा चुके थे इसलिए उन शरणार्थियों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उन्हें बेघर कर दिया गया था अपने नागरिकों के प्रति हमारी सरकार का ऐसा रवैया है। अतः मैं सरकार पर इस बात के लिए बल देना चाहता हूं कि केवल लोगों के जीवन, मान और संपत्ति की रक्षा करना ही आवश्यक नहीं अपितु भाग्यहीन पीड़ित लोगों को पर्याप्त राहत भी दी जाए और उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री आई० रामा राय (कासरगोड) : अनुपूरक मांगें होने से घाटे भारी, की वित्त-व्यवस्था हो जाती है। जो भी हो हमें यह तथ्य मानना होगा कि वर्तमान प्रशासन समाज के पद-दलितों को रोजगार और सहायता देने का बहुत इच्छुक है। हम देखते हैं कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण कार्यशील साक्षरण कार्यक्रम आदि के लिए क्रमशः 121.55 करोड़ रु० तथा 42.49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन कन्नड़ में एक कहावत है :

देवेर कोडक, पुजारी बेडा

इसमें कहा गया है कि यदि भगवान आपको कुछ देना भी चाहता है तो पुजारी नहीं चाहेगा कि निर्धन व्यक्ति को कुछ मिले (व्यवधान) मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा अभिप्राय माननीय मन्त्री श्री पुजारी जी से नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बैंक अधिकारी और कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यह माना हुआ सच है और मैं इस पहलू पर कुछ देर बाद कहूंगा।

इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन

रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 100 प्रतिशत अनुदान दे रही है। अतः हमें यह देखना है कि ग्रामीण निर्धन लोगों को नौकरियां मिलें तथा जब खेती का काम न हो, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। आप इन कार्यक्रमों तथा अन्य बातों के लिए कहते हैं, हमारे प्रधान मन्त्री जी ने हाल ही में उड़ीसा का दौरा किया। हम ये समाचार पढ़ सकते हैं कि आज भी वहां ऐसे लोग हैं जो पेट भरने के लिए उबले हुए पत्ते खाते हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरने के के लिए अपने बच्चों को बेचना पड़ता है। एक स्त्री को अपनी ननद को 40 रुपए में बेचने पर बाध्य होना पड़ा ताकि वह परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भोजन जुटा सके। इस तरह के कई उदाहरण हैं। निश्चय ही भारत की कई उपलब्धियां हैं किन्तु इतनी उपलब्धियों के बाद भी यह शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। अतः हमें आगे बढ़ना होगा और यह देखना होगा कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन-यापन कर रहे हैं, उनका जहां तक संभव हो यथाशीघ्र उत्थान किया जाए।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता था कि योजना बनाते समय उचित होगा कि प्रत्येक राज्य की जलवायु का अध्ययन किया जाए क्योंकि भारत में कई राज्य हैं और प्रत्येक प्रदेश की जलवायु भिन्न-भिन्न होती है। एक दिन हम कहीं बाढ़ आने का समाचार सुनते हैं, तो दूसरे दिन अकाल पड़ने का। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों और योजनाओं की रूपरेखा बनाने से पूर्व राज्यों की जलवायु संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गांवों में कृषि क्षेत्र में असंगठित श्रमिक वर्ग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें उनके हितों का ध्यान रखना होगा।

28 जनवरी, 1985 तक राज्यों द्वारा लिए गए ओवर ड्राफ्टों के 90% भाग को गैर योजना व्यय को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किए जाने के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यहां मैं यह बात पुनः कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुछ सरकारी क्षेत्र के निगमों और बोर्डों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बिगड़ रही है। ये निगमों और बोर्डों में भारी घाटा हो रहा है और इस हानि को पूरा करना राज्य सरकार के लिए बहुत ही कठिन है। राज्य सरकारों के लिए वे सफेद हाथी बने हुए हैं। इन बोर्डों के बेहतर प्रशासन की आवश्यकता है। कुछ ऐसी शर्तें निर्धारित करनी होंगी जिससे कि इन निगमों और बोर्डों में लाभ होने लगे।

महोदय, कर्नाटक में विद्युत बोर्ड और सड़क परिवहन निगम भारी घाटे में चल रहे हैं जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और बिगड़ रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में भी एक शब्द कहूंगा है। हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों पर 4,000 करोड़ रुपया व्यय करने जा रहे हैं। यह सर्व-विदित तथ्य है कि राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, विशेषकर 20 सूत्री .कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य में। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए विकास ऋण की हेरा-फेरी के घोटाले नियमित रूप से हो रहे हैं। यहां तक कि ऐसे घोटालों में बैंक कर्मचारियों का भी हाथ होता है और गरीब लोगों के साथ पर आमतौर धोखा किया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें इन व्यक्तियों द्वारा राज-सहायता में हेरा-फेरी की गई है।

महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता और इतना कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था होने के बावजूद, मेरे विचार से, सरकार शोषित वर्ग के

लोगों के हितों की रक्षा करने की इच्छुक है। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि केरल में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार अभागे लोगों को कुछ विशेष अनुदान या सहायता का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए। सरकार को इस पहलू पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती वैजन्ती माला बाली (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने कुछ शब्द बोलने का मुझे अवसर दिया। इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं सम्पूर्ण विश्व में हो रहे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के ह्रास के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहती हूं। हमारा देश भी औषधियों और नशीली दवाओं की इस बुराई और बीमारी का शिकार होता जा रहा है। औषधियों की लत कैंसर के समान युवा और कम आयु के स्कूल तथा कालेज जाते वाले छात्रों में फैलती जा रही है। प्रचीन काल में हमारे गुरु अपने शिष्यों को अपनी देख रेख में रखते थे, तथा उनके संबर्द्धन और विकास की ओर ध्यान देते हुए उन्हें प्रशिक्षण और शिक्षा देते थे। हाल ही में, एक सप्ताह पूर्व, समाचार पत्रों में एक दुखद समाचार पढ़ने में आया था कि शिक्षक और प्रवक्ता औषधियां बेचते हैं। समाचार पत्र में बताया गया है कि दयाल सिंह कालेज का राजनीति विज्ञान का एक प्रवक्ता "थाइलैण्ड पावडर" नाम से विख्यात एक विशेष प्रकार की हीरोइन रखने के अपराध में पकड़ा गया था, जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 10 से 12 लाख रुपए होगा। आज कल हमारे देश में अनेक विकास योजना पर चर्चा चल रही है। किन्तु उनके कार्यान्वियन में हमें कठिनाई महसूस हो रही है। नवयुवकों को शिक्षा का अमृत देने के बजाए उन्हें विष दिया जा रहा है। मेरे देशवासियों का कितना पतन हो गया है।

महोदय, इस पतन और अधोगति के लिए हम सभी उत्तरदायी हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वह अपनी इस टिप्पणी पर दृढ़ रहेगी; कि आजकल के प्रवक्ता और शिक्षक वर्ग हीरोइन लेते हैं? वह यह कह सकती हैं कि कुछ शिक्षक और प्रवक्ता इसके आदि हो गए हैं। न कि पूरा वर्ग। क्या वह अपनी इस टिप्पणी पर दृढ़ रहेगी कि आज शिक्षक और प्रवक्ता हीरोइन ले रहे हैं? यह मुद्दा है। वह यह कहें कि 'कुछ शिक्षक और कुछ प्रवक्ता'।

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली : मैं समाचार पत्र का हवाला दे रही हूं। मुझे नहीं पता देश में कितने लोग ऐसा करते हैं। समाचार पत्र में जो समाचार प्रकाशित हुआ है, मैं उसी का हवाला दे रही हूं। महोदय, हम अपनी संस्कृति और अपनी परम्परा के अत्यधिक महत्वपूर्ण और पावन अंश को, जो हमारी संस्कृति का एक अनिवार्य अंग रही है, मूल पश्चिम के देशों का अंधानुकरण करके हम लोगों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। लड़कों और लड़कियों को उनकी किशोरावस्था में, जबकि उन्हें अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं होता है अपने माता-पिता के सम्पर्क से दूर रहते हैं तथाकथित स्वतंत्रता देने से यह बुराई फैली है।

आपका का ज्वलंत मुद्दा यह है कि कालेज और स्कूल के छात्रों में स्कूल व कालेजों के परिसरों के बाहर औषधियों और मादक द्रव्यों के सेवन का प्रचलन बड़वानल की तरह से बढ़ रहा है, जिसको तत्काल रोका जाना चाहिए। अधिक आय वाले परिवारों के छात्रों में औषधियों का दुरुपयोग बहुत अधिक बढ़ रहा है। यहां ये मादक औषधियां सस्ते मूल्य पर सहज रूप से उपलब्ध हैं। हमारे यहां के युवाओं में विष भरा जा रहा है। हमें नहीं पता कि नशीली दवाओं के प्रचलन

भी कोई षडयन्त्र है किन्तु मेरा विचार है कि हमारे युवकों की प्रतिभा प्रवर्तक आदि हमारे समाज में इनकी प्रगति की मुक्ति करने तथा उन्हें देश के निःसहाय और निकम्मे नागरिक बनाने की दिशा में षडयन्त्र रचा जा रहा है।

नशीली औषधियों का सेवन छात्रों में बहुत अधिक व्याप्त है। सन् 1976 में बम्बई, हैदराबाद, सिकन्दराबाद, जयपुर, जबलपुर, मद्रास, दिल्ली और वाराणसी में एक सर्वेक्षण किया गया था। इससे पता चला कि अपने देश की सबसे अधिक पूज्य और पवित्र नगर वाराणसी में नशीली औषधियों का सबसे अधिक सेवन किया जाता है। दिल्ली और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 33 प्रतिशत छात्रों में नशीली औषधि के सेवन की लत है। इलाहाबाद विद्यालय में नशीली दवाओं का सेवन करने वाले छात्रों में 25 प्रतिशत लड़कियां हैं। आज नशीली दवाओं का सेवन लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक है। इस विषय में लड़कियां ने लड़कों से बाजी मार ली है।

नशीली औषधियों का सेवन करने के अनेक और भिन्न कारण हैं। इसका कारण है उनके बार-बार सेवन से मिलने वाला आनन्द। इसके इलावा इसका भौतिक कारण भी है। छात्र औषधियों का सेवन इसलिए भी करते हैं ताकि वे अध्यापन करने के लिए जानते रहें। इससे उन्हें उत्तेजना मिलती है और उनकी प्रबोधन भी तेज होता है।

इसके सेवन करने का दूसरा कारण उनकी कुंठा है। आज शिक्षा और रोजगार के लिए प्रतिस्पर्द्धा बहुत अधिक बढ़ गई है। बेहतर शिक्षा पाने की चाह तथा रोजगार के अवसरों की कमी और शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्त कर लेने की अभिलाषा से हमारे छात्रों के मस्तिष्क में कुंठा पैदा हो गई है। आज युवक छुटकारा पाने के लिए नशीली औषधियों का सहारा ले रहे हैं, वह तनाव, आक्रांति, अकेलेपन आदि से छुटकारा पाने के लिए नशीली औषधियों का सेवन करता है। यहां तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। उनको भी इस लत का शिकार बनाया जा रहा है क्योंकि उन्हें भी नशीली दवाओं से युक्त टाफियां, मिष्ठान और मिठाइयां आदि दी जाती है, और अबोध बच्चे उन्हें खाते हैं तथा उनका मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है और उनका भविष्य अंधकार मय हो जाता है।

समाज ने इस खतरनाक प्रवृति को स्वीकार कर ली प्रतीत होती है और परिणामस्वरूप नशीली दवाओं का सेवन बढ़ता जा रहा है। समुचित शिक्षा, समुचित प्रचार के माध्यम से जब तक सरकार नशीली दवाओं के इस खतरे को रोकने के लिए बहुत ही कठोर और प्रभावी कदम नहीं उठाएगी, तब तक न तो इससे छुटकारा मिलेगा और न ही इस खतरनाक स्थिति का अंत होगा जिस स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे अधिक भयानक रोग, औषधियों और नशीली दवाओं का सेवन करने की लत व्याप्त है और और हम सब को मिलकर इसका अन्त करना होगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति मोहदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर वाद-विवाद में मैं भी संक्षेप में कुछ कहूंगा। किंतु कुछ कहने से पूर्व यह बात कुछ गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यद्यपि मुझे अपने साथियों तथा श्रीमती वैजंतीमाला के प्रति बहुत श्रद्धा है और बातें भी बहुत अच्छी ही हैं; तो भी उन्हें यह निन्दनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि शिक्षक वर्ग में हीरोइन के सेवन की लत है। मुझे आशा थी कि वह जिम्मेदाराना तरीके से बोलेंगी···(व्यवधान) किन्तु होता यह है कि सत्तारुढ़ दल के कुछ लोग कभी-कभी जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं; किन्तु

हम लोग अपनी हृदय की विशालता प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में, इसके अतिरिक्त हम कर भी क्या सकते हैं ?

कुछ मांगों के बारे में मैं अपनी प्रतिक्रिया संक्षेप में व्यक्त करूंगा। एक मांग ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सरकार का इरादा निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। किन्तु दुर्भाग्यवश कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं और मैं समझता हूं कि श्री पुजारी ही सभी मंत्रियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

आपने ये मांगें प्रस्तुत की हैं और निश्चित ही इन पर मतदान किया जाएगा···(व्यवधान) इससे पहले भी, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा करते समय हमने कहा था कि आप अपने नेक इरादे को जिला स्तर, तहसील स्तर और ग्राम स्तर तक ही सीमित रखें। भ्रष्टाचार बहुत अधिक व्याप्त है और आपके मंत्री इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं। बहुत अधिक दुरुपयोग होता है और बर्बादी होती है। जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, मैं यह बात बहुत ही गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं कि मेरे राज्य की स्थिति बहुत भयंकर है। मैं नहीं जानता कि श्री नामग्याल इस बारे में क्या सोच रहे हैं। वह इस सम्बन्ध में बाद में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां भ्रष्टाचार पूर्ण रूपेण व्याप्त है और रुपया कैसा भी क्यों न हो, चाहे वह राजसहायता का हो, चाहे ऋण का हो, लोगों को उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और लोगों को उन व्यक्तियों को रिश्वत देनी पड़ती है, जो इन योजनाओं के प्रभारी होते हैं। राजनैतिक मतभेद के कारण जन साधारण को इन योजनाओं में शामिल नहीं किया जाता। राजनैतिक मतभेद तो बना रहेगा। किन्तु जम्मू और काश्मीर में सबसे अधिक बहुमत नेशनल कांफ्रेन्स के प्रतिनिधियों का है और उन्हें ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर शामिल नहीं किया जाता है। मैं जिला विकास बोर्ड का सदस्य हूं। किन्तु 'शाह' सरकार इन वाद-विवादों में मुझे आमन्त्रित नहीं करती है और जिला योजना तैयार कर ली जाती है और पारित कर दी जाती हैं। कृषि मंत्री ने वादा भी दिया है कि योजना तैयार करते समय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा और वे लोग इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हमें आमान्त्रित करेंगे। अतः यह भविष्य के लिए तो वायदा है ही और हम लोग इसे देखेंगे।

अन्ततोगत्वा आपको केवल रुपया स्वीकृत कराने में ही रुचि नहीं होनी चाहिए अपितु आपके पास मूल्यांकन करने की भी कोई प्रणाली होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह रुपया वास्तव में उन्हीं लोगों के हित में लगाया जाएगा जिनके लिए उसे स्वीकृत किया गया है। अब मैं आपको वह योजना बताता हूं जिससे आप जरसी गाय प्राप्त कर सकते हैं। इस गाय का मूल्य लगभग 4500 रुपए है। और इसके लिए 3500 रुपए का ऋण और 1500 रुपए की राजसहायता स्वीकृत की जाती है। किन्तु, काश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र में 1500 रुपए प्राप्त करने के लिए किसानों को लगभग 1800 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सम्भवतः दूसरे स्थानों पर भी ऐसा ही होता होगा। मैं यह नहीं कहता कि काश्मीर कोई भिन्न राज्य है। सम्भवतः उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यही हो रहा होगा। किन्तु यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 1500 रुपए की राज-सहायता पाने के लिए सम्बन्धित एजेन्सियों को 1800 रुपए रिश्वत के रूप में देने पड़ते हैं। ऐसी एक या दो शिकायतें नहीं हैं, जो मेरे पास आई है। हाल ही में लोक लेखा समिति ने काश्मीर का दौरा किया था और वे लोग सरकारी कर्मचारी के संरक्षण के बिना भी गांवों में गए थे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सब्सिडी जो फिफ्टी-फिफ्टी है, आपके यहां 1800 ज्यादा कर दिया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : 1500 की सब्सिडी के लिए 1800 वह देता है। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। आप आकर देखिए।

[अनुवाद]

अत: काश्मीर के जम्मू प्रांत में यह हो रहा है। अत्यन्त दुर्गम जिला लद्दाख बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। उदाहरण के लिए कारगिल को लीजिए। यहां केवल चार महीने ही काम करने का मौसम होता है। कल मुझे कारी मोहम्मद से एक पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने लिखा है कि ये नई विकास परियोजना अभी तक आरम्भ भी नहीं की गई है। किन्तु वे कर क्या रहे हैं? जब काम करने का मौसम समाप्त हो जाता है तो या तो धन ही व्यय गत हो जाता है या वह कुछ लोगों की जेबों में पहुंच जाता है। लद्दाख जिले में यही हुआ है। वहां काल्पिनिक सड़कें हैं क्योंकि उनके लिए आबंटित किया गया धन कुछ लोगों की जेबों में पहुंच गया है। कारगिल तथा लद्दाख बहुत ही कठिनाई में हैं।

5.00 म० प०

कारगिल में ऐसी कोई पक्की सम्पर्क सड़क नहीं है जो सभी मौसमों में काम आ सके। जो जिला के नीचे एक सुरंग बनाने की आवश्यकता है ताकि हम कारिगल को जाने वाली इस प्रकार की सड़क बना सकें और सारे भारत में जो विकास हो रहा है, उसमें वहां के लोग भी भाग ले सकें। जहां तक लद्दाख का सम्बन्ध है। आप मानिला से लेह को जोड़ सकते हैं। जम्मू और काश्मीर में कई प्रदेश हैं। लेकिन जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है, इस बारे में भारत सरकार की कई एक प्रशंसनीय योजनाएं हैं। और इस पैसे को मांगने की पीछे भावना काफी अच्छी है। मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन आप जिला स्तर पर विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन नहीं करते, और आप इस बात का भी मूल्यांकन नहीं करते कि यह धन उन लोगों तक पहुंच भी पाता है कि नहीं, जिनके लिए यह रखा गया है। क्या आप लद्दाख जिले में सर्वेक्षण कराने के लिए तैयार हैं? आप तैयार नहीं हैं। मैं कारगिल और लेह की बात कर रहा था। जानसकर के बारे में क्या स्थिति है जो एक कठिन क्षेत्र है और अगम्य है और जहां हाल ही में 37 चुनाव केन्द्रों पर चुनाव हुए हैं। वहां इन केन्द्रों पर भारी हिमपात के कारण नेशनल कांफ्रेंस का कोई भी एजेंट उपस्थित नहीं था और वहां काफी हेरा-फेरी हुई···

(व्यवधान)

मैं इसे यहां नहीं कह रहा हूं। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका प्रश्न क्या है?···**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया मुझे समझने दीजिए कि आपका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पी० नामग्याल : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि वह चुनाव आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है···**(व्यवधान)**

श्री पी० नामग्याल : वह जो कुछ भी कहना चाहते हैं, चुनाव आयोग के सामने कह सकते हैं। और इसके बारे में एक याचिका निर्णयाधीन है। अतः वे ऐसी बातें इस सभा में नहीं कह सकते।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री सोज कृपया मांगों के बारे में ही चर्चा करें।

श्री पी० नामग्याल : यह निर्णयाधीन है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री सोज। कृपया अपनी बात मांगों की चर्चा तक ही सीमित रखें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन्, मैंने भी आपको यही बात कही थी। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। खैर वह तो मात्र एक बात कहना चाहते थे···**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया आप सभा के समक्ष प्रस्तुत मांगों पर ही चर्चा करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं जम्मू और काश्मीर राज्य के मामले की जोरदार वकालत करता हूं जोकि कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है— चाहे यह रेलवे हो या औद्योगिक विकास हो। दुर्भाग्य से श्री आरिफ मोहम्मद खां यहां उपस्थित नहीं हैं। पहले वह यहां उपस्थित थे, एक युवा व्यक्ति होने के नाते उन्हें यहां अनुपस्थित नहीं होना चाहिए था। अतः ग्रामीण विकास के लिए बनाई गई योजनाएं अच्छी हैं, और जम्मू और काश्मीर राज्य को भी, विशेषकर लद्दाख जिले को, जोकि काफी पिछड़ा हुआ जिला है। इनसे लाभ मिलना चाहिए।

अब मैं शिक्षा सम्बन्धी अगली मांग पर चर्चा करूंगा। मैं इस पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं आपकी ओर से भी बात करूंगा। श्रीमन् जहां तक···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। आपका समय समाप्त हो गया है···

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब प्रो० रंगा जैसे माननीय सदस्य उपस्थित हों, तो मैं उनकी ओर सम्मान से देखता हूं। श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देती। सभी इस बात को जानते हैं। यह दुःख की बात है कि बजट में शिक्षा के लिए मात्र 3 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। उस छोटी सी धनराशि में से बताने के लिए मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। परन्तु जहां तक विभिन्न क्षेत्रों का सम्बन्ध है मैं इस सभा में यह कहता हूं कि इस छोटी सी रक्कम में भी जो कि बजट में शिक्षा के लिए निर्धारित की गई है, काफी हेराफेरी और अपव्यय होता है। हाल ही में जब मैं सलाहकार समिति में बोल रहा था तो मैंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई थीं। इसे बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। मेरे पास कुछ तथ्य और आंकड़े हैं—अनुपूरक

मांगों में भी स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए 4 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। मैं औपचारिक क्षेत्र के बारे में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्राथमिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर 60 प्रतिशत है। शिक्षा मंत्री ने यही आंकड़े दिए हैं। अब औपचारिक क्षेत्र खतरे में है। औपचारिक क्षेत्र धन के अभाव में पिछड़ रहा है। प्राथमिक स्तर के औपचारिक क्षेत्र में बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वालों की दर 54 प्रतिशत है। आप अब भी चाहते हैं कि लोग प्रौढ़ शिक्षा द्वारा शिक्षित बने! पिछली दफा एक आंकड़ा दिया गया था कि 1990 तक गैर-औपचारिक क्षेत्र में कितने लोग बीच में ही शिक्षा छोड़ देंगे। इस प्रकार आप बिना किसी लाभ के धन दे रहें हैं। और मैं जोरदार तर्क देता हूं कि—शायद 10 वर्ष बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रौढ़ शिक्षा अच्छी है या बुरी? लेकिन जो तथ्य मुझे पता हैं उनके आधार पर मैं महसूस करता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा और योजनाएं ठीक नहीं हैं। मैं औपचारिक साक्षरता कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा, वे एक बेकार प्रयास है और शिक्षा के लिए उपलब्ध धनराशि कम है जिसके एक अंश का अपव्यय किया जाता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : हमारे राज्य में यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल रहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि श्री आरिफ मोहम्मद खां मेरी बात सुनें। जब मैं कुछ धन देने की बात करता हूं, तो कुछ मित्र आपत्ति करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मेरे देश में विकास नहीं हुआ है। मैं यह भी नहीं कहता कि जम्मू और काश्मीर में कुछ भी तरक्की नहीं हुई है। लेकिन जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उदाहरण के तौर पर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हमें कभी भी इनका हिस्सा नहीं मिला। वित्त मन्त्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार यह मात्र 0.0.6 % है, वह भी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री लगाने के लिए खर्च किया गया। पिछले 30 वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर 25,550 करोड़ खर्च किए गए हैं। मैंने एक प्रश्न उठाया था—'मेरे राज्य का हिस्सा कितना है?' तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा था "0.06 प्रतिशत क्योंकि मात्र 7 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। इसीलिए मैं चाहता था कि श्री आरिफ खां इसे ध्यान से सुनें। यही नहीं। एच० एम० टी० की एक ही यूनिट श्रीनगर में स्थापित की गई। उस पर 0.06 प्रतिशत यानि 7 करोड़ रुपए खर्चा आया।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीनगर में एच० एम० टी० यूनिट की कुछ सहायक यूनिटें निजी क्षेत्र में लगाई जानी थीं। लेकिन ये सहायक, पूरक उद्योग स्थापित नहीं किए गए। **(व्यवधान)**···यह सत्य नहीं है **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आई० टी० आई के बारे में क्या स्थिति है?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह एक दूसरी योजना के अन्तर्गत आता है। आप नहीं समझेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी से मुझे ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जब मैं विकास की बात करता हूं तो मेरी जिम्मेदारी दुगुनी हो जाती है। इतना ही नहीं, मैं अपने समूचे राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरी जिम्मेदारी दुगुनी है, क्योंकि वहां ऐसी सरकार है जो न तो लोगों के लिए बोल

सकती है और न ही बोलती है। मैं सभापति जी आपको और इस सभा के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि ··**···दो माह पूर्व जालंधर आए थे।

सभापति महोदय : आप मांगों तक ही अपना भाषण सीमित रखें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वह जालंधर गए और वहां उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया। उन्होंने वहां एक बात कही कि आप कोई ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा; हम भिखारी हैं। हम केन्द्र से कैसे टकराव कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम भिखारी हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत वे दे सकते हैं, वे देते हैं।

यह उस व्यक्ति का भाषण था उसके शब्द हैं जो कि लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं हैं, मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं भिखारी हूं? मैं इस महान देश भारत का एक सम्मानित नागरिक हूं (**व्यवधान**) अतः हमारे राज्य को भी समान हिस्सा मिलना चाहिए।···**···भिखारी हो सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इसी सभा में एक निर्णय दिया था।

सभापति महोदय : प्रो० सोज, आपका समय समाप्त हो गया है। अब अगला वक्त, श्री भरत सिंह बोलेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री भरत सिंह खड़े हुए।

सभापति महोदय : श्री भरत सिंह कृपया ठहरिए। प्रो० सोज, आपका समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि जिस वक्त बजट बनाया गया उस वक्त सारे भारत में और हर जहग···

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अभी अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : श्री सोज, कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। श्री दास मुंशी, मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन्, केवल आधा मिनट।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इसी सभा में माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय के विनिर्णयों द्वारा पहले यह निर्णय दिया गया है कि किसी राज्य के विधान मंडल के नेता जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं की टिप्पणियों पर इस सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अत: जो कुछ उन्होंने कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलि नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं उस भाषण का जिक्र कर रहा था। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा था।

सभापति महोदय : अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो हम उसे देखेंगे और निकाल देंगे।

श्री पी० नामग्याल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति इस सभा का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अपनी सफाई नहीं दे सकता।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि मगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो हम इस पर विचार करके अगर आवश्यक होगा तो कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देंगे। प्रो० सोज, कृपया बैठ जाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या मैं अपना भाषण समाप्त न करूं।

सभापति महोदय : नहीं श्रीमन्। आपने पहले ही समाप्त कर दिया है। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। जब मैं बोल रहा हूं तो आप कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस तरह नहीं। मुझे अपना भाषण समाप्त करना है।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही अगले वक्ता को बोलने के लिए कह दिया है।

[हिन्दी]

श्री भरतसिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, यहां पर महंगाई का बहुत जिक्र किया गया है और कहा गया है कि बजट के बाद चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ चीजों पर महंगाई आई है, जिनमें तीन चीजें खास हैं—जैसे चीनी, दालें, दूध वगैरह—हमें इसके लिए यह कहना चाहता हूं कि यह महंगाई बजट की वजह से नहीं आई है। इस महंगाई की वजह उन चीजों के उत्पादन में कमी है। अगर उन चीजों का उत्पादन ज्यादा हो, तो चीजें महंगी नहीं हो सकती। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि चीजों का उत्पादन बढ़े। मिसाल के तौर पर आप गन्ने को लीजिए। गन्ने की ज्यादा फसल की जाए, उसमें जो बीमारियां लगती हैं, सरकार की तरफ से ऐसे साधन मुहैया किए जायें कि गन्ने की बीमारी दूर हो और ज्यादा से ज्यादा रकबे में गन्ने की फसल उगाई जाए, उससे चीनी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसके साथ यह भी जरूरी है, जिस वक्त किसान की फसल तैयार होती है, तो उसको साढ़े 21 या साढ़े 22 रु० क्विंटल का भाव दिया जाता है। जो उसकी पैदावार की लागत को देखते हुए बहुत कम है। किसान अपनी बुग्गी को लेकर 24 घण्टे मिल के दरवाजे पर खड़ा रहता है। तब जाकर तुलाई के लिए उसका नम्बर आता है। आज लकड़ी की कीमत 40 से 65 रु० क्विंटल है, लेकिन गन्ने

की कीमत लकड़ी से भी कम है। अगर किसान के गन्ने की कीमत बढ़ा दी जाए, तो जाहिर बात है कि किसान ज्यादा बोएगा और हमारी चीनी की पैदावार बढ़ सकती है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि चीनी की पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ हमें ज्यादा से ज्यादा चीनी अपने गोदामों में रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार उन गोदामों से चीनी बाहर निकाल सके, ताकि चीनी के भावों पर कन्ट्रोल रखा जा सके।

आपने सरकारी फेयर पाइस शाप्स पर चीनी भेजी है और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि वहां पर चीनी कन्ट्रोल रेट पर मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि उन दुकानों पर चीनी हर वक्त मौजूद नहीं होती है। उनके पास पैसे की कमी है, जिससे वे लोग चीनी गोदामों से फौरन नहीं उठाते हैं। 15 तारीख के करीब जब हफ्ता खत्म होने लगता है, तो वे लोग 14 तारीख को चीनी उठाते हैं और 15 को बांटते हैं। इसी तरह से जब 30 को हफ्ता खत्म होता है तो तारीख 28 को चीनी उठाते हैं और 30 तारीख को बांटते हैं। अगर बैंकों की तरफ से सस्ते भाव पर इन फेयर प्राइस शाप्स को या सरकारी दुकानों को लोन दिया जाए तो इससे समस्या हल हो सकती है। और वे लोग हर वक्त चीनी को अपनी दुकानों पर रख सकते हैं।

तीसरी बात दालों का जिक्र किया गया, बहुत से किसान दालों की तीसरी फसल लगाने लगे हैं। जिस वक्त गर्मियों में गेहूं की फसल कटती है, उसी वक्त तीसरी फसल दालों की बो-दी जाए तो दालों की इतनी उपज बढ़ेगी जिससे दाल काफी पैदा हो सकती है। आपने देखा है, बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद किसानों ने मेहनत करके, ट्यूबवैल लगाकर अपने खेतों में सिंचाई करके, ट्रैक्टर और अच्छे बीज लगाकर गेहूं की पैदावार बढ़ाई है। जिस वक्त भारत की आबादी 40 करोड़ थी, उस वक्त बाहर से गेहूं मंगाते थे। आज 70 करोड़ आबादी है, हम अपनी पैदावार का गेहूं अपने मुल्क की आबादी को खिलाते हैं। उसके बाद भी हमारे पास काफी गेहूं बच जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि गन्ने की काश्त को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए और दालों की तीसरी फसल उगानी चाहिए।

दूध का भी जिक्र किया गया है। दूध के दामों में जरूर कुछ महंगाई आई है और यह इसलिए है कि दूध की सप्लाई में कुछ कमी हुई है। मेरा सुझाव है कि गांवों में भूमिहीनों को जिनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, उनको दो-दो भैंस रखने के लिए लोन दिया जाए। चार-चार भैंसों के लिए लौन दें और सस्ता लोन दें जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले और दूध ज्यादा पैदा हो। सारे भारत में इस तरह से अगर दूध ज्यादा पैदा होगा, तो दूध के भाव कम होंगे।

मैं दो तीन समस्याएं देहात की बताऊंगा। जहां तक उत्पादन की बात है बिजली का उत्पादन बहुत कम है दिल्ली में और यहां पर खपत ज्यादा है। मेरे कहने का मकसद यह है कि उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को बिजली मिल सके। आज हम यह देखते हैं कि नई दिल्ली में लाईट नहीं जाती है और देहातों में दो-दो और तीन-तीन दिनतक लाईट गायब रहती है। कभी केबिल फाल्ट बताया जाता है, कभी तार टूट जाते हैं और कभी ट्रांसमीटर जल जाता है। मैं यह कहूंगा कि दिल्ली में बिजली के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहां पर दो थर्मल पावर स्टेशन हैं। एक इन्द्रप्रस्थ थर्मल पावर स्टेशन है और दूसरा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन है और यहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है लेकिन खपत के मुकाबले बिजली का उत्पादन कम होता है और बाहर से बिजली लेनी पड़ती है। मेरा सुझाव यह है कि यहां पर एक और थर्मल पावर स्टेशन लगाए जाए। इससे दिल्ली के देहातों को बिजली पूरी मिलेगी।

5.16 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान हो या मजदूर हो या भूमिहीन हो, इन लोगों के लिए गांवों में काम बहुत कम हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि गांव में सड़कें बनाई गई हैं, गांव में स्कूल खोले गए हैं और गांव में अस्पताल बनाए गए हैं और पोस्ट आफिस खोले गए हैं और बहुत सारी सहूलियतें दी गई हैं लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी तक पूरी आजादी को हम चाहते थे, वह नहीं मिली है और लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिली हैं। 1977-78 में एक झटका गन्ना बोने वाले किसानों को लगा था और किसानों को अपना गन्ना जलाना पड़ा था। अगर उस समय जो ज्यादा गन्ना पैदा हुआ, उसकी चीनी बनवाते, तो किसान गन्ने की फसल और ज्यादा उगाता और आज जो चीनी की कमी महसूस हो रही है, वह न होती। किसान कहता है कि हमें फसल बोने के लिए सहूलियतें दी जाएं। आज तो स्थिति यह है कि मिलों में वह अपनी बुग्गियां लिए खड़ा रहता है और जो उसका पैसा है, वह छः-छः और आठ-आठ महीने तक उसको नहीं मिलता है। इस तरह से कई लाख रुपया उसका मिलों पर बकाया है। छः छः महीने हो गए और उसको पैसा नहीं मिला। किसान तब खुश होता है जबकि उसको नकद पैसा मिलता है। मेरा कहना यह भी है कि बैंक की तरफ से उसको साधन मिलने चाहिए और मदद मिलनी चाहिए और जब भी किसान गन्ना मिल में ले कर जाए, उसको उसका पैसा नकद मिल जाए ताकि आगे चलकर वह गन्ने की फसल की तरफ ध्यान दे। हर तरह से इस बात की कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा माल मिलें बनाएं।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कच्चे रास्ते हैं, उनको अगर पक्का बनवा दिया जाए, तो किसानों को इससे बहुत ज्यादा सहूलियत होगी और जितनी ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगी और जितना ज्यादा माल होगा, वह शहरों में बेच सकेगा।

आप जानते हैं कि बेरोजगारी की आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सरकार की तरफ से बैन लगा हुआ है। आज स्कूलों में टीचर पूरे नहीं हैं। जब हम इसके बारे में कहते हैं, तो यह कह दिया जाता है कि नई भर्ती पर बैन लगा हुआ है। स्कूल 40 खोल दिए और टीचर एक भर्ती नहीं किया। मेरे कहने का मकसद यह है कि जब बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, तो आगे चलकर कामयाब कैसे होंगे। जहां तक बिल्डिंगों की बात है, बहुत से स्कूलों की कोई बिल्डिंग नहीं है। यहां तक की बहुत से स्कूलों में टैन्ट भी नहीं हैं और हजारों की तादाद में बच्चे ऐसे ही फिरते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बच्चों के दाखिले में बड़ी मुश्किल हो रही है और उनको दाखिले नहीं मिलते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पुनर्वास कालोनियां हैं, उनमें सीवर, पानी और बिजली की व्यवस्था अगर हो जाए, तो वे लोग भी ऐसी ही जिन्दगी बसर कर सकते हैं जैसे कि और लोग करते हैं। हरिजनों, बैकवर्ड लोगों और भूमिहीनों को बीस-सूत्री प्रोग्राम में प्लाट तकसीम किए गए हैं। उनको फ्री प्लाट तकसीम दिए गए हैं और उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। अगर 100 रुपए के हिसाब से जमीन का मूल्य लगाया जाए, तो काफी पैसा बैठता है। गांव सभा ने जमीन दी है और गांव की पंचायतों ने बीस-सूत्री कार्यक्रम में भूमिहीन हरिजनों को और गरीबों को जिनके पास

रिहायश के लिए जमीन नहीं थी, जमीन दी है। हमने उनको जो प्लाट दिए हैं, उनमें सड़कें नहीं हैं, गलियां नहीं हैं, नालियां नहीं हैं। उनमें और कोई दूसरी सहूलियत नहीं पहुंची है।

मैं यह मानता हूं कि सरकार ने जो भूमिहीन हरिजन हैं उनको एक-एक एकड़ जमीन खेती करने के लिए दी है। इसमें कोई दो राय नही हैं कि उसे एक-एक एकड़ जमीन में उन्होंने फसल बोई है। मैं देहात का रहने वाला हूं मैं जानता हूं कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए सरकारी ट्यूबवैल लगाए हैं और उन्हें सिंचाई के लिए फ्री पानी दिया जाता है जिससे कि वे सारे साल फसल बो कर अपना गुजारा कर लेते हैं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स रखी गई है मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इन मांगों का समर्थन करने के साथ-साथ कुछ बातें सम्माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं।

इन डिमाण्ड्स में 250 करोड़ रुपया एफ० सी० आई० के लिए सब्सीडाईज्ड के वास्ते मांगा गया है। एफ० सी० आई० के लिए सब्सीडाइज्ड करने के वास्ते बजट में पहले से ही 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम यों ही सब्सीडाइज्ड करते जाएंगे ? हम सब्सीडाइज्ड इसलिए करते हैं कि जो माल हम किसान से खरीदते हैं वह माल कंज्यूमर को रीजनेबल रेट्स पर मिले। लेकिन किसान से हम व्हीट 152 रुपए क्विंटल पर खरीदते हैं और वही व्हीट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 192 रुपए क्विंटल हो जाता है। इसमें खरीदने के बाद ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज में 4 रुपए क्विंटल चला जाता है। इससे कंज्यूमर को इस सब्सीडी से जो राहत मिलनी चाहिए, वह राहत नहीं मिल पाती है। अगर हम ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर को कम करने का प्रयत्न करेंगे तो इससे सरकार का खर्चा कम होगा। इसलिए मेरा कहना है कि एफ० सी० आई० की जो वर्किंग है उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राईजिंग प्राईस के बारे में और शूगर की प्राइसिज के बारे में इस हाऊस में डिस्कशन हो गया है। हम इम्पोर्टिड शूगर स्टेट को अलोट कर रहे हैं और स्टेट उस शूगर को फ्री सेल के लिए व्यापारियों को दे देती हैं। जब वह शूगर इस ट्रेड में व्यापारियों के हाथ में जाती है तो वे व्यापारी फ्री सेल के नाम से उस शूगर को ब्लेक मार्कीट में बेच देते हैं। आप आज का ही पेपर देखिए। उसमें इम्पोर्टिड शूगर का भाव सात सौ रुपए क्विंटल छपा है। इसमें मेरा कहना यह है कि जब तक हण्ड्रेड परसेंट शूगर आई० एफ० सी० के द्वारा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की मारफत डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तब तक शूगर की प्राइसिज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने तो मई महीने में ही यह कह दिया था कि इस साल के अन्दर शूगर का भाव दस रुपये किलो तक बढ़ने वाला है। आप कुछ भी करिए, अगर आप सही स्टेप नहीं लेंगे तो अक्टूबर में ही आप शूगर का भाव दस रुपए किलो देखेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

इसके बाद मैं पैट्रोलियम मिनिस्टर से बात करना चाहता हूं। पैट्रोलियम के लिए भी इस बजट में कुछ डिमाण्ड रखी गई हैं। पैट्रोलियम मिनिस्टर से डिस्कशन के समय कहा था कि हम कैरोसीन का कोटा स्टेट को अलोट करते हैं। उस कोटे में से स्टेट वाले किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 250 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे। जिसके पास ज्यादा का कोटा है, उसको कम करिए और शैड्यूल कास्ट्स

और शैड्यूल ट्राइब्स को, डिसेबल परसन्स, एजूकेटेड अनएंप्लाएड परसन्स लोगों को लाइसेंस दीजिए। यह आपकी योजना थी, लेकिन अभी तक कितनों का कोटा कम किया गया है, जिनके पास बम्बई में 1000, 1200 और 1500 किलो लीटर तक का कोटा है, वे इसको मोनोपलाइज बिजनेस बनाए हुए हैं। इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए। ढाई सौ किलो लीटर की हमारी पालिसी है, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए और शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स, डिसेबल परसन्स, गरीब लोगों की एप्लीकेशंस हमारे यहां पेंडिग पड़ी हैं, उनको कंसीडर करना चाहिए।

इसी तरह से ट्रांसपोर्ट एण्ड शिपिंग कारपोरेशन के बारे में, शिपिंग इण्डस्ट्रीज के बारे में शिपिंग कारपोरेशन की ओर से जो 600-700 करोड़ का लोन दिया गया है, उसकी क्या परिस्थिति है। जहां तक मेरा ख्याल है पूरे का पूरा पैसा 300 करोड़ जो प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है वह बैंड डैट होने वाला है, इसकी इन्क्वारी करवानी चाहिए। जो लोन शिपिंग के लिए दिया गया है, वह रिकवर होने वाला नहीं है, जैसा हमारा अनुभव है।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कस्टम और सेंट्रल एक्साइज आफिसर्स को रिवार्ड देने के लिए जो डिमांड है, वह सही डिमांड है, उसका मैं अभिनन्दन करता हूं। अभी हीरोइन और नारकोटिक्स के बारे में सम्माननीय सदस्या श्रीमती वैजयन्ती माला ने जैसा कहा, मैं उससे भी आगे की बात करता हूं। आज तो यह स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों तक ही सीमित है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब यह बड़े-बड़े आफिसर्स और मिल्ट्री के लोगों तक पहुंच जाएगी और आने वाली जेनरेशन की हालत खराब हो जाएगी और जो देश हमको लड़ाई के मैदान में नहीं हरा सके वे स्मर्गालिग के जरिए इस तरह की चीजें लाकर हमको हराना चाहते हैं। इसके लिए हमको स्ट्रांग स्टेप्स लेने होंगे। इसलिए जो आफिसर्स अपनी जान की बाजी लगाकर इस तरह का काम करते हैं, उनको जरूर रिवार्ड देना चाहिए।

आखिर में मैं दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी को जो 15 करोड़ रुपया दिया गया है, उसके लिए खुशी जाहिर करता हूं। दिल्ली डायरेक्टली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसकी जो जरूरियात हैं वे पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी स्टेट्स के लिए भी उनकी मांग के अनुसार प्रावीजन करना चाहिए। मैं स्पेशली बम्बई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कल मुरली देवड़ा का प्रश्न था कि बम्बई के अन्दर कितने हाउसेस मानसून के अन्दर गिर रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। आप जानते हैं कि रिपेरिंग, री-कंस्ट्रक्शन और स्लम क्लीयरेंस के लिये 1000 करोड़ रुपया बम्बई के लिए मांगा गया था, लेकिन हमको सिर्फ 50 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है। बम्बई को हमेशा पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगो ने महाराष्ट्र में स्लम क्लीयरेंस की स्कीम हाथ में ली है। आशा है आप इसके लिए फिर से सोच कर कुछ प्रावधान करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

***श्री अमर राय प्रधान** (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जब सदन में यह कहा गया था कि केन्द्र पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है तो सत्तारूढ़ दल के

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सदस्यों ने जोर-शोर से इसका विरोध किया था किन्तु अनुदान की इन अनुपूरक मांगों पर नजर डालने के बाद मैं यह बात बहुत जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस अनुपूरक बजट में पश्चिम बंगाल की सभी मांगों और उसके अनुरोधों की पूर्ण उपेक्षा की गई है। इस अनुपूरक बजट ने निस्संदेह यह साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 1950 से 1985 के बीच की लम्बी अवधि के दौरान लाखों शरणार्थियों को फिर से बसाने का काम केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण सम्भव नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए 750 करोड़ रुपये की मांग की थी किन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया। शरणार्थी समस्या का समाधान ढूंढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या केन्द्र सरकार की? देश के विभाजन के लिए कौन जिम्मेवार था? देश के विभाजन के फलस्वरूप लोग अपने घरों से बेघर होकर, उजड़कर अत्यन्त दीन-हीन अवस्था में हमारे देश में आये और पश्चिम बंगाल में रहने लगे। वे बहुत आशाएं और आकांक्षाए लेकर यहां आये थे। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप श्रीलंका से भाग कर आपके राज्य में आने वाले लोगों की दयनीय और असहाय अवस्था की कल्पना कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल में हमने वर्ष प्रतिवर्ष यही स्थिति देखी है। आज यहां खड़े होकर इस जिम्मेदारी से भले ही मुकर जायें किन्तु भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस जिम्मेदारी से इन्कार नहीं किया था। संसद के केन्द्रीय कक्ष में उन्होंने कहा था "वे हमारे भाई हैं, बहिनें हैं और हमारे सम्बन्धी हैं। उन्हें भारत में आने का अधिकार है। उन्हें भारत में रहने का अधिकार है।" उन वचनों और भावनाओं का क्या हुआ? वे सब हवा हो गई हैं। आज आप उन सबको भूल गये हैं। 15 अगस्त, 1947 से, देश के विभाजन के समय से पश्चिम बंगाल में जो संकट पैदा किया गया है आज वह जानलेवा समस्या का रूप धारण कर चुका है। आज वहां आजादी से सांस लेना मुश्किल हो गया है। केवल केन्द्र सरकार ही पश्चिम बंगाल को इस संकट से उबार सकती है बशर्ते वह अपनी जिम्मेदारी और वचनबद्धता को निभाये। पश्चिम बंगाल की 750 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की उपेक्षा की गई है। अत: मैं इन मांगों का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

मैं इन मांगों का समर्थन इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि 1956 में केन्द्र ने एक माल भाड़ा सम्मानीकरण नीति का निर्णय लिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि कलकत्ता की कोयला उत्पादन क्षेत्र दुर्गापुर से दूरी केवल 200 किलोमीटर है किन्तु कोयले की कीमत अमृतसर और चण्डीगढ़ जैसे दूर-दूर स्थित नगरों में कलकत्ता से काफी कम है। सरकार दुर्गापुर से कलकत्ता तक कोयला ले जाने के लिए इस बहाने पर रेलवे बं ाों का आबंटन नहीं करती है कि इनमें दूरी 200 किलोमीटर से कम है। कोयले को ट्रकों में ले जाने में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कीमतों में कितनी अधिक वृद्धि होगी। केवल यह कह देना ही कि भारत एक है। काफी नहीं है। हम भारतीय हैं और हमें इस बात में पूरा विश्वास है किन्तु यह बात केवल कोयले और इस्पात के मामले में ही लागू क्यों हो? यह बात कपास या गन्ने पर लागू क्यों न हो? देश में सभी वस्तुओं पर एक समान दरें लागू होनी चाहिए। महोदय, एक मुद्दा जो बार-बार सदन में उठाया गया है, वह है पटसन के मूल्यों के बारे में। पटसन पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, बिहार. उड़ीसा, जैसे राज्यों और आन्ध्र के कुछ स्थानों में पटसन की पैदावार

होती है किन्तु पश्चिम बंगाल पटसन का मुख्य उत्पादक है। इस राज्य में 40 लाख से अधिक पटसन उत्पादक हैं किन्तु इन पटसन उत्पादकों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलते। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने भी, जिन्होंने पटसन उत्पादकों का हमेशा शोषण किया, जिन्होंने उनकी स्थिति को कभी नहीं समझा, कच्चे पटसन के मूल्य निर्धारण के लिए 1943 में एक आयोग गठित किया था। उस साहू आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने निर्णय किया था कि एक मन पटसन की कीमत तीन मन धान के बराबर होनी चाहिए। यदि हम धान की आज कीमत को लें तो 200 रुपये प्रति क्विटल है और इस हिसाब से उस फार्मूले के अनुसार इस समय पटसन की कीमत 600 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए। किन्तु आप वह कीमत नहीं दे रहे हैं। आपने क्या किया है? आप एक के बाद एक समिति बनाते गए, एक के बाद एक आयोग गठित करते गए। आपने किसानों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है। वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने पटसन, उत्पादकों के लिये क्या किया है? आपने समितियों का गठन किया है, पटसन निगम की स्थापना की है और पटसन आयुक्त का पद बनाया है। बस।

जून 1974 में आपने चक्रवर्ती समिति का गठन किया था। उस समिति ने सुझाव दिया था कि पटसन के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना होगा। गरीब पटसन उत्पादकों की रक्षा के लिये सबसे पहली जरूरत उन्हें ऋण आदि देना है। इसके अलावा उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए यह भी जरूरी है कि उनकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे अपनी उपज को सही समय पर बेचने के लिये उसे अपने पास रख सकें। यदि चाय बागान, कपास और गन्ना उत्पादकों को ऋण दिये जा सकते हैं तो पटसन उत्पादकों को ऋण देने में क्या आपत्ति हो सकती है?

जब रिजर्व बैंक के साथ पटसन उत्पादकों को ऋण देने का मामला उठाया गया था तो वह नाराज हो उठा। बैंक को यह भी बताया गया था कि चाय बागान, कपास और गन्ना उत्पादकों आदि को ऋण दिये जा रहे हैं। रिजर्व बैंक की टिप्पणी थी "चाय बाग एक पूरा बाग होता है जिसका स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है जबकि पटसन के मामले में छोटी-छोटी जोतें होती हैं।" यह वस्तुतः कमाल का तर्क था। आप करोड़ों रुपये के ऋण दे रहे हैं। आपने आधुनिकीकरण के नाम पर पटसन मिलों को 80 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं किन्तु छोटी-छोटी जोतों वाले गरीब किसानों को जिन्हें सहायता की सर्वाधिक आवश्यकता है, सहायता नहीं दी जाती है। आप चाय बागान को पैसा देने के लिए तैयार हैं, पटसन मिल मालिकों, कपास के बड़े स्टाकिस्टों और चीनी मिल मालिकों को पैसा देने को तैयार हैं किन्तु आपको गरीब किसानों को जो दीन-हीन हैं, जो अपना खून पसीना बहाकर जमीन जोतते हैं, ऋण देने में हिचक होती है। उनके प्रति आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है। महोदय, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने 1977-78 में हिसाब लगाया था कि पटसन का न्यूनतम मूल्य क्या हो। विस्तृत हिसाब लगाने के बाद समिति ने कहा था कि पसटन का न्यूनतम मूल्य 447.65 रुपये प्रति किवंटल होना चाहिए। आज के मूल्य स्तर के अनुसार स्वभावतः अब यह मूल्य अधिक होगा। सभी प्रक्रियाओं और पटसन को खेती में काम आने वाले बीज, उर्वरकों, जैसी सामग्रीं कीटाणु नाशक दवाइयों, पटसन को धोने और बाजार में ले जाने के लिए परिवहन पर आने वाले खर्च आदि तथा उत्पादकों की श्रम लागत को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पटसन के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मांग की है। केन्द्र सरकार ने इसे नहीं माना है और इस मांग की उपेक्षा की है। अतः मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री मानकू राम सोढी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत हैं, जिन्हें मैं अनिवार्य मानता हूं। अनिवार्य इसलिए मानता हूं क्योंकि देश में प्रगति के हमने जितने कार्य हाथ में लिए हैं, उनमें से बहुत अधूरे थे। उन अधूरों कामों को पूरा करने के लिए ही ये सप्लीमैंटरी डिमाण्डस फार ग्रान्टस लाई गई हैं। ये मांगें उस स्थिति में लाई जाती हैं जब किसी निर्माण कार्य में थोड़ी सी धनराशि लगा देने से, देश के हित में, लोकहित में, हम उसका ज्यादा फायदा ले सकते हैं, तब इन अनुपूरक मांगों को लाना आवश्यक हो जाता है।

भाषण में वित्त मंत्री महोदय का देश के पिछड़े क्षेत्रों की ओर पूरा ध्यान गया है। पिछड़े क्षेत्रों में वे इलाके आते हैं जो आदिवासी हैं हरिजन बाहुल्य इलाके हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए आपका दृष्टिकोण काफी गम्भीरता के साथ गया है। हम लोग आशा करते हैं कि अब तक राजकीय प्रशासन ने इन पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति के लिए जितना पैसा खर्च किया है...जो खर्च के आंकड़े हैं, जो कागज के रूप में दिए गए हैं, उनको देखें, तो हम देखेंगे कि करोड़ों रुपया खर्च करना दिखाया गया है, लेकिन मौके पर उस क्षेत्र की समीक्षा की जाए, तो कागज के आंकड़ों और मौके पर समीक्षा में भिन्नता दिखाई देती है। वह भिन्नता इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आज तक के अनुभव से और आज तक की समीक्षा से लोगों को पता चला है कि उस क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उस काम में खामी है। आप सब लोगों ने अंदाज लगाया होगा कि कोई न कोई खामी है। इसलिए उस खामी को पूरा करने के लिए उस कमी को दूर करने के लिए हमें आगे गम्भीरता से कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक हम गम्भीरता के साथ कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यह कमी दूर नहीं हो सकती है। जब तक हम इस काम को योजनाबद्ध तरीके से नहीं करेंगे तब-तक चाहे हम इन पिछड़े क्षेत्रों में और देहातों में करोड़ों रुपया देते रहें, लेकिन इनकी वही हालत रहेगी जैसी आज से सौ साल पहले थी।

हम देखते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा आज शिक्षा की कमी की है। शिक्षा की कमी की वजह से पिछड़े क्षेत्रों में जो भी हित के कार्य हो रहे हैं, उनको अपढ़ होने के कारण, नासमझी के कारण पकड़ नहीं पाते हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। स्कूल कालेजों को हमने रोड-साइड में बना दिया है। रोड-साइड में जो स्कूल कालेज हैं, वे मुश्किल से 11 से 12 बजे के बीच खुलते हैं और अगर आप रोडसाइड से थोड़े से अन्दर चले जाएं, तो समय से स्कूल लगने की बात तो दूर, बल्कि आप पाएंगे कि महीने में 15 दिन भी मुश्किल से स्कूल लगते हैं। हमने स्कूलों को सुधारने के लिए गांव वालों की समिति बनाकर कोशिश की और गुरु जी से कहा कि गुरु जी समय से अपनी ड्यूटी दें, तो क्या देखते हैं कि गुरुजी भी इतने चालाक हैं कि समिति वालों के एक साथ छः महीने या साल भर के हस्ताक्षर एडवांस में कराकर अपना सर्टिफिकेट बना लेते हैं तनखा पाने के लिए, तो इस प्रकार की परिस्थिति को भी हमें देखना होगा। दूसरी बात यह है कि जहां भी ऐसे इंटीरियर और पिछड़े क्षेत्रों में हम लोगों को भेजते हैं, वे ऐसे कंडम लोग होते हैं और ऐसे कामचोर लोग होते हैं, वे कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसे कामचोर लोग हमारी जगह के विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देंगे। वे तो विद्यार्थियों को चपरासी या ज्यादा से ज्यादा क्लार्क बनने की ही शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार से जब तक हम चलने-फिरने के रास्तों को कम्पलीट नहीं

करेंगे, तब तक शिक्षा का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जब तक शिक्षा को हम तेजी से नहीं बढ़ाएंगे तब तक वहां कोई स्कीम सफल नहीं हो सकती है और कोई भी स्कीम हमारी समझ में नहीं आएगी।

दूसरी बात पीने के पानी की है। पीने का पानी हम अभी भी करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद नहीं जुटा पाए हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद आज तक हम गांवों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं आए हैं। जब कि हमारी केन्द्रीय सरकार इस कोशिश में लगी है, पूरी राज्य सरकार लगी है, लेकिन अभी तक कई जगहें हैं जहां ठीक ढंग से पानी नहीं मिल पाया है। वहां के लोग कभी बोलते हैं कि रॉड फंस गई है, कभी बोलते हैं कि लाल पानी आता है, कभी बोलते हैं कि बदबूदार पानी आता है, ये तमाम चीजें हमारे पिछड़े हुए क्षेत्रों में बर्सात शुरू होने के बाद हो जाती हैं।

हमारे मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में अभी 300 आदमी गन्दा पानी पीने के कारण मर गए और अभी हाल में कुटलू में करीब 60 आदमी गन्दा पानी पीने से मरे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाएगा।

इसके बाद में आवागमन के बारे में कहना चाहता हूं। आवागमन की स्थिति हमारे क्षेत्र में बहुत ही खराब है। हम बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत या आई० आर० डी०, एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत जो काम देते हैं, उस काम को देखने जाने के लिए कोई रास्ते नहीं होते हैं जिनके माध्यम से वहां काम को देखने के लिए पहुंचा जा सके। एक बार स्कूल या कुआ बनाने का काम किसी पंचायत को इन कार्यक्रमों के तहत दे दिया तो फिर उसको देखने के लिए बिना रास्तों के नहीं पहुंच पाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि काम किस प्रकार से और कितना चल रहा है, इस बात को हम नहीं देख पाते हैं। उस पंचायत का सरपंच या आदमी ब्लाक में उस काम का पैसा मांगने के लिए आता है, तो उसको एक से तीन चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसको पैसा नहीं मिल पाता है क्योंकि ब्लाक वाला कमीशन मांगता है। ऐसी स्थिति में वह ग्राम पंचायत कमीशन कहां से दे, क्योंकि जो काम उसको दिया गया है, स्कूल बनाने का या कुआ बनाने का वह तो फिक्स प्राइस पर दिया गया है, उसमें एबव एस्टीमेट या एबव प्राइस वाली कोई बात नहीं होती है। यही कारण है कि ऐसे स्कूलों का उद्घाटन करने की देरी नहीं कि खबर लगती है कि वह गिर गया। तो यह इसी कमीशन का परिणाम है। तीसरी बात यह है कि जिस जगह में हम सस्ते अनाज की दुकान रखते हैं, उस सस्ते अनाज की दुकान पर भी बीहड़ रास्ता होने की वजह से हम टाइम पर माल नहीं पहुंचा पाते। इससे उस जगह के जो भी विचौलिये हैं, जो आज तक गरीबों का शोषण करते आये हैं, वही सामने आकर कोसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सरकार ने क्या किया है, दुकान खोल दी है लेकिन सामान वहां नहीं है। इस प्रकार से फिर गरीब लोग उस शोषण करने वाले व्यापारी के चक्कर में चले जाते हैं। वह व्यापारी खड़ी फसल में नीचे भाव पर उनसे सौदा कर लेता है और फसल कटने के बाद इसी पक्के भाव से उनसे अनाज ले लेता है और गरीबों का शोषण करता है।

सबसे जबर्दस्त उस क्षेत्र के लिए आज हमको सोचना है। उस क्षेत्र में काम करने के लिए जो जाएगा, जिस सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को भेजेंगे, वह ऐसा होना चाहिए जो उस क्षेत्र से तालमेल रखता हो, उस वातावरण को जानता हो, वहां के लोगों से सहानुभूति हो समझदार

हो । लेकिन आप हमेशा ही वहां पर सजा भोगने वाले अधिकारी को भेजते हैं और सोचते हैं कि वह उस क्षेत्र में विकास करेगा । वह तो सोचता यह कि किसी न किसी तरह से काम को इतना बिगाड़ूं कि यहां के सारे लोग हमको तुरन्त भागने के लिए कहें । वह सोचता है कि यहां से भगाया जाएगा तो अपने घर के पास जाएगा लेकिन इससे और दुर्गति की जगह नहीं जाएगा । आज इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर है ।

दवा-दारू के बारे में इतनी कमजोर हालत पिछड़े क्षेत्रों में है कि दूर जगहों में जिस डाक्टर की भी नियुक्ति करते हैं, कई जगहों में हमने मिनी पी० एच० सी० खोले हैं, डाक्टर को फोर्स करके वहां भेजते हैं लेकिन वहां पर उसके रहने के लिए जगह नहीं होती है, डिस्पैंसरी के लिए जगह नहीं होती है। वहां हालत यह है कि दवा है तो डाक्टर नहीं, डाक्टर है तो दवा नहीं, कम्पाउन्डर नहीं । वहां कोई पूछने वाला नहीं, इस प्रकार की स्थिति आज हमारे पिछड़े हुए क्षेत्रों में है। इस क्षेत्र के लिए अभी तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं, उन्हें सही रूप से वहां के लोगों तक पहुंचाने के लिए गंभीरता से सरकार को सोचना होगा । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० बी० एल० शैलेश (चल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस बहस में भाग लेने के लिए मुझे भी आपने अवसर प्रदान किया है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश को यह अनोखा बजट दिया । वास्तव में यह बजट देश के इतिहास में अभूतपूर्व है । मैं इसका पूर्णतः अनुमोदन करता हूं ।

इस बजट के सम्बन्ध में बढ़ी हुई महंगाई के बारे में इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है और वित्त मंत्री जी ने विस्तृत रूप से सदन को तथा देश को उन तथ्यों से अवगत करा दिया है जिनके कारण महंगाई बढ़ी है । उन्होंने महंगाई रोकने के लिए शासन द्वारा जो कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उनका ब्यौरा भी सदन में विस्तृत रूप से दिया है । मुझे पूरा विश्वास है कि हम और हमारे देश की जनता इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों को सफलीभूत बनाने में हमारे शासन को दलगत नीति से ऊपर उठकर सफल बनाने में पूर्ण सहयोग देगी ।

यह मेरा पुनीत कर्त्तव्य है कि मैं शासन का ध्यान देश के सबसे पिछड़े हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र चायल इलाहाबाद की ओर दिलाऊं । मेरे से पहले के प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करने के बजाय राजनीति का ही खेल खेला और वहां के गरीब और दुःखी मतदाताओं को कोरे आश्वासनों पर जीवित रखा । मेरे क्षेत्र में विकास नाम की कोई बात ही नहीं है । मेरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के गतिशील नेतृत्व में देश के गरीबी के खिलाफ छेड़े हुए धर्म-युद्ध में हम विजयी होंगे और जनता की अनेकों तकलीफों को कम से कम समय में दूर करने में सफल होंगे । इसी आशा को लिए हुए मैं तथा मेरे मतदाता आशावान हैं कि शासन इस क्षेत्र को विशेष योजनाओं के माध्यम से गरीबी से उभारने की हर संभव कोशिश करेगा ।

मुझे हार्दिक दुःख होता है यह जानकर कि मेरे क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद 38 वर्ष की अवधि में भी अभी तक नागरिकों की बुनियादी पेय जल समस्या तक हल नहीं कर पाए हैं ।

महोदय, मैं सच कहता हूं कि 90 प्रतिशत गांव में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, जिसका कि हमें बहुत दुख है। मुझे आशा है कि भारत सरकार मेरे इस क्षेत्र में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था करेगी और राज्य सरकार को इसके लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देगी।

मेरे इस क्षेत्र में आवागमन के साधनों का नितान्त अभाव है। न सड़कें हैं और न ही सम्पर्क मार्ग है। पुलों और पुलियों के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में मेरे इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए सड़कों, सम्पर्क मार्गों, पुलों तथा पुलियों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को विशेष धन देने की व्यवस्था करें।

महोदय, यह अच्छी तरह से मालूम है कि चाणक्य के अनुसार अच्छा राज्य वही होता है जो अपनी जनता को सस्ती चिकित्सा, सस्ती शिक्षा और सच्चा न्याय दे सके। मेरे क्षेत्र का यह दुर्भाग्य है कि वहां पर किसी ने शिक्षा व चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रयत्न तक नहीं किया। उसके सस्ते और महंगे होने का सवाल बाद में उठेगा। यह आश्चर्य की बात है कि जनता को सुशिक्षित व स्वस्थ बनाने के स्थान पर वहां भय, आतंक और अशांति फैलाने की दिशा में जानलेवा हथियारों का बाहुल्य है। अत: मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की जनता को शिक्षित करने तथा स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार किसी विशेष योजना के अंतर्गत विशेष धन उपलब्ध कराने की कृपा करे, जिससे स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण हो सके और जनता को राहत मिल सके।

यही दशा ग्रामीण विद्युतीकरण की है। नहरों, नलकूपों, लघु सिंचाई योजनाओं का नितान्त अभाव है। आवश्यक वस्तुएं जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, चीनी तथा अन्य खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। कल कारखानों का नाम लेना बहुत दूर है। वहां एक कोच फैक्ट्री लगनी थी, लेकिन पता चला कि वह वहां से हटकर पंजाब को भेज दी गई है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन के अनुसार स्थिति में सुधार लाया जाएगा और मेरे इस सबसे पिछड़े क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने की कृपा की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहस में भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

[अनुवाद]

***श्री श्रीहरि राव** (राजामुन्द्री) : सभापति महोदय, मैं विभिन्न सरकारी उपक्रमों के लिए अनुपूरक मांगों में आबंटन में वृद्धि का स्वागत करता हूं। मुझें इससे प्रसन्नता है किन्तु जिस प्रकार से धन खर्च किया जा रहा है, उससे मुझे काफी अप्रसन्नता है। अपने संसाधनों का उपभोग करने का हमारा कोई सुव्यवस्थित तरीका नहीं है। अनेक राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश की उपेक्षा की गई है।

महोदय, मेरे राज्य आंध्र प्रदेश की बुरी तरह से उपेक्षा की गई है। मेरे राज्य के साथ

*तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

काफी अन्याय हुआ है। आंध्र प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि मेरे राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन किसी भी अन्य राज्य से अधिक हैं। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का एक अभिन्न अंग है। अब तक केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। पूर्व योजनाएं मेरे इस दावे को सिद्ध करती हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है।

बजट यह बात स्पष्ट कर देता है कि केन्द्र सरकार मेरे राज्य में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में एक बार फिर असफल रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आंध्र प्रदेश पोलावरम परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिससे केवल उस राज्य को नहीं बल्कि पूरे देश को लाभ होगा कम पूंजी निवेश से इस परियोजना से अत्यधिक लाभ मिल सकता है। इस परियोजना को केवल 1230 करोड़ रुपए से पूरा किया जा सकता है। इस परियोजना की बांयी नहर पूरा हो जाने पर, वंशधारा और मगावली को मिलाएगी जो कि उड़ीसा तक जाती है। इससे काफी बड़े क्षेत्र पर खेती हो सकेगी। दायीं नहर कृष्णानदी के साथ मिलायी जाएगी और इस प्रकार मद्रास तक पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा जिससे हमारे तमिल भाइयों की प्यास बुझेगी। इससे पूरे रायलसीमा क्षेत्र पर खेती हो सकेगी। रायलसीमा, जो एक निरंतर सूखा प्रवण क्षेत्र है, हरे भरे मैदानों में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार इस परियोजना के पूरा होने पर लाखों एकड़ भूमि पर खेती की जा सकेगी। यह सिंचाई परियोजना ऐसी है जिस पर खर्चा ज्यादा नहीं है किन्तु इससे राज्य और देश दोनों को ही लाभ होगा। पूरे देश में लोगों को पेट भरने के लिए और अधिक धान पैदा किया जा सकता है। देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सकता है। इस अनुपूरक बजट में इतनी महत्वपूर्ण परियोजना की एक बार फिर से उपेक्षा की गई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय महत्व की होते हुए भी इस परियोजना को बार-बार के अनुरोध के बावजूद एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में नहीं लिया गया है। इस परियोजना के लिए थोड़ी सी राशि भी नहीं रखी गई है।

महोदय, हमारे बाद में स्वतन्त्र होने वाले देश भी विकास के मामले में हमसे आगे निकल गए हैं। भारत की तुलना में इन लोगों के पास काफी कम जनशक्ति और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद उन्होंने विकास किया है। यद्यपि हमारे यहां प्रचुर जनशक्ति और प्राकृतिक संसाधन हैं, हम काफी पीछे हैं। मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस होती है। क्या ऐसा सरकार द्वारा गलत नीतियों के अनुसरण के कारण हुआ है? या ऐसा हमारी दोषपूर्ण आयोजना के कारण हुआ है जो हमारी जनशक्ति और प्राकृतिक संसाधनों को देश की प्रगति के लिए जुटा नहीं पाई है? मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। हमारी आयोजना काफी दोषपूर्ण दिखाई देती है। यह किसी एक राज्य या एक पार्टी से सम्बद्ध मामला नहीं है। प्रत्येक राज्य देश का भाग है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का इस बात का ध्यान रखे बिना कि वे किस राज्य में उपलब्ध हैं, पूरे देश के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वही सरकार, जो अपने संसाधनों को एकत्र कर सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। यद्यपि भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनेक सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में हाथ में लिया है किन्तु आंध्र प्रदेश में अब तक एक भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में आरम्भ नहीं किया गया है। मुझे आशा और विश्वास है कि केन्द्र सरकार पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में हाथ में लेगी और तत्काल इसका निष्पादन करेगी। यह परियोजना देश के लिए बहुत उपयोगी है।

महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारे पत्तनों, विशेषकर काकोनाड़ा पत्तन के

विकास में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। अब तक इस महत्वपूर्ण पत्तन को देष के एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गए हैं। विशाखापतम में बहुत अधिक भीड़-भाड़ के कारण माल उतारने-चढाने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। विशाखापत्तनम से भीड़ कम करने का सब से अच्छा तरीका ककीनाड़ा पत्तन का वैकलिक बड़े पत्तन के रूप में विकास करना है। इस पत्तन से लौह आयस्क तथा समुद्री उत्पादों का पहले से ही निर्यात हो रहा है। इस वर्ष के सामान्य बजट में काकीनाड़ा को एक मुख्य पत्तन के रूप विकास करने के लिए राशि आवंटन नहीं किया गया है। इस की अपेक्षा के लिए मुझे खेद है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भविष्य में इस पत्तन के विकास के लिए अपेक्षित अनुदान देगी।

महोदय, हैदराबाद देश का एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण नगर है। खाड़ी के देशों के लिए जाने वाले हजारों लोग हैदराबाद से होकर जाते हैं। इस स्थान से सब्जियों का खाड़ी देशों में निर्यात होता है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। यहां से हजारों की संख्या में मुसलमान 'हज' यात्रा के जिए जाते हैं। इससे भी बढकर हैदराबाद दक्षिण का प्रवेश द्वार है खेद की बात है कि इस प्रसिद्ध नगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडा नहीं है, हैदराबाद के आंतरिक हवाई अड्डा बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। इस हवाई अड्डे का दर्जा बढाने और इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए धन आबंटित किया जाये और सभी आपेक्षित कार्यवाही की जाए।

महोदय, इस अवसर पर मेरा सरकार से निवेदन है कि विशाखापत्तनम को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाए। यह न केवल देश का एक मुख्य पत्तन है, बल्कि पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र के मध्य में भी स्थित है। इसकी जाहदा भौगोलिक स्थिति से यह पूर्वी समुद्रतटीय क्षेत्र में व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया है। विदेशी व्यापार बढ़ेगा। यहां परिवहन सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। अतः कौडला की तरह विशाखापत्तनम को मुक्त व्यापार केन्द्र घोषित करके हम अपना विदेशी व्यापार बहुत बढ़ा सकते हैं और इस तरह हम बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे तथापि उससे स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार निकट भविष्य में विशाखापत्तनम को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करेगी।

महोदय, कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण नागार्जुन सागर पर परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना करने के लिए किया गया था और उसे उपयुक्त स्थान पाया गया था। तेलगु की जनता इससे बहुत खुश होगी और उस दिन का बड़ी लालसा से इन्तजार करेगी जब यह परियोजना चालू होगी। परन्तु उनका दुर्भाग्य है कि सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया और यह परियोजना कर्नाटक ले जाया गया। कर्नाटक के लोगों को परमाणु विद्युत संयंत्र मिलने से हमें उनके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है क्योंकि वे हमारे भाई हैं। लेकिन महोदय हमारा भी सही दावा है। नागार्जुन सागर उसके लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। सरकार ने सर्वेक्षण कराकर तेलगु लोगों में आशा बलवती की है। अब सरकार परियोजना को वहां से हटाकर आंध्र लोगों की आशा को धूमिल सरित नहीं कर सकती है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार नागार्जुन सागर में परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना

कर अपने वचन पर कायम रहेगी। कम से कम आगामी बजट में आंध्र प्रदेश के लोगों को यह परमाणु परियोजना देकर उनके साथ न्याय किया जायेगा।

महोदय, कोटीपल्ली काकीनाड़ा रेलवे लाइन अंग्रेजों के शासनकाल में चालू की गई थी। उस समय जब यहां केवल 3 लाख की जनसंख्या थी, आय भी अच्छी थी। बाद में इसके महायुद्ध के दौरान यह लाइन बन्द कर दी गई। उस लाइन को पुनः चालू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। अब जनसख्या लगभग 15 लाख है। सभी अपेक्षित मूल भूत ढांचा तैयार है बन्ध पुल तथा भवन पहले से ही हैं। सरकार को मात्र इतना ही करना है कि लाइन बिछाकर रेल चालू करनी है। इस लाईन को पुनः चालू करने में खर्चा भी बहुत कम होगा। पहले से बनी इस लाइन का उपयोग हम नहीं कर पाये हैं। यह कैसी प्रगति है? हमने अब तक पहले से ही कैसा विकास किया है? हम तैयार मूल भूत ढांचे पर लाइन बिछाकर रेल चालू कर सकते हैं। ढांचा तैयार कर नई लाईन बिछाने की बात तो छोड़िये ये हालात दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कम से कम पूंजी लगा कर सरकार अधिक से अधिक लाभ कमा सकती है। वास्तव में सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि कम से कम लागत तथा अधिक से अधिक लाभ वाली परियोजनाओं को हाथ में लिया जाए। इस समय प्रतिकूल नीति अपनायी जा रही है। सरकार पूंजी अधिक लगाती है और लाभ कम प्राप्त करती है। परिणाम स्वरूप सरकार दीवालिया हो जाती है। यदि देश को समृद्ध बनाना है तो सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए। कोई क्षेत्र हो। कोई भी कदम उठाया जाए। कृपया केवल ऐसी ही परियोजनाएं हाथ में लें जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कोटीपल्ली काकिनाड़ा रेलवे लाइन एक ऐसी ही परियोजना है जिस पर कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुजे उम्मीद है कि सरकार इस लाइन को यथा शीघ्र पुनः चालू करेगी। महोदय तेलगु देश में पार्टी की सरकार ने किसानों की सहायता करने लिए "सिंगल बिडोसिस्टम शुरू किया।" इस योजना के आधीनकिसान बिना परेशान हुए एक ही स्थान से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस डोजना को अभी भारतीय रिर्जब बैंक की मंजूरी मिलनी है, अतः प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह इस परियोजन को मंजूर करें। परन्तु दुर्भाग्य से अभी तक इस पर मन्जूरी नहीं मिली है। मुझे समझ में नहीं आता कि किसानों की हितकारी इस योजना पर इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है। क्या मैं यह समझू कि इस उपयोगी नयी योजना से तेलगु देशम पार्टी को मिलेगा। और क्या, इसीलिए केन्द्र ने इसे मन्जूर नहीं किया है? किसी को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि तेलगु देशम भारत देशम का एक अंग है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस योजना को यथाशीघ्र मंजूरी दी जाए।

महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूं।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : छः बज चुके हैं और अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, अतः यदि सभा सहमत है तो हम आधा घन्टा अधिक बैठकर इसे समाप्त कर दे।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम सहमत हैं।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 1985-86 की अनुपूरक मांगों में भाग लेने का अवसर दिया।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है जिसमें 100 अधिक कपड़ा मिले हैं तथा 2 लाख से अधिक कपड़ा मिल मजदूर हैं, इसके इलावा लोहें की भाहियां भी हैं। इस समय 10000 कपड़ा मजदूर भुखमरी के कागार पर हैं क्योंकि कपड़ा मिल कई महीनों से बन्द पड़ी हैं मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आवश्यक धन देकर इन कपड़ा मिलों को खुलवाने का प्रयास करें। उन्होंने कोयम्बटूर में 10000 कपड़ा मजदूरों तथा उनके परिवारों का रक्षक होना चाहिए।

देश भर में बन्यान बनाने की 7000 फैक्टरियां हैं। मेरे जन्म स्थान तिरूप्पुर में 1300 बन्यान बनाने की फैक्टरियां हैं ये फैक्टरियां छोटे एकक होती हैं जिन पर बहुत कम पूंजी लगती है। परन्तु इनसे तिरूप्पुर में 140000 लोगों को रोजगार मिला है। इस उद्योग ने अंडर गारमेंट (बनियान) के निर्यात से देश को पिछले वर्ष ·38 रु० की विदेशी मुद्रा कमाई है। तिरूप्पुर अब अन्त-र्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगर है। 1975 में इस पर वस्त्र आयुक्त द्वारा उप कर लगाया जाता था। अब वस्त्र आयुक्त ने उस उप कर को समाप्त कर दिया है। चूंकि सरकार ने अभी अधिसूचना जारी नहीं की अत: अभी भी उप कर लगाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र शीघ्र आवश्यक अधिसूचना जारी करें। ताकि बनियान निर्माताओं को उपकर न देना पड़े।

होंगानाकल विद्युत परियोजना स्वर्गीय श्री कामराज के समय तैयार की गई थी जबकि वह मुख्य मंत्री थे। उसी प्रकार पन्नमपूजा पंडियार परियोजना भी उसी समय बनाई गई थी।

पन्नामपूजा-पंडियार परियोजना कोयम्बटूर की झुलसी हुई धरती को पानी की पूर्ति करेगी तथा होंगानाकल परियोजना पूरी होने पर विद्युत की सप्लाई होगी। मैं चाहता हूं कि इन परि-योजनाओं के शीघ्र पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त धन आबंटित किया जाए।

मुझे खुशी है कि केन्द्र पूरे देश में रेजगारी की कमी को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। इसका दुष्प्रभाव आम लोगों पर हुआ है। समस्या को शीघ्र हल किया जाना चाहिए। इसने भयंकर रूप धारण कर लिया है।

हम उत्तर में बार-बार आने वाली बाढ़ की तथा दक्षिण में निरन्तर पड़ने वाले सूखे की चर्चा करते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे निर्वाचित क्षेत्र में पानी की निरन्तर समस्या बनी रहती है। वास्तव में यह पूरे तमिलनाडु और साथ के राज्यों की समस्या है। कई वर्षों से हम गंगा-काबेरी को मिलाने की बात करते आ रहे हैं। हम उसे 5 अथवा 10 वर्षों में क्रियान्वित कर देंगे। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा और कन्याकुमारी से काश्मीर तक लोग भारतीय होने का गर्व अनुभव करेंगे। केन्द्र को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

देश भर में स्कूलों और कालेजों में प्रवेश पाना कठिन होता जा रहा है। धनी लोग हर जगह दाखला पा लेते हैं। स्कूलों और कालेजों में बहुत भीड़ हे। जनसंख्या की वृद्धि के साथ उनका विस्तार नहीं हुआ है। जिन स्थानों पर प्रवेश कठिन हो गया है वहां केन्द्रीय सरकार को और अधिक स्कूल तथा कालेज खोलने चाहिए।

मैं केन्द्र से यह मांग भी करता हूं कि तमिलनाडु को और अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम खोलने की अनुमति दी जाए क्योंकि तमिलनाडू में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या बहुत गम्भीर उत्तरी कोयम्बटूर के लोगों की वहां ऊपरी रेल पुल की चिरकालीन मांग है। उसी तरह

कोयम्बटूर-तिरुचिराप्पल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर उन्दीपूडुर-सिंगनाल्लूर क्षेत्र में भी एक ऊपरी पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। तिरूप्पुर जंकशन पर ब्रिटिश समय का बना एक जीर्ण-शीर्ण पुल है। लगभग दस वर्ष पूर्व यहां के लिए एक नया पुल मंजूर किया गया था। परन्तु अभी तक उसका कार्य हाथ में नहीं लिया गया है ! मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जन-हित में इन कार्यों के लिए धन आबंटित करें। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान किया है।

चूंकि अनुपूरक मांगों का सम्बन्ध अब कई विभागों से सम्बन्धित है, इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान प्रमुख मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना अत्यावश्यक है। देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और गांवों के विकास के माध्यम से हम देश की तरक्की कर सकते हैं। किसान अपने खेत में कम से कम 18 घण्टे मेहनत करता है। अगर उसके पूरे परिश्रम का हिसाब लगाया जाए तो मैं समझता हूं कि उसको खेती में घाटा होता है। मुझे खेद है कि कृषक के खाद्यान्न का मूल्य तब निर्धारित किया जाता है जब सारी पैदावार व्यापारियों के घर पहुंच जाती है। बाजारों में खाद्यान्न का भाव इतना बढ़ जाता है कि 'उपभोक्ता उसको नहीं खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर' पर मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। किसान द्वारा जब गेहूं बाजार में लाया गया तो वह 120 से 140 रु० क्विंटल बिका जबकि साथ ही साथ गेहूं का भाव सरकार ने 157 रु० समर्थन मूल्य निर्धारित किया। किसान का सारा गेहूं जब बाहर निकल गया तो 180 से 190 रु० क्विंटल के भाव गेहूं बिका। सरकार को चाहिए कि माल बाजार में आने से पहले ही समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, ताकि किसान अपने माल को सही मूल्य पर बेच सके। सरकार द्वारा जो दुकानें खोली जाती हैं, उन दुकानों पर सख्ती के साथ उसके माल को लिया जाए, क्योंकि सरकारी मशीनरी किसानों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती है और उसके माल को खरीदती नहीं है।

कल इस सदन में चीनी के उत्पादन और भाव के बारे में बात हो रही थी। उस वक्त भी समय कम होने के अभाव से मुझे बोलने नहीं दिया गया और आज भी समय की कमी हैं, लेकिन एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। चीनी की कीमत बढ़ रही है, जबकि हिन्दुस्तान में इतना गन्ना बोया जाता है। चीनी का भाव बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि किसान के गन्ने की कीमत कम निर्धारित की जाती है, उनकी पिराई नहीं होती है और समय पर उनको पैसा नहीं दिया जाता है, इसलिए किसानों को मनोबल गिर जाता है और जब मनोबल गिरेगा तो गन्ने की पैदावार कम होगी और जब पैदावार कम होगी तो हमें आयात करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उर्वरक की कीमत कम करें क्योंकि अगर इसकी कीमत कम नहीं होगी, तो इसका उपयोग खेतों में कम किया जाएगा और इससे उत्पादन घटेगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें देश की सुरक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हमारे देश के चारों तरफ प्रजातन्त्र नहीं है, लोकतन्त्र नहीं है, लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने बजट में अपने खर्च को बढ़ाकर देश के

जवानों की देख-रेख करें और उनके मनोबल को ऊंचा उठाये। देश के विकास हेतु विद्युत का अत्यधिक महत्व है। जल विद्युत, ताप विद्युत और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की बृहत योजनाओं की आवश्यकता है। इसके माध्यम से कृषि एवं ओद्योगिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण जीवन के स्तर का विकास कर सकें। विद्युत का कृषि और—औद्योगिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण जीवनस्तर को ऊंचा उठाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

आज पेय की जल समस्या पूरे देश में है। इस समस्या का समाधान करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता के आधार पर पेय जल की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब से ग्रामीण विकास योजनाओं का सम्बन्ध बैंकों से जोड़ा गया है, तब से बैंकों में बेइमानी और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे शिक्षित बेरोजगारों को जो पैसा बैंकों से मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल रहा है। हमारे जिला स्तर की समिति जिन नामों को प्रस्तावित कर के बैंकों के पास भेजती है, बैंक वाले उनको भ्रष्टाचार का शिकार बनाते हैं। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में आप कोई सक्रिय कदम उठायें जिससे हमारी जिला समिति जिन लोगों के नाम प्रस्तावित करे उन को बैंकों से पैसा मिल सके।

हमारी शिक्षा नीति के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। देश में समान शिक्षा नीति होनी चाहिए। गरीब और अमीर के बीच आज जो असमानता है बहुत हद तक वर्तमान शिक्षा नीति उसके लिए जिम्मेदार है, जो उनके बीच ऊंच-नीच की भावना पैदा करती है। इसमें सुधार होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि देश के हित में काम किया जाएगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हननकोंडा) : उपाध्यक्ष जी, इस समय अपनी अपनी मातृ भाषाओं में जिन सदस्यों ने भाषण दिये हैं उन से पता चलता है कि जल, सिंचाई, शिक्षा, ग्रामीण विकास, आदि क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की ओर जितना काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। किसानों के बारे में हर सदस्य ने भाषण दिया कि किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। अभी-अभी बतलाया गया कि शक्कर बाहर से मंगा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, खेती की जमीन की कमी नहीं है, गन्ना पैदा करने वाले किसान की कमी नहीं है, फिर भी गन्ना कम पैदा होता है, चीनी का अभाव है। कारण यह है कि इंडस्ट्रीयलिस्ट किसान को गन्ने का कम पैसा देता है, जिससे किसान को बहुत दिक्कत होती है। जनता पार्टी की सरकार ने उपभोक्ताओं और किसान के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया था। किसान को गन्ने का ज्यादा पैसा दिया था। उस समय साइकिल रिक्शा पर चीनी 2 रुपये 20 पैसे किलो बिकी थी। आज जब लोगों को चीनी की जरूरत पड़ती है तो जनता सरकार का जमाना उनको याद आता है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार की याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका कारण है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। आज किसान को बहुत कम भाव मिल रहा है जिससे वह बहुत निराश होकर काम कर रहा है। उसके पास जमीन है, खेती के साधन हैं, उसको जीना

है इसलिए उसको बाध्य होकर काम करना पड़ रहा हैं, जबकि आपकी तरफ से उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

हमारे यहां आन्ध्र प्रदेश में कपास बहुत पैदा हुई। सिर्फ चार चार या पांच लाख बेल कपास एक्सपोर्ट होती है। उसमें से सिर्फ 15000 बेल एक्सपोर्ट के लिए आन्ध्र प्रदेश को देते हैं। अभी तक आपने कपास का रेट फिक्स नहीं किया, गन्ने का रेट फिक्स नहीं किया, दूसरी उपज का रेट फिक्स नहीं किया, इसकी क्या वजह है ? किसान मजबूर हो कर लास्ट य्यर के भाव देखकर सैक एण्ड रमी का खेल खेल रहा है। खेती भी आज एक जुआ की तरह हो गई है। कभी इसके भाव गिर जाते हैं और कभी इसके भाव बढ़ जाते हैं और यह किसान के हाथ में नहीं है। यह केवल इण्डस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में है और सरकार के हाथ में भी यह नहीं है। इसलिए किसान मजबूर हो कर अपनी खेती को छोड़ने के लिए तैयार है। एक किसान के बेटे ने मुझे बताया कि उसके पास 30 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपये होती है। उसने कहा मैं 30 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हूं और मुझे पुजारी जी के बैंक में एक चपरासी की नौकरी दिला दी जाए। ऐसा क्यों है ? उसका दिल ऐसा क्यों सोचता है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम पार्लियामेंट में बहुत से लोग बैठे है और लोकसभा में और विधानसभाओं में किसान मैम्बर आफ पार्लियामेंट और एम० एल० ए० बन कर आते है मगर वहां आने के बाद उनके बारे में सोचते नहीं हैं और कंज्यूमर्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं क्योंकि उनका वोट उनको मिलना है। पार्टी का जो सिद्धान्त होता है, उसको दृष्टि में रखते हुए सत्ता में आकर काम करते हैं। जितने लोग सत्तारूढ़ पार्टी वाले यहां पर बोले हैं, वे अपनी पार्टी के सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर बोले हैं। मेरा कहना यह है कि उनको किसानों की भलाई का सिद्धान्त बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आगे चलकर हमें गेहूं और पेडी भी विदेशों से मंगाना पड़ेगा।

एक और बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जल विवाद बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पोचमपाडू, तेलगु गंगा, श्रीरोलम, इचगपली और पोलावरम इत्यादि जो हैं, इनके बारे में विवाद बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। 35 साल से ये जल विवाद हैं। मद्रास में पीने का पानी नहीं है लेकिन उस पानी को वहां तक ले जाने के लिए श्री रामकृष्ण हेगड़े बाधा पहुंचाते हैं। जो ज्यादा पानी है, उसकी स्थिति यह है कि वह पानी समुद्र में जाकर गिरता है। केन्द्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरका होते हुए भी जल.विवादों का फैसला नहीं हो पाया था। मेरा कहना यह है कि आप जल-विवादों के बारे में एक आयोग बनाइए और उसका वरडिक्ट सबको मानना चाहिए। सेण्ट्रल गवर्नमेंट के रहते हुए यह दृश्य बना हुआ है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 20 साल पहले जो एक प्रोजेक्ट की कोस्ट थी, आज उसकी कोस्ट 20 गुना से लेकर 100 गुना तक बढ़ गई है। सीमेंट हो या आइरन हो, उसके दाम कितने ज्यादा बढ़ गये हैं।

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि पोचमपाडू का जो सैकेण्ड फेज है. 248 से लेकर 349 किलोमीटर तक, सैण्ट्रल वाटर कमीशन के क्लियरेंस न देने के कारण सारा काम रुक गया है। 200 करोड़ रुपए में 65 किलोमीटर केनाल खोदने से 8 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई का हम प्रबन्ध कर सकते हैं मगर उसकी क्लियरेंस नहीं मिल रही है जबकि राज्य सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। सेण्ट्रल वाटर कमीशन 10 साल से अपने पास फाइल रखे हुए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध

है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। इस प्रोजैक्ट के लिए कन्सलटेटिव कमेटी में हमको एक नोट दिया गया था। हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट इन्चापली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित है। इन तीनों राज्यों ने एक एग्रीमेंट किया है लेकिन एक ज्वाइंट बोर्ड बनाने में 30 साल लगते हैं और अभी तक वह नहीं बना है। केन्द्रीय सरकार को इन तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को शीघ्र कुछ कर इस बोर्ड को बनाना चाहिए। उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सुनने के बाद केन्द्रीय सरकार मीटिंग बुलाना चाहती है, उनको नोटिस देने के बाद, उनको सुनने के बाद वह मीटिंग की डेट तय करेगी, यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जल विवाद और कृषि के बारे में आप को सोचना चाहिए। अगर ठीक तरह से इसके बारे में नहीं सोचा गया, तो हमको अनाज के मामले में विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, यह मैं एक चेतावनी देता हूं।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के कुशल नेतृत्व में इस देश के समूचे विकास के लिए उत्तरोत्तर विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है और माननीय राज्य वित्त मंत्री ने जो यहां ये मांगें प्रस्तुत की हैं, उनमें बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं। और काफी कुछ अपने देश के विकास के लिए करने का प्रयास किया है।

जो बातें कह दी गई हैं, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा केवल एक-दो बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक तो यह माननीय मंत्री जी का यह बयान पढ़ कर बड़ा सन्तोष होता है कि निर्बल वर्ग के लोगों और हरिजनों को पांच हजार रुपये तक का कर्जा बिना किसी जमानत के बैंकों से उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जब वे जवाब दें तो यह बताएं कि पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में बैंकों ने कितना कर्जा बिना जमानत के निर्बल लोगों को दिया है ? जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं हो रहा है। एक-दो हजार रुपए का कर्जा भी बिना जमानत लिए नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से बैंकों के लोगों द्वारा निर्बल वर्ग पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। इससे निर्बल वर्ग को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है।

दूसरी बात यह है कि आपने, गरीबों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना और जो दूसरी विकास की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में बैंकों से कर्जा देने की बात कही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बैंकों में पहले जितनी ईमानदारी देखी जाती थी आज उतना ही भ्रष्टाचार देखा जाता है। बैंकों से कोई राशि बिना कमीशन काटे नहीं मिल पाती है। पहले 15 प्रतिशत कमीशन थी, फिर बीस प्रतिशत हुई और पच्चीस प्रतिशत कमीशन ली जाती है। इसके बगैर कोई पैसा बैंकों द्वारा अंचलों में नहीं दिया जाता है। मान्यवर इतना शोषण गरीब लोगों का हो रहा है।

एक मुद्दा शिक्षा का है। शिक्षा के लिए आपने 221 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह मॉडल स्कूल खोलने, अनौपचारिक शिक्षा देने, सबको प्राथमिक शिक्षा देने के लिए की गई। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए 108 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। यह अनौपचारिक शिक्षा कहां है ? यह क्या आकाश में है या पाताल में है ? यह कागज में भले ही हो, लेकिन सुदूर अंचलों में इसका नामो-निशान नहीं है। हमारे यहां जो प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक

हैं वे ही अध्यापक शिक्षा अधिकारी, डी० आई०, एस० डी० आई० से मिल कर अपना कमीशन तय कर लेते हैं और उनको ही इस शिक्षा के नाम पर सारा पैसा जा रहा है। इस पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है।

जहां तक प्रौढ़ शिक्षा को देने की बात है। वहां गांवों में देखने को नहीं मिलती है। अगर किसी मंत्री जी का वहां दौरा लगे तो वह देखें कि गांवों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्या स्थिति है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन यह गांवों में दिखाई नहीं देता।

इसके अलावा ग्रामींण विकास हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए चार सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जिसमें से सौ करोड़ रुपए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के मकान बनाने के लिए रखे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो केन्द्र सरकार दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए धन की व्यवस्था करती है और राज्यों को धन आबंटित करती है, इसके बारे में इस सम्मानित सदन में जब सवाल उठते हैं तो हमेशा यह कह दिया जाता है कि राज्य सरकारों के ऊपर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। धन केन्द्रीय सरकार देती है तो उसको देखने को जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए कि वह धन उसी मद में खर्च हुआ है या नहीं। प्रदेशों में हरिजनों के आवास की समस्या है। पहले तो आवास बनते ही नहीं हैं। अगर बन भी जाते हैं तो वे दूसरे साल रहने लायक नहीं रह पाते। इस बारे में मैं एक नहीं बीसियों हरिजन बस्तियों के उदाहरण दे सकता हूं कि कितने घटिया किस्म के मकान बनाए गए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि कल इसी सदन में यह चर्चा चल रही थी कि दिल्ली में जैसे शहर जहां कि उच्चाधिकारी रहते हैं, जो देश की राजधानी है, वहां पर डी० डी० ए० इस तरह के मकान बना कर दे रहा है तो इससे सहज अन्दाजा लगाया जा सकता है कि गांवों में कैसे मकान बनते होंगे। वहां जो मकान बने हैं उनका बुरा हाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो आपने सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है इसको आप देखें और इसकी जांच करवाएं। क्या हरिजन उनसे लाभान्वित हो रहे हैं, क्या उनके मकान बन रहे हैं, क्या उनकी बस्तियों में पेय जल की समस्या दूर हो रही हैं, क्या ट्राइबल एरियाज में स्कूल खुल रहे हैं, इन सारी बातों को जानने की आवश्यकता है। स्कूल खुल रहे हैं तो केवल कागजों पर तो नहीं खुल रहे हैं ? मैं खासतौर से लड़कियों के स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूं, दूर-देहात में जो स्कूल हैं वहां पर अध्यापिकाएं केवल तनख्वाह लेने के लिए जाती हैं। इस तरह की जो अव्यवस्था वहां पर है, उसको देखने की आवश्यकता है।

अंत में एक बात देहात के किसानों के बारे में कहना चाहता हूं कि यहां से उनके लिए जो सहायता दी जाती है, अगर बाढ़ सहायता के लिए धन दिया गया तो वह जिला, जिले से तहसील, तहसील से ब्लाक और ब्लाक से उस गांव तक पहुंचते-पहुंचते अगर वहां पर बाढ़ होती है तो तब तक वहां सूखा पड़ चुका होता है, इसी तरह से अगर सूखे के लिए सहायता दी जाती है तो वह वहां पर पहुंचते-पहुंचते बाढ़ आ जाती है। इसको रोकना चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : राज्य सरकारें धन का ठीक उपयोग नहीं कर रही हैं।

श्री राम प्यारे सुमन : यही मैं कहना चाहता हूं। राज्य सरकारें पैसे का सही उपयोग नही कर कर रही हैं, या तो हमारा उन पर अंकुश नहीं है या हमारी बात वहां नही सुनी जाती है। यह बात ठीक है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन

जो धन सरकार देती है, उसके बारे में पूछना और जांच करना कि उस पैसे की क्या स्थिति हो रही है, यह सरकार का कर्त्तव्य है।

इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री वी० कृष्ण राव** (चिकबल्लापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। श्री जनार्दन पुजारी निर्धन लोगों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इस देश के निर्धन लोगों की सहायता के लिए उनके द्वारा निष्ठापूर्वक किए गए प्रयासों के बारे में यदि मैं दो शब्द नहीं कहता तो मैं अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करता। वह हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के सिद्धान्तों के कट्टर अनुयायी हैं। उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आरम्भ किए गए बीस सूत्री कार्यक्रम को भारी प्रोत्साहन मिला है। परन्तु मुझे खेद है कि कर्नाटक सरकार ने निर्धन लोगों को ऋण वितरित करते समय सहयोग नहीं दिया है। यह एक गम्भीर मामला है और मुझे आशा है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री इस विषय पर विचार करेंगे और समुचित कारंवाई करेंगे। ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार सौ प्रतिशत सहायता दे रही है। परन्तु कर्नाटक में क्या हो रहा है? पैसा कहां जा रहा है? क्या यह निर्धन लोगों को मिल रहा है? यह श्रमिक मूलक है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह विचौलियों और ठेकेदारों के पास जा रहा है। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की जांच की जानी चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग इस कार्यक्रम का प्रभारी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से ठेकेदारों के हाथ में पहुंच जाता है। जहां तक मुझे जानकारी है संभावित लाभ का 30 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार पचास प्रतिशत आर्थिक सहायता दे रही है। परन्तु निर्धन ग्रामीण मजदूरों को इस कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल रहा है। इस कार्यक्रम से उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है जिसके लिए इसे कर्नाटक में आरम्भ किया गया था।

मेरे राज्य में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भी उद्देश्य में सफल नहीं हो रहा है। पिछले दस वर्षों से एक ही प्रकार का काम हर वर्ष किया जा रहा है। केन्द्र सरकार राज्य को सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों की सहायता हेतु पैसा दे रही है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं चल रहा है। हमें एक समूह में 200 से 250 मजदूर दिखाई देते हैं और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसे अन्य सभी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक क्षेत्र विशेष में यदि इन सभी कार्यक्रमों को चलाया जाए तो कम से कम 1000 व्यक्ति वहां होने चाहिए। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले की जांच करायें कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस प्रकार चलाया जा रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ऋण कहां जा रहा है? इस कार्यक्रम में अत्यन्त निर्धन लोगों को ऋण दिया जाना है। परन्तु यह उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिन्हें मिलना चाहिए। इस ऋण योजना का लाभ अन्य लोग उठा रहे हैं। कई बार पैसा खण्ड विकास अधिकारियों के हाथों में होता है। ग्राम पंचायत की बैठक में ऋण वितरण के बारे में कुछ निर्णय लिये जाते हैं परन्तु बैठक के बाद इन निर्णयों का कोई महत्व नहीं रहता। ऋण उन लोगों को मिलता है जिनके नामों की जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता सिफारिश करते हैं। मैं ऐसी कई घटनाएं बता सकता हूं।

कर्नाटक में शिक्षा विभाग जिस प्रकार कार्य कर रहा है उससे मुझे हैरानी होती है। एक मिसाल यह है कि सात कक्षाओं के लिए केवल एक अध्यापक है। यदि माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ चलें तो मैं उन्हें ऐसे मामले दिखाने के लिए तैयार हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बागेपल्ली में उच्च विद्यालय हाईस्कूल में केवल एक अध्यापक है। इस उच्च विद्यालय में तीन कक्षाएं हैं परन्तु अध्यापक केवल एक ही है। कई विद्यालयों की इमारतें टूटी-फूटी हुई हैं। इन इमारतों की दीवारें कभी भी विद्यार्थियों पर ढह सकती है। इन विद्यालयों की इमारतों की कोई मरम्मत नहीं की जाती। मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि कहां जा रही है?

कोलार, तुमकुर, चित्रदुर्गा, बेलारी, आदि 17 जिले भयंकर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहां न तो जानवरों के लिए चारा है और न ही लोगों के लिए पीने का पानी। बेध कुओं की खुदाई पर राज्य सरकार 60 रुपए प्रति फुट खर्च कर रही है। परन्तु ऐसी कई गैर-सरकारी पार्टियां हैं जो यह काम 30 रुपये प्रतिफुट के हिसाब से करने के लिए तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि दरों में इतना अन्तर क्यों है?

अन्त में मैं अन्त्योदय कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहता हूं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक में अन्त्योदय कार्यक्रम के साथ क्या हो रहा है। खण्ड विकास अधिकारियों को प्रसन्न कर सकने वाले खुशनसीब इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में धन का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि और यह सुनिश्चित करेंगे अन्त्योदय कार्यक्रम लोगों का जीवन स्तर उठाने में सहायक हो।

जैसा कि मैं इस सम्मानित सभा में पहले कह चुका हूं, अब मैं फिर गौरी बिडानूर सहकारी चीनी फैक्ट्री बन्द होने के बारे में कहूंगा। आज लगभग एक हजार मजदूर बेरोजगार हैं। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री निर्धन मजदूरों का बचाव करेंगे।

मैं केन्द्र सरकार से येल्हान्का और बंगलौर के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने का आग्रह करता हूं। मैं सरकार से गुंटाकल होते हुए बंगलौर से तिरुपति के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का भी अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस लाइन पर काफी भीड़ है। मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, सामान्यतः अनुपूरक मांगों की ओर ध्यान नहीं जाता। परन्तु इस बार इनकी ओर विशेष ध्यान गया है, क्योंकि आज से पहले कभी वित्त मंत्री ने सभा के समक्ष 3872 करोड़ रुपये जैसी बड़ी राशि की अनुपूरक मांगें नहीं रखी हैं और वह भी मुख्य बजट पारित होने के चार महीनों के अन्दर/इनमें से 1628 करोड़

रुपये राज्यों को ओवरड्राफ्ट के लिए हैं। परन्तु इसके बावजूद 2000 करोड़ रुपये से अधिक और व्यय किए जाने हैं। हमने देखा कि मुख्य बजट में लगभग 3400 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। मैं और पिछले वर्ष भी 3200 करोड़ रुपय का घाटा दिखाया गया था मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या 3800 करोड़ रुपए की यह अतिरिक्त राशि मुख्य बजट के घाटे में जमा हो जाएगी। यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह बजट में सन्तुलन कैसे रखेंगे। मुझे समज मैं नहीं आता।

केवल यही नहीं, यह पहली किस्त है। और भी कई किस्तें आएंगी। वित्त मंत्री जी जब कल उत्तर देंगे तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि वह बजट में सन्तुलन कैसे रखेंगे।

मैं केवल एक या दो बातें कहना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र श्री कृष्ण राव ने कर्नाटक में कुछ ग्रामीण विकास कार्यों का उल्लेख किया है। मैं एक बात पूर्ण अधिकार के साथ कह सकता हूं कि कर्नाटक राज्य में एक रुपए का भी दुरुपयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा अन्य ऐसे कार्यक्रमों के लिए आबंटित धन का समुचित इस्तेमाल किया जाता है। इसी भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को प्रमाणपत्र दिया है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में उसे छः सूत्रों मैं प्रथम पुरस्कार मिला है' अन्य सात सूत्रों में दूसरा पुरस्कार मिला है। निस्सन्देह अन्य सात सूत्रों में हम स्तर से नीचे रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। परन्तु कर्नाटक में दुरुपयोग का कोई मामला नहीं हुआ है। अन्य राज्यों में हो सकता है परन्त हमारे राज्य कर्नाटक में नहीं।

श्री वी० कृष्ण राव : यह ठीक नहीं है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : यह ठीक है। श्री बूटा सिंह ने स्वयं कहा है कि जहां तक पेय जल की व्यवस्था कराने का सम्बन्ध है कर्नाटक ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पूर्ण अधिकार के साथ यह कह सकता हूं कि मैं कुछ समय पूर्व तक कर्नाटक सरकार में था। वहां धन का बिलकुल दुरुपयोग नहीं हुआ है।

इस बजट से कर्नाटक के लोगों में भारी निराशा उत्पन्न हुई है।

मैं अपने राज्य कर्नाटक से सम्बन्धित कुछ परियोजनाओं के बारे में भारत सरकार के विचार के बारे में जानना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि **विजयनगर** इस्पात संयन्त्र के लिए कितना धन आबंटित किया जाएगा **विजाग** इस्पात सन्यन्त्र के लिए केवल 300 करोड़ रुपए रखे गए थे। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या विजयनगर इस्पात सन्यन्त्र के लिए कोई प्रावधान किया जा रहा है।

इसके बाद मैं मंगलौर तेलशोधक कारखाने के बारे में जानना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा या नहीं। यद्यपि हमें माननीय वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वह इसे खत्म नहीं होने देंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निकट भविष्य में शुरू होगा या नहीं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक राज्य के लाभ के लिए इस तेलशोधक कारखाने को तत्काल शुरू किया जाए।

जहां तक विद्युत की स्थिति का सम्बन्ध है, माननीय वित्त मंत्री ने दिल्ली में विद्युत परियोजनाओं के लिए ˉ0 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में केवल दिल्ली ही महानगर नहीं है। कर्नाटक सरकार ने बंगलौर शहर में जनता के लिए नहीं अपितु केन्द्रीय उद्योगों हेतु जिनमें येलहान्का स्थित 'व्हील और ऐक्सिल' प्लान्ट भी आता है गैस टरबाइन के लिए अतिरिक्त प्रावधान की मांग की है। परन्तु इसके लिए वित्त मंत्री कहते हैं कि यह सस्ता नहीं है। अब आप दिल्ली में वही गैस टरबाइन लगाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक सरकार के अनुरोध के मुताबिक बंगलौर में गैस टरबाइन लगाया जाए।

भारत गोल्ड माइन्स के लिए 3.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि वहां आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी, ताकि अधिक सोना प्राप्त किया जा सके। और किसी भी हालत में इसे बन्द नहीं किया जाएगा।

जहां तक बंगलौर शहर का सम्बन्ध है, वहां पानी का अभाव है। वहां स्थिति कुछ वर्ष पहले मद्रास में हुई स्थिति से भी बहतर हो सकती है। कर्नाटक सरकार ने कावेरी परियोजना के तृतीय चरण का काम आरम्भ कर दिया है। निर्माण और आवास मंत्रालय इसे पहले ही स्वीकृति प्रदान कर चुका है। परन्तु सिंचाई मंत्रालय ने अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की है, यद्यपि हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि हम अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस योजना को स्वीकृति प्रदान की जाएगी ताकि जल्दी ही काम आरम्भ किया जा सके। इस योजना के लिए विश्व बैंक से और जीवन बीमा निगम से सहायता ली जानी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस योजना के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराएं?

बंगलौर एक महानगर है। आपने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जिस प्रकार मेट्रो रेल उपलब्ध कराई है, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसी प्रकार बंगलौर शहर के लिए मेट्रो रेल उपलब्ध कराई जाए जिसके लिए पच्चीस वर्ष में 650 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना पहले ही तैयार कर ली गई है। यह कोई बड़ी राशि नहीं है। बंगलौर शहर का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है और यातायात भी बहुत रहता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं जो अनुदान की अनुपूरक मांगें हैं, इनका पुरजोर समर्थन करता हूं। मान्यवर जहां तक पिछले बजट के बाद इन अनुदान मांगों को प्रस्तुत करने का प्रश्न है, यह बात सही है कि पहली बार देखने में यह राशि बहुत अधिक प्रतीत होती है, लेकिन आप उन 26 मदों को देखें तो आप पाएंगे कि इसमें ज्यादातर राशि राज्यों को दिए जाने वाले ओवरड्राफ्ट के कारण दिखाई देती है। इसके बाद कुछ ऐसे अपरिहार्य खर्चे हैं जिनके कारण रुपए की अधिक व्यवस्था करनी पड़ी है। इसलिए विरोध पक्ष की यह बात कि इतनी ज्यादा धनराशि अनुपूरक अनुदान मांगों के रूप में ली जा रही है, ठीक नहीं है और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

जहां तक, मेरी सरकार और वित्तमंत्री तथा राज्य मंत्री का सवाल है, इनका प्रयास ऐसा

है जिसको राष्ट्र जानता है कि पिछले चार महीने में ही करीब-करीब इनके अपने प्रयास से इतनी अधिक राशि वसूल हुई है, जिससे हमें काफी उम्मीद बंधी है। हमें याद है कि वित्त मंत्री जी ने पिछले दिनों में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इन्कम टैक्स के आफिसर्स की बैठकें कर के इस मामले में काफी सतर्कता बरती है और मान्यवर मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह प्रयास जारी रहा तो पिछले बजट का जो 349 करोड़ का डेफिसिट था, वह पूरा हो सकता है। इसलिए मैं मान्यवर यह कहना चाहता हूं कि इस दिशा में जो सराहनीय प्रयास हमारी सरकार के रहे हैं, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को उन्हें भी कहना चाहिए।

मान्यवर, स्टेट और सेप्टर के जो सम्बन्ध हैं, उनके कारण हमारी केन्द्रीय सरकार की जो नीयत है, उसका निश्चित तौर से पूरा-पूरा पालन नहीं हो पाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एन० आर० ई० पी० का जो प्रोग्राम है, उसके अन्तर्गत 20 परसेन्ट रुपया फारेस्ट डिपार्टमेंट को सरकार दे रही है।

राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि फारेस्ट विभाग में पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी मिनिमम वैजेज नहीं दिया जा रहा है। एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत वे कांट्रैक्ट बेसिस पर देते हैं और आदिवासियों व प्लान्टेशन के लेवरर्स का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, इसकी आप जांच कराइए।

यही नही, अभी कुछ साथी बोल रहे थे, मैंने भी पीछे इस बारे में सुझाव दिया था कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के लिए आपके विभाव को कोई न कोई मौनिटरिंग सैल रखना होगा। इसके लिए आप विधान में संशोधन करें, अब बहुत ज्यादा राज्यों पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। जब राज्यों को अधिक पावर देने की बात आती है तो हमारे विरोध पक्ष के लोग कहते है कि राज्यों को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, लेकिन वह उपलब्धियों की बात नहीं कहते हैं। वह सैंट्रल गवर्नमैंट पर दोषारोपण करते हैं। मेरा सुझाव है कि जिन मदों के लिए स्टेट गवर्नमैंट को आप पैसा दें, निश्चित तौर पर आप वहां अपना मौनिटरिंग सैल रखें ताकि उस फंड पर कंट्रोल रहे। बहुत सी राज्य सरकारों को जिस काम के लिए आप धन देते हैं, उसमें उसका उपयोग नहीं करती हैं।

रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए जो धन केन्द्र से गया है, उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में नान-इंटरफीयरेंस के मायने यह नहीं हैं कि उस तरफ ध्यान ही न दिया जाए। आज जितनी भी अन्डरटेकिंग्ज हैं, उनमें भाई-भतीजा वाद पनप रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ऊंचे पैमाने पर हो रहा है। वहां के मैनेजर्स पुराने जमाने के राजा-महाराजाओं की तरह हो गए हैं, उन पर आप कंट्रोल करें। वह अपने भाई-भतीजों को ठेका देते हैं, नौकरी में अपने मित्रों को रखते हैं। औटोनामस बाड़ी का मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें मनमाना धन खर्च करने के लिए इजाजत दे दें।

आपको निश्चित तौर से अपने इनकम टैक्स विभाग से भ्रष्टाचार मिटाना होगा। इनकम टैक्स आफिसर का यह नक्शा होता है कि वह सोचता है कि एक करोड़ रुपया तो जुट ही जाएगा। कोई भी ऐसा इनकम टैक्स आफिसर नहीं है जिसने अनुचित धन न कमाया हो। शायद कोई एक-आध हो, वह बात अलग है लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों की यह धारणा है कि इनकम टैक्स के ऊंचे ओहदों पर रहने वाले अधिकारी किस तरह से जिलों और क्षेत्रों में दावतें करते हैं और जो इनकम

टैक्स देने वाले हैं उनकी कारों में उनके बच्चे घूमते हैं और ईमानदारी से जो टैक्स वसूल करना चाहिए, वह नहीं करते हैं। आप इस ओर कड़ाई कीजिए।

किसानों को जो ऋण को-आपरेटिव के माध्यम से देते हैं, अब समय आ गया है कि सूखा-बाढ़, ओले और साइक्लोन से जिन किसानों का नुक्सान हुआ है, हिली एरिया के लोगों का नुक्सान हुआ है, उनके ऋण को आपको माफ करना पड़ेगा, राइट-आफ करना पड़ेगा, नहीं तो किसान उठ नहीं सकेगा। किसान बहुत डूब गया है।

जहां तक श्रमिकों का सवाल है, अनेकों कार्यक्रम का उनके लिए बजट में भी प्रावधान है, लेकिन जो श्रमिक-कानून केन्द्रीय सरकार ने बनाए हैं, उनका ईमानदारी से कोई पालन नहीं कर रहा है। समान काम के लिए समान वेजज कहीं पर करे राज्य सरकारें नहीं दे रही हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए मजदूरी अलग-अलग है। इसलिए आज समय आ गया है कि अब सप्लीमेंटरी बजट यहां तेश करने जा रहे हैं तो आप इस सदन को आश्वस्त करें कि हिन्दुस्तान में जो करोड़ों लेवर के लोगों का शोषण हो रहा है, सरकारी फैक्टरी में 4 किस्म के 4 लेवरर्स हैं एक मस्टर रोल पर है, दूसरा कैजुअल लेवर है, तीसरा कांट्रेक्ट पर लेवर है और चौथा सप्लाई का लेवर है और इन चारों को मजदूरी अलग-अलग किसी को 30 रुपए, किसी को 40 रुपए और कोई 16 रुपए पाता है। यह क्या हो रहा है? आपको निश्चित तौर से एक नीति बनानी होगी मजदूरी के भुगतान के लिए तब काम चल सकता है।

आज सारे देश में सबसे बड़ा रोग करप्शन का है। जो रुपया यहां से जा रहा है, सारे अधिकारी वर्ग किसी न किसी रूप में उसका फायदा उठा रहे हैं। आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, डी-पी० ए०पी० का जो रुपया होता है, बैंकों में निश्चित तौर से आपने बहुत मेहनत की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, इसमें काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है। ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में अभी भी लोन बगैर जमानत के नहीं मिलता, और बैंक के मैनेजर को खुश किए बिना पैसा नहीं मिलता है। आपको बैंक मैनेजर की भी जांच करानी होगी।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी० एस० बसवराजू (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के व्यय की प्रथम अनुदानों की अनुपूरक मांगों, का समर्थन करते हुए मैं कुछ संगत बातें भी कहना चाहता हूं।

चूंकि अब सभा को 3872.54 करोड़ रुपये की प्रथम अनुदानों की अनुपूरक मांगें स्वीकार करनी है, सम्भवतः हमें द्वितीय अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अगले सत्र में भी चर्चा करने और स्वीकार करने का एक और अवसर मिलेगा। आरम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को यह जानकर राहत महसूस करनी चाहिए कि 1628.01 करोड़ रुपये का ऋण उन्हें गत वर्ष में ओवर ड्राफ्टों के कारण इकट्ठी हुई धनराशि को अदा करने के लिए दिया गया है। महोदय, अब समय आ गया है जबकि राज्य सरकारें अपनी वित्त व्यवस्था को किफायती और विवेकपूर्ण ढंग से चलाने की कोशिश करें। मैं इस अवसर पर यह सुझाव देना चाहता हूं कि

केन्द्र ने जिस सावधानी से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया है, जिसकी तारीफ विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने की है, इसका राज्य सरकारों को अनुकरण करना चाहिए।

अगर मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों की, जिसमें आप देखेंगे कि गैर-योजना व्यय, योजना व्यय से दुगना है, थोड़ी सी आलोचना करता हूं तो माननीय वित्त मंत्री द्वारा मुझे गलत नहीं समझा जाना चाहिए। योजना व्यय 1355.83 करोड़ रुपए हैं तथा गैर-योजना व्यय 2516.71 करोड़ रुपये है। माननीय मंत्री गैर-योजना व्यय में बहुत अधिक वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली मंहगाई भत्ते की किस्तों की दलीफ देंगे।

इस सम्बन्ध में एक व्यय आयोग को गठित करने का सुझाव दूंगा जिसे गैर-योजना व्यय को कम करने तथा उसे रोकने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

केन्द्रीय योजना आयोग के प्रधान मंत्री अध्यक्ष हैं, केन्द्र तथा राज्य को योजना की धनराशि निर्धारित करने के लिए एक शीर्ष प्राधिकरण है। इसी प्रकार से व्यय आयोग के रूप में एक शीर्ष निकाय होना चाहिए जिसमें देश के श्रेष्ठ अर्थशास्त्री हों, ताकि गैर-योजना व्यय में अनावश्यक वृद्धि को रोका जा सके। संसाधनों को बढ़ाने के लिए हमें लगातार अवसर उपलब्ध नहीं हो सकते। हमें सार्वजनिक खर्च की बर्बादी को समाप्त करना है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री बढ़ते हुए गैर-योजना व्यय की इस विशेष समस्या पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

मैं मांग संख्या—35 नोट, सिक्के तथा टकसाल— जो 55.38 करोड़ रुपए की है का जिक्र करूंगा। मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि देश में सिक्कों की कमी को कुछ हद तक हल करने के लिए 200 करोड़ सिक्कों का आयात करने का प्रस्ताव सरकार ने किया है। यह केवल देश में सिक्कों की कमी को आंशिक तौर पर पूरा करने के लिए है। मैं नहीं जानता कि सरकार का सम्पूर्ण देश में सिक्कों की अत्यधिक कमी को पूरी तरह से हल करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि कुछ बेईमान लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, केन्द्रीय सरकार की नाक तले, संसद मार्ग पर भारतीय रिजर्व बैंक के सामने सिक्कों का बड़ा व्यापार हो रहा है—100 रुपये के सिक्कों के लिए 10 रुपये कमीशन लिया जाता है। सरकार भोले-भाले लोगों का शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही क्यों नहीं करती? नोएडा में एक नई टकसाल स्थापित की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि इससे देश में एक रुपए के नोटों की कमी दूर हो जाएगी। सरकार को देश में सिक्कों की इतनी अधिक कमी के कारणों की जांच करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। मांग संख्या 8 के अन्तर्गत, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान बनाने के लिए, इस कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दरों पर खाद्य सामग्री बांटने के लिए 121.54 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है। यह धनराशि राज्य सरकारों को सौंप दी जाएगी। हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रतिवेदन में बताया गया है कि ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम से केवल 20 प्रतिशत फायदा लोगों तक पहुंचा है। हाल ही में, कृषि मंत्री ने केन्द्रीय स्तर पर एक निगरानी कक्ष स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में बताया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचे। माननीय प्रधान मंत्री भी बार-बार इन ग्रामीण विकास योजनाओं पर ठीक ढंग से निगरानी करने की आवश्यकता के बारे

में कहते रहे हैं। 1985-86 के बजट के पश्चात्, केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मकान देने की योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया और जिसके लिए इस मांग के अन्तर्गत, 100 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, अगर केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि का दुरुपयोग करने का पता चले तो केन्द्र सरकार को दण्डात्मक कदम उठाने में नहीं हिचकिचाना चाहिए।

इसी प्रकार से मांग संख्या 2 के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को उर्वरक तथा अन्य कृषि आदानों को खरीदने तथा बांटने के लिए 60 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है ताकि खाद्यान्न उत्पादन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यहां पर भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकारें इस धनराशि का इस्तेमाल इस विशेष प्रयोजन के लिए ही करें। धनराशि के कहीं और इस्तेमाल किए जाने की बात को केन्द्र अनदेखी न करे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मांग संख्या 25 के अन्तर्गत, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर को एक सुपर-कम्प्यूटर लगाने के लिए भवन निर्माण कार्य शुरू करने तथा अन्य प्रारम्भिक व्यय के लिए 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि शुरू में दी गई है। 38.60 करोड़ रुपये की कुल धनराशि को समय पर दिया जाए, ताकि निर्माण कार्य बिना लागत वृद्धि के पूरा हो सके।

चोर बाजारी, जमाखोरी तथा कर अपवंचन देश में काले धन के स्थाई स्रोत हैं। माननीय वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि चोरबाजारी, जमाखोरी तथा कर अपवंचन को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार एक नई वित्तीय नीति तैयार कर रही है। इस सम्बन्ध में हमारे पास वांचू समिति की सिफारिशें हैं। हाल ही में, सरकार को, काले धन के बारे में प्रमुख संस्था का भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री से, जो व्यावहारिकता तथा गतिशीलता के लिए विख्यात हैं, निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में सभी आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक कार्यवाही करें।

मैं मंत्री महोदय से देश में शेयर तथा स्टाक बाजार की निरन्तर बढ़ती हुई सट्टेबाजी तथा हेरफेर की गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के लिए विधायी प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी आग्रह करूंगा। स्टाक एक्सचेंज काले धन के स्रोत बन गए हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समय कम है। इसी कम समय में मैं कुछ अपने क्षेत्र की बात रख देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र में हर साल बाढ़ की विनाश लीला के कारण सैकड़ों सीमांत और लघु किसान कंगाल होते जा रहे हैं। कंगाल होने का मतलब यह है कि उस बाढ़ ने उस उपजाऊ जमीन में पानी भर दिया है जिससे वह खेती के लायक जमीन नहीं रही और लोग नंगे और कंगाल हो रहे हैं। इतने साल की हुकूमत में यह सरकार बाढ़ पर काबू नहीं पा सकी और यह बाढ़ हमारे यहां एक अभिशाप के रूप में बनी हुई है। मैं मंत्री जी से कहूंगा क्योंकि मंत्री जी के बारे में जो बातें आई हैं उनसे मुझे पूर्ण भरोसा है कि वह हमारी बातों पर ध्यान देंगे। हमारे यहां की दो स्कीम्स आपके केन्द्र में पड़ी हुई हैं और वे दोनों बड़ी खतरनाक नदियों पुनपन और अलगू के सम्बन्ध में हैं जो बाढ़ लाकर वहां

विनाश लीला किए हुए हैं। अगर उन दोनों स्कीम्स को जो सेंटर में आई हुई हैं आप स्वीकृत करा देते हैं और उसके लिए धन इकट्ठा करके दे देते हैं तो आप दक्षिण बिहार को सदा सर्वदा के लिए बाढ़ से मुक्ति दिला सकते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको पहुंच सकता है जिससे कि आर्थिक मजबूती भी देश में बनेगी और आप आगे प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं।

दूसरी चीज यह है कि आप शिक्षा पर इतना रुपया खर्च करने जा रहा रहे हैं। उसमें एक यह बात सदन के सामने नहीं आई है कि जो आज तकनीकी शिक्षा पटना में दी जाती है जिसमें लोग ओवरसीयरी का कम्पीटीशन देते हैं, वहां के हालात क्या हैं इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। आज वहां बहुत से ठेकेदार और एजेंट बन गए हैं जो बीस-बीस हजार रुपया जमा कराकर उन लड़कों को परीक्षा में और कम्पीटीशन में उत्तीर्ण करवा रहे हैं जो लड़के तीन-चार साल से पढ़ाई छोड़ दिए हैं। मैट्रिक थर्ड डिवीजन से पास हैं, उसके बाद वह घर बैठे हैं। ऐसे अमीर या खुशहाल और भ्रष्ट लोगों के जो लड़के हैं चाहे वह अधिकारी के हों चाहे ठेकेदार के हों वह 20 हजार रुपए दे कर कम्पीटीशन में बैठकर उत्तीर्ण हो रहे हैं और जो हमारे अच्छे लड़के हैं जो अच्छे दिमाग के हैं और अच्छे टैक्नीशियन हो सकते हैं वह पैसे के अभाव में पीछे रह जाते हैं। तो आपको यह देखना होगा कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार कहां तक देश में पहुंचा हुआ है जिससे आप देश को बचा नहीं सकते हैं। आप चाहे जो कहें वह बचने वाला नहीं हैं।

7.00 म० प०

एक सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि आपकी यह गलत आर्थिक नीति जो है उसी के कारण यह बीमारी देश में पैदा हो रही है। एक ऐलोपैथिक दवा अगर एक रोग को खत्म करती है तो दूसरे रोग को पैदा करती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी गलत आर्थिक नीतियों को सुधारें जिससे कि ग्रामीण विकास कर सकें। आपने बराबर कहा है कि हम ग्रामों का विकास करना चाहते हैं और जो बीस सूत्री कार्यक्रम है उसके सम्बन्ध में, मैं विरोधी दल का होते हुए भी हर जगह कहता हूं कि उसके द्वारा गरीबों को लाभ मिल सकता है लेकिन जो आपके एम० पीज० हैं, आपके जो एम० एल० एज० हैं वह उसको लागू नहीं होने दे रहे हैं। जिले में कभी उस प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होती है कि बीससूत्री कार्यक्रम को किस प्रकार से लागू किया जाए। यदि ईमानदारी से आपके अधिकारी और आपके लोग उसको लागू करें तो गांव-गांव में वह बहुत सारी चीजें जो हम लोग यहां सदन में उठाते रहते हैं, उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन जो आपके लोग हैं वही उसको लागू नहीं होने दे रहे हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में यदि दो योजनाएं—फलगू योजना, मुहाना डैम तथा पुनपुन घाघरा सिंचाई परियोजना—लागू कर दी जाएं तो वह इलाका धनधान्य से पूर्ण हो जाएगा।

श्री रामदेवराय (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए दो बातें कहना चाहता हूं। पूरा सदन इस बात से अवगत है कि हमारा देश गरीब है और उसमें भी बिहार राज्य सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यद्यपि बिहार में मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के सारे देश की सेवा करती है लेकिन हमारी स्वनाम धन्य स्वर्गीय श्रीमति इन्दिरा गांधी ने पिछड़ेपन को समझने और उसको दूर करने की चेष्टा की थी और उसी रूप में आज बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में परियोजनाए शुरू होने वाली हैं। मैं आपके द्वारा

सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे देश में छोटे छोटे उद्योगों को, काटेज इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि इसके बिना हम देश को सुखी और सम्पन्न नहीं बना सकते हैं। हमारे प्रदेश बिहार में जो साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते हुए छोटे छोटे उद्योगों को खड़ा करके ही सम्पन्नता लाई जा सकती है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे प्रदेश में नदियों की अधिकता है। किसी भी क्षेत्र में पांच से कम नदियां नहीं हैं परन्तु जल का जो समुचित उपयोग होना चाहिए था वह हम नहीं कर पाए हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक मास्टर-प्लान तैयार होना चाहिए जिससे कि हम सिंचाई तो क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। बिहार की जमीन काफी उपजाऊ है लेकिन उससे जितना लाभ उठाना चहिए वह पानी के अभाव में नहीं उठा पा रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि हमारी सरकार गरीबी को दूर करना चाहती है। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको हम ऊपर उठाना चाहते हैं। एन० आर० ई० पी० तथा अन्य जो प्रोग्राम हैं, उनके अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण वितरण की जो व्यवस्था है वह काफी त्रुटिपूर्ण है, स्थानीय प्रशासन का उस पर कोई प्रभाव नहीं रहता है, बैंकें मनमाने ढंग से काम करती हैं। जिलाधीश का भी उसमें कोई नियन्त्रण नहीं है। इसके चलते जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि विशेष कानून बनाकर बैंकों को कलक्टर और बी०डी०ओ० के हाथ में कर देना चाहिए ताकि आज जो बिना पैसा लिए हुए, बिना रिश्वत लिए हुए हमारे गरीब लोगों को बैंकें अनुदान और ऋण नहीं देती हैं उसको रोका जा सके। गाय, भैंस, रिक्शा, तांगा, दुकान आदि के लिए जो अनुदान ऋण देने का कार्यक्रम है वह जब तक कलक्टर के जिम्मे नहीं किया जाएगा तब तक अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा और जो आपका टार्गेट है वह पूरा नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम दो मिनट का समय मुझे बोलने के लिए दिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, में सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं। विभिन्न दलों के लोग जो अभी थोड़ी देर पहले सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स के संबन्ध में बोल रहे थे, वे सब यहां से गायब हो गए हैं।

मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने ओवर-ड्राफ्ट के जरिए से गलत तरीके से खर्चा किया है, उसको मिट-आउट करने के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया है। यह हमारी सरकार के लिए कितनी महानता को बात है। जिस तरह से वैस्ट बंगाल और दूसरे राज्यों ने गलत तरीके से खर्चा किया है, इसको बर्दाश्त करते हुए हमारी सरकार ने ओवर-ड्राफ्ट को पूरा करने के लिए पैसा दिया है। यह निश्चित तरीके से स्वागत योग्य कदम है।

के०एण्ड-मीन्स के लिए भी भारत सरकार ने पैसा दिया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत जितने दूसरे कार्यक्रम हैं, जैसे आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी० और आर०एल०जी०इ०पी० इत्यादि। इन सारे कार्यक्रमों के लिए भी पैसा दिया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तरीके से इस पैसे को सही रूप में खर्च किया जाए तो हमारे देश में जो गरीबी दूर करने के प्रोग्राम चल रहे हैं, वे कामयाब हो सकते हैं। कुछ राज्यों में मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था, जैसे कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश,

महाराष्ट्र और मेरे खुद के राज्य में भी, इन प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से मीट-आउट नहीं किया जाता है, फण्ड्स का दुरुपयोग किया जा रहा हैं। उसको निश्चित तरीके से बन्द करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं यह समझता हूं कि अगर भारत सरकार इस के ऊपर कदम नहीं उठाएगी और जैसी कि हमारी सरकार की नीति है कि इस देश से गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, वह नीति पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए में मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसके सम्बन्ध में कोई न कोई ठोस कदम उठाए और जो लोग पैसे का गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं, उनको टाइट कीजिए और उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। इस व्यवस्था को करेंगे तो निश्चित तरीके से एक अच्छी व्यवस्था होगी।

बैंकों की व्यवस्था ठीक रखने की खास तौर से आपकी जिम्मेदारी है। इस विभाग को खास तौर से आप देखते हैं इन बैंकों के जरिए से गरीबी मिटाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे है, जिनको कामयाब बनाना है। इन योजनाओं को अगर कामयाब बनाना है तो निश्चित तरीके से बैंकों को सुधारना पड़ेगा। आजकल बैंकों की जो हालत है, वह अच्छी हालत नहीं है। इस बारे में पहले भी आपसे कई बार निवेदन किया हैं। इसमें कोई दो राए नहीं हैं कि आपने जगह-जगह घूम कर बैंकों का दोरा करके ठीक तरह से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन फिर भी जिस तरह की बैंकों की हालत है, उसको सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे से पहले माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, वे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जिले के स्तर पर कोई चैकिंग अथारिटी नहीं है, जिससे छोटी-छोटी शियकातों को दूर किया जा सके। सब्सिडी के पैसे को कोई गलत तरीके से अधिकारी दुरुपयोग करता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई चैक नहीं करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमैटी में कोई एम० पी० या एम० एल० ए० नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि भी शामिल नहीं हैं, केवल कलेक्टर या आपके अधिकारी शामिल हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस बारे में आपसे पहले भी निवेदन किया था कि इस कमैटी के अन्दर जनप्रतिनिधियों को शामिल कीजिए। आप उनको बैंक का लोन देने का अधिकार मत दीजिए। आप कहते हैं कि बैंक का लोन देने में अगर हम इन लोगों को रखेंगे तो अपना-अपना फेवरिटिज्म करेंगे। हो सकता है, मगर जो लोग गलत काम करते हैं इस परह से भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था तो होनी चहिए, ताकि एक अच्छी व्यवस्था हो।

एक निवेदन मेरा यह भी है कि बैंकों से जो करोड़पति लोगों को मदद दी जाती है, यदि उनका पैसा डूब जाता है, तो कार्यवाही देर से की जाती है, लेकिन अगर किसी गरीब आदमी को 3-4 हजार रुपया लोन दिया गया और अगर वह टाइम पर वसूल नहीं होता है तो 6-7 गुना उनसे वसूल कर लिया जाता है, यह सरकार की कौन-सी नीति है। आप कहते हैं हमारे पास बैंकों में कोई कानून नहीं है, हम कम्पाउन्ड इन्टरैस्ट लगा लेते हैं। अगर किसी आदमी को तीन हजार रुपया लोन दिया तो वह पांच साल के बाद 15 हजार रुपए हो जाता है। इस की वजह से जो आपका बीस सूत्री कार्यक्रम है, वह सही रूप में कार्यान्वित नहीं हो रहा है। गरीबों की जमीनें नीलाम हो रही हैं, उनके घर नीलाम हो रहे हैं, उनके साथ हर तरह का अन्याय हो रहा है। इसके सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए। सिविल प्रोसीजर कोड में कानून बना हुआ है, ला मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं आप चाहें तो उनसे पूछ लीजिए। इसी तरह से मनी लैंडर एक्ट में कानून है कि कोई मनीलैंडर दुगने से ज्यादा वसूल नहीं कर सकता, तब फिर बैंक वाले कैसे पांच-सात गुना वसूल करते हैं। पैसे वालों से जिनको ये पांच-दस करोड़ रुपए देते हैं उनसे पांच-सात गुना वसूल नहीं करते,

लेकिन जिनको तीन हजार रुपया कुआ खोदने के लिए देते हैं उनसे 15-20 हजार रुपया वसूल करते हैं। इस तरह गरीबी नहीं मिटाई जा सकती, यह तो गरीबी को बढ़ना है। आप इस चीज को अवश्य देखिए जिससे गरीबों को राहत मिल सके। इसमें आपका नाम होगा, लोग कहेंगे कि इतना बड़ा काम किया है जिससे कांग्रेस से गरीबों को राहत मिली है। कानून मंत्री जी आप इनको सलाह दीजिए ताकि ये बैंकों के सम्बन्ध में कोई कानून बनाकर इन गरीबों को कुछ तो राहत दिलाएं।

हमारे यहां मेवाड़ टैक्सटाइल मिल एक साल से बन्द है। बीच में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से कह कर उसको अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की थी। आपने जो व्यवस्था की है उस में ट्रेड यूनियन से एग्रीमेंट हो गया है वे पांच साल तक पैसा बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। अब वह मामला कर्ज के लिए आइ० डी० बी० आइ० के पास पड़ा है। ढाई हजार मजदूर एक साल से बेकार हैं, अगर उनको कर्जा जल्दी मिल जाए तो ढाई हजार मजदूर रोजी-रोटी से लग जाएंगे तथा उनको अपने परिवार के भरण-पोषण का मौका मिल सकेगा।

अब मैं राजस्थान के रीजनल इम्बैलेंस की बात कहना चाहता हूं, वहां पर भारत सरकार का बहुत कम पैसा लगा है। अभी तक आपने राजस्थान को केवल 1.5 प्रतिशत पैसा दिया है जो बहुत कम है, उसे कम से कम 6-7 प्रतिशत पैसा मिलना चाहिए।

राजस्थान में एक जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाने की मांग बहुत पुरानी है और उसके लगाए जाने के बारे में निश्चय भी हो चुका है। वहां पर न केवल हिन्दुस्तान बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जिंक डिपाजिट निकला है। कुछ इन्टरेस्टेट लोग उस प्लांट को उस स्थान से 70-80 मील दूर लगवाना चाहते हैं, जिससे डिपाजिट को प्लाट तक ढोने का काफी खर्च आएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जहां पर डिपाजिट निकला है—रामपुर-अगूचा में—उसी स्थान पर यह प्लांट लगाया जाए। इस प्लांट के लगाए जाने से जो 30 करोड़ रुपए का जिंक (शीशा व जस्ता) हम बाहर से मंगाते हैं उस फारन-एक्सचेन्ज को बचाया जा सकता है। आप इस पैसे को बचाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।

माइका पेपर का कारखाना भीलवाड़ा में लगाने की बात काफी अर्से से चल रही है, उसके लिए निश्चित रूप से कोई योजना बनाने की जरूरत है। वहां पर माइका का जो डिपोजिट निकला है, वह उस इलाके के लिए भगवान की देन है, अब उस इलाके में कारखाना लगाकर हम उस क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने में मदद कर सकते हैं साथ ही फारन-एक्सचेन्ज बचाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए यह आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं मंत्री महोदय निश्चित तरीके से उन पर ध्यान देंगे। खास तौर से बैंक जो कर्जा देते हैं उनके सम्बन्ध में कोई न कोई कानून अवश्य लाएं ताकि गरीबों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कल वाद-विवाद का जवाब देंगे। अब सभा कल तक के लिए स्थगित होती है।

अनेक माननीय सदस्य : बहुत-बहुत धन्यवाद।

7.15 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 अगस्त, 1985/16 श्रवण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

इण्डियन प्रिंटिंग प्रेस